

दिनांक 07.02.2019 को
सदन में प्रस्तुत की गयी

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तर प्रदेश सरकार
वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या-2

₹ 11,920.32 करोड़ की कुल हानि हुई। शेष 56 पीएसयू जिनके लेखे अन्तिमीकृत नहीं हुए हैं, की हानि का आकलन नहीं किया जा सकता है।

3. राज्य सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में 22 कार्यरत पीएसयू को ₹ 56,273.05 करोड़ एवं तीन अकार्यरत पीएसयू को ₹ 7.03 करोड़ की बजटीय सहायता, इनके लेखाओं का अन्तिमीकरण न होने के बावजूद, देने का आधार स्पष्ट नहीं है।

4. एक निगम (उत्तर प्रदेश जल निगम) में कमियां इतनी चिन्ताजनक हैं कि सीएजी ने इसके लेखाओं पर अभिमत देने से मना कर दिया है। सांविधिक अंकेशक द्वारा भी चिन्ताजनक कमियां होने के कारण उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के वर्ष 2008-09 के लेखे पर अभिमत देने से मना कर दिया।

5. राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के पुर्नगठन के 17 वर्ष बाद भी छः पीएसयू की सम्पत्तियों एवं दायित्वों का विभाजन पूर्ण नहीं किया है।

6. डिस्कॉम द्वारा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत उनके वित्तीय लक्ष्य काफी हद तक प्राप्त कर लिये गये तथापि परिचालन लक्ष्यों की प्राप्ति में विफल रहे।

7. निष्पादन लेखापरीक्षा उत्तर प्रदेश में 2012-17 (11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना) की अवधि में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के निरूपण, अनुमोदन एवं क्रियान्वयन आच्छादित करती है। आरईसी ने 2012-17 की अवधि में 75 जिलों में 86 परियोजनाओं के लिए ₹ 11,697.83 करोड़ अनुमोदित किये। 75 जिलों में से, 11 जिले 11वीं पंचवर्षीय योजना, 53 जिले 12वीं पंचवर्षीय योजना एवं 11 जिले दोनों योजनाओं में आच्छादित थे एवं आरईसी ने डिस्कॉमों की लापरवाही के कारण ₹ 1,197.22 करोड़ की प्रतिपूर्ति रोक दी थी। लेखापरीक्षा में दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के प्रकरणों (यथा, अनुदान की उपलब्धता होने पर भी डिस्कॉम द्वारा आरईसी से ऋण का आहरण) भी देखे गये जिससे सार्वजनिक कोष पर ब्याज का परिहार्य भार पड़ा।

8. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में शहरी परिवहन के संचालन पर लेखापरीक्षा में राज्य के तीन शहरों में प्रदान की गयी नगरीय परिवहन सेवा में कमियाँ परिलक्षित हुईं।

9. भूखण्डों के विक्रय पर ₹ 33.89 करोड़ का अवसंरचना अधिभार का नहीं वसूला जाना, ₹ 16.25 करोड़ के बकाये की वसूली में ठेकेदार को अनुचित लाभ, प्रतिस्थापन योग्य मीटर बॉक्स अलग से क्रय करने की प्रणाली न होने के कारण ₹ 3.69 करोड़ की हानि एवं एक उपभोक्ता से ₹ 1.28 करोड़ का राजस्व कम भारित किये जाने के दृष्टान्त प्रतिवेदित किए गए।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत, लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम तथा लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय समाविष्ट हैं:

अध्याय-1: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के कार्यकलाप पर सामान्य सूचना,

अध्याय-2: राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (अब दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में समाविष्ट) पर निष्पादन लेखापरीक्षा, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में शहरी परिवहन के संचालन पर लेखापरीक्षा, तथा उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड की निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुसरण लेखापरीक्षा

अध्याय-3: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर छः संव्यवहार लेखापरीक्षा प्रस्तर।

लेखापरीक्षा के परिणामों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 1,176.51 करोड़ है।

अध्याय-1: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप पर सामान्य सूचना

31 मार्च 2017 को, उत्तर प्रदेश में 103 पीएसयू थे, जिनमें से केवल 51 सरकारी कम्पनियां एवं छः सांविधिक निगम कार्यरत थे। शेष सभी 46 अकार्यरत पीएसयू सरकारी कम्पनियां थीं।

103 पीएसयू में से, केवल 40 पीएसयू ने अपने पिछले तीन वर्षों के लेखाओं का अन्तिमीकरण किया था, और 95 पीएसयू के लेखे 1981-82 से लम्बित थे। लेखाओं में विलम्ब/लेखाओं का नहीं बनाया जाना, तथ्यों के अनुचित प्रस्तुतिकरण, धोखाधड़ी एवं दुरुपयोग के जोखिम से भरा हुआ होता है।

इन 40 पीएसयू के अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार, 22 पीएसयू¹ ₹ 963.97 करोड़ का लाभ अर्जित किया, 17 पीएसयू² ने ₹ 19,299.56 करोड़ की हानि उठाई तथा शेष एक पीएसयू³ ने कोई लाभ या हानि न होने की सूचना दी। शेष 63 पीएसयू (103-40), जिनके द्वारा लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं किया गया है, द्वारा की गई हानि, यदि कोई हो, का आकलन नहीं किया जा सका। अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार इन पीएसयू ने 31 दिसम्बर 2017 तक ₹ 88,036.52 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया।

22 पीएसयू (जिनमें राज्य सरकार द्वारा निवेश किया गया था) के द्वारा राज्य सरकार के निवेश पर औसत 19 प्रतिशत का नकारात्मक निवेश पर प्रतिफल अर्जित किया गया। यह वर्ष 2014-15 से 2016-17 के अवधि में ऋण की औसत लागत दर 6.52 प्रतिशत से काफी नीचे रहा। इस प्रकार, 22 पीएसयू में निवेश के परिणामस्वरूप, सार्वजनिक कोष को, उनके पिछले तीन वर्षों में (31 दिसम्बर 2017 तक) अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 11,920.32 करोड़ की कुल हानि हुई।

(प्रस्तर 1.1, 1.9 एवं 1.10)

¹ परिशिष्ट-1.1 की क्रम संख्या अ 1, अ 3, अ 5, अ 12, अ 14, अ 15, अ 18, अ 19, अ 20, अ 22, अ 32, अ 34, अ 37, अ 39, अ 43, ब 1, ब 2, ब 4, ब 6, स 15, स 18 तथा स 20

² परिशिष्ट-1.1 की क्रम संख्या अ 7, अ 16, अ 17, अ 25, अ 27 से अ 31, अ 35, अ 36, अ 42, अ 45, स 27, स 31, स 32 तथा स 33

³ जवाहर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का एकमात्र पावर प्लान्ट निर्माण अवस्था में है। अतः वहां कोई लाभ अथवा हानि नहीं थी।

(जनवरी 2016) किया गया। जबकि वित्तीय लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं, तथापि पाँचों डिस्कॉमों द्वारा परिचालन लक्ष्यों की प्राप्ति, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, संतोषजनक नहीं थी।

(प्रस्तर 1.25)

संस्तुतियों का सारांश:

- चूँकि हानि वहन करने वाले एवं अकार्यरत पीएसयू के निरन्तर अस्तित्व में बने रहने से सार्वजनिक कोष से पर्याप्त मात्रा में निकास होता है, राज्य सरकार (i) सभी हानि वहन करने वाले पीएसयू के कार्यकलापों की समीक्षा, (ii) अकार्यरत पीएसयू की स्थिति की समीक्षा, उनके समापन की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने/शीघ्रता लाने हेतु, एवं (iii) इस बात का आकलन कि क्या अकार्यरत पीएसयू के कर्मचारियों को रिक्तियों वाले सरकारी विभागों में रिवर्स प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है, जैसा कि राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है, कर सकती है।
- वित्त विभाग, प्रशासनिक विभाग एवं पीएसयू महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी- I) के साथ आंकड़ों में अन्तर का समाधान करने के लिए तत्काल कदम उठा सकते हैं।
- उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) को ऐसे सभी पीएसयू, जहां इसकी हिस्सेदारी नाम मात्र की है, के समापन/विनिवेश हेतु समीक्षा करनी चाहिए।
- चूँकि 21 अकार्यरत पीएसयू, जिन्होंने ऋणों पर ब्याज तक का भी भुगतान नहीं किया है, द्वारा ऋणों के पुर्नभुगतान की संभावना बहुत कम है, यदि अस्तित्व में है तो जीओयूपी को पुराने ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करने अथवा अपलिखित करने पर विचार करना चाहिये एवं जब तक कि यह समीक्षा नहीं हो जाती है कि इनमें से कम से कम कुछ पीएसयू बन्द नहीं करने चाहिए, भावी भुगतान, यदि कोई हो, अनुदान के रूप में दिये जाने चाहिये।
- वित्त विभाग एवं सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य पीएसयू अपने लेखों को अद्यतन करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करें ताकि इन पीएसयू के निदेशक निरन्तर कम्पनी अधिनियम तथा राज्य सांविधिक निगमों को नियन्त्रित करने वाले सम्बन्धित अधिनियमों के दोषी न बने रहें।
- वित्त विभाग तथा सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए कि बजटीय सहायता उन्हीं पीएसयू तक विस्तारित की जाए, जिनके लेखे अद्यतन हैं।
- वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सांविधिक निगमों के एसएआर विधानमण्डल में अति-शीघ्र रखे जाएं, एवं ऐसे निगमों को, जब तक की ऐसा हो न जाये, कोई और बजटीय सहायता विस्तारित न की जाए।
- राज्य सरकार को लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू को, लाभांश नीति (अक्टूबर 2002) को अपनाने की तिथि से, लाभांश के बकाया (₹ 582.61 करोड़) को सरकारी खाते में प्रेषित करने हेतु निर्देशित करना चाहिए।

- वित्त विभाग तथा संबंधित प्रशासनिक विभागों को उन 35 पीएसयू (31 कम्पनियां एवं चार सांविधिक निगम) के कार्यकलापों की अतिशीघ्र समीक्षा करनी चाहिए जहाँ सीएजी/सांविधिक लेखापरीक्षकों ने क्वालीफाईड टिप्पणियां, एडवर्स टिप्पणियां दी थीं तथा गम्भीर कमियों के कारण अभिमत देने से मना कर दिया था। वित्त विभाग, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जल निगम जहाँ सीएजी ने निगम के लेखों पर अभिमत देने से मना कर दिया था तथा उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम जहाँ सांविधिक लेखापरीक्षक ने कम्पनी के लेखों पर अभिमत देने से मना कर दिया था, के क्रियाकलाप की समीक्षा कर सकता है।
- सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को वित्त विभाग के निर्देशों (जून 1987) का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए तथा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर समय से प्रतिक्रिया देनी चाहिए।
- चूँकि राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् लगभग दो दशक बीत चुके हैं, राज्य सरकार को उत्तराखण्ड सरकार के साथ मिलकर छः पीएसयू जिसमें 31 मार्च 2001 तक राज्य सरकार का ₹ 6,174.40 करोड़ का निवेश था, की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के त्वरित विभाजन हेतु आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

अध्याय-2: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षायें

2.1 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (अब दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में समाविष्ट) पर निष्पादन लेखापरीक्षा

ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार (जीओआई) ने दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के अन्तर्गत सभी गाँवों का विद्युतीकरण करने तथा सभी ग्रामीण परिवारों तक विद्युत की उपलब्धता एवं निर्धनता रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों को निःशुल्क विद्युत संयोजन के उद्देश्य से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) का शुभारंभ (मार्च 2005) किया।

जीओआई ने आरजीजीवीवाई का कार्यक्षेत्र ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) एवं बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के अन्तर्गत क्रमशः 300 एवं 100 से अधिक जनसंख्या वाले मजदूरों तक आच्छादन बढ़ाने के लिए दो बार विस्तारित (फरवरी 2008/सितंबर 2013) किया। उत्तर प्रदेश में, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार कुल 3,29,24,216 परिवारों के सापेक्ष 1,21,20,231 परिवारों (36.81 प्रतिशत) तक विद्युत की उपलब्धता थी। इसके सापेक्ष, विद्युत की उपलब्धता बढ़कर 2,33,43,305 परिवारों तक (मार्च 2017) हो गई है।

निष्पादन लेखापरीक्षा में, उत्तर प्रदेश राज्य में 2012-13 से 2016-17 की अवधि में 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आरजीजीवीवाई (योजना) के निरूपण, अनुमोदन एवं कार्यान्वयन को सम्मिलित किया गया है।

योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

आरईसी ने 2012-17 की अवधि में 75 जिलों में 86 परियोजनाओं के लिए ₹ 11,697.83 करोड़ की स्वीकृति दी थी। 75 जिलों में से 11 जिलों को 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 53 जिलों को बारहवीं पंचवर्षीय योजना में एवं 11 जिलों को दोनों योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया गया था एवं आरईसी ने डिस्कॉमों की लापरवाही के कारण ₹ 1,197.22 करोड़ की प्रतिपूर्ति (31 मार्च 2017 को) रोक दी है। 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भौतिक प्रगति क्रमशः 79.10 एवं 44.47 प्रतिशत प्राप्त हुई थी।

लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

परियोजना नियोजन

- डीपीआर या तो संदिग्ध सर्वेक्षण अथवा पीएमसी के डेटा/सर्वेक्षण पर पूर्ण निर्भरता के कारण, बिना सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किए गए थे। डिस्कॉम डीपीआर में शामिल गाँवों की विद्यमानता सुनिश्चित करने एवं पीएमसी द्वारा तैयार डीपीआर की शुद्धता सुनिश्चित करने में असफल रहे।

(प्रस्तर 2.1.13)

- डिस्कॉमों ने परियोजना की कुल लागत को स्वीकृत राशि के भीतर सीमित करने के लिए स्वीकृत डीपीआर के कार्यक्षेत्र को कम कर दिया। परिणामस्वरूप, 4,24,370 परिवार विद्युतीकरण से वंचित थे एवं 1,22,441 बीपीएल परिवारों को निःशुल्क संयोजन नहीं मिल सका।

(प्रस्तर 2.1.15)

- डीपीआर में अस्वीकार्य कार्यों/मदों को शामिल करने एवं सामग्रियों की वापसी का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप डिस्कॉमों द्वारा योजना निधि से ₹ 12.98 करोड़ का परिहार्य व्यय एवं ₹ 11.99 करोड़ की निधि का अधिक आहरण हुआ।

(प्रस्तर 2.1.14 और 2.1.17)

परियोजना प्रबंधन

- पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के एक से 20 माह विलम्ब के उपरान्त भी नमूने वाले 19 जिलों में भौतिक प्रगति 22.81 प्रतिशत एवं 89.09 प्रतिशत के मध्य थी। कार्य पूर्ण होने में विलम्ब के मुख्य कारण, कार्य प्रदान करने में विलम्ब, वास्तविक स्थल सर्वेक्षण में विलम्ब एवं सामग्री की आपूर्ति में विलम्ब थे।

(प्रस्तर 2.1.22)

- अनुमानित एवं प्रचलित बाजार दरों के साथ उद्धृत दरों की तर्कसंगतता सुनिश्चित किए बिना डिस्कॉमों ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, टर्नकी ठेकेदारों को अत्यधिक ऊँची दरों पर कार्य प्रदान किया जिससे ₹ 537.45 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(प्रस्तर 2.1.23)

- डिस्कॉम, सौंपे गए कार्यों को निर्धारित समय के भीतर करने में विफल रहने वाली ठेका फर्मों के बिलों से ₹ 43.87 करोड़ की एलडी कटौती करने में विफल रहे।

(प्रस्तर 2.1.26)

- ठेकेदार से बैंक गारंटी (बीजी)/कॉन्ट्रैक्ट परफॉरमेंस गारंटी (सीपीजी) की पूर्ण राशि प्राप्त करने एवं दोषी फर्म की बीजी/सीपीजी का नगदीकरण करने के संबंध में आवश्यक कदम उठाने में उपेक्षा के परिणामस्वरूप ठेकेदार को अनुचित पक्ष के साथ-साथ योजना निधि को ₹ 95.91 करोड़ की क्षति हुई।

(प्रस्तर 2.1.29)

वित्तीय प्रबंधन

- सब्सिडी की उपलब्धता होने पर भी आरईसी से डिस्कॉमों द्वारा ऋण का आहरण, दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन का संकेत था जिसके परिणामस्वरूप राजकोष पर ₹ 129.22 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भार पड़ा।

(प्रस्तर 2.1.32)

- डिस्कॉमों ने वैट एवं कार्य अनुबन्ध कर के संबंध में योजना निधि से ₹ 120.97 करोड़ का व्यय किया एवं आवश्यकतानुसार राज्य सरकार से इस राशि का दावा, करने में असफल रहे।

(प्रस्तर 2.1.35)

- डिस्कॉमों ने योजना के अन्तर्गत शामिल न किए गए प्रयोजनों के लिए अनियमित रूप से ₹ 10.63 करोड़ की योजना निधि का अपयोजन किया एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना में या इसके विपरीत, ₹ 42.42 करोड़ का अपयोजन किया।

(प्रस्तर 2.1.37 और 2.1.38)

योजना का निष्पादन

- नमूने वाले 19 जिलों में, डिस्कॉम 41.21 लाख बीपीएल परिवारों को संयोजन देने के लक्ष्य के सापेक्ष 29.65 लाख बीपीएल परिवारों को विद्युत संयोजन उपलब्ध कराने में विफल रहे।

(प्रस्तर 2.1.40)

- नमूने वाले 19 जिलों में, 31,69,925 ग्रामीण परिवारों (बीपीएल को छोड़कर) के विद्युतीकरण के लक्ष्य के सापेक्ष 19,48,218 ग्रामीण परिवार (61 प्रतिशत) विद्युतीकृत किए गए थे।

(प्रस्तर 2.1.41)

- नमूने वाले 19 जिलों में, बीपीएल उपभोक्ताओं के परिसर में 3,29,930 ऊर्जा मीटरों को ₹ 29.14 करोड़ की लागत से स्थापित किया गया था, परन्तु मानव शक्ति की कमी के कारण इन उपभोक्ताओं की बिलिंग अभी भी वास्तविक मीटर रीडिंग के बिना अस्थायी आधार पर की जा रही थी। इससे मीटर की स्थापना का उद्देश्य अपूर्ण रहा एवं मीटर की स्थापना पर किया गया व्यय अनुत्पादक सिद्ध हुआ।

(प्रस्तर 2.1.42)

संस्तुतियों का सारांश:

- डिस्कॉमों को डीपीआर में केवल योग्य गाँवों/मजरों को सम्मिलित करना सुनिश्चित करना चाहिए।
- डिस्कॉमों को योजना के दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए और परियोजना नियोजन अर्थात् डीपीआर की तैयारी में उचित सावधानी सुनिश्चित करना चाहिए।

- कार्य प्रदान करते समय डिस्कॉम को सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार दरों की तर्कसंगतता सुनिश्चित करनी चाहिए।
- विभाग, डिस्कॉम पदाधिकारियों द्वारा ठेकेदारों को प्रदान किये गये अनुचित लाभ की जांच सतर्कता के दृष्टिकोण से कर सकता है।
- डिस्कॉमों को निधि प्रबंधन से संबंधित योजना के दिशा निर्देशों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए।
- डिस्कॉमों को सभी ग्रामीण परिवारों (बीपीएल परिवारों सहित) को विद्युत की उपलब्धता प्रदान करने के योजना के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय-सीमा में परियोजनाओं को पूरा करना सुनिश्चित करना चाहिए।

2.2 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में शहरी परिवहन के संचालन पर लेखापरीक्षा

शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी), भारत सरकार (जीओआई) ने जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (योजना) के भाग के रूप में, दिशानिर्देश जारी किए (जनवरी 2009) एवं राज्य के चयनित सात शहरों में एक कुशल, विश्वसनीय एवं लागत प्रभावी सार्वजनिक परिवहन समाधान की स्थापना एवं रखरखाव के लिए 1,140 बसों के क्रय एवं संचालन हेतु, उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) द्वारा नामित (अप्रैल 2009) कार्यदायी संस्था (ईए), उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) को एक बारगी उपाय के रूप में ₹ 217.17 करोड़ वित्तीय सहायता प्रदान की। यूपीएसआरटीसी ने सात शहरों में बस सेवा के संचालन के लिए छः नगरीय यातायात कम्पनियों (यूटीसी) यथा आगरा-मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (ए-एमसीटीएसएल), इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एसीटीएसएल), कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (केसीटीएसएल), लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एलसीटीएसएल), मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एमसीटीएसएल) और वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (वीसीटीएसएल) का गठन (फरवरी 2010 से जुलाई 2010) किया।

(प्रस्तर 2.2.1)

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम नीचे दिये गये हैं:

- उत्तर प्रदेश सरकार ने नगरीय यातायात के पर्यवेक्षणीय नियंत्रण एवं अनुश्रवण के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के रूप में एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) का गठन (जून 2010) किया। गठन के बाद से, यूएमटीए की केवल तीन बैठकें (जून 2010, अक्टूबर 2010 और सितम्बर 2012) ही आयोजित हुईं। परिणामस्वरूप, नगरीय यातायात के लिए गठित यूटीसी अनिरीक्षित रहीं। इसके अतिरिक्त, नगरीय यातायात में सुधार के लिए नगरीय परिवहन निदेशालय को उपलब्ध कराया गया ₹ 445.67 करोड़ का समर्पित नगरीय परिवहन कोष (डीयूटीएफ) अप्रयुक्त रहा।

(प्रस्तर 2.2.6 एवं 2.2.7)

- केसीटीएसएल ने वार्षिक वित्तीय विवरणों को नहीं तैयार किया। ए-एमसीटीएसएल ने व्यवसाय प्रारम्भ करने की तिथि (10 अप्रैल 2012) से 2015-16 तक वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किये एवं एलसीटीएसएल ने केवल अपना पहला वित्तीय विवरण जनवरी 2011 से मार्च 2011 तक बनाया। किसी भी यूटीसी ने अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए सीएजी को वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया। लेखाओं का तैयार न होना/देरी

होना, तथ्यों के अनुचित प्रस्तुतीकरण, धोखाधड़ी और दुरुपयोग के जोखिम से भरा हुआ होता है।

(प्रस्तर 2.2.11)

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में निर्धारित मानकों को प्राप्त करने के लिए नगरीय बसों के संचालन का अनुश्रवण करने में यूटीसी विफल रही। इसके अतिरिक्त, यूटीसी ने नगरीय बसों के संचालन के प्रभावी अनुश्रवण एवं नियंत्रण के लिए नगरीय बस संचालन मानकों को तैयार नहीं किया अथवा यूपीएसआरटीसी के मानकों को नहीं अपनाया।

(प्रस्तर 2.2.14 एवं 2.2.15)

- ₹ 2.04 करोड़ के व्यय के बावजूद, यूटीसी की बसों में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आईटीएस) स्थापित नहीं हुआ।

(प्रस्तर 2.2.17)

- उसी परिसर में कार्यशाला के बगल में अपने स्वयं के पर्यवेक्षी कर्मचारियों के होने के बावजूद, एलसीटीएसएल और केसीटीएसएल के प्रबंध निदेशकों एवं सेवा प्रबंधकों ने ठेकेदार द्वारा किये गये अनुरक्षण अथवा मरम्मत के कार्य का निरीक्षण नहीं किया। इससे बसों का कैनिबलाइजेशन हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.22 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.2.18)

संस्तुतियों का सारांश

- यूएमटीए को उचित पर्यवेक्षणीय नियंत्रण सुनिश्चित करना चाहिए और डीयूटीएफ के प्रभावी उपयोग हेतु प्रयास करना चाहिए।
- नगर विकास विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यूटीसी अपने खातों को वर्तमान वर्ष तक तैयार करने के लिए तत्काल कार्यवाही करें, जिससे इन पीएसयू के निदेशक कम्पनी अधिनियम के दोषी ना बनें रहें।
- यूटीसी को नगर की बसों के संचालन के आवधिक अनुश्रवण के लिए संचालन के अपने मानकों को तैयार करना चाहिए या यूपीएसआरटीसी के मानकों को अपनाना चाहिए।
- यूटीसी को प्रभावी अनुश्रवण के लिए सभी नगरीय बसों पर आईटीएस की स्थापना सुनिश्चित करनी चाहिए।
- यूटीसी को बसों के अनाधिकृत कैनिबलाइजेशन को रोकने हेतु बसवार/कार्यवार रखरखाव के काम का दैनिक अनुश्रवण तथा उसके कठोर अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु एमआईएस विकसित करना चाहिए।

2.3 उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) की निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुसरण लेखापरीक्षा

अनुसरण लेखापरीक्षा में यह परिलक्षित हुआ कि यूपीपीसीएल द्वारा संस्तुतियों का आंशिक रूप से अनुपालन किया गया। अनियंत्रित रही सतत कमियां हैं: उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के वर्किंग मैनुअल के प्रावधानों का उल्लंघन, 91.66 प्रतिशत

कार्य उप-ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित कराये गये, कार्यों के निष्पादन, वास्तुविदों की नियुक्ति तथा वास्तुविद शुल्क के भुगतान में निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन न किया जाना एवं प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के बिना वास्तुविदों की नियुक्ति जारी रखी गयी; जीओयूपी के आदेशों की अवहेलना करते हुए ₹ 359.85 करोड़ के 434 कार्यों की सीजीएम से निम्न स्तर के अधिकारी यथा पीएम/जीएम द्वारा अनियमित तकनीकी स्वीकृति; उप-ठेकेदारों को ₹ 65.27 करोड़ के अग्रिम अनियमित रूप से अवमुक्त किया जाना; एवं वित्तीय प्रबंधन, कार्यों के निष्पादन तथा आवश्यक नियंत्रण अभिलेखों के रख-रखाव से संबंधित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को सुदृढ़ करने में विफलता।

अध्याय-3: संव्यवहार लेखापरीक्षा प्रेक्षण

कुछ महत्वपूर्ण संव्यवहार लेखापरीक्षा प्रस्तरों का सार नीचे दिया गया है:

- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने शासनादेश के उल्लंघन में 20 भूखण्डों के विक्रय पर ₹ 33.89 करोड़ का अवसंरचना अधिभार नहीं वसूला एवं इस प्रकार भूखण्डों के क्रेताओं को अनुचित लाभ विस्तारित किया।

(प्रस्तर 3.1)

- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने बकाये की वसूली में ठेकेदार को अनुचित लाभ विस्तारित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 16.25 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.2)

- मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को प्रतिस्थापन योग्य मीटर बॉक्स अलग से क्रय करने की प्रणाली न होने के कारण ₹ 3.69 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.3)

- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर गलत तरीके से समायोजित बैंक की गयी ऊर्जा हेतु ₹ 3.63 करोड़ की वसूली की गयी।

(प्रस्तर 3.4)

- पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा प्रदाय संहिता, 2005 के प्रावधानों का पालन न करने के कारण एक उपभोक्ता को ₹ 1.28 करोड़ से कम प्रभारित किया गया।

(प्रस्तर 3.6)

अध्याय-1

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के
कार्यकलाप

अध्याय-1

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

प्रस्तावना

1.1 31 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की कुल संख्या 103 थी (*परिशिष्ट-1.1*), जैसा कि तालिका 1.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.1: 31 मार्च 2017 को पीएसयू की संख्या			
पीएसयू का प्रकार	कार्यरत पीएसयू	अकार्यरत पीएसयू ¹	योग
सरकारी कम्पनियों ²	51	46	97
सांविधिक निगम	6	शून्य	6
योग	57	46	103
स्रोत : पीएसयू द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।			

31 दिसम्बर 2017 तक 57 कार्यरत पीएसयू तथा 46 अकार्यरत पीएसयू में से मात्र 33 कार्यरत पीएसयू तथा सात अकार्यरत पीएसयू³ ने वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए अपने लेखाओं का अन्तिमीकरण किया था (*परिशिष्ट-1.2*)। इन 40 पीएसयू के अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, इनमें से 22 पीएसयू⁴ ने ₹ 963.97 करोड़ का लाभ अर्जित किया, 17 पीएसयू⁵ ने ₹ 19,299.56 करोड़ की हानि उठाई तथा शेष एक पीएसयू⁶ ने कोई लाभ या हानि न होने की सूचना दी। अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार इन पीएसयू ने 31 दिसम्बर 2017 तक ₹ 88,036.52 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। शेष 63 पीएसयू, जिनके द्वारा लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं किया गया है, द्वारा की गयी हानि यदि कोई हो, का आकलन नहीं किया जा सका।

22 पीएसयू, जिनमें राज्य सरकार द्वारा ₹ 1,09,996.96 करोड़ का निवेश किया गया था, के द्वारा वर्ष 2014-15 से 2016-17 की अवधि में ऋण की औसत लागत दर 6.52 प्रतिशत के सापेक्ष राज्य सरकार के निवेश पर 19 प्रतिशत का नकारात्मक निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) अर्जित किया गया जिससे समस्त निवेश की सम्पूर्ण हानि हो गयी। इस प्रकार, 22 पीएसयू में निवेश के परिणामस्वरूप, सार्वजनिक कोष को, उनके अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों (2014-17 की अवधि में) के अनुसार ₹ 11,920.32 करोड़ की कुल हानि (नकारात्मक प्रतिफल एवं ऋण की औसत लागत दर के आधार पर) हुई।

31 मार्च 2017 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 1,12,784 कर्मचारी थे (50 कार्यरत पीएसयू में 1,11,901 तथा 11 अकार्यरत पीएसयू में 883)। अकार्यरत पीएसयू में तीन वर्षों से अधिक समय से कोई कार्यकलाप नहीं था और उनमें ₹ 1,829.46 करोड़ का निवेश था।

संस्तुति:

चूँकि हानि वहन करने वाले एवं अकार्यरत पीएसयू के निरन्तर अस्तित्व में बने रहने से सार्वजनिक कोष से पर्याप्त मात्रा में निकास होता है, राज्य सरकार (i) सभी हानि वहन करने वाले पीएसयू के कार्यकलापों की समीक्षा, (ii) अकार्यरत पीएसयू की स्थिति की समीक्षा, उनके समापन की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने/शीघ्रता लाने हेतु, एवं (iii) इस

¹ ऐसे पीएसयू जहाँ पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से कोई कार्यकलाप नहीं था

² कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45), 139(5) एवं 139(7) में सन्दर्भित कम्पनियाँ

³ *परिशिष्ट-1.1* की क्रम संख्या स 15, स 18, स 20, स 27 तथा स 31 से स 33 तक।

⁴ *परिशिष्ट-1.1* की क्रम संख्या अ 1, अ 3, अ 5, अ 12, अ 14, अ 15, अ 18 से अ 20, अ 22, अ 32, अ 34, अ 37, अ 39, अ 43, ब 1, ब 2, ब 4, ब 6, स 15, स 18 तथा स 20

⁵ *परिशिष्ट-1.1* की क्रम संख्या अ 7, अ 16, अ 17, अ 25, अ 27 से अ 31, अ 35, अ 36, अ 42, अ 45, स 27, स 31, स 32 और स 33

⁶ जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का एक मात्र पावर प्लान्ट निर्माण अवस्था में है। अतः वहाँ कोई लाभ अथवा हानि नहीं थी

बात का आकलन कि क्या अकार्यरत पीएसयू के कर्मचारियों को रिक्तियों वाले सरकारी विभागों में रिवर्स प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है, जैसा कि राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है, कर सकती है।

जवाबदेही तंत्र

1.2 कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 तथा 143 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा पर लागू होती है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स) की नियुक्ति की जाती है तथा इन कम्पनियों के संबंध में अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों द्वारा अधिशासित होती है, जैसा कि नीचे तालिका 1.2 में वर्णित है :

तालिका 1.2: सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा हेतु विधान			
क्र० सं०	सांविधिक निगम का नाम	सीएजी को लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार	लेखापरीक्षा व्यवस्था
1	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	राज्य भण्डारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31(8)	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा लेखापरीक्षा एवं सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा
2	उत्तर प्रदेश वन निगम	उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 की धारा 23(2)	एकमात्र सीएजी के द्वारा लेखापरीक्षा
3	उत्तर प्रदेश वित्त निगम	राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37(6)	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा लेखापरीक्षा एवं सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा
4	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्	सीएजी (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1)	एकमात्र सीएजी के द्वारा लेखापरीक्षा
5	उत्तर प्रदेश जल निगम	सीएजी (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1)	एकमात्र सीएजी के द्वारा लेखापरीक्षा
6	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(2)	एकमात्र सीएजी के द्वारा लेखापरीक्षा

सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं, जो, सीएजी (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत इन्हें विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करते।

1.3 इन पीएसयू के मामलों पर, जिनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं बोर्ड के निदेशक सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन प्रशासकीय विभागों, द्वारा नियंत्रण रखा जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी

1.4 पीएसयू में राज्य सरकार की हिस्सेदारी तीन व्यापक श्रेणियों के अन्तर्गत आती है, जैसे अंशपूजी एवं ऋण, उपभोक्ताओं को अनुदान एवं सब्सिडी के रूप में विशिष्ट बजटीय सहायता तथा पीएसयू द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की प्रत्याभूति।

राज्य के पीएसयू में निवेश

1.5 तालिका 1.3 में दिये गये विवरण के अनुसार 31 मार्च 2017 को, 103 राज्य पीएसयू में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं अन्य⁷ के द्वारा किया गया निवेश (अंशपूजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 2,39,019.94 करोड़ का था (आगे का विवरण परिशिष्ट-1.1) में दिया गया है)।

⁷ वित्तीय संस्थाएं एवं अन्य पीएसयू

तालिका 1.3: 31 मार्च 2017 को पीएसयू में कुल निवेश								
पीएसयू का प्रकार	अन्तिमीकृत लेखों की स्थिति	पूंजी			दीर्घावधि ऋण			कुल योग
		राज्य सरकार	अन्य ⁸	योग	राज्य सरकार	अन्य ⁹	योग	
कार्यरत पीएसयू	2014-15 से 2016-17 ¹⁰	98,355.54	49,306.79	1,47,662.33	11,163.52	74,170.11	85,333.63	2,32,995.96
	2014-15 से पूर्व	2,933.00	178.97	3,111.97	604.01	478.54	1,082.55	4,194.52
उप-योग		1,01,288.54	49,485.76	1,50,774.30	11,767.53	74,648.65	86,416.18	2,37,190.48
अकार्यरत पीएसयू	2014-15 से 2016-17	214.46	494.97	709.43	263.44	28.06	291.50	1,000.93
	2014-15 से पूर्व	214.35	134.52	348.87	297.98	181.68	479.66	828.53
उप-योग		428.81	629.49	1,058.30	561.42	209.74	771.16	1,829.46
कुल योग		1,01,717.35	50,115.25	1,51,832.60	12,328.95	74,858.39	87,187.34	2,39,019.94

स्रोत : लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार/पीएसयू द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

1.6 31 मार्च 2017 को, राजकीय पीएसयू में निवेश का क्षेत्रवार सारांश तालिका 1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.4: पीएसयू में क्षेत्रवार निवेश							
क्षेत्र का नाम	कार्यरत पीएसयू		अकार्यरत पीएसयू		कुल	कुल निवेश	पिछले पाँच वर्षों में निवेश
	तीन वर्षों के लेखा सहित	तीन वर्षों के लेखा बिना	तीन वर्षों के लेखा सहित	तीन वर्षों के लेखा बिना			
ऊर्जा	11	1	2	1	15	2,27,779.67	1,36,393.21
विनिर्माण	5	4	5	14	28	4,497.48	925.23
अवसंरचना	6	2	0	3	11	3,633.26	3,243.04
वित्त	1	5	0	2	8	1,894.26	275.62
सेवा	4	8	0	12	24	1,075.53	304.22
समाज कल्याण एवं कृषि	5	5	0	7	17	139.74	10.93
योग	32	25	7	39	103	2,39,019.94	1,41,152.25

स्रोत : लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार/पीएसयू द्वारा दी गई सूचना।

पीएसयू में राज्य सरकार के निवेश का जोर ऊर्जा क्षेत्र में था जो कि वर्ष 2011-12 में ₹ 45,607.46 करोड़ (91.21 प्रतिशत) से बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 1,06,118.31 करोड़ (93.05 प्रतिशत) हो गया। उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 85,935.80 करोड़), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 10,110.43 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 9,572.93 करोड़) ऊर्जा क्षेत्र के तीन पीएसयू थे जिनमें राज्य सरकार द्वारा प्रमुखतः निवेश किया गया था। केवल वर्ष 2012-17 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा इन तीन प्रमुख पीएसयू में ₹ 60,590.36 करोड़ का निवेश किया गया।

⁸ केन्द्र सरकार की अंशपूंजी तथा आठ सूत्रधारी कम्पनियों द्वारा उनकी 20 सहायक कम्पनियों में निवेश शामिल है

⁹ केन्द्र सरकार तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण शामिल है

¹⁰ कम से कम वर्ष 2014-15 तक अन्तिमीकृत लेखे

1.7 वित्त लेखे¹¹ तथा पीएसयू के अभिलेखों में दर्शाये गए सरकार की इक्विटी एवं ऋणों के आंकड़ों में अन्तर को तालिका 1.5 में दिया गया है।

तालिका 1.5: 31 मार्च 2017 को अदत्त इक्विटी तथा ऋण			
			(₹ करोड़ में)
निवेश	वित्त लेखे के अनुसार ¹²	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार	अन्तर ¹³
इक्विटी	1,01,863.84	1,01,717.35	146.49
ऋण	13,160.88	12,328.95	831.93

स्रोत : पीएसयू द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं वित्त लेखे, उत्तर प्रदेश शासन, 2016-17

वित्त लेखे तथा पीएसयू के अभिलेखों में राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों से सम्बन्धित आंकड़ों के मध्य अन्तर को तालिका 1.6 में दिया गया है।

तालिका 1.6: 31 मार्च 2017 को अदत्त प्रत्याभूतियाँ			
			(₹ करोड़ में)
अदत्त प्रत्याभूतियाँ	वित्त लेखे के अनुसार	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार	अन्तर
	52,883.80	52,843.82	39.98 ¹⁴

स्रोत : पीएसयू द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं वित्त लेखे, उत्तर प्रदेश शासन, 2016-17

संस्तुति:

वित्त विभाग, प्रशासनिक विभाग एवं पीएसयू महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी- I) के साथ आंकड़ों में अन्तर का समाधान करने के लिए तत्काल कदम उठा सकते हैं।

1.8 अकार्यरत पीएसयू में सरकार की हिस्सेदारी की स्थिति तालिका 1.7 में बताई गयी है।

तालिका 1.7: अकार्यरत पीएसयू में सरकार की हिस्सेदारी की स्थिति		
		(₹ करोड़ में)
विवरण	पीएसयू की संख्या	धनराशि
नाममात्र ¹⁵ अथवा शून्य सरकारी हिस्सेदारी	20	2.89
अकार्यरत पीएसयू जहाँ कोई व्यय नहीं है	0	0
2014-15 से 2016-17 की अवधि में प्राप्त इक्विटी ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी	3 ¹⁶	7.03
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीएसयू को दिये अदत्त ऋण जिन पर विगत पाँच वर्षों से ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है	21	368.77

स्रोत : पीएसयू द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं वित्त लेखे, उत्तर प्रदेश शासन, 2016-17

संस्तुतियां:

1. उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) को ऐसे सभी पीएसयू, जहाँ इसकी हिस्सेदारी नाम मात्र की है, के समापन/विनिवेश हेतु समीक्षा करनी चाहिए।
2. चूंकि 21 अकार्यरत पीएसयू, जिन्होंने ऋणों पर ब्याज तक का भी भुगतान नहीं किया है, द्वारा ऋणों के पुर्नभुगतान की संभावना बहुत कम है, यदि अस्तित्व में है तो जीओयूपी को पुराने ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करने अथवा अपलिखित करने पर विचार करना चाहिये एवं जब तक कि यह समीक्षा नहीं हो जाती है कि

¹¹ राज्य के वित्त लेखे (2016-17), उत्तर प्रदेश शासन के विवरण संख्या 19 एवं 18 में अधिक विवरण उपलब्ध हैं

¹² उक्त सूचना 103 पीएसयू से सम्बन्धित है जैसा कि वित्त लेखों में प्रदर्शित है

¹³ अन्तर का मुख्य कारण ऋणों का इक्विटी में परिवर्तन एवं ब्याज की छूट इत्यादि के कारण उत्पन्न होने वाले समायोजनों का वित्त लेखे में लेखांकन न किया जाना है

¹⁴ अन्तर परिशिष्ट-1.1 की क्रम संख्या अ 1, अ 7, अ 11, ब 3, स 6, स 7, स 21 एवं स 27 में उल्लिखित आठ पीएसयू से सम्बन्धित है

¹⁵ ₹ एक करोड़ से कम की इक्विटी तथा ऋण

¹⁶ उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्स्टाईल कार्पोरेशन लिमिटेड, छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड

इनमें से कम से कम कुछ पीएसयू बन्द नहीं करने चाहिए, भावी भुगतान, यदि कोई हो, अनुदान के रूप में दिये जाने चाहिये।

लेखाओं के लम्बित अन्तिमीकरण

1.9 कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनियों के वार्षिक वित्तीय विवरणों को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर अर्थात् सितम्बर के अन्त तक अन्तिमीकृत किए जाने का प्रावधान करता है। ऐसा करने में विफलता, दण्ड के प्रावधानों को आकर्षित कर सकती है, जो कि यह बताते हैं कि दोषी कम्पनी के प्रत्येक संबंधित अधिकारी को कारावास, जो कि एक वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है अथवा अर्थदण्ड जो कि पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु, जिसे पाँच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों का दण्ड दिया जायेगा।

सांविधिक निगमों के लेखाओं को उनसे संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अन्तिम रूप देने, लेखापरीक्षा करने एवं विधान मण्डल में प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

31 दिसम्बर 2017 को 44 कार्यरत कम्पनियों एवं छः सांविधिक निगमों के लेखे क्रमशः 14 वर्ष एवं पाँच वर्ष की अवधि से लम्बित थे, जैसा कि परिशिष्ट-1.3 में वर्णित है।

57 कार्यरत पीएसयू में से, केवल सात पीएसयू¹⁷ ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के अपने लेखाओं का अन्तिमीकरण किया था। शेष 50 पीएसयू के दिसम्बर 2017 तक 192 लेखे लम्बित थे। 50 पीएसयू में से, 26 पीएसयू के लेखे एक से दो वर्षों के लिए, 11 पीएसयू के तीन से पाँच वर्षों के लिए, 11 पीएसयू के छः से 10 वर्षों एवं दो पीएसयू के 10 वर्षों से अधिक से लम्बित थे जैसा कि परिशिष्ट-1.3 में वर्णित है।

41 कार्यरत कम्पनियों¹⁸ जिनके लेखे लम्बित हैं, के निदेशकों, जिन्होंने एक ही समय पर अलग-अलग विभागों में विभिन्न पद धारण किए एवं कम्पनी अधिनियम के उपरोक्त दण्डात्मक प्रावधानों के अधीन उत्तरदायी हैं, का विवरण परिशिष्ट-1.4 (क) एवं (ख) में दिया गया है।

1.10 उपरोक्त के अतिरिक्त, 31 दिसम्बर 2017 को एक¹⁹ को छोड़कर सभी अकार्यरत पीएसयू के लेखे लम्बित थे। 46 अकार्यरत पीएसयू में से, 12²⁰ पीएसयू जिनके 315 लेखे एक से 29 वर्षों से लम्बित थे, 14 से 36 वर्षों से समापन की प्रक्रिया में थे। शेष अकार्यरत पीएसयू के लम्बित लेखाओं का विवरण तालिका 1.8 में दिया गया है।

तालिका 1.8: अकार्यरत पीएसयू के लम्बित लेखे				
वर्ष	अकार्यरत पीएसयू की संख्या	लम्बित लेखाओं की संख्या	अवधि जिनके लिए लेखे लम्बित ²¹ थे	वर्षों की संख्या जिनके लिए लेखे लम्बित थे
2014-15	27	413	1981-82 से 2014-15	1 से 33
2015-16	26	422	1981-82 से 2015-16	1 से 34
2016-17	33	509	1981-82 से 2016-17	1 से 35

1.11 राज्य सरकार ने 22 कार्यरत पीएसयू को जिनके लेखे लम्बित थे, पिछले तीन वर्षों की अवधि में ₹ 56,273.05 करोड़ {इक्विटी : ₹ 44,308.92 करोड़ (नौ सरकारी कम्पनियों एवं एक सांविधिक निगम), ऋण : ₹ 4,103.20 करोड़ (छः सरकारी कम्पनियों

¹⁷ परिशिष्ट-1.1 की क्रम संख्या अ 1, अ 16 से अ 20 तथा अ 37

¹⁸ परिशिष्ट-1.1 की क्रम संख्या अ 2 से अ 7, अ 9 से अ 15, अ 21 से अ 36, अ 38 से अ 40 एवं अ 42 से अ 50 में उल्लिखित 41 कम्पनियाँ। परिशिष्ट-1.1 की क्रम संख्या अ 8, अ 41 एवं अ 51 में उल्लिखित तीन कम्पनियों ने सूचना प्रदान नहीं की

¹⁹ उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड

²⁰ परिशिष्ट-1.1 की क्रम संख्या स 2, स 3, स 10, स 12, स 13, स 14, स 16, स 17, स 19, स 22, स 23 एवं स 25 तथा परिशिष्ट-1.2 की क्रम संख्या 1, 7, 8, 9, 13, 24 एवं 25

²¹ लम्बित लेखाओं की अवधि में 12 कम्पनियों के समापन में जाने की अवधि तक के लम्बित लेखे सम्मिलित हैं

एवं एक सांविधिक निगम), अनुदान : ₹ 2,020.77 करोड़ (आठ सरकारी कम्पनियों एवं एक सांविधिक निगम) एवं अन्य (सब्सिडी): ₹ 5,840.16 करोड़ (चार सरकारी कम्पनियों) की बजटीय सहायता प्रदान की जैसा कि परिशिष्ट-1.5 में वर्णित है। इसमें से ₹ 20,908.98 करोड़ की बजटीय सहायता, 14 पीएसयू²² को वर्ष 2016-17 के दौरान दी गयी।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों में तीन अकार्यरत पीएसयू, जिनके लेखे लम्बित थे, को ₹ 7.03 करोड़ (ऋण) की बजटीय सहायता प्रदान की थी जैसा कि परिशिष्ट-1.5 में वर्णित है। इसमें से ₹ 4.54 करोड़ की बजटीय सहायता वर्ष 2016-17 में इन पीएसयू को दी गयी थी।

राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त पीएसयू, जिनके लेखे लम्बित थे, को बजटीय सहायता प्रदान करने का निर्णय अविवेकपूर्ण था क्योंकि राज्य सरकार के पास इन पीएसयू की वित्तीय सुदृढ़ता को आकलित करने का कोई आधार नहीं था। तथ्य से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त सभी पीएसयू, जिन्होंने राज्य सरकार से ऋण प्राप्त किया, ने ब्याज का भुगतान भी नहीं किया था।

संस्तुतियां:

1. वित्त विभाग और सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य पीएसयू अपने लेखों को अद्यतन करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करें ताकि इन पीएसयू के निदेशक निरन्तर कम्पनी अधिनियम तथा राज्य सांविधिक निगमों को नियन्त्रित करने वाले सम्बन्धित अधिनियमों के दोषी न बने रहें।
2. वित्त विभाग तथा सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए कि बजटीय सहायता उन्हीं पीएसयू तक विस्तारित की जाए, जिनके लेखे अद्यतन हैं।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

1.12 सांविधिक निगमों के सम्बन्धित अधिनियम प्राविधानित करते हैं कि सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को वार्षिक साधारण सभा में रखे जाने के पश्चात् सरकार द्वारा शीघ्र ही विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। तथापि, यह देखा गया कि राज्य सरकार छः सांविधिक निगमों से संबंधित सीएजी के (31 दिसम्बर 2017 तक) पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) के प्रस्तुतिकरण में अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रही जैसा कि नीचे तालिका 1.9 में दर्शाया गया है।

क्रम सं०	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जहाँ तक एसएआर राज्य विधानमण्डल में रखी गई	वर्ष जिनकी एसएआर राज्य विधानमण्डल के समक्ष नहीं रखी गई	
			एसएआर का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि
1	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2011-12	2012-13	6 जून 2014
			2013-14	2 सितम्बर 2015
			2014-15	24 मार्च 2017
2	उत्तर प्रदेश वित्त निगम	2007-08	2008-09	20 मई 2011
			2009-10	13 अप्रैल 2012
			2010-11	27 अगस्त 2012

²² उत्तर प्रदेश स्टेट स्पनिंग कम्पनी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

तालिका 1.9: सांविधिक निगमों के सन्दर्भ में पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का विधानमण्डल में प्रस्तुतीकरण				
क्रम सं०	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जहाँ तक एसएआर राज्य विधानमण्डल में रखी गई	वर्ष जिनकी एसएआर राज्य विधानमण्डल के समक्ष नहीं रखी गई	
			एसएआर का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि
			2011-12	16 सितम्बर 2013
			2012-13	12 नवम्बर 2015
3	उत्तर प्रदेश वन निगम	-- ²³	2008-09	9 मार्च 2011
			2009-10	16 नवम्बर 2011
			2010-11	21 सितम्बर 2012
			2011-12	11 जुलाई 2013
			2012-13	6 जून 2014
			2013-14	21 अप्रैल 2015
			2014-15	17 अक्टूबर 2016
4	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2010-11	2011-12	16 सितम्बर 2013
			2012-13	7 नवम्बर 2014
			2013-14	20 अगस्त 2015
			2014-15	15 नवम्बर 2016
			2015-16	23 फरवरी 2017
5	उत्तर प्रदेश जल निगम	2007-08	2008-09	3 अगस्त 2011
			2009-10	20 मई 2013
			2010-11	12 दिसम्बर 2013
			2011-12	25 मई 2017
6	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	2011-12	2012-13	29 जून 2015
			2013-14	20 जुलाई 2016
			2014-15	27 जून 2017

स्रोत : निगमों द्वारा उपलब्ध करायी गयी एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।

राज्य सरकार ने विगत पाँच वर्षों में दो सांविधिक निगमों²⁴ को ₹ 2,947.97 करोड़ (₹ 100.00 करोड़ इक्विटी, ₹ 50.00 करोड़ ऋण एवं ₹ 2,797.97 करोड़ अनुदान) की बजटीय सहायता प्रदान की है। उत्तर प्रदेश जल निगम (यूपीजेएन) में वित्तीय जवाबदेही की कमियाँ इतनी गम्भीर²⁵ हैं कि यूपीजेएन के वर्ष 2011-12 के लेखों (2017-18 में अन्तिमीकृत) पर सीएजी ने अभिमत देने से मना कर दिया है। राज्य सरकार ने यूपीजेएन को 2012-17 के मध्य, जब इसके लेखे लम्बित थे, एवं यूपीजेएन की वित्तीय क्षमता का मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं था, ₹ 171.35 करोड़ का ऋण दिया।

इसके अतिरिक्त, राज्य विधानमण्डल के समक्ष पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के न रखने के कारण गम्भीर अनियमितताएं विधानमण्डल के संज्ञान में नहीं लायीं जा सकीं, जैसा कि परिशिष्ट-1.6 में वर्णित है।

संस्तुति:

वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सांविधिक निगमों के एसएआर विधानमण्डल में अति-शीघ्र रखे जाएं, और ऐसे निगमों जिनके लेखे लम्बित एवं/या त्रुटिपूर्ण हैं, को कोई और बजटीय सहायता विस्तारित न की जाए।

²³ उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 में सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा से सम्बन्धित संशोधन करने के उपरान्त वर्ष 2008-09 के लेखे प्रस्तुत किये थे

²⁴ उत्तर प्रदेश जल निगम एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

²⁵ उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा आर्थिक चिट्ठा एवं आय-व्यय खाते में प्रदर्शित विभिन्न मदों से सम्बन्धित स्रोत/आधारभूत सूचना/लेखे प्रस्तुत नहीं किये जा सके

अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार पीएसयू का निष्पादन

1.13 2014-15 से 2016-17 की अवधि के अपने लेखों को अन्तिमीकृत करने वाले 40 पीएसयू²⁶ के निष्पादन के आकलन हेतु उपयोग किए गये प्रमुख वित्तीय अनुपात तालिका 1.10 में दिये गये हैं: (इसके अतिरिक्त विवरण परिशिष्ट-1.7 में दिया गया है।)

तालिका 1.10: कार्यरत पीएसयू के महत्वपूर्ण सूचक					
विवरण	महत्वपूर्ण सूचक (प्रतिशत में)	2014-15	2015-16	2016-17	औसत
लाभकारी पीएसयू	आरओसीई ²⁷	6.57	5.04	12.60	8.07
	आरओआई ²⁸	6.57	5.04	12.60	8.07
	आरओई ²⁹	1.01	1.95	3.55	2.17
अलाभकारी पीएसयू	आरओसीई	-32.07	-31.56	-31.11	-31.58
	आरओआई	-32.07	-31.56	-31.11	-31.58
	आरओई	-43.33	-42.00	-42.29	-42.54
ऋण की लागत		6.40	6.35	6.82	6.52

स्रोत : पीएसयू के अन्तिमीकृत लेखों की सूचना के अनुसार

1.14 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 677.94 करोड़), उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम लिमिटेड (₹ 87.07 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (₹ 50.68 करोड़) लाभ में प्रमुख योगदानकर्ता थे। इन कम्पनियों का आरओआई 2014-15 एवं 2016-17 के मध्य 1.17 से लेकर 22.19 प्रतिशत के बीच था। अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार भारी हानि वहन करने वाले पीएसयू उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 12,669.08 करोड़) तथा दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,036.31 करोड़) एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,836.84 करोड़) थे।

1.15 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति बनाई थी (अक्टूबर 2002) जिसके अन्तर्गत सभी लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू को राज्य सरकार द्वारा दी गई चुकता अंशपूंजी पर न्यूनतम पाँच प्रतिशत का प्रतिफल देना आवश्यक है। तदनुसार, 18 पीएसयू³⁰ को लाभांश नीति के अनुसार लाभांश घोषित करने की आवश्यकता थी। तथापि, केवल आठ पीएसयू³¹ ने ₹ 6.54 करोड़ का लाभांश घोषित किया। शेष 10 लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू³² द्वारा ₹ 507.48 करोड़ का लाभांश, जैसा कि राज्य सरकार की नीति में वर्णित था, घोषित नहीं किया गया।

संस्तुति:

राज्य सरकार को लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू को, लाभांश नीति (अक्टूबर 2002) को अपनाने की तिथि से, लाभांश के बकाया (₹ 582.61 करोड़) को सरकारी खाते में प्रेषित करने हेतु निर्देशित करना चाहिए।

1.16 कम्पनी अधिनियम, 2013 यह प्रावधानित करता है कि प्रत्येक कम्पनी के निदेशक मण्डल की एक वर्ष में न्यूनतम चार बैठक हों। तथापि, यह देखा गया कि 51 कार्यरत

²⁶ अकार्यरत पीएसयू या ऐसे पीएसयू जिनके लेखे लम्बित हैं, उनके वित्तीय अनुपात का आकलन नहीं किया जा सकता
²⁷ नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई) = (लाभांश, ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ/हानि)/नियोजित पूंजी
²⁸ निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) = (लाभांश, ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ)/निवेश
²⁹ इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) = (करोपरान्त लाभ - पूर्वाधिकार लाभांश)/अंशधारक निधि
³⁰ 18 = कुल पीएसयू : 32-14 पीएसयू (तीन पीएसयू यथा उत्तर प्रदेश जल निगम, अपट्रॉन पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड एवं यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड दोनो श्रेणियों अर्थात् संचित हानियों वाले एवं बिना सरकारी इक्विटी वाले, में आती हैं),
³¹ परिशिष्ट-1.1 की क्रम संख्या अ 5, अ 11, अ 13 से अ 15, अ 22, अ 41 एवं अ 43
³² परिशिष्ट-1.1 की क्रम संख्या अ 2 से अ 4, अ 8, अ 10, अ 12, अ 37, अ 39, अ 50 एवं ब 1

कम्पनियों में से 13 कम्पनियों³³ ने 2014-17 की अवधि में चार से कम बैठकों का आयोजन किया।

अकार्यरत पीएसयू का समापन

1.17 31 मार्च 2017 तक 46 अकार्यरत पीएसयू थे। इनमें से, 12 पीएसयू³⁴ ने विगत 14 से 36 वर्षों के दौरान समापन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी, जो आधिकारिक परिसमापक एवं उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पास लम्बित है। यद्यपि, शेष 34 पीएसयू³⁵ पिछले पाँच से 42 वर्षों से अकार्यरत हैं तथापि, राज्य सरकार द्वारा बन्द करने के आदेश दिये जाने के बावजूद, 31 कम्पनियाँ जिनका निबल मूल्य (नेट-वर्थ) (-) ₹ 744.48 करोड़ है, की समापन प्रक्रिया अभी तक प्रारम्भ नहीं हुई है।

लेखा टिप्पणियाँ

1.18 वर्ष 2016-17³⁶ की अवधि में सैंतीस³⁷ कार्यरत कम्पनियों ने अपने 48 संप्रेक्षित लेखे³⁸ महालेखाकार को प्रेषित किए। इनमें से 31 कम्पनियों के 1998-99 से 2016-17 की अवधि के 37 लेखे³⁹ अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चुने गये। सीएजी के द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा सीएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा, इंगित करती है कि लेखाओं के रखरखाव की गुणवत्ता में वृहद सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक अंकेक्षकों तथा सीएजी की टिप्पणियों का विवरण तालिका 1.11 में दिया गया है।

		(₹ करोड़ में)					
क्रम सं०	विवरण	2014-15		2015-16		2016-17	
		लेखाओं की संख्या	धनराशि	लेखाओं की संख्या	धनराशि	लेखाओं की संख्या	धनराशि
1.	लाभ में कमी	10	43.92	15	224.75	17	383.25
2.	हानि में वृद्धि	9	7.11	5	42.58	13	286.57
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	12	2,290.30	4	11,286.83	11	815.12
4.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	2	2.20	1	10.67	15	381.32

वर्ष के दौरान, सांविधिक अंकेक्षकों ने छः लेखाओं पर अनक्वालीफाईड प्रमाण पत्र, 40 लेखाओं पर क्वालीफाईड प्रमाण पत्र, एक लेखा⁴⁰ पर एडवर्स प्रमाण पत्र दिए थे। सांविधिक अंकेक्षक द्वारा भी चिन्ताजनक कमियाँ होने के कारण उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के 2016-17 में प्रस्तुत वर्ष 2008-09 के लेखों पर, अभिमत देने से मना कर दिया गया। निर्गत लेखांकन मानकों का कम्पनियों द्वारा अनुपालन असंतोषजनक रहा क्योंकि 33 कम्पनियों के 39 लेखाओं के 173 दृष्टान्तों में लेखांकन

³³ उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, अपट्रॉन पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड, नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, आगरा-मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड

³⁴ परिशिष्ट-1.1 की क्रम संख्या स 2, स 3, स 10, स 12 से स 14, स 16 से स 17, स 19, स 22, स 23 एवं स 25

³⁵ परिशिष्ट-1.1 की क्रम संख्या स 1, स 4, स 5, स 6, स 7, स 8, स 9, स 11, स 15, स 18, स 20, स 21, स 24, स 26 से स 46

³⁶ अक्टूबर 2016 से सितम्बर 2017 की अवधि के दौरान

³⁷ परिशिष्ट-1.1 की क्रम संख्या अ 1, अ 3, अ 4, अ 5, अ 6, अ 7, अ 8, अ 10, अ 11, अ 12, अ 13, अ 14, अ 15, अ 16, अ 19, अ 20, अ 22 से अ 35, अ 37, अ 38, अ 41, अ 42, अ 43, अ 46 तथा अ 51

³⁸ परिशिष्ट-1.1 की क्रम संख्या अ 10, अ 16, अ 24, अ 37 तथा अ 46 में उल्लिखित प्रत्येक पीएसयू के दो लेखे, क्रम संख्या अ 3 पर उल्लिखित पीएसयू के तीन लेखे एवं क्र० सं० अ 8 पर उल्लिखित पीएसयू के पाँच लेखे सम्मिलित करते हुए

³⁹ सात कम्पनियों के 11 लेखे अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चयनित नहीं किए गए। इन्हें गैर समीक्षा प्रमाणपत्र जारी किये गये

⁴⁰ उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड

मानकों का अनुपालन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, 2016-17 की अवधि में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2015-16 के लेखाओं पर सीएजी ने भी एडवर्स प्रमाण पत्र जारी किया था।

1.19 इसी प्रकार, पाँच कार्यरत सांविधिक निगमों ने अपने पाँच लेखे⁴¹ वर्ष 2016-17⁴² की अवधि में महालेखाकार को प्रेषित किये। इनमें से, चार सांविधिक निगमों⁴³ के चार लेखे सीएजी द्वारा एकल लेखापरीक्षा से संबंधित थे। शेष एक लेखा⁴⁴ अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चुना गया। सांविधिक अंकेक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं सीएजी की एकल/अनुपूरक लेखापरीक्षा, लेखाओं के रखरखाव की गुणवत्ता में वृहद सुधार की आवश्यकता को इंगित करती है। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों का विवरण तालिका 1.12 में दिया गया है।

तालिका 1.12: कार्यरत सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव							
(₹ करोड़ में)							
क्रम सं०	विवरण	2014-15		2015-16		2016-17	
		लेखाओं की संख्या	धनराशि	लेखाओं की संख्या	धनराशि	लेखाओं की संख्या	धनराशि
1.	लाभ में कमी	3	232.85	2	3.66	5	7.27
2.	हानि में वृद्धि	1	10.00	-	-	-	-
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	4	704.58	1	448.02	5	1,114.38
4.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	2	20.05	-	-	4	1,472.19

वर्ष के दौरान, पाँच लेखाओं⁴⁵ में से, उत्तर प्रदेश जल निगम के एक लेखे (2011-12) पर सीएजी ने चिन्ताजनक कमियां होने के कारण अभिमत देने से मना कर दिया एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के वर्ष 2015-16 के लेखे पर एडवर्स प्रमाण पत्र जारी किया गया। सांविधिक निगमों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन खराब रहा क्योंकि वर्ष के दौरान दो लेखों में अनुपालन नहीं होने के छः दृष्टान्त पाये गये।

संस्तुति:

वित्त विभाग तथा संबंधित प्रशासनिक विभागों को उचित कार्यवाही हेतु उन 35 पीएसयू (31 कम्पनियां एवं चार सांविधिक निगम) के कार्यकलापों की अतिशीघ्र समीक्षा करनी चाहिए जहाँ सीएजी/सांविधिक लेखापरीक्षकों ने क्वालीफाईड टिप्पणियां, एडवर्स टिप्पणियां दी थीं तथा अभिमत देने से मना कर दिया था।

लेखापरीक्षा के संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया

निष्पादन लेखापरीक्षाएं एवं प्रस्तर

1.20 एक निष्पादन लेखापरीक्षा, एक दीर्घ प्रस्तर, एक अनुसरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं छः संव्यवहार लेखापरीक्षा प्रस्तरों को सरकार/कम्पनी प्रबंधन को निर्गत (जून 2017 से फरवरी 2018 तक) किये गये थे। प्रबंधन के उत्तर प्राप्त हो गये थे। राज्य सरकार से एक निष्पादन लेखापरीक्षा, एक दीर्घप्रस्तर, एक अनुसरण लेखापरीक्षा और पाँच लेखा प्रस्तरों के सम्बन्ध में उत्तर अभी तक (सितम्बर 2018) प्रतीक्षित थे।

⁴¹ उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम (वर्ष 2014-15 के लिए), उत्तर प्रदेश वन निगम (वर्ष 2015-16 के लिए), उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (वर्ष 2015-16 के लिए), उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (वर्ष 2015-16 के लिए) एवं उत्तर प्रदेश जल निगम (वर्ष 2011-12 के लिए)

⁴² अक्टूबर 2016 से दिसम्बर 2017 की अवधि के लिए

⁴³ उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश जल निगम तथा उत्तर प्रदेश वन निगम

⁴⁴ उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम

⁴⁵ परिशिष्ट-1.1 की क्रम संख्या ब 1, ब 2, ब 4, ब 5 तथा ब 6

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही

अप्राप्त उत्तर

1.21 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की समाप्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि वे कार्यकारी से उपयुक्त एवं समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग, उ0प्र0 सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तारों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ, प्रतिवेदनों के राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुतीकरण के दो से तीन माह के अन्दर, सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किये बिना, निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने के निर्देश निर्गत (जून 1987) किये। अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति को तालिका 1.13 में दिया गया है।

तालिका 1.13: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (31 दिसम्बर 2017 को)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक/पीएसयू) का वर्ष	राज्य विधानमण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अन्तर्गत कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं (पीए) एवं प्रस्तार		पीए/प्रस्तारों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई	
		पीए	प्रस्तार	पीए	प्रस्तार
2011-12	16 सितम्बर 2013	2	14	1	6
2012-13	20 जून 2014	1	19	1	2
2013-14	17 अगस्त 2015	2	15	2	9
2014-15	8 मार्च 2016	6	12	6	11
2015-16	18 मई 2017	6	11	6	11
योग		17	71	16	39

संस्तुति:

सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को वित्त विभाग के निर्देशों (जून 1987) का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए तथा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर समय से प्रतिक्रिया देनी चाहिए।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार विमर्श

1.22 31 दिसम्बर 2017 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पीएसयू) में सम्मिलित एवं कोपू⁴⁶ द्वारा विचार विमर्श किये गये निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं प्रस्तारों की स्थिति तालिका 1.14 में दी गयी है।

तालिका 1.14: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं/प्रस्तारों जिन पर विचार विमर्श किया गया (31 दिसम्बर 2017 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षा/प्रस्तारों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल		जिनपर चर्चा हुई	
	पीए	प्रस्तार	पीए	प्रस्तार
1982-83 से 2010-11	138 ⁴⁷	914	78	545
2011-12	2	14	0	4
2012-13	1	19	0	7
2013-14	2	15	0	3
2014-15	6	12	0	0
2015-16	6	11	0	0
कुल	155	985	78	559

⁴⁶ सार्वजनिक उपक्रम समिति

⁴⁷ उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की चीनी मिलों के विक्रय पर पृथक निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को शामिल करते हुए

कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

1.23 कोपू के आन्तरिक कार्य नियमावली में महालेखाकार द्वारा कार्यान्वयन आख्या (एटीएन) के पुनरीक्षण हेतु प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए, कोपू की संस्तुतियों पर एटीएन विभागों द्वारा महालेखाकार को केवल कमेटी द्वारा एटीएन पर विचार-विमर्श के समय उपलब्ध कराये जाते हैं। इसलिए, एटीएन की स्थिति की चर्चा यहाँ नहीं की गयी है।

राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप पीएसयू की पुनर्संरचना

1.24 25 अगस्त 2000 से पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों में पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, उस समय विद्यमान 42 पीएसयू⁴⁸ की सम्पत्तियों एवं दायित्वों को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार विभाजित किया जाना था। तथापि, मार्च 2018 तक यह क्रियान्वयन छः पीएसयू⁴⁹ के सम्बन्ध में पूरा नहीं किया गया है।

संस्तुति:

चूँकि राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् लगभग दो दशक बीत चुके हैं, राज्य सरकार को उत्तराखण्ड सरकार के साथ मिलकर छः पीएसयू जिसमें 31 मार्च 2001 तक राज्य सरकार का ₹ 6,174.40 करोड़ का निवेश था, की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के त्वरित विभाजन हेतु आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

1.25 राज्य डिस्कॉम के परिचालन एवं वित्तीय कुशलता में सुधार के उद्देश्य से ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) ने विद्युत वितरण कम्पनियों के वित्तीय बदलाव के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) का शुभारंभ (नवम्बर 2015) किया।

चिह्नित किए गए वित्तीय एवं परिचालन लक्ष्यों द्वारा योजना के कार्यान्वयन के लिए ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) एवं डिस्कॉम⁵⁰ की तरफ से उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित (जनवरी 2016) हुआ।

31 मार्च 2018 को एमओयू के अन्तर्गत निर्धारित महत्वपूर्ण वित्तीय एवं परिचालन लक्ष्यों के संबंध में प्रत्येक डिस्कॉम द्वारा अब तक की गई प्रगति एवं उनकी उपलब्धियों को परिशिष्ट-1.8 में दिया गया है। उदय योजना के अन्तर्गत डिस्कॉम की समग्र वित्तीय एवं परिचालन उपलब्धियां तालिका 1.15 में दी गयी हैं।

तालिका 1.15: डिस्कॉम द्वारा उदय योजना का कार्यान्वयन			
मापदण्ड	एमओयू के अनुसार लक्ष्य अवधि	लक्ष्य	उपलब्धि
वित्तीय			
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश डिस्कॉम के ऋण ₹ 59205 करोड़ के	2015-16 (वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही)	₹ 29,602 करोड़	₹ 29,602 करोड़ 2015-16 में अधिग्रहीत किया गया।

⁴⁸ परिशिष्ट-1.1 के क्रम संख्या अ 1, अ 3 से अ 15, अ 22, अ 24, अ 26, अ 34, अ 35, अ 37, अ 39, अ 40 से अ 43, अ 50, अ 51, ब 2, ब 4, ब 6, स 2 से स 5, स 7, स 9, स 10, स 11, स 21, स 27, स 29 और स 30

⁴⁹ उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश वन निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् तथा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

⁵⁰ मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड तथा कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड

तालिका 1.15: डिस्कॉम द्वारा उदय योजना का कार्यान्वयन			
मापदण्ड	एमओयू के अनुसार लक्ष्य अवधि	लक्ष्य	उपलब्धि
75 प्रतिशत का अधिग्रहण	2016-17 (30 जून 2016 तक)	₹ 14,801 करोड़	₹ 14,801 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2016-17 में वहन किया गया।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश डिस्कॉम की भावी हानियों का अधिग्रहण	2017-18	2016-17 की 5 प्रतिशत हानि (₹ 409.93 करोड़)	राज्य सरकार द्वारा 2017-18 में ₹ 409.93 करोड़ दिया गया।
एटी एवं सी हानि ⁵¹ में कमी (प्रतिशत में)	2015-16	32.36	38.41 (अप्राप्त)
	2016-17	28.27	30.22 (आंशिक प्राप्त)
	2017-18	23.63	27.67 (आंशिक प्राप्त)
एसीएस - एआरआर अंतर में कमी ⁵²	2016-17	₹ 1.04/ केडब्ल्यूएच	₹ 0.62/ केडब्ल्यूएच (अप्राप्त)
	2017-18	₹ 0.60/ केडब्ल्यूएच	₹ 0.37/ केडब्ल्यूएच (आंशिक प्राप्त)
बिलिंग क्षमता (प्रतिशत में)	2015-16	76.43	78.33 (प्राप्त)
	2016-17	78.29	78.91 (प्राप्त)
	2017-18	80.82	79.15 (आंशिक प्राप्त)
संग्रहण क्षमता (प्रतिशत में)	2015-16	88.50	78.63 (अप्राप्त)
	2016-17	91.64	88.43 (आंशिक प्राप्त)
	2017-18	94.50	91.39 (आंशिक प्राप्त)
ससमय टैरिफ संशोधन	2015-16	नवम्बर 2014	नवम्बर 2014
	2016-17	नवम्बर 2015	दिसम्बर 2015
	2017-18	नवम्बर 2016	जून 2017
परिचालन संबंधी			
वितरण परिवर्तक मीटरिंग (संख्या में)	30 सितम्बर 2017 तक 100 प्रतिशत	3,82,460	1,97,235 (अप्राप्त)
फीडर मीटरिंग (संख्या में)	30 सितम्बर 2016 तक 100 प्रतिशत	16,072	16,072 (प्राप्त)
फीडर अलगाव (संख्या में)	2016-17	1,660 (30 प्रतिशत)	0 (अप्राप्त)
	2017-18	3,597 (65 प्रतिशत)	374 (अप्राप्त)
11 केवी ग्रामीण फीडर की लेखापरीक्षा (संख्या में)	2016-17	847 (10 प्रतिशत)	2,515 (प्राप्त)
	2017-18	2,542 (30 प्रतिशत)	6,505 (प्राप्त)
200 केडब्ल्यूएच के ऊपर 500 केडब्ल्यूएच तक की स्मार्ट मीटरिंग (संख्या में)	2017-18	1.56 लाख	0 (अप्राप्त)
500 केडब्ल्यूएच या इसके ऊपर की स्मार्ट मीटरिंग (संख्या में)	2016-17	1.11 लाख	0 (अप्राप्त)
	2017-18	1.12 लाख	0 (अप्राप्त)

⁵¹ कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एण्ड सी) हानि, तकनीकी हानि, वाणिज्यिक हानि एवं बिल्ड धनराशि की गैर प्राप्ति के कारण हुई कमी का कुल योग है

⁵² आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) - औसत राजस्व उगाही (एआरआर) का अन्तर

तालिका 1.15: डिस्कॉम द्वारा उदय योजना का कार्यान्वयन

मापदण्ड	एमओयू के अनुसार लक्ष्य अवधि	लक्ष्य	उपलब्धि
विद्युत असंयोजित घरों तक बिजली की पहुँच (संख्या में)	2019-20	143.54	कार्यान्वयन प्रगति में
उजाला योजना के अंतर्गत एलईडी का वितरण (संख्या में)	2016-17	50.00 लाख	148.25 लाख (प्राप्त)
	2017-18	80.00 लाख	82.33 लाख (प्राप्त)

तीन डिस्कॉम (मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) द्वारा एटी एवं सी हानि में कमी एवं चार डिस्कॉम (मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) द्वारा एसीएस-एआरआर अन्तर एवं संग्रहण क्षमता को छोड़कर, डिस्कॉम द्वारा एमओयू में निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है। जहाँ तक परिचालन लक्ष्यों का संबंध है, डिस्कॉम की स्थिति संतोषजनक नहीं थी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। अभी भी 1.44 करोड़ ऐसे घर हैं जिनकी विद्युत तक पहुँच नहीं है। स्मार्ट मीटरिंग में शून्य/धीमी प्रगति थी और फीडर अलगाव में नाम मात्र की प्रगति की गयी थी। इस प्रकार, पाँच डिस्कॉम का परिचालन परिवर्तन, जैसा कि एमओयू में परिकल्पित किया गया था, अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका।

अध्याय-2

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमां से संबंधित
निष्पादन लेखापरीक्षायें

अध्याय-2

2.1 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (अब दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में समाविष्ट) पर निष्पादन लेखापरीक्षा

प्रस्तावना

पृष्ठभूमि

2.1.1 ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार (जीओआई) ने दसवीं पंचवर्षीय योजना (10 वीं पंचवर्षीय योजना 2002-07) के अन्तर्गत सभी गाँवों का विद्युतीकरण¹ करने तथा सभी ग्रामीण परिवारों तक विद्युत की उपलब्धता एवं निर्धनता रेखा से नीचे के (बीपीएल) परिवारों को निःशुल्क विद्युत संयोजन के उद्देश्य से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) का शुभारंभ (मार्च 2005) किया।

जीओआई ने आरजीजीवीवाई योजना का कार्यक्षेत्र ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-12) एवं बारहवीं पंचवर्षीय योजना (12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17) के अन्तर्गत क्रमशः 300 एवं 100 से अधिक जनसंख्या वाले मजदूरों तक आच्छादन बढ़ाने के लिए दो बार विस्तारित (फरवरी 2008/सितंबर 2013) किया।

जीओआई ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) का आरम्भ (दिसम्बर 2014) पूर्व की आरजीजीवीवाई के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को एक पृथक ग्रामीण विद्युतीकरण उप-अवयव के रूप में समाहित करते हुये आरजीजीवीवाई के लिए अनुमोदित परिव्यय को डीडीयूजीजेवाई तक आगे ले जाते हुए, दो अतिरिक्त उद्देश्यों जैसे, कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण एवं वितरण परिवर्तकों, फीडरों तथा उपभोक्ता के छोर पर मीटरिंग को सम्मिलित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढीकरण एवं वृद्धि के साथ किया। निष्पादन लेखापरीक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य (जीओयूपी) में 2012-13 से 2016-17 की अवधि में, आरजीजीवीवाई (योजना) के 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के निरूपण, अनुमोदन और कार्यान्वयन को आच्छादित करती है। इस प्रकार, इस प्रतिवेदन में सर्वत्र "योजना" शब्द आरजीजीवीवाई 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना को संदर्भित करता है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में कुल 3,29,24,216 परिवारों के सापेक्ष 1,21,20,231 परिवारों (36.81 प्रतिशत) तक विद्युत की उपलब्धता थी। इसके सापेक्ष, विद्युत की उपलब्धता बढ़कर 2,33,43,305 परिवारों तक (मार्च 2017) हो गयी है।

निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि में, 19 जिलों² (कुल 75 जिलों का 25 प्रतिशत) की नमूना जाँच की गयी थी। 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इन 19 जिलों के पास ₹ 3,026.74 करोड़ (कुल स्वीकृत लागत ₹ 11,697.83 करोड़ का 25.87 प्रतिशत) की स्वीकृत लागत थी।

परियोजना नियोजन, परियोजना प्रबंधन, निधि प्रबंधन एवं अनुश्रवण के साथ-साथ नियंत्रण तंत्र के दोषों को प्रतिबिंबित करते कुल 32 लेखापरीक्षा प्रेक्षण हैं। ये दोष अन्य जिलों में भी हो सकते हैं, जिन्हें नमूना लेखापरीक्षा में आच्छादित नहीं किया गया था। अतः संबंधित डिस्कॉमों के प्रबंधन, योजना में आच्छादित अन्य सभी जिलों के कार्यों का आंतरिक परीक्षण यह सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से करा सकते हैं कि ये योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

¹ कोई गाँव विद्युतीकृत माना जाता है यदि उसे बसे हुये स्थानों में आधारभूत अवसंरचना जैसे परिवर्तक एवं लाइनें उपलब्ध कराई गयी हो, सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूलों, पंचायत कार्यालयों, सामुदायिक सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों/औषधालयों इत्यादि में विद्युत प्रदान की गयी हो एवं गाँव के कम से कम 10 प्रतिशत परिवार विद्युतीकृत हों

² लखनऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, गाजीपुर, मऊ, बलिया, राँबर्दसगंज, बस्ती, मेरठ, शामली, बुलंदशहर, सहारनपुर, आगरा, मथुरा, हाथरस, इटावा और अलीगढ़

संशोधित एवं पुर्ननामित योजना डीडीयूजीजेवाई को वर्तमान लेखापरीक्षा में आच्छादित नहीं किया गया है क्योंकि दिसम्बर 2014 में डीडीयूजीजेवाई के आरम्भ के बाद से मार्च 2017 तक, वाराणसी के लिए अवमुक्त ₹ 18.74 करोड़ के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा कोई धनराशि, अवमुक्त नहीं की गई। इस कार्य की लेखापरीक्षा नहीं की गयी है।

वित्तपोषण पद्धति

2.1.2 इस योजना के अन्तर्गत, भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) के माध्यम से लागत का 90 प्रतिशत अंशदान, पूँजीगत अनुदान के रूप में किया, साथ ही आरईसी से 11 से 13 प्रतिशत ब्याज पर ऋणों के माध्यम से 10 प्रतिशत अंशदान राज्य द्वारा किया जाना था। भारत सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) के उपभोक्ताओं को मुफ्त संयोजन निर्गत करने के लिए आरईसी के माध्यम से डिस्कॉम्स को पूँजीगत अनुदान भी प्रदान किया।

विभिन्न संस्थाओं की भूमिका

2.1.3 योजना निरूपण, अनुमोदन और कार्यान्वयन में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका को चार्ट 2.1.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1.1: योजना में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका



* एमसी में सचिव, ऊर्जा मंत्रालय अध्यक्ष के रूप में, व्यय विभाग, योजना आयोग, पंचायतीराज, ग्राम्य विकास एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, भारत सरकार के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।

** एसएलएससी की अध्यक्षता मुख्य सचिव करते हैं एवं यह ऊर्जा, ग्राम्य विकास, वित्त, पंचायतीराज, वन, राजस्व विभाग के सचिवों एवं आरईसी के एक प्रतिनिधि तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मनोनीत किसी भी अन्य सदस्य को सम्मिलित करती हैं।

योजना कार्यान्वयन

2.1.4 योजना में, ब्लॉकों में पर्याप्त क्षमता के कम से कम एक 33/11 केवी सब-स्टेशन की स्थापना द्वारा, जहां ये नहीं थे, ग्रामीण विद्युत वितरण मेरूदण्ड (आरईडीबी) के विकास का प्रावधान था। इसी प्रकार, राज्य के 822 ब्लॉकों के 1,72,682 गाँवों/मजरों में उपयुक्त क्षमता के वितरण परिवर्तक के साथ ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना (वीईआई) स्थापित की जानी थी।

योजना के कार्यान्वयन के लिए आरईसी (भारत सरकार की तरफ से), उत्तर प्रदेश सरकार और डिस्कॉमों के मध्य एक त्रिपक्षीय अनुबन्ध (जुलाई 2005) हुआ। उत्तर प्रदेश में, योजना चार डिस्कॉमों अर्थात्, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (म.वि.वि.नि.लि.), लखनऊ, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पू.वि.वि.नि.लि.), वाराणसी, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (प.वि.वि.नि.लि.), मेरठ और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (द.वि.वि.नि.लि.) आगरा जो उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) की सहायक हैं, द्वारा कार्यान्वित की गयी।

कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण के तीन स्तरों (स्तर) को परिभाषित किया गया था। परियोजनाओं के गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसी) का प्रथम स्तर डिस्कॉम्स द्वारा सुनिश्चित किया जाना था जिन्हें गुणवत्ता नियंत्रण जांच के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी (टीपीआईए) को नियुक्त करना था। आरईसी और एमओपी, भारत सरकार क्रमशः गुणवत्ता नियंत्रण के दूसरे और तीसरे स्तर के लिए उत्तरदायी थे।

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, परियोजनाएं टर्नकी आधार पर कार्यान्वित की जानी थी। तथापि, अपवाद के प्रकरणों में, पर्याप्त औचित्य के साथ, मॉनिटरिंग कमेटी (एमसी), के अनुमोदन से, एजेंसियों को परियोजनाओं का विभागीय आधार पर निष्पादन करने की अनुमति थी। डिस्कॉमों ने सामग्री की आपूर्ति और टर्नकी आधार पर कार्यों का निष्पादन करने के लिए खुली निविदाओं के माध्यम से चयनित ठेकेदारों को कार्य आवंटित किया। योजना के प्रावधानों के अनुसार योजना के कार्यान्वयन के लिए डिस्कॉमों के मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता (सीई/एसई, आरजीजीवीवाई विंग) समग्र रूप से उत्तरदायी थे। डिस्कॉमों के वितरण मण्डलों के अधीक्षण अभियंताओं (एसई), को उनके अधिकार क्षेत्र में, अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुरूप कार्य निष्पादित करवाने के लिए उत्तरदायी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में नामित किया गया था।

संगठनात्मक ढांचा

2.1.5 डिस्कॉमों का प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त एक निदेशक मण्डल जिसमें एक अध्यक्ष, एक प्रबंध निदेशक एवं चार अन्य निदेशक हैं, में निहित है। दैनिक क्रिया कलापों को प्रबंध निदेशकों (एमडी), जो कि डिस्कॉमों के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होते हैं, द्वारा डिस्कॉम मुख्यालय में और क्षेत्र में तैनात मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं और अधिशासी अभियंताओं की सहायता से किया जाता है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.1.6 निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गयी थी कि क्या डिस्कॉमों/उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना कार्यान्वयन के सभी चरणों जैसे नियोजन,

निष्पादन, वित्तीय नियंत्रण, अनुश्रवण और पर्यवेक्षण इत्यादि में योजना को मितव्ययी, कुशल और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया था।

लेखापरीक्षा की कसौटियाँ

2.1.7 लेखापरीक्षा कसौटियाँ निम्न स्रोतों से ग्रहण की गयीं थीं:

- आरजीजीवीवाई/डीडीयूजीजेवाई कार्यालय ज्ञापन और भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशानिर्देश;
- राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण और राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण नीतियां;
- विद्युत अधिनियम, 2003;
- सामान्य वित्तीय नियम 2005/वित्तीय हस्त पुस्तिका और सीवीसी दिशानिर्देश;
- भारत सरकार/ आरईसी/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत निर्देश तथा आरईसी, उत्तर प्रदेश सरकार, एवं डिस्कॉमों के मध्य निष्पादित त्रिपक्षीय अनुबंध;
- डीपीआर तैयार करने हेतु आरईसी की निर्धारित प्रक्रियायें एवं नीतियाँ
- डिस्कॉमों के निदेशक मण्डल (बीओडी) की बैठकों के कार्यक्रम एवं कार्यवृत्त; तथा
- ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के संबंध में समन्वय समिति³ की बैठकों के अभिलेख।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यविधि

2.1.8 लेखापरीक्षा कार्यविधि में उपलब्ध आंकड़ों का संग्रहण एवं डेटा विश्लेषणात्मक उपकरण (एमएस एक्सेल एवं आइडिया) की सहायता से, उनका विश्लेषण, डिस्कॉमों के अभिलेखों की जाँच, लेखापरीक्षा प्रेक्षणों/प्रश्नों को निर्गत करना, कार्यस्थल पर निरीक्षण, लाभार्थी सर्वेक्षण तथा प्रवेश एवं समापन बैठक सम्मिलित थे।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, डिस्कॉमों एवं राज्य सरकार को उनकी टिप्पणियों के लिए अगस्त 2017 में निर्गत किया गया था। डिस्कॉमों के उत्तर सितंबर 2017/मार्च 2018 में प्राप्त हुए थे, जिन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देते समय उचित रूप से विचार किया गया है। राज्य सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने प्रवेश एवं समापन बैठक में भाग नहीं लिया था। इसके अतिरिक्त, नवंबर 2017 और मार्च 2018 में अनुस्मारकों को निर्गत करने पर भी सरकार का उत्तर प्रतीक्षित (सितम्बर 2018) था।

योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

2.1.9 आरईसी ने 2012-17 की अवधि में 75 जिलों में 86 परियोजनाओं के लिए ₹ 11,697.84 करोड़ की स्वीकृति दी थी। 75 जिलों में से 11 जिलों को 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 53 जिलों को बारहवीं पंचवर्षीय योजना में एवं 11 जिलों को दोनो योजनाओं के अन्तर्गत आच्छादित किया गया था। 31 मार्च 2017 को 11वीं एवं 12वीं दोनो पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति (डिस्कॉम-वार) तालिका 2.1.1 में वर्णित है।

³ जिला स्तर समन्वय समिति में जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य विकास अधिकारी, जीएम, उद्योग, संबंधित जिले के जिला कृषि अधिकारी, डिस्कॉमों के अधीक्षण अभियंता/अधिशाषी अभियंता एवं व्यापार, उद्योग व किसान समूह के सदस्य सम्मिलित हैं

तालिका 2.1.1: 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति

पंचवर्षीय योजना	डिस्कॉम	परियोजनाओं/जिलों की संख्या	भौतिक प्रगति			वित्तीय प्रगति				
			डीपीआर में गाँवों/मजराओं की संख्या	कार्य पूर्ण गाँवों/मजराओं की संख्या	कार्य पूर्ण गाँवों/मजराओं का प्रतिशत	स्वीकृत लागत	छावा की गयी धनराशि	आरईसी से प्राप्त दावा धनराशि	प्राप्ति हेतु बकाया धनराशि	व्यय
11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12)	द.वि.वि. नि.लि.	03	1,808	1,618	89.49	242.96	177.04	111.61	65.43	112.16
	पू.वि.वि. नि.लि.	07	8,825	9,398	106.49	1,341.21	736.82	654.38	82.44	537.45
	प.वि.वि. नि.लि.	03	1,055	745	70.62	452.02	260.85	184.58	76.27	126.42
	म.वि.वि. नि.लि.	09	20,343	13,576	66.74	2,378.83	1,824.82	1,236.66	588.16	1,219.80
उप-योग		22	32,031	25,337	79.10	4,415.02	2,999.53	2,187.23	812.30	1,195.83
12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17)	द.वि.वि. नि.लि.	21	32,477	13,089	40.30	2,466.14	1,044.15	845.94	198.21	714.57
	पू.वि.वि. नि.लि.	17	60,642	34,161	56.33	2,247.39	1,292.02	1,031.78	260.24	824.73
	प.वि.वि. नि.लि.	12	10,101	5,774	57.16	983.39	505.84	356.39	149.45	272.32
	म.वि.वि. नि.लि.	14	37,431	9,528	25.45	1,585.90	804.45	609.53	194.92	414.27
उप-योग		64	1,40,651	62,552	44.47	7,282.82	3,646.46	2,843.64	802.82	2,225.89
कुलयोग		86	1,72,682	87,889	50.90	11,697.84	6,645.99	5,030.87	1,615.12	4,221.72

स्रोत : डिस्कॉमों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें

आरईसी ने (31 मार्च 2017) तक डिस्कॉमों द्वारा मजरावार ऑनलाइन डेटा अपलोड करने, साइन बोर्ड स्थापित करने में उपेक्षा, गाँव/मजरावार निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत न करने एवं गुणवत्ता नियंत्रकों की निरीक्षण रिपोर्ट का अनुपालन न करने के कारण ₹ 1,197.22 करोड़ की प्रतिपूर्ति रोक दी है।

संस्तुति:

रोकी गई धनराशि को अवमुक्त कराना सुनिश्चित करने के लिए विभाग और डिस्कॉमों को आरईसी की चिन्ताओं पर सक्रिय रूप से ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

अभिस्वीकृति

2.1.10 निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान डिस्कॉमों एवं उनके अधिकारियों द्वारा विस्तारित सहयोग एवं सहायता के लिए लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करती है।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.1.11 लेखापरीक्षा परिणामों पर आगामी प्रस्तारों में चर्चा की गई है:

परियोजना नियोजन

2.1.12 डिस्कॉमों ने डीपीआर तैयार करने के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकारों⁴ (पीएमसी) को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में ₹ 40.17⁵ करोड़ एवं बारहवीं पंचवर्षीय

⁴ परियोजना प्रबंधन सलाहकार, डीपीआर की तैयारी, परियोजनाओं के अनुश्रवण एवं प्रबंधन के लिए डिस्कॉमों द्वारा नियुक्त एक बाहरी एजेंसी है

⁵ द.वि.वि.नि.लि.- ₹ 2.27 करोड़, पु.वि.वि.नि.लि.- ₹ 11.07 करोड़, प.वि.वि.नि.लि.- ₹ 1.32 करोड़ एवं म.वि.वि.नि.लि.- ₹ 25.51 करोड़

योजना में ₹ 157.60 करोड़⁶ की कुल लागत पर नियुक्त किया। 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के डीपीआर की तैयारी में अनियमितताओं की चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गई है:

स्थलीय सर्वेक्षण बिना डीपीआर तैयार किया जाना

2.1.13 राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी) के साथ-साथ अनुश्रवण समिति (एमसी) को अनुमोदन के लिए अग्रेषित डीपीआर में, डिस्कॉम का यह वचन सम्मिलित था कि डीपीआर स्थलीय सर्वेक्षणों एवं अद्यतन एसओआर पर आधारित थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉमों ने विद्युतीकृत एवं अविद्युतीकृत गाँवों/मजरों के लिए किसी केंद्रीकृत डेटा को नहीं बनाए रखा एवं पीएमसी द्वारा किए गए स्थलीय सर्वेक्षण पर विश्वास किया। परिणामस्वरूप, जब टर्नकी ठेकेदार (टीकेसी) द्वारा कार्य का निष्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व स्थल सर्वेक्षण किया गया, तो 13 जिलों/परियोजनाओं में विद्युतीकरण के लिए डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तावित 28,342 गाँवों/मजरों (पीएमसी द्वारा तैयार डीपीआर के अनुसार) में से, नौ जिलों के 2,053 गाँवों/मजरों को पहले से ही विद्युतीकृत पाया गया तथा नौ जिलों में 286 गाँवों/मजरे अस्तित्व में नहीं थे, जैसा कि तालिका 2.1.2 में वर्णित है:

तालिका 2.1.2: पहले से ही विद्युतीकृत एवं अविद्यमान मजरों का विवरण				
डिस्कॉम का नाम	परियोजनाओं/जिलों की संख्या	विद्युतीकरण हेतु मजरों की संख्या	पहले से ही विद्युतीकृत मजरों की संख्या	अविद्यमान मजरों की संख्या
म.वि.वि.नि.लि.	3	7,656	267	54
पू.वि.वि.नि.लि.	4	10,918	1,624	22
प.वि.वि.नि.लि.	1	503	85	119
द.वि.वि.नि.लि.	5	9,265	77	91
योग	13	28,342	2,053	286

स्रोत: डिस्कॉमों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

अग्रेतर लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

- योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, 300 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों/मजरों को 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण के लिए आच्छादित किया जाना था। लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रारम्भ में 300 से अधिक जनसंख्या वाले 497 गाँवों/मजरों को म.वि.वि.नि.लि. के अन्तर्गत बाराबंकी जिले की अनुमोदित डीपीआर में सम्मिलित नहीं किया गया था। तत्पश्चात, कार्यदायी संस्था द्वारा यह अपवर्जन बताये जाने (अगस्त 2014) पर, आरईसी द्वारा इन गाँवों/मजरों को आच्छादित करने के लिए अनुमति (जून 2015) इस शर्त पर दी गई थी कि परियोजना लागत में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए।

- योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, 100 से अधिक की जनसंख्या वाले गाँवों/मजरों को 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण के लिए आच्छादित किया जाना था। लेखापरीक्षा ने देखा कि म.वि.वि.नि.लि. के अन्तर्गत सुल्तानपुर जिले की डीपीआर में 100 से अधिक जनसंख्या वाले 19 गाँवों/मजरों को सम्मिलित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, म.वि.वि.नि.लि. ने डॉ राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना (उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित एक योजना) के अन्तर्गत ₹ 3.03 करोड़ की लागत से इन 19 गाँवों/मजरों को विद्युतीकृत (2016-17) किया। यद्यपि, भारत सरकार से इन कार्यों हेतु आरजीजीवीवाई के अन्तर्गत सब्सिडी उपलब्ध

⁶ द.वि.वि.नि.लि.— ₹ 32.80 करोड़, पू.वि.वि.नि.लि.— ₹ 76.05 करोड़, प.वि.वि.नि.लि.— ₹ 11.88 करोड़ एवं म.वि.वि.नि.लि.— ₹ 36.87 करोड़

थी, अनुचित नियोजन के कारण राजकीय कोष पर ₹ 2.73 करोड़ (परियोजना लागत का 90 प्रतिशत) का परिहार्य भार पड़ा। इसके अतिरिक्त, इन 19 मजरों के 213 बीपीएल परिवार अभी तक निःशुल्क विद्युत संयोजन के बिना थे।

- योजना के दिशानिर्देशों के विपरीत, पू.वि.वि.नि.लि. के अंतर्गत सोनभद्र जिले के डीपीआर में 34 प्राथमिक विद्यालयों के विद्युतीकरण का प्रावधान सम्मिलित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, योजना निधि का लाभ लेने के स्थान पर, पू.वि.वि.नि.लि. ने इन विद्यालयों के विद्युतीकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से ₹ 1.68 करोड़ का प्रयोग किया।

उपर्युक्त तथ्य इंगित करता है कि डीपीआर या तो संदेहास्पद स्थलीय सर्वेक्षण अथवा पीएमसी के डेटा/सर्वेक्षण पर पूर्ण निर्भरता के कारण बिना किसी सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किये गए थे। मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता (संबंधित डिस्कॉमों के आरजीजीवीवाई विंग के) डीपीआर में आच्छादित गाँवों की वास्तविकता सुनिश्चित करने एवं पीएमसी द्वारा तैयार डीपीआर की शुद्धता सुनिश्चित करने में असफल रहे।

इन डिस्कॉमों ने कहा (मार्च 2018) कि डीपीआर कार्य प्रारम्भ होने से बहुत पहले तैयार किये गये थे और कुछ मजरे राज्य में चल रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विद्युतीकृत हुए होंगे। मजरों के न मिलने के दृष्टान्तों का कारण संभवतः इस अवधि में जलवायु स्थितियों में परिवर्तनों के कारण उनका स्थान परिवर्तन/स्थानीय नामकरण में परिवर्तन था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रश्नगत डीपीआर को पुनर्सत्यापित/पुनः तैयार किया गया था और पुनर्सत्यापित डीपीआर जमा करने एवं कार्य प्रारम्भ करने के मध्य केवल एक वर्ष का समयान्तर था। यह लेखापरीक्षा प्रेक्षण की पुष्टि करता है कि सर्वेक्षण विश्वसनीय नहीं थे।

पूर्व में आरईसी द्वारा अस्वीकृत किये जाने पर भी, डीपीआर में अस्वीकार्य कार्यों/मदों को सम्मिलित करना

2.1.14 योजना के दिशानिर्देशों ने डीपीआर में अस्वीकार्य कार्यों/मदों को सम्मिलित करना निषिद्ध किया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत परियोजना समापन के समय आरईसी द्वारा अस्वीकार्य मदों को अस्वीकृत करने पर भी, तीन डिस्कॉमों ने ₹ 12.98 करोड़ के विभिन्न अस्वीकार्य कार्यों/मदों को डीपीआर में सम्मिलित कर लिया, जैसा कि तालिका 2.1.3 में दिया गया है। परियोजना समापन के समय आरईसी द्वारा इस प्रकार के अस्वीकार्य व्यय की अस्वीकृति सम्भावित है।

तालिका 2.1.3: डीपीआर में सम्मिलित अस्वीकार्य कार्यों/मदों का विवरण				
डिस्कॉम	परियोजनाएं	पंचवर्षीय योजना	कार्य का नाम	धनराशि (₹ करोड़ में)
म.वि.वि.नि.लि.	शाहजहांपुर	11वीं	66/11 केवी से 33/11 केवी सबस्टेशन में परिवर्तन	3.80
	अम्बेडकर नगर, हरदोई, लखीमपुर, फैजाबाद, उन्नाव, बहराइच, शाहजहांपुर	11वीं	उपभोक्ता डेटा, इंडेक्सिंग और बिलिंग के कम्प्यूटरीकरण के लिए सेटअप स्थापित करने का कार्य और बिलिंग केंद्रों के निर्माण का कार्य, इत्यादि	3.06
प.वि.वि.नि.लि.	बुलंदशहर	11वीं	—तदैव—	0.16
द.वि.वि.नि.लि.	एटा, कन्नौज	11वीं	मार्ग प्रकाश संयोजनों के लिए एलटी पीवीसी केबल	2.61

तालिका 2.1.3: डीपीआर में सम्मिलित अस्वीकार्य कार्यों/मदों का विवरण					
डिस्कॉम	परियोजनाएं		पंचवर्षीय योजना	कार्य का नाम	धनराशि (₹ करोड़ में)
	अलीगढ़, हाथरस, इटावा	मथुरा, आगरा,	12वीं	मार्ग प्रकाश संयोजनों के लिए एलटी पीवीसी केबल	3.35
योग					12.98

डिस्कॉमों ने डीपीआर में अस्वीकार्य कार्यों/मदों को सम्मिलित करने के कारण ₹ 12.98 करोड़ का परिहार्य व्यय किया

स्रोत-आरईसी द्वारा स्वीकृत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

डिस्कॉमों ने कहा (मार्च 2018) कि इन कार्यों को आरईसी द्वारा स्वीकृत किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प.वि.वि.नि.लि. की बुलंदशहर परियोजना के समान प्रकरण में प्रारंभिक स्वीकृति के होने पर भी आरईसी ने परियोजना समापन के समय ₹ 1.63 करोड़ की अस्वीकार्य मदों को अस्वीकृत कर दिया था।

अनुमोदित डीपीआर के कार्यक्षेत्र में अनियमित कमी

2.1.15 योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, डिस्कॉमों को बाद की किसी मात्रा या लागत विचलन से बचने के लिए, डीपीआर, वास्तविक सर्वेक्षणों एवं नवीनतम लागत अनुसूची के आंकड़ों के आधार तैयार करना था। मात्रा या दर में विचलन के कारण लागत में वृद्धि को, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था।

अनुमोदित डीपीआर के कार्य क्षेत्र में अनियमित कमी का सहारा लेने के कारण, 4,24,370 परिवार विद्युतीकरण से वंचित थे एवं 1,22,441 बीपीएल परिवारों को संयोजन नहीं मिल सका

लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सियों (पीआईए) को कार्यादेश देने के लिए निविदाओं को अंतिम रूप देते समय डिस्कॉमों (म.वि.वि.नि.लि., द.वि.वि.नि.लि. और पू.वि.वि.नि.लि.) ने देखा कि एल-1 फर्मों द्वारा उद्धृत दरें डीपीआर में स्वीकृत दरों की तुलना में अधिक थीं, जिससे कार्य की लागत में वृद्धि हुई। तथापि, लागत अंतर को उत्तर प्रदेश सरकार को स्थानांतरित करने या एमसी और आरईसी को प्रकरण को संदर्भित करने के बजाय, डिस्कॉमों के मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता (आरजीजीवीवाई) ने परियोजना की कुल लागत को स्वीकृत राशि के भीतर सीमित करने के लिए ₹ 207.31 करोड़ (म.वि.वि.नि.लि. ₹ 19.81 करोड़, पू.वि.वि.नि.लि. ₹ 118.90 करोड़ और द.वि.वि.नि.लि. ₹ 68.60 करोड़) से उक्त कार्यों का कार्यक्षेत्र कम कर दिया। परिणामस्वरूप, 4,24,370 परिवार विद्युतीकरण से वंचित थे एवं 1,22,441 बीपीएल परिवारों को संयोजन नहीं मिल सका जैसा कि तालिका 2.1.4 में वर्णित है:

तालिका 2.1.4: विद्युत से वंचित ग्रामीण परिवारों और बीपीएल परिवारों का विवरण			
डिस्कॉम का नाम	परियोजनाओं/जिलों की संख्या	विद्युत से वंचित ग्रामीण परिवारों की संख्या	संयोजन से वंचित बीपीएल परिवारों की संख्या
म.वि.वि.नि.लि.	3	21,844	1,22,441
पू.वि.वि.नि.लि.	3	3,25,254	शून्य
द.वि.वि.नि.लि.	3	77,272	शून्य
योग	9	4,24,370	1,22,441

डिस्कॉमों ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार (मार्च 2018) किया।

11 जिलों के डीपीआर का अनुमोदन प्राप्त करने में विफलता

2.1.16 भारत सरकार ने सभी शेष जनगणना गाँवों एवं 100 से अधिक जनसंख्या वाले मजराओं को आच्छादित करने के लिए व 10वीं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पहले से स्वीकृत परियोजनाओं के छोटे कार्यों को पूर्ण करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, योजना को जारी रखने हेतु निर्देशित (सितंबर 2013) किया। तदनुसार, डिस्कॉमों ने राज्य के सभी 75 जिलों के 100 से अधिक जनसंख्या वाले

गाँवों/मजरों हेतु डीपीआर प्रस्तुत (नवम्बर 2013) किए थे। तथापि, आरईसी ने 11 जिलों को इस आधार पर छोड़ते हुए कि ये जिले पहले ही 10वीं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आच्छादित थे, केवल 64 जिलों के डीपीआर स्वीकृत (जनवरी 2014) किए। चूंकि 11वीं पंचवर्षीय योजना ने 300 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों/मजरों को आच्छादित किया था, अतः आरईसी द्वारा इन 11 जिलों की डीपीआर को स्वीकृति देने से मना करना, इन जिलों में 100 से ऊपर की जनसंख्या वाले शेष सभी जनगणना गाँवों एवं मजरों को आच्छादित करने के भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप नहीं था।

यद्यपि, आरईसी ने अनुचित आधार पर डीपीआर को अस्वीकृत कर दिया, परन्तु डिस्कॉम आरईसी के साथ इस प्रकरण को आगे बढ़ाने में विफल रहे। परिणामस्वरूप, इन 11 जिलों में 100 से 300 की जनसंख्या वाले 45,492 गाँवों/मजरों के 21,35,768 ग्रामीण परिवार एवं 7,18,083 बीपीएल ग्रामीण परिवार विद्युतीकरण से वंचित रह गए जैसा कि परिशिष्ट 2.1.1 में वर्णित है।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2018) कि सभी परियोजनाओं की डीपीआर आरईसी को प्रस्तुत कर दी गयीं थीं एवं इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने का निर्णय आरईसी के पास था। उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि डिस्कॉमों ने आरईसी के साथ-साथ एमओपी, भारत सरकार के समक्ष अस्वीकृत डीपीआर पर पुनर्विचार के लिए प्रकरण नहीं उठाया।

वापस प्राप्त सामग्री के मूल्य का असमायोजन

2.1.17 यूपीपीसीएल के आदेश (अगस्त 2011 और मई 2013) के अनुसार, सब-स्टेशन की क्षमता वृद्धि के प्रकरण में, वापस प्राप्त परिवर्तकों के मूल्य को परियोजना लागत के सापेक्ष समायोजित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि म.वि.वि.नि.लि. एवं द.वि.वि.नि.लि. में ₹ 11.99 करोड़ मूल्य के, विभिन्न क्षमताओं के 42 पॉवर परिवर्तकों को 10 परियोजनाओं में सब-स्टेशनों की क्षमता वृद्धि के कारण हटा दिया गया था एवं डिस्कॉमों द्वारा उन्हें स्वयं के उपयोग के लिए रख लिया गया था। तथापि, इन परिवर्तकों की लागत, संबंधित परियोजना लागतों के सापेक्ष समायोजित नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप म.वि.वि.नि.लि. एवं द.वि.वि.नि.लि. द्वारा कुल ₹ 11.99 करोड़ की निधि का अधिक आहरण किया गया।

डिस्कॉमों ने (मार्च 2018) लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को स्वीकार किया।

33/11 केवी के सब-स्टेशनों की क्षमता वृद्धि में परिहार्य व्यय

2.1.18 योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, नए 33/11 केवी सब-स्टेशनों की स्थापना एवं विद्यमान 33/11 केवी सब-स्टेशनों की क्षमता वृद्धि, संबंधित डिस्कॉमों द्वारा प्रणाली आवश्यकताओं से संबंधित आंकड़ों से प्रमाणित, उचित औचित्य प्रस्तुत करने के बाद, की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि म.वि.वि.नि.लि. के 19 जिलों में से दो (अम्बेडकरनगर व फैजाबाद) में, 33/11 केवी के 28 सब-स्टेशनों की विद्यमान क्षमता (539 एमवीए), विद्यमान उपभोक्ताओं के जुड़े भार एवं प्रत्याशित उपभोक्ताओं के बढ़े भार (438 एमवीए) से अधिक थी। इसलिए, सब-स्टेशनों की उपलब्ध क्षमता डीपीआर में उल्लिखित प्रत्याशित उपभोक्ताओं के बढ़े भार को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त थी।

अम्बेडकरनगर एवं फैजाबाद जिलों के डीपीआर में, म.वि.वि. नि.लि. ने सब-स्टेशनों की क्षमता वृद्धि का प्रावधान किया, जिससे ₹ 33.61 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ

⁷ बहराईच, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, उन्नाव, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, इलाहाबाद, बलिया, गोरखपुर एवं जौनपुर

इसके बावजूद, म.वि.वि.नि.लि. के प्रबंधन ने उपरोक्त जिलों के डीपीआर में 155 एमवीए के सब-स्टेशनों की अतिरिक्त क्षमता वृद्धि हेतु प्रावधान किया, जिसमें ₹ 33.61 करोड़ की योजना निधि का परिहार्य व्यय हुआ।

डीपीआर में वितरण परिवर्तकों (डीटी) का अधिक प्रावधान

2.1.19 योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, बीपीएल/एपीएल ग्रामीण परिवारों एवं सार्वजनिक स्थानों के विद्युतीकरण के लिए आवश्यक भार को ध्यान में रखते हुए, उचित क्षमता के वितरण परिवर्तक (डीटी) के प्रावधान के साथ ग्राम विद्युतीकरण अवसंरचना (वीईआई), बनायी जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- म.वि.वि.नि.लि. के दो जिलों (अम्बेडकरनगर एवं सुल्तानपुर) में डीपीआर में प्रस्तावित 1,27,074 ग्रामीण परिवारों को संयोजन देने के लिए केवल 49,575 केवीए (स्थापित क्षमता का 80 प्रतिशत) का भार आवश्यक था। तथापि, म.वि.वि.नि.लि. ने 1,21,518 केवीए क्षमता के डीटी की स्थापना प्रस्तावित की जो कि डीपीआर में प्रत्याशित संयोजनों के आधार पर निर्धारित किए गए भार की आवश्यकता की तुलना में 59,550 केवीए (120 प्रतिशत) अधिक थी। इस बढ़े हुए अनुमान के कारण ₹ 27.91 करोड़ मूल्य की, 59,550 केवीए (16 केवीए के 3,721 डीटी) की अतिरिक्त क्षमता की स्थापना हुई।

- योजना के अन्तर्गत तैयार किए गए डीपीआर में उपभोक्ताओं की श्रेणी निर्दिष्ट की गयी थी, जिनको विद्युत संयोजन प्रदान किए जाने थे। म.वि.वि.नि.लि. के तीन जिलों (अम्बेडकरनगर, बाराबंकी एवं फैजाबाद) के डीपीआर में, सभी ज्ञात श्रेणियों को संयोजन देने के प्रावधान होने पर भी, 'अन्य' श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु अतिरिक्त 2,984 संयोजनों (6,631 केवीए का भार) का प्रावधान भी किया गया। इस अतिरिक्त प्रावधान के कारण ₹ 2.56 करोड़ मूल्य के 6,640 केवीए (10 केवीए प्रत्येक) के अवांछित डीटी की स्थापना हुई।

म.वि.वि.नि.लि. प्रबंधन द्वारा डीटी की स्थापना के लिए अतिरिक्त प्रावधान ने निष्क्रिय क्षमता का निर्माण किया एवं जिससे ₹ 30.47 करोड़ (₹ 27.91 करोड़ 16 केवीए डीटी एवं ₹ 2.56 करोड़ 10 केवीए डीटी) का परिहार्य व्यय हुआ।

इस प्रकार डिस्कॉमों द्वारा यदि ₹ 64.08 करोड़ के व्यय (₹ 33.61 करोड़ प्रस्तर 2.1.19 में एवं ₹ 30.47 करोड़ प्रस्तर 2.1.20 में) से बचा जा सकता, तो योजना के अन्तर्गत अधिक जिलों को आच्छादित किया जा सकता था जैसा कि प्रस्तर 2.1.17 में चर्चा की गई है।

म.वि.वि.नि.लि. ने (मार्च 2018) प्रस्तर 2.1.18 एवं 2.1.19 के सम्बन्ध में कहा कि पाँच साल बाद भी सिस्टम को भार की सीमा में रखने के लिए अतिरिक्त क्षमता का सृजन किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि म.वि.वि.नि.लि. ने 19 जिलों में से केवल दो जिलों को क्षमता वृद्धि के लिए चुना है। इसलिए, यह एक जागरूक नीति निर्णय प्रतीत नहीं होता है, एवं उत्तर, बाद का विचार है।

प्रतिस्पर्धात्मक बिड प्राप्त किए बिना डीपीआर की तैयारी का कार्य देना

2.1.20 पू.वि.वि.नि.लि. द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 14 जिलों में 36,889 गाँवों/मजरों में सर्वे, डीपीआर की तैयारी एवं परियोजना निर्माण की अवधि में अनुश्रवण (पीएमसी) कार्य, आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) को एकल प्रस्ताव के आधार पर ₹ 16, 720 प्रति गाँव/मजरा की पिछली दरों (11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उसी फर्म द्वारा निष्पादित कार्य की दर) पर कार्य प्रदान किया (नवंबर 2013) गया था। दिए गए कार्य की दरों के मूल्य में 25 प्रतिशत (₹ 4180

म.वि.वि.नि.लि. ने डीपीआर में, वितरण परिवर्तक की स्थापना का अधिक प्रावधान किया, जिससे ₹ 30.47 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ

प्रति गाँव/मजरा) सर्वेक्षण एवं डीपीआर की तैयारी के लिए तथा 75 प्रतिशत (₹ 12540 प्रति गाँव/मजरा) पीएमसी के कार्य के लिए दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पू.वि.वि.नि.लि. के प्रबंधन ने एक सहयोगी कंपनी म.वि.वि.नि.लि. द्वारा निविदा आमंत्रण (जून 2013) के पश्चात मेसर्स मेधज टेक्नो कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड को (नीचे के प्रस्तर 2.1.21 में उल्लिखित) सर्वेक्षण का कार्य एवं डीपीआर की तैयारी करने का कार्य ₹ 2500.00 प्रति गाँव/मजरा की दर से दिए जाने (सितम्बर 2013) का संज्ञान लिए बिना पुरानी दरों पर कार्य प्रदान (नवंबर 2013) कर दिया। इसके कारण कंपनी द्वारा कार्य का आवंटन ₹ 1680.00 प्रति गाँव/मजरा की उच्चतर दर से किया गया, जिससे ₹ 6.20 करोड़⁸ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

पू.वि.वि.नि.लि. ने कहा (मार्च 2018) कि कार्य की अत्यावश्यकता एवं समय की कमी के कारण, पीएमसी कार्य पुरानी दरों पर उसी फर्म को दिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य पूर्ण होने की अनुसूचित तिथि समाप्त होने पर भी कार्य की प्रगति 52.69 प्रतिशत (मार्च 2017) थी, जो स्वयं ही इंगित करती है कि कार्य की अत्यावश्यकता केवल एक बहाना अथवा बाद का विचार था। इसके अतिरिक्त, उत्तर इस विषय को संबोधित नहीं करता है कि, कैसे इसी तरह की परिस्थितियों में, पू.वि.वि.नि.लि. (पू.वि.वि.नि.लि. की एक अन्य सहयोगी कंपनी) ने भी खुली निविदा आमंत्रित करके डीपीआर की तैयारी का कार्य प्रदान (जुलाई 2013) किया था।

डीपीआर बनाने के लिए पीएमसी को अधिक भुगतान

2.1.21 म.वि.वि.नि.लि. ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 19 जिलों में विभिन्न मजरो हेतु जीपीएस सर्वेक्षण सहित डीपीआर बनाने के लिए मेसर्स मेधज टेक्नो कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (ठेकेदार) के साथ एक अनुबन्ध (सितंबर 2013) किया। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, ठेकेदार को 100 से अधिक जनसंख्या वाले मजरो व 10वीं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना में आच्छादित न किए गए मजरो के लिए डीपीआर तैयार करना था। आरईसी द्वारा सर्वेक्षण एवं अनुमोदन के पश्चात विद्युतीकरण के लिए आच्छादित किए गए मजरो की वास्तविक संख्या के आधार पर ठेकेदार को ₹ 2,500 प्रति मजरा का भुगतान करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए ठेकेदार ने 100 से कम जनसंख्या वाले मजरे व 10वीं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पहले से आच्छादित मजरे सम्मिलित करते हुए 19 जिलों में सभी 95,067 मजरो के लिए डीपीआर तैयार किए। आरईसी ने योजना के प्रावधानों के अनुरूप, केवल 37,431 मजरो के डीपीआर को स्वीकृति (दिसंबर 2013) दी।

ठेकेदार ने कुल 95,067 मजरो के सापेक्ष भुगतान के लिए दावा प्रस्तुत किया। म.वि.वि. नि.लि. ने (जनवरी 2015) आरईसी द्वारा अनुमोदित 37,431 मजरो के लिए ₹ 9.36 करोड़ का पूर्ण भुगतान निर्गत किया। इसके अतिरिक्त, म.वि.वि.नि.लि. ने किसी भी कारण को स्पष्ट किये बिना अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदनोपरान्त शेष 42,384 मजरो के लिए कुल भुगतान के 50 प्रतिशत की दर से ₹ 5.96 करोड़ का भुगतान किया, जिसके कारण ठेकेदार को ₹ 5.96 करोड़ (सेवाकर सहित) का अनुचित लाभ विस्तारित हुआ।

म.वि.वि.नि.लि. ने कहा (मार्च 2018) कि ठेकेदार ने 10वीं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गए गाँवों/मजरो एवं 100 से कम जनसंख्या वाले गाँवों/मजरो को छोड़कर, डिस्कॉम के सभी गाँवों/मजरो का सर्वेक्षण किया था, और इसलिए, सभी सर्वेक्षित गाँवों/मजरो का भुगतान ठेकेदार को अवमुक्त किया गया था।

म.वि.वि.नि.लि. ने ठेकेदार को आरईसी द्वारा अनुमोदित न किए गए मजरे आच्छादित करने हेतु भुगतान अवमुक्त करके अनुचित लाभ प्रदान किया

⁸ 36,889 गाँव/मजरा x ₹ 1680 (₹ 4,180 - ₹ 2,500) = ₹ 6.20 करोड़

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह योजना के दिशानिर्देशों के कार्यक्षेत्र के विपरीत है तथा ठेकेदार किसी भी प्रतिपूर्ति का पात्र नहीं था।

संस्तुतियां:

1. डिस्कॉमों को डीपीआर में केवल योग्य गाँवों/मजरों को सम्मिलित करना, सुनिश्चित करना चाहिए;
2. डिस्कॉमों को योजना के दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए एवं डीपीआर की तैयारी में उचित सावधानी सुनिश्चित करना चाहिए; तथा
3. डिस्कॉमों को कार्य के बीओक्यू/कार्यक्षेत्र को कम करने के स्थान पर स्वीकृत लागत एवं आवंटित लागत के अंतर का भार वहन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ प्रकरण उठाना चाहिए जिससे सभी योग्य गाँवों/मजरों के विद्युतीकरण की योजना का निहित उद्देश्य प्राप्त किया जा सके।

परियोजना प्रबंधन

2.1.22 लेखापरीक्षा ने 75 जिलों में (₹ 11,697.84 करोड़ की स्वीकृत लागत) से 19 जिलों (₹ 3,026.74 करोड़ की स्वीकृत लागत) में परियोजनाओं के निष्पादन की जांच की। कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं गुणवत्ता नियंत्रण गतिविधियों के लिए, डिस्कॉमों को ₹ 353.20 करोड़ व ₹ 364.14 करोड़ सेवा शुल्क/फीस के रूप में क्रमशः 11वीं पंचवर्षीय योजना एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त हुए थे। (11वीं पंचवर्षीय योजना में परियोजनाओं की स्वीकृत लागत के आठ प्रतिशत एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में पाँच प्रतिशत की दर से)। इन नमूने के अन्तर्गत आने वाले जिलों में योजनानुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तालिका 2.1.5 में विस्तृत रूप से वर्णित है।

तालिका 2.1.5: 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में नमूने के अन्तर्गत आने वाले जिलों की भौतिक और वित्तीय प्रगति

पंचवर्षीय योजना	डिस्कॉम	जिलों की संख्या	भौतिक प्रगति			वित्तीय प्रगति				
			डीपीआर में गाँवों/मजरों की संख्या	कार्य पूर्ण गाँवों/मजरों की संख्या	कार्य पूर्ण गाँवों/मजरों का प्रतिशत	स्वीकृत लागत	दावा की गयी धनराशि	आरईसी से प्राप्त दावा धनराशि	प्राप्त किये गए दावा धनराशि का प्रतिशत	व्यय
11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12)	म.वि.वि.नि.लि.	3	8,746	7,792	89.09	893.14	680.55	566.67	83.27	571.03
	पू.वि.वि.नि.लि.	1	984	984	100.00	153.59	138.2	122.11	88.36	124.82
	प.वि.वि.नि.लि.	1	503	329	65.41	160.81	104.99	77.3	73.63	58.65
उप-योग		5	10,233	9,105	88.98	1,207.54	923.74	766.08	82.93	754.50
12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17)	म.वि.वि.नि.लि.	4	8,699	1,984	22.81	317.5	131.77	103.65	78.66	122.42
	पू.वि.वि.नि.लि.	4	15,708	8,276	52.69	621.9	413.56	330.16	79.83	245.11
	प.वि.वि.नि.लि.	3	2,300	1,873	81.43	214.7	106.1	78.03	73.54	79.33
	द.वि.वि.नि.लि.	5	9,265	3,712	40.06	665.1	277.66	214.05	77.09	186.27
उप-योग		16	35,972	15,845	44.05	1,819.2	929.09	725.89	78.13	633.13
कुल योग		21⁹	46,205	24,950	54.00	3,026.74	1,852.83	1,491.97	80.52	1,387.63


स्रोत: डिस्कॉमों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें

डिस्कॉमों के चयनित नमूना जिलों की भौतिक प्रगति 22.81 प्रतिशत से लेकर 89.09 प्रतिशत (पू.वि.वि.नि.लि. के एक जिले को छोड़कर जहाँ कि प्रगति 100 प्रतिशत रही) के

⁹ दो जिले यथा फैजाबाद एवं अम्बेडकरनगर 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना दोनों में सम्मिलित थे।

मध्य रही। विद्युतीकरण कार्य, कार्य पूर्ण होने की तिथि के एक से 20 माह विलम्ब के उपरान्त भी पूर्ण नहीं किया जा सका था। राज्य के डिस्कॉमों में आरजीजीवीवाई परियोजनाओं के चयनित नमूनों में मार्च तक सबसे अधिक विलम्बित परियोजनाओं की स्थिति को चार्ट 2.1.2 में दर्शाया गया है:

चार्ट 2.1.2: चयनित नमूना परियोजनाओं में (माह में) मार्च 2017 तक की विलम्ब की स्थिति



लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जाँच की गई 19 परियोजनाओं में कार्य पूर्ण होने में विलम्ब के मुख्य कारण, 17 परियोजनाओं में कार्यों के आवंटन में विलम्ब (एक से 13 माह), 19 परियोजनाओं में वास्तविक स्थल सर्वेक्षण में विलम्ब (एक से 24 माह) एवं 19 परियोजनाओं में सामग्री की आपूर्ति में विलम्ब (एक से 24 माह) थे, जैसा कि परिशिष्ट-2.1.2 में विस्तृत रूप से दिया गया है।

डिस्कॉमों ने टर्नकी/सेमी टर्नकी आधार पर विभिन्न टर्नकी ठेकेदारों (टीकेसी) को सभी कार्यान्वयन गतिविधियों को आउटसोर्स किया है। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉमों ने, यहाँ तक कि परियोजनाओं के नियमित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण कार्यों को सभी डिस्कॉमों में ₹ 197.76 करोड़ की कुल लागत पर परियोजना प्रबन्धन सलाहकारों (पीएमसी) को आउटसोर्स किया है। टीकेसी, मासिक प्रगति रिपोर्ट पीएमसी को प्रस्तुत करते हैं जो आगे मुख्य अभियंता, आरजीजीवीवाई को प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। मजरे वार मासिक एमआईएस रिपोर्ट होने पर भी, मुख्य अभियंता, आरजीजीवीवाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब को नियंत्रित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने में असफल रहे।

डिस्कॉमों के मुख्यालय में अभिलेखों की जांच के दौरान एवं चयनित 19 परियोजनाओं में कार्य के निष्पादन में लेखापरीक्षा द्वारा पायी गई कमियों पर चर्चा नीचे की गई है:

निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) में लागत अनुसूची की दरों को न अपनाने के कारण उच्च दर पर कार्यों का आवंटन

2.1.23 योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, परियोजनाओं की लागत में बाद में संशोधन से बचने के लिए डिस्कॉमों को वास्तविक क्षेत्र सर्वेक्षण एवं अद्यतन लागत अनुसूची के आधार पर डीपीआर तैयार करना आवश्यक है।

तदनुसार, डिस्कॉमों ने संबंधित वर्षों के लिए लागू अपने अद्यतन ग्रामीण विद्युतीकरण एवं द्वितीय प्रणाली नियोजन संगठन (रेस्पो¹⁰) की लागत अनुसूची को ध्यान में रखते हुए डीपीआर तैयार किए। इसके अतिरिक्त, योजना के दिशानिर्देश यह निर्धारित करते हैं कि कोई भी लागत संशोधन राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।

¹⁰ रेस्पो लागत सूची, सम्बन्धित वर्षों में सभी डिस्कॉमों में पायी गयी सामग्री एवं कार्य के लागत की अधिकतम दरों (सभी करों और स्थापना लागत इत्यादि को सम्मिलित करते हुए) के आधार पर तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संबंधित डिस्कॉमों की प्रबंध निदेशक समिति¹¹ ने सभी चार डिस्कॉमों के 19 चयनित नमूने के अन्तर्गत आने वाले जिलों में से 14 में डीपीआर में अनुमोदित दरों की तुलना में 16 से 58 प्रतिशत तक उच्च दर पर टर्नकी आधार पर कार्य प्रदान किए (परिशिष्ट-2.1.3)। जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषित किया गया, ऊँची दरों का मुख्य कारण, रेस्पो लागत अनुसूची की तुलना में सामग्री लागत का 21 से 67 प्रतिशत के मध्य अधिक होना (परिशिष्ट-2.1.4) एवं उपर्युक्त समितियों द्वारा निविदाएं आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी) में लागत अनुसूची की लागू दरों को सम्मिलित नहीं किया जाना था। सीवीसी द्वारा निर्गत दिशानिर्देश¹² यह भी प्रावधान करते हैं कि प्रस्ताव की स्वीकृति से पहले, उद्धृत दरों की तर्कसंगतता अनुमानित दरों एवं प्रचलित बाजार दरों के आधार पर स्थापित की जानी चाहिए। तथापि, डिस्कॉमों ने इतनी उच्च दरों (67 प्रतिशत तक) का औचित्य सिद्ध किए बिना अथवा पुनर्निविदा जैसे किसी अन्य विकल्प का प्रयोग किए बिना कार्य प्रदान किए। इससे ₹ 537.45 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ (परिशिष्ट-2.1.3)।

डिस्कॉमों ने कहा (मार्च 2018) कि निविदा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, ई-टेंडरिंग द्वारा टर्नकी आधार पर कार्य प्रदान किये गये थे। इसके अतिरिक्त, 11वीं पंचवर्षीय योजना योजना के अन्तर्गत किए कार्यों की संशोधित उच्च लागत आरईसी द्वारा अनुमोदित कर दी गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में, परियोजना की लागत को स्वीकृत सीमा में सीमित रखने के लिए बीओक्यू/कार्य के कार्यक्षेत्र को तदनुसार कम किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये डिस्कॉम उत्तर प्रदेश सरकार की विद्युतीकरण योजनाओं का निष्पादन करते हुए रेस्पो लागत अनुसूची का पालन करते हैं एवं आरजीजीवीवाई योजना भी उसी प्रावधान की व्यवस्था करती है। इसके अतिरिक्त, आरईसी ने पहले ही 10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प.वि.वि.नि.लि. की जेपी नगर परियोजना में परियोजना समापन के समय ₹ 4.22 करोड़ की इस ऐसी लागत वृद्धि हेतु अनुमति नहीं दी थी एवं इसलिए यह संभावना है कि इन प्रकरणों में भी आरईसी परियोजना समापन के समय लागत में वृद्धि को अस्वीकार कर देगी। परियोजना की लागत को ना बढ़ने देने के लिए बीओक्यू/कार्य के कार्यक्षेत्र को कम करना उचित नहीं है क्योंकि इसका तात्पर्य है कि परियोजना अंततः उल्लिखित लक्ष्यों को पूर्ण नहीं करेगी।

पीसीसी पोल के अतिरिक्त प्रावधान के कारण अतिरिक्त व्यय

2.1.24 आरईसी के दिशानिर्देश, परियोजना लागत में बाद में संशोधन से बचने के लिए, वास्तविक क्षेत्र सर्वेक्षण एवं अद्यतन रेस्पो लागत अनुसूची के आधार पर डीपीआर बनाने का प्रावधान करते हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि हर एक किलोमीटर में 17 पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट (पीसीसी) पोल स्थापित करने के डीपीआर के प्रावधान के सापेक्ष, म.वि.वि.नि.लि. ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गाँवों/मजराओं के विद्युतीकरण हेतु स्पर (ब्रांच) लाइन के लिए चार चयनित नमूने वाले जिलों में से तीन (लखनऊ, फैजाबाद एवं अम्बेडकरनगर) में 25 पीसीसी पोल प्रति किलोमीटर स्थापित किए हैं। इससे रेस्पो लागत अनुसूची के सापेक्ष, लागत बढ़ गयी एवं इससे ₹ 1.73 करोड़ के अतिरिक्त व्यय सहित 3,362 पीसीसी पोलों की अतिरिक्त स्थापना हुई।

¹¹ प्रबंध निदेशक समिति में सम्बन्धित डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक, निदेशक (तकनीकी), निदेशक (वित्त), मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक (वित्त) और मुख्य अभियंता (आरजीजीवीवाई) सम्मिलित होते हैं।

¹² 15 जनवरी 2002 को सीवीसी द्वारा सामान्य चूक/अनियमितताओं के संदर्भ में निर्गत दिशानिर्देशों में उल्लिखित दरों की तर्कसंगतता के सम्बन्ध में बिंदु संख्या 15 के अनुसार।

म.वि.वि.नि.लि. ने कहा (मार्च 2018) कि दो पोल के मध्य दूरी की सीमा को कम करके दुर्घटनाओं से बचने के लिए पोल की संख्या में वृद्धि की गयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अन्य डिस्कॉमों के साथ-साथ म.वि.वि.नि.लि. ने स्वयं अन्य जिलों में प्रति किलोमीटर 17 पीसीसी पोल स्थापित किए थे। इसके अतिरिक्त, म.वि.वि.नि.लि. ने दो पोल के मध्य दूरी की सीमा के कारण दुर्घटना होने का एक भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया, जहां म.वि.वि.नि.लि. ने पहले प्रति किलोमीटर 17 पीसीसी पोल स्थापित किए थे।

योजना के दिशानिर्देशों से विचलन के कारण राज्य के राजकोष पर बोझ

2.1.25 योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, डिस्कॉमों द्वारा तैयार किए गए डीपीआर एसएलएससी को इस वचन के साथ अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं कि डीपीआर में सम्मिलित कोई भी गाँव/मजरा किसी भी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं था। एसएलएससी द्वारा अनुमोदित डीपीआर, एमसी से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु, आरईसी को भेजे जाते हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि म.वि.वि.नि.लि. ने लखनऊ जिले के 1,991 गाँवों/मजरों के विद्युतीकरण के लिए मेसर्स ज्योति स्ट्रक्चरल लिमिटेड के साथ एक अनुबन्ध (दिसंबर 2014) निष्पादित किया था। कार्य की धीमी प्रगति (तीन प्रतिशत) के कारण मेसर्स ज्योति स्ट्रक्चरल लिमिटेड के अनुबन्ध को समाप्त कर दिया गया था (मई 2016) एवं योजना के अंतर्गत जिले को आच्छादित करने के लिए मेसर्स केईआई लिमिटेड के साथ एक नया अनुबन्ध निष्पादित (जून 2016) किया गया।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि एसएलएससी को दिए गए अपने वचन के विपरीत, अधीक्षण अभियंता वितरण मण्डल, लखनऊ ने राम मनोहर लोहिया योजना {(आरएमएल) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित} के अन्तर्गत ₹ 16.26 करोड़ की लागत से 107 गाँवों/मजरों (1,991 गाँवों/मजरों में से) का विद्युतीकरण (मई 2016) अनुमोदित किया, जिन्हें दिसंबर 2016 में विद्युतीकृत किया गया था। ये गाँव पहले से ही आरजीजीवीवाई योजना में आच्छादित थे। अधीक्षण अभियंता द्वारा आरएमएल योजना के अन्तर्गत 107 गाँवों के विद्युतीकरण हेतु दिया गया औचित्य, आरजीजीवीवाई योजना के अन्तर्गत अनुबन्ध का समाप्त होना (मई 2016) था। अधीक्षण अभियंता द्वारा दिया गया औचित्य स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मेसर्स ज्योति स्ट्रक्चरल लिमिटेड के अनुबन्ध को समाप्त करने से पूर्व आरएमएल योजना के अन्तर्गत कार्य आरम्भ करने से काफी पहले (मई 2016), आरजीजीवीवाई योजना के अन्तर्गत लखनऊ जिले के गाँवों/मजरों के विद्युतीकरण के कार्य हेतु पुनर्निविदा की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी (मार्च 2016)। इसलिए, यदि इन 107 मजरों का आरएमएल योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण नहीं किया गया होता, तो ये कार्य आरजीजीवीवाई योजना के अन्तर्गत मेसर्स केईआई लिमिटेड द्वारा किए जा सकते थे।

इस प्रकार, अधीक्षण अभियंता के अनियमित कार्य के कारण, उत्तर प्रदेश सरकार को ₹ 14.63 करोड़¹³ का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा, जो अन्यथा आरजीजीवीवाई योजना के अन्तर्गत उपलब्ध था। इसके अतिरिक्त, चूंकि आरएमएल योजना में बीपीएल परिवारों को निःशुल्क संयोजन अवमुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए इन 107 मजरों के 2,067 बीपीएल परिवार, जिन्हें आरजीजीवीवाई में निःशुल्क विद्युत संयोजन अवमुक्त किए जा सकते थे, वे निःशुल्क विद्युत संयोजन प्राप्त करने से भी वंचित रह गये।

म.वि.वि.नि.लि. ने कहा (मार्च 2018) कि ठेकेदार के अनुबन्ध को समाप्त करने के कारण, ग्रामीणों के अनुरोध पर शीघ्र विद्युतीकरण करने के लिए इन गाँवों को आरएमएल योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मार्च

¹³ ₹ 14.63 करोड़ = (₹ 16.26 करोड़ का 90 प्रतिशत)

2016 में इन 107 मजरों सहित सभी शेष मजरों के लिए पुनर्निविदा प्रक्रिया पहले ही प्रारम्भ कर दी गई थी।

विलम्बजनित क्षतिपूर्ति का आरोपण नहीं किया जाना

2.1.26 योजना के अन्तर्गत, अनुबन्ध के अनुसार यदि कोई ठेकेदार नियत समय (अनुबन्ध से 18/24 माह) के भीतर निर्दिष्ट कार्यों को करने में विफल रहता है तो अपूर्ण कार्यों के आधे प्रतिशत की दर से अधिकतम पाँच प्रतिशत तक विलम्बजनित क्षतिपूर्ति (एलडी) आरोपण योग्य है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि डिस्कॉम¹⁴ की 17 परियोजनाओं में, पूर्ण होने की निर्धारित तिथियों से एक से 24 माह तक विलम्ब था, परन्तु संबंधित डिस्कॉम के मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता (आरजीजीवीवाई), अनुबंधित फर्मों के बिलों से ₹ 43.87 करोड़ एलडी की कटौती करने में विफल रहे।

लेखापरीक्षा ने इसके अतिरिक्त पाया कि म.वि.वि.नि.लि. ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्धारित समय के भीतर (जुलाई 2015) कार्य निष्पादित करने में विफलता के कारण ठेकेदारों के बिलों से (फ़ैजाबाद के लिए मेसर्स एवरेस्ट इंडिया एवं अम्बेडकरनगर के लिए मेसर्स आईएल एण्ड एफएस) ₹ 3.23 करोड़ एलडी की कटौती की थी। इसके पश्चात, म.वि.वि.नि.लि. के प्रबंध निदेशक ने किसी भी कारण का उल्लेख किये बिना, ठेकेदारों को, कार्य पूर्णता अवधि को छः से आठ माह तक विस्तारित करके, ₹ 2.27 करोड़ एलडी राशि को वापस कर दिया था (मार्च 2017)।

इस प्रकार, निर्धारित अवधि के भीतर कार्यों को पूर्ण करने में विफल होने पर भी एलडी की कटौती न करके एवं पहले से ही कटौती की गई एलडी की वापसी करके, डिस्कॉमों के प्रबंधन ने ठेकेदारों को ₹ 46.14 करोड़ (₹ 43.87 करोड़ + ₹ 2.27 करोड़) का अनुचित लाभ दिया।

डिस्कॉमों ने कहा (मार्च 2018) कि एलडी की कटौती इसलिए नहीं की गयी क्योंकि समय विस्तार के प्रकरण आरईसी के पास लंबित थे। द.वि.वि.नि.लि. ने आगे कहा कि उसने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गए ₹ 25.12 करोड़ की कटौती योग्य राशि के सापेक्ष ₹ 15.22 करोड़ एलडी की कटौती कर ली है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एलडी को निर्धारित कार्य पूर्णता अवधि के समापन के तुरंत बाद काटा जाना था। इसके अतिरिक्त, आरईसी ने आज तक मांगा गया समय विस्तार प्रदान नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, एलडी की अनुचित वापसी के संबंध में म.वि.वि.नि.लि. द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

पीएमसी अनुबन्ध में दोषयुक्त प्रावधान

2.1.27 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 19 जिलों में पीएमसी कार्य करने के लिए म.वि.वि.नि.लि. एवं मेसर्स मेधज टेक्नो कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (पीएमसी) के मध्य ₹ 41.42 करोड़ के अनुबन्धित मूल्य पर एक अनुबन्ध निष्पादित (मार्च 2015) किया गया था। अनुबन्ध की राशि ₹ 41.42 करोड़ में से, ₹ 18.64 करोड़ टर्नकी ठेकेदारों (टीकेसी) द्वारा निष्पादित किये जा रहे कार्यों हेतु सामग्री निरीक्षण, भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता अनुश्रवण के लिए प्रदान किया गया था। पीएमसी को 24 समान मासिक किस्तों में भुगतान किया जाना था।

¹⁴ 11वीं पंचवर्षीय योजना: प.वि.वि.नि.लि.-3 परियोजनाएं एवं द.वि.वि.नि.लि.-3 परियोजनाएं; 12वीं पंचवर्षीय योजना: म. वि.वि.नि.लि.-2 परियोजनाएं, पू.वि.वि.नि.लि.-2 परियोजनाएं एवं द.वि.वि.नि.लि.-7 परियोजनाएं

लेखापरीक्षा ने पाया कि पीएमसी एवं म.वि.वि.नि.लि. के मध्य अनुबन्ध में पीएमसी के भुगतान को टीकेसी द्वारा कार्य की वास्तविक प्रगति के साथ जोड़ने के लिए कोई प्रावधान सम्मिलित नहीं था। 24 माह (मार्च 2017) पश्चात, विद्युतीकरण के लिए दिए गए 37,431 मजरों में से केवल 12,889 मजरे (34.43 प्रतिशत) टीकेसी द्वारा पूर्ण किए गए थे। तथापि, म.वि.वि.नि.लि. ने मासिक आधार पर पीएमसी को कुल अनुबंधित मूल्य ₹ 18.64 करोड़ (अप्रैल 2015 से मार्च 2017) का भुगतान कर दिया, यद्यपि भौतिक प्रगति मात्र 34.43 प्रतिशत थी।

इस प्रकार, पीएमसी के भुगतान को टीकेसी द्वारा निष्पादित कार्य की प्रगति के साथ न जोड़ने के परिणामस्वरूप पीएमसी को किसी भी वास्तविक भौतिक प्रगति के बिना ₹ 12.22 करोड़¹⁵ अवमुक्त हो गये।

म.वि.वि.नि.लि. ने कहा (मार्च 2018) कि पीएमसी ने डिस्कॉम के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में आवश्यक तकनीकी कर्मचारियों की तैनाती की थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि म.वि.वि.नि.लि. प्रबंधन ने फर्म के भुगतान को कार्य की भौतिक प्रगति के साथ जोड़ना सुनिश्चित नहीं किया था, जिसके कारण पीएमसी को वह कार्य जिसके लिए इसे नियुक्त किया गया था, किए बिना भुगतान हो गया। म.वि.वि.नि.लि., 10वीं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना की सभी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब से अच्छी तरह से अवगत था। इसलिए, परियोजनाओं के निष्पादन में टीकेसी द्वारा विलम्ब की दशा में उन्हें अपने हितों की सुरक्षा के लिए अनुबन्ध में एक सक्षम प्रावधान सम्मिलित करना चाहिए था। अनुबन्ध की अवधि पूर्ण होने के पश्चात, म.वि.वि.नि.लि. के पास शेष 65 प्रतिशत कार्य के लिए पीएमसी के विरुद्ध कोई विधिक रूप से लागू करने योग्य प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, प.वि.वि.नि.लि. (म.वि.वि.नि.लि. की सहयोगी कंपनी) ने पीएमसी को भुगतान की शर्तों को इस तरह से निश्चित किया था कि यदि टीकेसी द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है, तो पीएमसी को तीन माह के पश्चात कोई भुगतान नहीं किया जाएगा एवं इस तरह के भुगतान को तीन माह की अवधि के लिए ₹ 5.00 लाख तक सीमित कर दिया जाएगा।

2.1.28 द.वि.वि.नि.लि. ने आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 21 जिलों में परियोजनाओं के लिए पीएमसी के रूप में ₹ 10,100.00 प्रति गाँव (सेवा कर को छोड़कर) की दर से अनुबन्ध (जनवरी 2015) किया, जिसमें द.वि.वि.नि.लि. ने पीएमसी को कार्यकलाप आधारित भुगतान करना था। कार्यकलाप संख्या दो "सामग्री की तकनीकी विशिष्टियों के अनुसार सामग्री की गुणवत्ता का पूर्व-प्रेषण निरीक्षण व प्राप्त/स्थापित एवं विद्युतीकरण कार्यों में स्थापित सामग्री के भौतिक सत्यापन" के कार्य के लिए कुल अनुबन्ध मूल्य का 45 प्रतिशत (₹ 10,100 प्रति गाँव/मजरा में से ₹ 4,545 प्रति गाँव/मजरा) का भुगतान किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 21 जिलों में से चार जिलों (आगरा, मैनपुरी, इटावा एवं कन्नौज) जिनमें 6,668 गाँवों/मजरे थे, में द.वि.वि.नि.लि. द्वारा कार्यों (कार्य सितंबर 2013 से जनवरी 2016 की अवधि में प्रदान किए गए थे) को सेमी-टर्नकी आधार पर निष्पादित किया जा रहा था जिनमें सामग्री द.वि.वि.नि.लि. द्वारा क्रय की गई थी। अतः पूर्व-प्रेषण निरीक्षण के साथ-साथ सामग्री के भौतिक सत्यापन को कंपनी के अपने सामग्री प्रबंधन (एमएम) विंग द्वारा सुनिश्चित किया जाना था।

इसलिए, भुगतान अनुसूची की कार्यकलाप संख्या दो के लिए प्रदान की गई दर, अर्थात् ₹ 5,106.76 (₹ 4,545 व सर्विस टैक्स) प्रति गाँव/मजरा परिहार्य था। तथापि, द.वि.वि. नि.लि. के मुख्य अभियंता व अधीक्षण अभियंता (आरजीजीवीवाई विंग) चार जिलों के

द.वि.वि.नि.लि. ने दोषपूर्ण अनुबन्ध के कारण पीएमसी को ₹ 3.41 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया

¹⁵ ₹ 18.64 करोड़ - ₹ 6.42 करोड़ (₹ 18.64 करोड़ का 34.43 प्रतिशत)

6,668 गाँवों/मजरो के संबंध में कार्यकलाप संख्या दो को अनुबन्ध के कार्यक्षेत्र से अलग करने में विफल रहे एवं पीएमसी को ₹ 3.41 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया।

द.वि.वि.नि.लि. ने कहा (मार्च 2018) कि पीएमसी सामग्री का 100 प्रतिशत पूर्व प्रेषण निरीक्षण कर रहा था। उत्तर लेखापरीक्षा प्रेक्षण की पुष्टि करता है कि द.वि.वि.नि.लि. ने पीएमसी को स्वयं द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री का निरीक्षण करने की अनुमति दी एवं इसके लिए भुगतान किया, जबकि इसका अपना एमएम विंग सामग्री का अल्प अथवा बिना अतिरिक्त लागत के आसानी से निरीक्षण कर सकता था।

बैंक गारण्टी व कान्ट्रैक्ट परफॉरमेंस गारण्टी का अल्प संग्रहण एवं नगदीकरण में विफलता

2.1.29 परियोजनाओं के निष्पादन के लिए ठेकेदारों के साथ डिस्कॉमों द्वारा किए गए अनुबन्धों में यह व्यवस्था है कि अनुबन्ध के समय ठेकेदारों से कुल अनुबन्ध मूल्य के 15 प्रतिशत की बिना शर्त एवं अपरिवर्तनीय कान्ट्रैक्ट परफॉरमेंस गारण्टी (सीपीजी) प्राप्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त, ठेकेदारों को किसी भी मोबिलाईजेशन अग्रिम के सापेक्ष 110 प्रतिशत की बैंक गारण्टी (बीजी), इसके अवमुक्त होने से पहले जमा करनी होती है। डिस्कॉमों के मुख्य अभियंता (आरजीजीवीवाई) आवश्यक राशि की बीजी/सीपीजी प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- म.वि.वि.नि.लि. ने (अगस्त 2013) 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हरदोई व बहराइच जिलों के ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य मॉडर्न इंस्ट्रुमेन्ट लिमिटेड (ठेकेदार) को प्रदान दिया। म.वि.वि.नि.लि. ने आवश्यक राशि ₹ 6.71 करोड़ की बीजी प्राप्त की। तथापि, मुख्य अभियंता (आरजीजीवीवाई) ने सीपीजी के ₹ 16.65 करोड़ (आवश्यक ₹ 52.32 करोड़ – जमा ₹ 35.67 करोड़) का अल्प संग्रहण किया।

ठेकेदार ने जुलाई 2015 तक कार्य पूर्ण करने के लक्ष्य के सापेक्ष, हरदोई व बहराइच जिलों में क्रमशः 21.17 और 32.82 प्रतिशत कार्य निष्पादित किया (अप्रैल 2016 तक)। इस तथ्य के बावजूद कि कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि समाप्त हो गई थी, मुख्य अभियंता, आरजीजीवीवाई ने कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए दिसंबर 2015 से फरवरी 2016 की अवधि में चार अनुस्मारक निर्गत किए। इन अनुस्मारकों के पश्चात भी, फर्म का निष्पादन खराब रहा। अंत में, कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के आठ माह पश्चात, एमडी ने बीजी/सीपीजी का नगदीकरण किए बिना अनुबन्ध को समाप्त (01 अप्रैल 2016) कर दिया। एक माह से अधिक समय के बाद (06 मई 2016) प्रबंध निदेशक (एमडी) ने, किसी कारण का उल्लेख किए बिना ₹ 42.38 करोड़ (₹ 6.71 करोड़ की बीजी एवं ₹ 35.67 करोड़ की सीपीजी) की बीजी एवं सीपीजी की धनराशि के नकदीकरण को 14 मई 2016 तक विलम्बित करने का आदेश दिया। यद्यपि, 14 मई 2016 को नकदीकरण का समय विस्तार भी समाप्त हो गया था, म.वि.वि.नि.लि. ने 29 मई 2016 तक बीजी/सीपीजी का नकदीकरण नहीं किया। इस बीच, ठेकेदार 30 मई 2016 को उच्च न्यायालय, इलाहाबाद पहुँच गया और 16 जून 2016 को बीजी और सीपीजी के नकदीकरण के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। तथापि, बीजी की समय सीमा जनवरी 2017 में समाप्त हो गयी तथा मुख्य अभियंता, आरजीजीवीवाई म. वि.वि.नि.लि. ने इसके नवीनीकरण के लिए कोई प्रयास नहीं किया था।

- द.वि.वि.नि.लि. ने मेसर्स एक्यूरेट ट्रांसफार्मर (ठेकेदार) को 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आगरा एवं हाथरस जिलों के ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यों को, अगस्त 2016 तक पूर्ण करने के लिए क्रमशः ₹ 133.18 करोड़ व ₹ 103.48 करोड़ के अनुबंधित मूल्यों पर कार्य प्रदान (सितम्बर 2014) किया। निविदा प्रपत्रों एवं अनुबन्ध की शर्तों के प्रावधानों के अनुसार, फर्म को एलओआई निर्गत करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर बीजी/सीपीजी की पूर्ण राशि जमा करनी थी।

ठेकेदार ने द.वि.वि.नि.लि. से कार्य की गति बढ़ाने के आधार पर बीजी/सीपीजी की पूर्ण राशि जमा करने में शिथिलता प्रदान करने का अनुरोध किया, जिसे आरईसी ने अस्वीकृत (अक्टूबर 2014) कर दिया। आरईसी की अस्वीकृति होने पर भी, एमडी/मुख्य अभियंता ने निदेशक मण्डल से अनियमित रूप से अनुमोदन (मार्च 2015) प्राप्त किया, जो इस तरह की शिथिलता प्रदान करने के लिए सक्षम नहीं था। इस प्रकार की शिथिलता से ठेकेदार का ₹ 21.38 करोड़ की बीजी/सीपीजी (आगरा एवं हाथरस परियोजनाओं में ₹ 17.76 करोड़ की सीपीजी व हाथरस परियोजना में ₹ 3.62 करोड़ की बीजी) कम जमा करने में अनियमित रूप से पक्ष लिया गया। इसके अतिरिक्त, कार्य की धीमी प्रगति के कारण (एक प्रतिशत से 17.86 प्रतिशत), द.वि.वि.नि.लि. के प्रबंध निदेशक ने आगरा जिले के अनुबन्ध को समाप्त (फरवरी 2016) कर दिया एवं हाथरस जिले के अनुबन्ध को अवधि से पूर्व समाप्त (शार्ट क्लोज) कर दिया (सितंबर 2016)। यही नहीं, द.वि.वि.नि.लि. के मुख्य अभियंता (आरजीजीवीवाई) ने किसी कारण का उल्लेख किए बिना, आगरा परियोजना में अनुबन्ध को समाप्त करने के समय ₹ 4.06 करोड़ की बीजी (₹ 9.98 करोड़ की बीजी के सापेक्ष ₹ 5.92 करोड़ का संग्रहण) का अल्प संग्रहण किया। इसके अतिरिक्त, हाथरस परियोजना में, एमडी ने अनुबन्ध को अवधि से पूर्व समाप्त कर दिया, जिसे बीजी व सीपीजी के नगदीकरण को सम्मिलित करते हुए समाप्त करना चाहिए था। परिणामस्वरूप, द.वि.वि.नि.लि. ने ₹ 11.44 करोड़ की बीजी एवं सीपीजी का नगदीकरण न करके ठेकेदार का अनुचित पक्ष लिया।

डिस्कॉम चूककर्ता ठेकेदारों की ₹ 95.91 करोड़ की बीजी/सीपीजी का नगदीकरण न करके अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा करने में विफल रहा

इस प्रकार, बीजी/सीपीजी की पूर्ण राशि प्राप्त करने, बीजी/सीपीजी का नगदीकरण करने में आवश्यक कदम उठाने में उपेक्षा करके एवं अनुबन्ध को समाप्त करने के स्थान पर परियोजना को अवधि पूर्व समाप्त (शार्ट क्लोज) करने का आश्रय लेकर द.वि.वि.नि.लि. प्रबंधन अपने ₹ 36.88 करोड़ (₹ 21.38 करोड़ की सीपीजी की अल्प संग्रहीत राशि सम्मिलित करके) की राशि के वित्तीय हितों की सुरक्षा नहीं कर सका।

द.वि.वि.नि.लि. ने कहा (मार्च 2018) कि निदेशक मण्डल ने कार्य की गति बढ़ाने के लिए सीपीजी की पूर्ण राशि जमा करने में फर्म को आवश्यक शिथिलता (मार्च 2015) प्रदान की। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीपीजी की पूर्ण राशि जमा करने में शिथिलता प्रदान करना, आरईसी के शिथिलता प्रदान करने की अस्वीकृति के आदेश के विपरीत था। यही नहीं, फर्मों द्वारा किए गए कार्य की गति भी संतोषजनक नहीं थी। इसके अतिरिक्त, द.वि.वि.नि.लि. ने आगरा परियोजना में बीजी/सीपीजी के नगदीकरण में विफलता के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया एवं हाथरस परियोजना के अनुबन्ध को निरस्त करने के स्थान पर इसे अवधि पूर्व समाप्त (शार्ट क्लोज) करने का औचित्य भी प्रस्तुत नहीं किया।

• म.वि.वि.नि.लि. एवं द.वि.वि.नि.लि. की 10 परियोजनाओं में, फर्मों ने, ₹ 128.56 करोड़ की आवश्यक राशि के सापेक्ष ₹ 49.86 करोड़ की सीपीजी जमा की, जैसा कि परिशिष्ट-2.1.5 में विस्तृत रूप से दिया है। इस प्रकार, ₹ 78.70 करोड़ की सीपीजी के अल्प निक्षेप की अनुमति देकर, म.वि.वि.नि.लि. एवं द.वि.वि.नि.लि. के मुख्य अभियंता (आरजीजीवीवाई) ने योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया तथा ठेकेदारों का अनुचित पक्ष लिया। इसके अतिरिक्त, फर्मों की कार्य पूर्ण करने में विफलता के कारण अनुबन्धों को समाप्त करने के प्रकरण में डिस्कॉमों का हित भी दांव पर था।

म.वि.वि.नि.लि. एवं द.वि.वि.नि.लि. ने कहा (मार्च 2018) कि फर्मों को कार्य की प्रगति को तीव्र करने के लिए सीपीजी जमा करने में शिथिलता प्रदान की गई थी। तथापि, सीपीजी की शेष राशि को ठेकेदारों के बिलों से काटा जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अनुबन्ध के नियमों एवं शर्तों के अनुसार सीपीजी की पूर्ण राशि प्राप्त की जानी थी, जैसा कि आरईसी द्वारा भी निर्देशित/स्पष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि दोनो योजनाओं के अन्तर्गत दी गयी सभी परियोजनाओं को जुलाई 2015 से मार्च 2017

के मध्य पूर्ण किया जाना था, परन्तु बीजी/सीपीजी के संबंध में शिथिलता होने पर भी आज तक (मार्च 2018) कोई परियोजना पूर्ण नहीं हुई है।

अतिरिक्त बैंक गारण्टी जमा न करना

2.1.30 प.वि.वि.नि.लि. में आरजीजीवीवाई (12वीं पंचवर्षीय योजना) के अन्तर्गत ठेकेदारों को निर्गत, कार्य प्रदान करने की अधिसूचना (एनओए)/आशय पत्र (एलओआई) के नियम एवं शर्तों के अनुसार, ठेकेदारों को वितरण परिवर्तकों (डीटी) एवं ऊर्जा मीटरों की कुल लागत के 15 प्रतिशत की अतिरिक्त प्रतिभूति, अतिरिक्त बैंक गारण्टी (बीजी) के रूप में जमा करने की आवश्यकता थी। मुख्य अभियंता (आरजीजीवीवाई) आवश्यक राशि की अतिरिक्त बैंक गारण्टी प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि प.वि.वि.नि.लि. के 12 जिलों/परियोजनाओं के 51 टर्नकी/सेमी-टर्नकी अनुबन्धों में से 19 में, मुख्य अभियंता (आरजीजीवीवाई) ने डीटी एवं ऊर्जा मीटरों की आपूर्ति के सापेक्ष ठेकेदारों से ₹ 9.08 करोड़ की अतिरिक्त बीजी (दिसंबर 2014 से मार्च 2016) इस आधार पर प्राप्त नहीं की कि आवश्यक राशि ठेकेदार के रनिंग बिलों से काट ली जायेगी। चूंकि अतिरिक्त बीजी जमा करना अनुबन्ध के नियमों और शर्तों की आवश्यकता थी, जमा करने में शिथिलता की अनुमति के परिणामस्वरूप ठेकेदार को अनुचित लाभ मिला।

प.वि.वि.नि.लि. ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2018)।

संस्तुतियां:

1. परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी को नियंत्रित करने के लिए डिस्कॉम को सुधारात्मक उपाय करने चाहिए;
2. कार्य प्रदान करते समय डिस्कॉम को सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार दरों की तर्कसंगतता सुनिश्चित करनी चाहिए;
3. अनुबन्ध के नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम को अनुपालन की जाने वाली एक विस्तृत जांच सूची विकसित करनी चाहिए; तथा
4. विभाग, डिस्कॉम पदाधिकारियों द्वारा ठेकेदारों को प्रदान किये गये अनुचित लाभ की जांच सतर्कता के दृष्टिकोण से कर सकता है।

वित्तीय प्रबंधन

2.1.31 इस योजना का वित्त पोषण 90:10 आधार पर जिसमें भारत सरकार द्वारा पूँजी सब्सिडी एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने संसाधनों से या वित्तीय संस्थानों (आरईसी सहित) से ऋण के माध्यम से किया जाना था। डिस्कॉम के अनुरोध पर तथा स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात कि किसी विशेष किस्त को अवमुक्त करने के लिए निर्दिष्ट शर्तों का पालन किया गया था, आरईसी परियोजना लागत (बीपीएल संयोजन की लागत सहित) के सापेक्ष पाँच किस्तों (30, 20, 20, 20 और 10 प्रतिशत) में भारत सरकार की पूँजी सब्सिडी अवमुक्त करेगी, जैसा कि तालिका 2.1.6 में वर्णित है:

तालिका 2.1.6: 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में निधि अवमुक्त करने की व्यवस्था				
किस्त संख्या	संबंधित मजदूरों और बीपीएल परिवारों सहित गाँवों की प्रगति (प्रतिशत में)		अवमुक्त निधियां (प्रतिशत में)	
	प्रगति	संचयी प्रगति	किस्त राशि	संचयी किस्त
1	-	-	30	30
2	05	05	20	50
3	25	30	20	70

तालिका 2.1.6: 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में निधि अवमुक्त करने की व्यवस्था				
किस्त संख्या	संबंधित मजदूरों और बीपीएल परिवारों सहित गाँवों की प्रगति (प्रतिशत में)		अवमुक्त निधियां (प्रतिशत में)	
	प्रगति	संचयी प्रगति	किस्त राशि	संचयी किस्त
4	25	55	20	90
5	45	100	10	100

स्रोत: योजना के दिशानिर्देश

ब्याज का परिहार्य भार

2.1.32 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 2012-13 से 2016-17 की अवधि में डिस्कॉमों द्वारा प्राप्त करने योग्य पूँजी सब्सिडी, प्राप्त की गई सब्सिडी व ऋण तथा किए गए व्यय नीचे तालिका 2.1.7 में दिए गए हैं:

तालिका 2.1.7: भारत सरकार से पूँजी सब्सिडी और आरईसी से प्राप्त किए गए ऋण एवं व्यय का विवरण				
पंचवर्षीय योजना	प्राप्ति योग्य सब्सिडी (₹ करोड़ में)	प्राप्त हुई सब्सिडी (₹ करोड़ में)	आरईसी से लिया गया ऋण (₹ करोड़ में)	किया गया व्यय (₹ करोड़ में)
11 वीं	1,986.76 ¹⁶	1,968.51	201.85	1,995.83
12 वीं	3,277.26 ¹⁷	2,559.23	240.75	2,225.89
कुल	5,264.02	4,527.74	442.60	4,221.72

स्रोत : डिस्कॉम द्वारा दी गई सूचना

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि आरईसी से भारत सरकार की पूँजी सब्सिडी प्राप्त करने का पात्र होने पर भी डिस्कॉम प्रबंधन ने इसके स्थान पर आरईसी से ऋण प्राप्त किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि धन अवमुक्त करते समय, आरईसी ने पूँजी सब्सिडी के साथ ऋण सम्मिलित कर दिया, जिसका डिस्कॉमों ने विरोध नहीं किया। डिस्कॉमों द्वारा सब्सिडी के रूप में पहले से ही प्राप्त ₹ 4,527.74 करोड़ की निधि 31 मार्च 2017 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना में किए गए ₹ 1,995.83 करोड़ के व्यय एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में किए गए ₹ 2,225.89 करोड़ के व्यय की पूर्ति के लिए लगभग पर्याप्त थी। इस प्रकार, सब्सिडी की उपलब्धता होने पर भी ऋण का आहरण दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन का संकेतक था जिसके परिणामस्वरूप राजकोष पर ₹ 129.22 करोड़ (परिशिष्ट-2.1.6) के ब्याज का परिहार्य भार पड़ा।

डिस्कॉम ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार (मार्च 2018) किया।

वैध बैंक गारण्टी के बिना मोबिलाइजेशन अग्रिम अवमुक्त करना

2.1.33 म.वि.वि.नि.लि. ने मेसर्स आईवीआरसीएल लिमिटेड, हैदराबाद (फर्म) के साथ 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उन्नाव जिले के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए ₹ 394.36 करोड़ (सामग्री की आपूर्ति के लिए ₹ 322.46 करोड़ सम्मिलित करके) के अनुबन्धित मूल्य के लिए एक अनुबन्ध पर हस्ताक्षर (अक्टूबर 2013) किए। अनुबन्ध में प्रावधानित था कि अनुबन्ध मूल्य की सामग्रियों की आपूर्ति के एक्स वर्क मूल्य घटक का 10 प्रतिशत, प्रारंभिक मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में 12 प्रतिशत की ब्याज दर पर भुगतान किया जाएगा एवं पहले पाँच बिलों से वसूल किया जाएगा। मोबिलाइजेशन

¹⁶ 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्ति योग्य सब्सिडी राशि = (कुल स्वीकृत लागत ₹ 4,415.02 करोड़ x 90 प्रतिशत) का 50 प्रतिशत = ₹ 1,986.76 करोड़

¹⁷ 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्ति योग्य सब्सिडी राशि = (कुल स्वीकृत लागत ₹ 7,282.81 करोड़ x 90 प्रतिशत) का 50 प्रतिशत = ₹ 3,277.26 करोड़

अग्रिम केवल मोबिलाइजेशन अग्रिम की राशि की 110 प्रतिशत के बराबर, 18 माह अथवा मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली तक वैध एक शर्त रहित एवं अखण्डनीय बैंक गारण्टी (बीजी) की प्रस्तुति के बाद देय था। फर्म ने 20 नवंबर 2013 को चार्टर्ड मर्केंटाइल एम.बी. लिमिटेड, लखनऊ (सीएमएमबी), जो कि म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी थी, न कि बैंक, पर आहरित ₹ 35.47 करोड़ (आपूर्ति के भाग के 10 प्रतिशत का 110 प्रतिशत) की एक बीजी प्रस्तुत की।

म.वि.वि.नि.लि. ने वैध बीजी के बिना मोबिलाइजेशन अग्रिम अवमुक्त किया जिसके कारण ₹ 13.83 करोड़ की वसूली नहीं हुई

लेखापरीक्षा ने पाया कि सीएमएमबी से पूर्व सूचना (28 दिसंबर 2013) की प्राप्ति के बावजूद कि फर्म के पक्ष में निर्गत बीजी को आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण न करने के कारण रद्द कर दिया गया था, म.वि.वि.नि.लि. के मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियंता (आरजीजीवीवाई) ने फर्म को ₹ 13.83 करोड़ का मोबिलाइजेशन अग्रिम अवमुक्त (03 जनवरी 2014) कर दिया। इसके अतिरिक्त, म.वि.वि.नि.लि. को 25 अगस्त 2014 को अनुबन्ध को समाप्त करना पड़ा क्योंकि कंपनी ने मोबिलाइजेशन अग्रिम प्राप्त करने की तिथि से सात माह तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया।

लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को स्वीकार करते हुए, म.वि.वि.नि.लि. ने कहा (मार्च 2018) कि लेखापरीक्षा प्रेक्षण के पश्चात फर्म को अवमुक्त ₹ 13.83 करोड़ में से ₹ 11.86 करोड़, म.वि.वि.नि.लि. में आरजीजीवीवाई के 10वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित, फर्म के लंबित बिलों के सापेक्ष समायोजित (सितंबर 2017) कर दिया गया था एवं शेष राशि द.वि.वि. नि.लि. के आरजीजीवीवाई के 10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत (10वीं पंचवर्षीय योजना के सापेक्ष ₹ 35.13 करोड़), संबंधित फर्म के लंबित बिलों के सापेक्ष समायोजित कर दी जाएगी। तथापि, तथ्य यह है कि म.वि.वि.नि.लि. ने फर्म को अनुचित लाभ प्रदान करते हुए आवश्यक बैंक गारण्टी के बिना अग्रिम अवमुक्त किया।

संस्तुति:

विभाग, सतर्कता दृष्टिकोण से म.वि.वि.नि.लि. पदाधिकारियों की संदिग्ध मिलीभगत की जांच कर सकता है।

योजना निधि पर अर्जित विविध आय का अनियमित प्रतिधारण

2.1.34 योजना के दिशानिर्देश प्रावधानित करते हैं कि योजना के समर्पित बैंक खातों में निधियों का रखरखाव किया जाएगा। समर्पित बैंक खाते में ₹ 50.00 लाख से अधिक की निधि को बैंक द्वारा स्वचालित रूप से सावधि जमा के रूप में बनाए रखा जाएगा तथा डिस्कॉमों को किसी भी अन्य बैंक में निधि का निवेश नहीं करना चाहिए। अप्रयुक्त राशि पर अर्जित ब्याज को आरजीजीवीवाई निधि के रूप में माना जाएगा और योजना निधि खाते में जमा किया जाएगा। इस प्रकार, योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप, मोबिलाइजेशन अग्रिम पर अर्जित ब्याज, हरण की गयी बीजी/सीपीजी एवं अर्नेस्ट मनी को योजना निधि खाते में प्रेषित किया जाना चाहिए।

डिस्कॉमों ने योजना निधि पर ब्याज तथा हरण की गयी अर्नेस्ट मनी, बीजी/सीपीजी के रूप में अर्जित ₹ 61.17 करोड़ की आय को भारत सरकार को भेजने के स्थान पर प्रतिधारित कर लिया

लेखापरीक्षा ने पाया कि डिस्कॉम ने ₹ 61.17 करोड़ के अप्रयुक्त धन/मोबिलाइजेशन अग्रिम पर अर्जित ब्याज एवं सीपीजी/अर्नेस्ट मनी की हरण की गयी राशि को योजना निधि खाते में अन्तरित नहीं किया (मार्च 2017) एवं इसके स्थान पर इन निधियों को अपनी आय के रूप में माना है जैसा कि तालिका 2.1.8 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1.8: योजना निधि पर अर्जित विविध आय का विवरण						
(₹ करोड़ में)						
क्र० सं०	विवरण	डिस्कॉम				कुल
		म.वि.वि.नि. लि.	पू.वि.वि.नि. लि.	प.वि.वि.नि. लि.	द.वि.वि.नि.लि.	
1	मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज (11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना)	11.73	20.29	--	4.41	36.43

तालिका 2.1.8: योजना निधि पर अर्जित विविध आय का विवरण						
(₹ करोड़ में)						
क्र० सं०	विवरण	डिस्कॉम				कुल
		म.वि.वि.नि. लि.	पू.वि.वि.नि. लि.	प.वि.वि.नि. लि.	द.वि.वि.नि.लि.	
2	योजना की अप्रयुक्त निधि पर ब्याज (11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना)	--	2.65	0.68	--	3.33
3	हरण की गई अर्नेस्ट मनी की धनराशि	1.21	--	--	1.30	2.51
4	कान्ट्रैक्ट परफॉरमेंस गारण्टी की हरण की गई राशि	--	--	--	18.90	18.90
	कुल	12.94	22.94	0.68	24.61	61.17

स्रोत : डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं विवरण

डिस्कॉमों ने लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को स्वीकार किया (मार्च 2018) तथा लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित करने के पश्चात द.वि.वि.नि.लि. ने योजना निधि में ₹ 23.31 करोड़ जमा कर दिया। तथापि, ₹ 37.86 करोड़ की शेष राशि अभी भी योजना निधि में जमा होने के लिए लंबित थी।

इसके अतिरिक्त, योजना के प्रावधानों के अनुसार, योजना के अप्रयुक्त धन पर अर्जित ब्याज पर आयकर अधिनियम की धारा 197 के अन्तर्गत आयकर की कटौती नहीं की जानी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि म.वि.वि.नि.लि. तथा द.वि.वि.नि.लि. के निदेशक (वित्त) एवं महाप्रबंधक (वित्त) ने उपरोक्त प्रावधान बैंकों के संज्ञान में नहीं लाए। परिणामस्वरूप, बैंकों ने 2014-15 तथा 2016-17 की अवधि में क्रमशः म.वि.वि.नि.लि. एवं द.वि.वि.नि.लि. द्वारा योजना निधि पर अर्जित ब्याज से ₹ 10.51 लाख तथा ₹ 2.46 करोड़ का आयकर काट लिया।

राज्य सरकार से मूल्य वर्धित कर, कार्य अनुबन्ध कर तथा श्रम उपकर का दावा न करना

2.1.35 योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए पूँजी सब्सिडी, राज्य अथवा स्थानीय करों की राशि को छोड़कर जिसे संबंधित राज्य/राज्य उपक्रम द्वारा वहन करना था, परियोजनाओं की लागत के 90 प्रतिशत की दर से प्रदान की जानी थी। तदनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश (मार्च 2014) दिया कि ये कर डिस्कॉमों को प्रतिपूर्ति योग्य थे। उपरोक्त दिशानिर्देशों एवं सरकारी आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित डिस्कॉमों के मुख्य अभियंता (आरजीजीवीवाई) तथा निदेशक/महाप्रबंधक (वित्त) उत्तरदायी थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- योजना निधि से ठेकेदारों को भुगतान करते समय, सभी चार डिस्कॉमों ने 2012-17 की अवधि में ₹ 120.97 करोड़¹⁸ का मूल्य वर्धित कर (वैट) एवं कार्य अनुबन्ध कर (डब्ल्यूसीटी) काटा तथा वाणिज्यिक कर विभाग में जमा किया। तथापि, डिस्कॉम राज्य सरकार से इन करों की प्रतिपूर्ति का दावा करने में विफल रहे।

- 17 जिलों में द.वि.वि.नि.लि. ने ठेकेदारों से सामग्र की लागत तथा वैट को अलग-अलग प्रदर्शित करने वाले बिल जमा करने के लिए कहने के स्थान पर 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आपूर्ति बिलों, जिनमें वैट को अलग से नहीं दिखाया गया था के सापेक्ष ₹ 397.84 करोड़ का भुगतान, अवमुक्त कर दिया। परिणामस्वरूप, द.वि.वि.नि.लि. राज्य सरकार से वैट के रूप में दावा की जाने वाली राशि से अनभिज्ञ रहा तथा

डिस्कॉमों की निष्क्रियता के कारण राज्य सरकार से कुल ₹ 139.57 करोड़ के राज्य करों की प्रतिपूर्ति नहीं हुई

¹⁸ म.वि.वि.नि.लि.- ₹ 45.23 करोड़, पू.वि.वि.नि.लि.- ₹ 63.80 करोड़, प.वि.वि.नि.लि.- ₹ 11.07 करोड़ और द.वि.वि.नि.लि.- ₹ 0.87 करोड़

इसलिए, ₹ 15.30 करोड़ (वैट के चार प्रतिशत की निम्न दर संज्ञान में लेते हुए) की वैट की प्रतिपूर्ति से वंचित रहा।

• 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत द.वि.वि.नि.लि., पू.वि.वि.नि.लि. एवं म.वि.वि.नि.लि. ने ठेकेदारों के रनिंग बिलों से ₹ 2.69 करोड़ के श्रम उपकर की कटौती की एवं इसे जमा किया। तथापि, डिस्कॉम राज्य सरकार से श्रम उपकर पाने में विफल रही।

इस प्रकार, मुख्य अभियंता (आरजीजीवीवाई) एवं निदेशक/महाप्रबंधक (वित्त), कुल ₹ 139.57 करोड़ के राज्य करों/लेवी का दावा करने में विफल रहे।

डिस्कॉमों ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार (मार्च 2018) किया।

ठेकेदारों के बिलों से श्रम उपकर की अल्प कटौती

2.1.36 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अनुसार, निष्पादन एजेंसी को परियोजनाओं की कुल लागत के एक प्रतिशत की दर से श्रम उपकर काटना चाहिए तथा इसे भुगतान की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर श्रम उपकर प्राधिकारियों के पास जमा किया जाना चाहिए। संबंधित डिस्कॉमों के निदेशक (वित्त) एवं महाप्रबंधक (वित्त) को उपर्युक्त प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी चार डिस्कॉमों ने विभिन्न ठेकेदारों को ₹ 4,221.72 करोड़ का भुगतान किया तथा ₹ 42.21 करोड़ की आवश्यक राशि के सापेक्ष ₹ 2.69 करोड़ की श्रम उपकर कटौती की, जिससे ठेकेदारों के बिलों से ₹ 39.52 करोड़¹⁹ की अल्प कटौती हुई।

डिस्कॉम ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार (मार्च 2018) किया।

निधि का अपयोजन

2.1.37 योजना के दिशानिर्देशों के अन्तर्गत योजना के उद्देश्य से परे निधि का अपयोजन निषेध था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि म.वि.वि.नि.लि. एवं द.वि.वि.नि.लि. के प्रबंध निदेशकों (एमडी) ने उन कार्यों हेतु भी निधि के उपयोग को अनुमोदित किया, जो योजना के अन्तर्गत आरईसी द्वारा अनुमोदित डीपीआर का हिस्सा नहीं थे, जैसा कि नीचे तालिका 2.1.9 में चर्चा की गयी है:

तालिका 2.1.9: योजना निधि के अपयोजन का विवरण		
डिस्कॉमों के नाम	धनराशि (₹करोड़ में)	अपयोजन का उद्देश्य/कारण
म.वि.वि.नि.लि.	3.92	एमडी के कैंप कार्यालय, पाँच जिलों ²⁰ के वितरण/परीक्षण खण्डों के निजी भवनों का निर्माण और 33/11 केवी सब-स्टेशनों का विस्तारीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु, जो की इस योजना में सम्मिलित नहीं थे
म.वि.वि.नि.लि.	1.24	आरएपीडीआरपी योजना में बीको लारी को दिए गए ₹ 2.61 करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम का आरजीजीवीवाई निधि से समायोजन
द.वि.वि.नि.लि.	5.47	डिस्कॉमों के अपने भवन, मुख्य अभियंता के कार्यालय, निवास और अन्य फील्ड कार्यालयों के भवन के निर्माण हेतु
योग	10.63	

स्रोत : डिस्कॉम के द्वारा दी गयी सूचना

¹⁹ म.वि.वि.नि.लि.- ₹ 16.06 करोड़, पू.वि.वि.नि.लि.- ₹ 12.41 करोड़, प.वि.वि.नि.लि.- ₹ 3.98 करोड़ और द.वि.वि.नि.लि. - ₹ 7.07 करोड़

²⁰ रायबरेली, बहराइच, फैजाबाद, बरेली और उन्नाव

इस प्रकार, डिस्कॉमों के एमडी ने अनियमित रूप से योजना के अन्तर्गत सम्मिलित न किए गए उद्देश्यों के लिए ₹ 10.63 करोड़ की योजना निधि का अनियमित रूप से अपयोजन किया।

निधि का अनियमित अंतर्गर्त अपयोजन

2.1.38 योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, डिस्कॉमों को 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत समर्पित बैंक खातों को खोलना था। डिस्कॉमों के अनुरोध करने पर, आरईसी को इन समर्पित बैंक खातों में धन अवमुक्त करना था। कुछ निश्चित शर्तों के पूर्ण होने पर, डिस्कॉमों को एक परियोजना हेतु निर्धारित निधि को संबंधित डिस्कॉम के उसी योजना की अन्य परियोजना में प्रयोग की अनुमति थी। निधि का अंतर्गर्त अपयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरईसी के अनुमोदन के बिना:

- म.वि.वि.नि.लि. के एमडी ने निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के ठेकेदारों को भुगतान की देयता को समाप्त करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के समर्पित खाते से अप्रैल 2016 से जून 2016 की अवधि में ₹ 59.45 करोड़ का अपयोजन किया। तथापि, जून 2016 से अक्टूबर 2016 की अवधि में ₹ 39.03 करोड़ 11वीं पंचवर्षीय योजना के खाते में वापस कर दिया गया था। शेष ₹ 20.42 करोड़ की धनराशि अभी भी वापसी हेतु (मार्च 2017) शेष थी।

- द.वि.वि.नि.लि. के एमडी ने भी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए ₹ 22.00 करोड़ का अपयोजन 12वीं पंचवर्षीय योजना के समर्पित खाते से 11वीं पंचवर्षीय योजना के खाते में किया। 12वीं पंचवर्षीय योजना के खाते में यह धनराशि अभी तक (अप्रैल 2017) वापस नहीं की गई थी।

योजना के अन्तर्गत अंतर्गर्त अपयोजन पर प्रतिबंधों के बावजूद, डिस्कॉमों ने 11वीं पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना में एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना से 11वीं पंचवर्षीय योजना में निधियों का अपयोजन किया, जिनमें से ₹ 42.42 करोड़ अभी भी (अप्रैल 2017) संबंधित योजना के खाते में वापस प्रेषित किये जाने हेतु शेष थे।

डिस्कॉमों ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (मार्च 2018)।

संस्तुति:

डिस्कॉमों को निधि प्रबंधन से संबंधित योजना के दिशानिर्देशों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए।

योजना का निष्पादन

2.1.39 योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य डिस्कॉमों द्वारा योजना में लगाये गए ठेकेदारों को आशय पत्र (एलओआई) निर्गत करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाना था। डिस्कॉमों के प्रबंध निदेशक, योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए, नियंत्रण तंत्र स्थापित किये जाने हेतु उत्तरदायी थे। योजना के लक्ष्यों/उद्देश्यों की प्राप्ति में एवं नियंत्रण तंत्र में देखी गई कमियों की नीचे चर्चा की गई है:

बीपीएल संयोजन के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफलता

2.1.40 इस योजना में बीपीएल परिवारों को निःशुल्क विद्युत संयोजन दिए जाने की व्यवस्था थी। भारत सरकार ने संयोजन अवमुक्त करने की लागत के लिए 100 प्रतिशत

सब्सिडी प्रदान की। 31 मार्च 2017 को बीपीएल को अवमुक्त किये गए संयोजनों की स्थिति को तालिका 2.1.10 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1.10: बीपीएल परिवारों को दिए जाने वाले विद्युत संयोजन की स्थिति					
पंचवर्षीय योजना	डिस्कॉमों के नाम	परियोजनाओं/ जिलों की संख्या	डीपीआर के अनुसार निर्गत किए जाने वाले बीपीएल संयोजनों की संख्या	अवमुक्त किए गए बीपीएल संयोजन की संख्या	कमी (प्रतिशत में)
11वीं	द.वि.वि.नि.लि.	03	58,617	9,692	83.47
	पू.वि.वि.नि.लि.	07	3,08,241	1,74,102	43.52
	प.वि.वि.नि.लि.	03	1,07,717	18,046	83.25
	म.वि.वि.नि.लि.	09	3,82,742	2,42,642	36.60
उप-योग		22	8,57,317	4,44,482	48.15
12वीं	द.वि.वि.नि.लि.	21	8,69,064	1,10,805	87.25
	पू.वि.वि.नि.लि.	17	9,67,707	4,27,775	55.79
	प.वि.वि.नि.लि.	12	2,55,146	67,624	73.50
	म.वि.वि.नि.लि.	14	11,72,268	1,05,583	91.99
उप-योग		64	32,64,185	7,11,787	78.19
कुल योग			41,21,502	11,56,269	71.95

स्रोत : डिस्कॉमों के द्वारा दी गयी प्रगति रिपोर्टें एवं सूचना

डिस्कॉम 41.21 लाख बीपीएल संयोजन दिए जाने के लक्ष्य के सापेक्ष 29.65 लाख बीपीएल परिवारों को संयोजन प्रदान करने में असफल रहे

दोनों योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाओं के पूर्ण किये जाने की निर्धारित तिथियां क्रमशः सितंबर 2015 और मार्च 2017 में समाप्त हो गईं। तथापि, 41.21 लाख संयोजन के लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 11.56 लाख (28.05 प्रतिशत) बीपीएल संयोजन प्रदान किए गए थे, एवं मार्च 2017 तक 29.65 लाख बीपीएल परिवार (71.95 प्रतिशत) अभी भी विद्युत तक पहुंच से वंचित थे। बीपीएल संयोजन अवमुक्त करने के लक्ष्य की प्राप्ति न होने का मुख्य कारण, कार्यों को प्रदान करने, ठेकेदारों द्वारा वास्तविक स्थल सर्वेक्षण एवं ठेकेदारों द्वारा सामग्रियों की आपूर्ति में विलम्ब इत्यादि थे।



एक ही ग्रामीण परिवार के घर में स्थापित दो मीटरों को दर्शाने वाला चित्र

डिस्कॉमों ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (मार्च 2018)।

लेखापरीक्षा ने इसके अतिरिक्त देखा कि, म.वि.वि.नि.लि. के अम्बेडकरनगर जिले में कुल 44,660 बीपीएल संयोजन अवमुक्त किए जाने थे, लेकिन फर्म (आईएल एंड एफएस) ने 69,000 बीपीएल संयोजन अवमुक्त किए। अतिरिक्त 24,340 संयोजनों के अवमुक्त किये जाने का मुख्य कारण उन बीपीएल उपभोक्ताओं को संयोजन निर्गत करना था, जिनके पास पहले से ही संयोजन

था एवं बीपीएल उपभोक्ताओं को बिना वास्तविक संयोजन दिए बिलों को निर्गत करना था। चूंकि संबंधित खंडों के अवर अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरान्त प्रतिवेदन के आधार पर संयोजन अवमुक्त किए जाते हैं, अतः पहले से ही संयोजन प्राप्त उपभोक्ताओं को पुनः संयोजन अवमुक्त करने के लिए क्षेत्रीय इकाइयों के अवर अभियंता उत्तरदायी थे।

अतः, प्रथम दृष्टया ही, इंगित हुआ कि खंडों ने फर्मों को अवमुक्त किए जाने वाले संयोजनों की संख्या के सापेक्ष जानबूझकर अपने दावे को बढ़ाने के लिए बिना उचित प्रक्रिया का पालन किये संयोजन अवमुक्त करने की अनुमति दी। इसके अतिरिक्त, मण्डल के अधीक्षण अभियंता यह सुनिश्चित करने के लिए कि संयोजनों को केवल गैर-विद्युतीकृत बीपीएल परिवारों को ही अवमुक्त किया गया था, एक अनुश्रवण तंत्र विकसित करने में असफल रहे। इस प्रकार, आवंटित मात्रा से अधिक 24,340 संयोजन अवमुक्त करने की प्रमाणिकता संदिग्ध है एवं ठेकेदार को किए गए ₹ 5.35 करोड़ (24,340 x ₹ 2,200 प्रति संयोजन) का भुगतान अनियमित था एवं इसका औचित्य दिए जाने की आवश्यकता थी।

म.वि.वि.नि.लि. ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (मार्च 2018)।

ग्रामीण परिवारों को विद्युत संयोजन अवमुक्त न किया जाना

2.1.41 योजना का मुख्य उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों (आरएचएच) को विद्युत की पहुंच प्रदान करना था। अनुमोदित डीपीआर एवं फर्मों को निर्गत किए गए एलओआई के अनुसार, सभी चार डिस्कॉमों ने ग्रामीण परिवारों (बीपीएल के अतिरिक्त) के संयोजित किए जाने वाले भार को ध्यान में रखते हुए योजना के अन्तर्गत स्थापित किए जाने वाले वितरण परिवर्तकों (डीटी) की गणना की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुमोदित डीपीआर में प्रावधान के बावजूद, डिस्कॉमों ने इन ग्रामीण परिवारों (बीपीएल के अतिरिक्त) को संयोजन अवमुक्त करने के लिए कोई पहल नहीं की। इन डिस्कॉमों की चयनित 19 परियोजनाओं में, 31,69,925 ग्रामीण परिवारों (बीपीएल को छोड़कर) को विद्युतीकृत किया जाना था, जिसके सापेक्ष केवल 19,48,218 ग्रामीण परिवार (61 प्रतिशत) विद्युतीकृत किए जा सके। ग्रामीण परिवारों को कम संयोजन अवमुक्त करने का मुख्य कारण यह था कि पीएमसी के साथ अनुबन्ध में बीपीएल संयोजनों के अनुश्रवण हेतु प्रावधान होने के बावजूद, डिस्कॉमों ने बीपीएल परिवारों के अतिरिक्त अन्य संयोजनों के अनुश्रवण हेतु कोई भी समान तंत्र विकसित नहीं किया था।

डिस्कॉमों ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (मार्च 2018)।

संस्तुति:

डिस्कॉमों को सभी ग्रामीण परिवारों (बीपीएल परिवारों सहित) को विद्युत की उपलब्धता प्रदान करने के योजना के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय-सीमा में परियोजनाओं को पूर्ण करना सुनिश्चित करना चाहिए एवं डुप्लिकेट संयोजन से बचने के लिए आधार कार्ड से जुड़े बीपीएल संयोजन अवमुक्त करना भी सुनिश्चित करना चाहिए।

ऊर्जा मीटर की स्थापना पर निरर्थक व्यय

2.1.42 योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रावधानित था कि बीपीएल ग्रामीण परिवारों को विद्युत संयोजन निःशुल्क अवमुक्त किया जाएगा, जिसके लिए डिस्कॉमों को उपभोक्ताओं के परिसर में स्थापित किये जाने वाले मीटर की लागत सहित पूंजी सब्सिडी अलग से प्रदान की जायेगी। वितरण खंड के अधिशासी अभियंता को यह सुनिश्चित करना था कि उपभोक्ताओं को बिल वास्तविक मीटर रीडिंग के अनुसार निर्गत किए जाएं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 19 नमूना परीक्षण वाले जिलों में, बीपीएल उपभोक्ताओं के परिसर में 3,29,930 ऊर्जा मीटर स्थापित किए गए थे। परन्तु मानवशक्ति की कमी के कारण, संबंधित वितरण खंडों द्वारा इन उपभोक्ताओं की बिलिंग अभी भी वास्तविक मीटर रीडिंग के बिना अस्थायी आधार पर की जा रही थी। इस प्रकार, ऊर्जा की वास्तविक खपत के आधार पर बिल बनाने के लिए मीटरों की स्थापना का उद्देश्य विफल हो गया था एवं मीटरों की स्थापना पर किया ₹ 29.14 करोड़ का व्यय अनुत्पादक सिद्ध हुआ था।

डिस्कॉमों ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (मार्च 2018) एवं कहा कि मीटर रीडिंग लेने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

लेखापरीक्षा ने, इसके अतिरिक्त पाया (अप्रैल 2017) कि, द.वि.वि.नि.लि. में, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 20,574 बीपीएल संयोजन अवमुक्त किए गए थे लेकिन किसी भी संयोजन का विवरण खाता बही में सम्मिलित नहीं किया गया था। पू.वि.वि.नि. लि. में, 12वीं पंचवर्षीय योजना में 69,723 बीपीएल संयोजन अवमुक्त किए थे, जिनमें से केवल 26,681 बीपीएल संयोजन, उपभोक्ता खाता बही में सम्मिलित किए जा सके थे, एवं 43,042 संयोजन उपभोक्ता खाता बही में सम्मिलित किए जाने की प्रतीक्षा में थे। संबंधित वितरण खण्डों के द्वारा उपभोक्ता खाता बही में संयोजन को सम्मिलित ना किये जाने के कारण, बिलों को अस्थायी आधार पर भी निर्गत नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम ₹ 1.15 करोड़ (63,616 x ₹ 180 प्रति संयोजन) प्रतिमाह के राजस्व की वसूली नहीं हो पायी थी।

पू.वि.वि.नि.लि. ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (मार्च 2018) एवं कहा कि संयोजन विवरण उपभोक्ता खाता बही में सम्मिलित किए जा रहे हैं। द.वि.वि.नि.लि. ने भी लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं तब से सुधारात्मक कार्यवाही की है।

वितरण परिवर्तकों पर मीटर की स्थापना पर निरर्थक व्यय

2.1.43 ऊर्जा लेखांकन, लेखापरीक्षा और वाणिज्यिक हानियों की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए, योजना के अन्तर्गत विद्युतीकृत गाँवों में वितरण परिवर्तकों (डीटी) पर मीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता थी। संबंधित मण्डलों/वितरण खण्डों के अधीक्षण अभियंताओं/अधिशायी अभियंताओं को यह सुनिश्चित करना था कि डीटी पर स्थापित मीटरों के माध्यम से ऊर्जा लेखांकन किया जा रहा था।

डीटी मीटरों की स्थापना पर किया गया व्यय ₹ 5.78 करोड़, निरर्थक सिद्ध हुआ क्योंकि मीटर रीडिंग नहीं ली जा रही थी

लेखापरीक्षा ने देखा कि लेखापरीक्षा में सम्मिलित 19 जिलों में, डीटी पर 36,881 ऊर्जा मीटर स्थापित किए गए थे। तथापि, मानवशक्ति की कमी के कारण, मण्डलों/वितरण खण्डों के द्वारा परिवर्तक वार ऊर्जा लेखांकन, लेखापरीक्षा तथा ऊर्जा हानि की जांच नहीं की जा रही थी। इस प्रकार, डीटी मीटरों की स्थापना का उद्देश्य विफल हो गया था एवं ₹ 5.78 करोड़ के इन डीटी मीटरों की स्थापना पर किये गये निवेश का उत्पादक उपयोग किया जाना शेष था।

डिस्कॉमों ने प्रेक्षण (मार्च 2018) को स्वीकार किया और कहा कि कर्मचारियों की कमी के कारण, मीटर रीडिंग नहीं ली जा सकी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि किसी भी फील्ड स्टाफ को लगाए बिना मीटर रीडिंग स्वचालित रूप से लेने के लिए पारंपरिक मीटर के स्थान पर स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा सकते थे।

संस्तुति:

डिस्कॉम डीटी सहित उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों हेतु स्मार्ट मीटर स्थापित किये जाने पर विचार कर सकते हैं।

योजना का गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र

2.1.44 योजना के अन्तर्गत परियोजनाएं त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के अधीन हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सामग्रियों का उपयोग किया जाता है तथा कार्यशैली निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप है। गुणवत्ता नियंत्रण का प्रथम स्तर (पूर्ण हो गए गाँवों/मजराओं का 50 प्रतिशत) डिस्कॉमों द्वारा तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी (टीपीआईए) नियुक्त करके, द्वितीय स्तर (पूर्ण हो गए गाँवों/मजराओं का 20 प्रतिशत) आरईसी गुणवत्ता मॉनीटर (आरक्यूएम) द्वारा एवं तृतीय स्तर का गुणवत्ता नियंत्रण (पूर्ण

हो गए गाँवों/मजरों का एक प्रतिशत) ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटर (एनक्यूएम) द्वारा किया जाना था।

संबंधित डिस्कॉमों के मुख्य अभियंता (आरजीजीवीवाई) को गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के संबंध में योजना दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना था। गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में देखी गई कमियाँ तालिका 2.1.11 में दी गई हैं:

तालिका 2.1.11: गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में देखी गई कमियों का विवरण		
डिस्कॉम	पंचवर्षीय योजना	लेखापरीक्षा प्रेक्षण
द.वि.वि.नि.लि.	12वीं	द.वि.वि.नि.लि. ने टीपीआईए की नियुक्ति नहीं की और पीएमसी की सत्यापन/निरीक्षण रिपोर्ट को ही टीपीआईए रिपोर्ट के रूप में प्रयोग किया।
म.वि.वि.नि.लि.	12वीं	म.वि.वि.नि.लि. में 31 मार्च 2017 तक, लखनऊ और सुल्तानपुर जिलों में 30 प्रतिशत की प्रगति के बावजूद, टीपीआईए द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।
पू.वि.वि.नि.लि.	12वीं	कार्यों के क्षेत्र के अनुसार, टीपीआईए द्वारा बीपीएल संयोजनों को उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबरों एवं तस्वीरों को एकत्र करके सत्यापित करना था। फर्म ने किसी भी उपभोक्ता की तस्वीर को एकत्र किए बिना 53,896 बीपीएल संयोजन सत्यापित किए। इस प्रकार, 53,896 सत्यापित उपभोक्ताओं की प्रामाणिकता को समर्थित नहीं किया जा सका।
सभी डिस्कॉम	11वीं/ 12वीं	टीपीआईए, आरक्यूएम और एनक्यूएम द्वारा देखी गई कुल 1,92,458 (31 मार्च 2017 तक) विसंगतियों के सापेक्ष 85,071 विसंगतियों (44.21 प्रतिशत) को छोड़कर 1,07,387 विसंगतियों (55.79 प्रतिशत) ही डिस्कॉमों के द्वारा सुधारी जा सकी।

डिस्कॉमों ने प्रेक्षण (मार्च 2018) को स्वीकार किया एवं कहा कि टीपीआईए को उनके साथ किये गए अनुबन्ध के अनुसार कार्य निष्पादन के लिए निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं।

संपत्ति रजिस्टर का रखरखाव न करना

2.1.45 राज्य सरकार, आरईसी और डिस्कॉमों के मध्य त्रिपक्षीय अनुबन्ध (जुलाई 2005) के अनुसार, राज्य सरकार इस योजना के अन्तर्गत डिस्कॉमों द्वारा बनाई गई संपत्ति की स्वामी है। तथापि, राज्य सरकार ने, ऐसी संपत्तियों को संचालित करने एवं बनाए रखने के लिए डिस्कॉमों को अधिकृत कर दिया था। इस उद्देश्य हेतु, योजना के अन्तर्गत बनाई गई संपत्तियों के लेखांकन हेतु डिस्कॉमों के संबंधित मण्डलों के अधीक्षण अभियंताओं (सीईओ) द्वारा पृथक स्थायी परिसंपत्ति रजिस्ट्रों का रखरखाव किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना के अन्तर्गत ₹ 4,221.72 करोड़ (11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ₹ 1,995.83 करोड़ एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ₹ 2,225.89 करोड़) मूल्य की संपत्तियों का सृजन हुआ था, लेकिन अलग से स्थायी परिसंपत्तियों के रजिस्ट्रों को बनाकर उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाने के स्थान पर, डिस्कॉम ने इन संपत्तियों का अपनी परिसंपत्तियों के डेटाबेस में विलय कर दिया।

डिस्कॉमों ने कहा (मार्च 2018) कि टर्नकी ठेकेदारों (टीकेसी) द्वारा परियोजनाओं को सौंपने के बाद परिसंपत्ति रजिस्टर बनाया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परिसंपत्तियों के सृजन के समय ही संपत्ति रजिस्टर को बनाना चाहिए था एवं परिसंपत्ति रजिस्टर को बनाने हेतु टीकेसी द्वारा परियोजनाओं को सौंपा जाना आवश्यक नहीं है।

आंतरिक लेखापरीक्षा

2.1.46 चूंकि डिस्कॉमों के पास अपना आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग नहीं था, इसलिए उन्होंने यह काम करने के लिए सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) फर्मों को नियुक्त

योजना के अन्तर्गत ₹ 4,221.72 करोड़ मूल्य की संपत्तियां निर्मित होने के बावजूद, डिस्कॉम स्थायी परिसंपत्तियों के पृथक रजिस्ट्रों का रखरखाव करने में असफल रहे

किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विस्तृत तकनीकी लेखापरीक्षा या व्यय के औचित्य पर टिप्पणी सम्मिलित ही नहीं थी। इससे समग्र आंतरिक नियंत्रण दुर्बल हो गया। इसके अतिरिक्त, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रेक्षकों की समीक्षा करने एवं उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था।

सतर्कता अनुभाग

2.1.47 डिस्कॉमों में आरजीजीवीवाई के कार्यों सहित, विभिन्न कार्यों की स्वतंत्र जांच करने के लिए समर्पित सतर्कता अनुभाग नहीं था।

संस्तुति:

कमियों की ससमय पहचान के लिए एवं सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र एक स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग एवं सतर्कता अनुभाग स्थापित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा प्रभाव

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर कंपनी द्वारा की गई कार्यवाही:

- लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, द.वि.वि.नि.लि. ने एलडी के ₹ 25.12 करोड़ की कटौती योग्य राशि में से ₹ 15.22 करोड़ की कटौती कर ली।

(प्रस्तर 2.1.26)

- प.वि.वि.नि.लि. ने ठेकेदारों के द्वारा अतिरिक्त बीजी की कम जमा धनराशि ₹ 9.08 करोड़ के सापेक्ष उनके बिलों से धनराशि रोक ली।

(प्रस्तर 2.1.30)

- योजना निधि से अर्जित ₹ 24.61 करोड़ की विविध आय जिसे द.वि.वि.नि.लि. ने अपनी आय के रूप में मान लिया था, उसमें से ₹ 23.31 करोड़ को योजना निधि में जमा कर दिया गया था।

(प्रस्तर 2.1.34)

- द.वि.वि.नि.लि. ने राज्य सरकार से ₹ 21.86 करोड़ के वैट की प्रतिपूर्ति का दावा किया, जिसमें से ₹ 20.99 करोड़ की प्रतिपूर्ति कर दी गयी थी।

(प्रस्तर 2.1.35)

- लेखापरीक्षा द्वारा कम कटौती के इंगित किये जाने के बाद प.वि.वि.नि.लि. ने ठेकेदारों के बिलों से ₹ 36.72 लाख के श्रम उपकर की कटौती कर ली।

(प्रस्तर 2.1.36)

- लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, द.वि.वि.नि.लि. द्वारा 20,574 बीपीएल संयोजनों का विवरण उपभोक्ता खाताबही में सम्मिलित कर लिया गया।

(प्रस्तर 2.1.42)

2.2 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में शहरी परिवहन के संचालन पर लेखापरीक्षा

प्रस्तावना

2.2.1 शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी), भारत सरकार (जीओआई) ने चयनित²¹ शहरों में शीघ्रपथ से नियोजित आधारभूत संरचनात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2005 में जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (योजना) आरम्भ किया। योजना के भाग के रूप में, राज्य के चयनित शहरों में एक कुशल, विश्वसनीय एवं लागत प्रभावी सार्वजनिक परिवहन समाधान की स्थापना के लिए, बसों के क्रय तथा संचालन करने हेतु, राज्यों को एक बारगी उपाय के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के दिशानिर्देश जीओआई ने जारी (जनवरी 2009) किए।

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) को राज्य में योजना की कार्यदायी संस्था (ईए) नामित (अप्रैल 2009) किया। योजना के अंतर्गत, राज्य के सात चयनित शहरों²² में प्रयोग हेतु 1,140 बसों के क्रय के लिए अनुदान के रूप में यूपीएसआरटीसी को ₹ 217.17 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी।

यूपीएसआरटीसी ने सात शहरों में बस सेवा के संचालन के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्वतंत्र सरकारी कम्पनियों के रूप में छः नगरीय यातायात कम्पनियों (यूटीसी) यथा, आगरा-मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (ए-एमसीटीएसएल), इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एसीटीएसएल), कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (केसीटीएसएल), लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एलसीटीएसएल), मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एमसीटीएसएल) एवं वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (वीसीटीएसएल) का गठन (फरवरी 2010 से जुलाई 2010) किया, प्रत्येक के अपने सम्बन्धित बोर्डों में आठ²³ सदस्य हैं। अप्रैल 2012 से मार्च 2017 की अवधि हेतु लेखापरीक्षा यह आकलित करने के उद्देश्य से की गयी कि क्या योजना का कार्यान्वयन, प्रभावी अनुश्रवण व पर्यवेक्षणीय नियंत्रण में उचित प्रकार से निष्पादित किया गया है, यूटीसी द्वारा बसों का संचालन एवं रखरखाव कुशलता से एवं मितव्ययितापूर्वक किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि

2.2.2 लेखापरीक्षा कार्यविधि में नगरीय परिवहन निदेशालय, यूपीएसआरटीसी मुख्यालय, और तीन चयनित यूटीसी के मुख्यालयों और डिपो के अभिलेखों की परीक्षा; कर्मियों से संवाद; लेखापरीक्षा प्रेक्षण/प्रश्न जारी करना, कैनिब्लाइज्ड बसों²⁴ का संयुक्त भौतिक सत्यापन सम्मिलित था। प्रवेश एवं समापन बैठक में प्रबंधन एवं डीओयूडी के विचारों को भी प्राप्त किया गया।

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए छः यूटीसी में से, तीन यूटीसी (एलसीटीएसएल, केसीटीएसएल और ए-एमसीटीएसएल) का चयन उनको आवंटित धन की मात्रा के आधार पर, प्रतिदर्श के रूप में किया गया था। सभी सातों शहरों हेतु योजना के अंतर्गत प्राप्त कुल धनराशि का 70.25 प्रतिशत (₹ 152.56 करोड़) इन चयनित यूटीसी को आवंटित किया गया था। यहाँ पर 13 प्रेक्षण ऐसी प्रकृति के हैं जो अन्य तीन यूटीसी, जिनका गठन योजना के अन्तर्गत किया गया है, परन्तु जिन्हें नमूना जांच में

²¹ कम से कम 10 लाख जनसंख्या या प्रदेश की राजधानी या धार्मिक/ऐतिहासिक/पर्यटन महत्व के आधार पर चयनित

²² आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ और वाराणसी

²³ विशेष सचिव एवं निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय; मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (संचालन)

²⁴ बिना कलपुर्जों के पड़ी हुई ऐसी बसें जिनके कलपुर्जे अन्य बसों में प्रयोग कर लिये गये थे

शामिल नहीं किया गया है, में समान प्रकृति की त्रुटि/चूकें प्रतिबिम्बित कर सकते हैं। डीओयूडी चाहे तो योजना के अंतर्गत कार्य कर रही अन्य तीनों यूटीसी की आंतरिक रूप से जांच यह सुनिश्चित करने के लिए करा सकता है कि वे आवश्यकता एवं नियमों के अनुसार चलायी जा रही है।

अभिस्वीकृति

2.2.3 लेखापरीक्षा कार्य के दौरान यूटीसी, यूपीएसआरटीसी, नगरीय परिवहन निदेशालय एवं इनके कर्मियों के द्वारा प्रदान किये गये सहयोग और सहायता के लिए लेखापरीक्षा आभार प्रकट करता है।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.2.4 लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गयी है:

त्रुटिपूर्ण पर्यवेक्षणीय नियंत्रण

2.2.5 योजना के प्रावधानों के अनुसार, मुख्य सचिव, उ०प्र० सरकार को राज्य में नगरीय यातायात के संचालन के पर्यवेक्षणीय नियंत्रण एवं सुधार हेतु निम्नलिखित निकायों/प्राधिकरणों की स्थापना करनी थी:

- नगरीय यातायात और इसके एकीकृत प्रबंधन से संबंधित परियोजनाओं के समन्वित नियोजन एवं कार्यान्वयन में सुगमता प्रदान करने के लिए एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए)।
- यूटीसी के संचालन में व्यवहार्यता अंतर को पूरा करने के लिए राज्य एवं नगर स्तर पर समर्पित नगरीय परिवहन कोष (डीयूटीएफ)।
- यात्री किराये के सामयिक संशोधन हेतु एक नियामक निकाय/संस्थागत तंत्र।

लेखापरीक्षा ने देखा कि, मुख्य सचिव, उ०प्र० सरकार ने एक समिति के रूप में कार्य करने के लिए यूएमटीए का गठन (28 जून 2010) किया एवं राज्य स्तर पर डीयूटीएफ बनाया (27 जनवरी 2014)। तथापि, मुख्य सचिव, उ०प्र० सरकार ने योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार नगर स्तरीय डीयूटीएफ तथा यात्री किराये में सामयिक संशोधन हेतु नियामक निकाय/संस्थागत तंत्र नहीं बनाया। यूएमटीए की त्रुटिपूर्ण कार्य पद्धति, यूटीएफ के अनुपयोग तथा नगर स्तर पर डीयूटीएफ और नियामक निकायों की अनुपस्थिति के कारण राज्य में नगरीय परिवहन प्रणाली को उचित अनुश्रवण और नियामक सहयोग नहीं मिल सका। इसमें पर्यवेक्षणीय नियंत्रण की भी कमी रही, जिसकी चर्चा नीचे की गयी है:

निष्क्रिय एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण

2.2.6 जून 2010 में गठन के बाद से मार्च 2018 तक, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यूएमटीए की केवल तीन बैठकें (जून 2010, अक्टूबर 2010 और सितम्बर 2012) ही आयोजित हुईं। इसके पश्चात्, यूएमटीए निष्क्रिय रहा। जब यूएमटीए सक्रिय था तो उसने एमडी, यूपीएसआरटीसी को नगरीय यातायात को लाभदायक बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आदेश दिया (जून 2010) था। यद्यपि एमडी, यूपीएसआरटीसी ने इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया, आठ वर्ष के पश्चात् अभी तक (सितम्बर 2018) यूएमटीए द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय (डीओयूडी) जिसे यूएमटीए के तकनीकी सचिवालय के रूप में कार्य करना था, ने यूएमटीए को पुनर्जीवित करने की कोई पहल नहीं की। यूटीसी की गतिविधियां यूएमटीए द्वारा निरीक्षित की जानी थीं किन्तु यूएमटीए

यूएमटीए सितम्बर 2012 के बाद से निष्क्रिय रहा है

की अक्रियाशीलता के कारण यूटीसी अनिरीक्षित रही एवं वर्णित कमियां अपरीक्षित व असंशोधित रहीं, जैसा कि आगामी प्रस्तारों में चर्चा की गयी है :

डीयूटीएफ की त्रुटिपूर्ण कार्यशीलता

2.2.7 यूटीसी द्वारा परिचालन शुरू करने के 21 से 36 माह के विलम्ब से मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्तर पर डीयूटीएफ बनाया (जनवरी 2014) गया। देरी के कारण अभिलेखों में नहीं है। नगरीय परिवहन निदेशालय (निदेशालय) को डीयूटीएफ का संचालन करना था।

निदेशालय को धन का उचित उपयोग करने के साथ नगरीय यातायात की प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों के लिए नीतियां भी बनानी थीं। निदेशालय द्वारा धन के सर्वोत्तम उपयोग हेतु ऐसी कोई नीति/प्राथमिकता नहीं बनायी गयी। इस प्रकार के नियोजन के अभाव में, मार्च 2016 तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डीयूटीएफ को उपलब्ध कराये गये ₹ 550.00 करोड़ में से अनुदान के रूप में प्रदान किये कोषों का एक महत्वपूर्ण भाग ₹ 445.67 करोड़ मार्च 2017 तक अप्रयुक्त रहा, परिणामतः नगरीय यातायात के सहयोग के उद्देश्य को प्राप्त करने में विफलता रही। चूंकि ये निधि सामान्य बचत खाते में रखी गयी थी, अतः उत्तर प्रदेश सरकार को ब्याज के ₹ 7.80 करोड़²⁵ की हानि वहन करनी पड़ी।

यात्री किराया के लिए नियामक निकाय का गठन नहीं होना

2.2.8 योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, यात्री किराये में सामयिक संशोधन हेतु एक नियामक निकाय/संस्थागत तंत्र का गठन किया जाना था। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कोई नियामक निकाय/संस्थागत तंत्र स्थापित नहीं किया। प्रमुख सचिव, डीओयूडी उत्तर प्रदेश सरकार ने नियामक निकाय बनाने के स्थान पर, नगर बसों के किराये को निश्चित करने के लिए, बिना अभिलेखित कारण के, यूटीसी के निदेशक मंडल (बीओडी) को अधिकृत (मार्च 2009) कर दिया। इसके अतिरिक्त, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में, किराये में संशोधन के लिए ईंधन की लागत को समाहित करते हुए परिचालन लागत, स्नेहक, महंगाई भत्ते, कलपुर्जों की लागत, टायर प्रतिस्थापन, करों/शुल्कों और बीमा में परिवर्तन को भी विचार में रखा जाना प्रावधानित था। लेखापरीक्षा ने यात्री किराया तय करने में निम्नलिखित कमियां देखी हैं, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:-

- एमडी, एलसीटीएसएल ने अक्टूबर 2013 से जनवरी 2015 के दौरान पांच बार किराए में संशोधन किया, जिसमें से केवल एक बार (जनवरी 2015) ही उन्होंने बीओडी का अनुमोदन प्राप्त किया। अन्य चार संशोधनों के लिए बोर्ड से कोई अनुमोदन नहीं लिया गया। डीपीआर में दिये गये संचालन लागत के तत्वों से कोई वित्तीय विश्लेषण किये बिना, केवल एमडी के सीएनजी की दरों और चालकों/परिचालकों के पारिश्रमिक में वृद्धि के सामान्य कथन के आधार पर, यात्री किराये में संशोधन किये गये। डीपीआर की आवश्यकतानुसार अंतिम खातों और एमआईएस रिपोर्ट जिसमें बस संख्यावार मार्गवार यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का विवरण दिया जाता है, के अभाव में लेखापरीक्षा इस प्रणालीगत विफलता के वित्तीय प्रभाव को निर्धारित नहीं कर सकी। यात्री किराये के निर्धारण में परिचालन लागत पर विचार न करने के कारण, अप्रैल 2012 से मार्च 2017 के दौरान अर्जित राजस्व, किये गये व्यय से ₹ 0.17 करोड़ से ₹ 4.91 करोड़ तक कम था।

एलसीटीएसएल प्रबंधन ने समापन बैठक (नवम्बर 2017) में लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया।

₹ 445.67 करोड़ की धनराशि डीयूटीएफ में अप्रयुक्त पड़ी रही

उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना के तहत आवश्यकतानुसार नियामक निकाय/संस्थागत तंत्र का गठन नहीं किया

²⁵ ऑटो स्वीप सुविधा के साथ फ्लेक्सी कोषों पर प्राप्त दर पर आंकलित

• एमडी, केसीटीएसएल ने बीओडी के अनुमोदन के बिना जुलाई 2012 में मासिक सीजन टिकटों के किराये में वृद्धि की। ए-एमसीटीएसएल में, बीओडी के अनुमोदन से किराये में संशोधन किया (जनवरी 2013) गया था, लेकिन इसके लिए कोई विश्लेषण उद्धृत नहीं किया गया। इसके बाद उक्त दोनो यूटीसी में मार्च 2017 तक किराये में कोई संशोधन नहीं किया गया।

उत्तर में, केसीटीएसएल प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2017) कि यह विषय परीक्षाधीन है। ए-एमसीटीएसएल प्रबंधन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार (सितम्बर 2017) कर लिया और बताया कि इस संबंध में शीघ्र ही कार्यवाही की जाएगी। यात्री किराये के दोषपूर्ण निर्धारण के कारण, अप्रैल 2012 से मार्च 2017 की अवधि में केसीटीएसएल और ए-एमसीटीएसएल के व्यय ₹ 0.17 करोड़ से ₹ 10.61 करोड़ तक राजस्व से अधिक रहे।

संस्तुति:

यूएमटीए को उचित पर्यवेक्षणीय नियंत्रण सुनिश्चित करना चाहिए और डीयूटीएफ के प्रभावी उपयोग हेतु प्रयास करना चाहिए।

मानवशक्ति का दोषयुक्त प्रबंधन

2.2.9 अधिकारियों एवं कर्मचारियों (चालकों और परिचालकों को छोड़कर) की स्वीकृत संख्या न तो डीपीआर²⁶ में बतायी गयी और न यूटीसी के बीओडी द्वारा स्वीकृत ही की गई थी। इसके अतिरिक्त, सम्बन्धित प्रबंधन द्वारा मानव शक्ति की तैनाती को व्यवस्थित करने के लिए इस मुद्दे को कभी भी उचित रूप से यूटीसी के बोर्ड, डीओयूडी और यूएमटीए के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। नीचे दी गयी तालिका 2.2.2, चयनित किये गए तीन यूटीसी के अधिकारियों और लेखा कर्मचारियों की मानव शक्ति की स्थिति (मार्च 2017) बताती है :

तालिका 2.2.2 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या की स्थिति							
क्र० सं०	पदनाम	वास्तविक संख्या					
		ए-एमसीटीएसएल		केसीटीएसएल		एलसीटीएसएल	
1.	प्रबंध निदेशक	1 (आरएम, यूपीएसआरटीसी)		1 (आरएम, यूपीएसआरटीसी दोहरे कार्यभार में)		1 (आरएम, यूपीएसआरटीसी दोहरे कार्यभार में)	
2.	सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (वित्त)	1(यूपीएसआरटीसी कर्मचारी दोहरे कार्यभार में)		1(यूपीएसआरटीसी कर्मचारी दोहरे कार्यभार में)		कोई नहीं	
3.	सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक	1(वाह्य स्रोत द्वारा)		1(यूपीएसआरटीसी कर्मचारी दोहरे कार्यभार में)		कोई नहीं	
4.	सेवा प्रबंधक	कोई नहीं		1(यूपीएसआरटीसी कर्मचारी दोहरे कार्यभार में)		1(यूपीएसआरटीसी कर्मचारी दोहरे कार्यभार में)	
5.	लेखाकार	2 (वाह्य स्रोत द्वारा)		1(यूपीएसआरटीसी कर्मचारी दोहरे कार्यभार में)		1(यूपीएसआरटीसी कर्मचारी)	
		डीपीआर के अनुसार	वास्तविक	डीपीआर के अनुसार	वास्तविक	डीपीआर के अनुसार	वास्तविक
6.	परिचालक	460	342	540	238	520	447
7.	चलक	460	352	540	1	520	418

स्रोत: सम्बन्धित यूटीसी के अभिलेख

²⁶ चालकों एवं परिचालकों के अतिरिक्त

यूटीसी में अधिकारियों और कर्मचारियों की उचित तैनाती के प्रकरण को कभी भी यूटीसी से सम्बन्धित निदेशक मण्डल को प्रस्तुत नहीं किया गया

यूटीसी में अधिकारियों और कर्मचारियों की उचित तैनाती सुनिश्चित नहीं की गई थी। इस प्रकरण को कभी भी यूटीसी के सम्बन्धित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इसने त्रुटिपूर्ण कार्यात्मकता व अनुश्रवण, वित्तीय खातों तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली के न बनने को बढ़ावा दिया जो कि त्रुटिपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के रूप में फलित हुआ जिन पर आगे के प्रस्तारों में चर्चा की गई है।

त्रुटिपूर्ण आंतरिक नियंत्रण/अनुश्रवण

2.2.10 यूटीसी के स्तर पर अनुश्रवण और नियंत्रण के लिए कोई आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं थी। यही नहीं, चयनित तीन यूटीसी में से किसी में भी आंतरिक लेखापरीक्षा खण्ड का गठन नहीं हुआ था। लेखापरीक्षा द्वारा इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कमियां पायीं गयीं:

वार्षिक वित्तीय विवरणों का न बनाया जाना

2.2.11 कम्पनी अधिनियम, 2013 कम्पनियों के वार्षिक वित्तीय विवरण प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के अंत से छः महीने के भीतर अर्थात् सितम्बर के अंत तक अंतिमीकृत किये जाने का प्रावधान करता है। ऐसा करने में विफलता, दण्ड के प्रावधानों को आकर्षित कर सकती है, जो कि यह बताती है कि दोषी कम्पनी के प्रत्येक सम्बन्धित अधिकारी को कारावास, जो एक वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है अथवा अर्थदण्ड, जो कि पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जिसे पाँच लाख रूपयों तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों का दण्ड दिया जायेगा।

तीन चयनित यूटीसी में से, केसीटीएसएल ने अपने सम्मेलन (अप्रैल 2010) के बाद से कोई भी वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया। ए-एमसीटीएसएल ने व्यवसाय प्रारम्भ करने की तिथि (10 अप्रैल 2012) से 2015-16 तक वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किए लेकिन उसे सांविधिक लेखापरीक्षकों और सीएजी से लेखापरीक्षित कराने में विफल रहा। एलसीटीएसएल ने व्यवसाय प्रारम्भ करने की तारीख 25 जनवरी 2011 से 31 मार्च 2011 तक की अवधि के लिए अपना पहला वित्तीय विवरण तैयार किया और सांविधिक लेखापरीक्षकों से लेखापरीक्षित भी कराया लेकिन आज तक (सितम्बर 2018) सीएजी को प्रस्तुत करने में विफल रही। मार्च 2011 के बाद से आज तक (सितम्बर 2018), सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा एलसीटीएसएल के किसी भी वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की गई है। लेखापरीक्षा ने पाया कि, त्रुटिपूर्ण मानवशक्ति प्रबंधन और त्रुटिपूर्ण पर्यवेक्षणीय नियंत्रण के कारण ये त्रुटियां अनदेखी और उपेक्षित पड़ी रहीं। लेखाओं का तैयार न होना/देरी होना, तथ्यों के अनुचित प्रस्तुतीकरण, धोखाधड़ी और दुरुपयोग के जोखिम से भरा हुआ होता है।

यूटीसी ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2017 और मार्च 2018)।

निदेशक मंडल की बैठकों की अपर्याप्त संख्या

2.2.12 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के अनुसार, प्रत्येक कम्पनी अपने सम्मेलन की तारीख के तीस दिनों के अन्दर बीओडी की प्रथम बैठक आयोजित करेगी और उसके बाद प्रतिवर्ष अपने बीओडी की न्यूनतम चार बैठकें इस प्रकार आयोजित करेगी जिससे बीओडी की लगातार दो बैठकों के बीच में एक सौ बीस दिनों से ज्यादा का अन्तर ना हो। चयनित तीन यूटीसी की बीओडी की बैठकों की स्थिति का विवरण तालिका 2.2.3 में वर्णित है:

तालिका 2.2.3 निदेशक मण्डल की बैठकों का विवरण					
क्रं0 सं0	वित्तीय वर्ष	आवश्यक बैठकों की संख्या	वास्तविक रूप से हुई बैठकें		
			ए-एमसीटीएसएल	केसीटीएसएल	एलसीटीएसएल
1	2012-13	4	3	1	8
2	2013-14	4	2	1	5

तालिका 2.2.3 निदेशक मण्डल की बैठकों का विवरण					
क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	आवश्यक बैठकों की संख्या	वास्तविक रूप से हुई बैठकें		
			ए-एमसीटीएसएल	केसीटीएसएल	एलसीटीएसएल
3	2014-15	4	1	1	4
4	2015-16	4	2	कोई नहीं	3
5	2016-17	4	1	कोई नहीं	2

इस प्रकार, विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित सभी तीनों यूटीसी, कम्पनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आवश्यक संख्या में बीओडी बैठकों को कराने में असफल रहीं। परिणामस्वरूप, वित्तीय विवरणों के तैयार न होने की कमी, दुर्बल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) व मानवशक्ति के विषयों का समाधान नहीं किया जा सका और पर्यवेक्षणीय नियंत्रण शक्तिहीन रहा।

त्रुटिपूर्ण प्रबंधन सूचना प्रणाली

2.2.13 डीपीआरों में, प्रत्येक यूटीसी में बस संख्या के अनुसार और यात्रा संख्या के अनुसार बस मार्गों का विवरण, यात्रा करने वाले यात्रियों, प्रयुक्त ईंधन, प्रयुक्त स्नेहक और तिथिवार की गई मरम्मत के विवरण को सम्मिलित करते हुये एक प्रबंधन सूचना प्रणाली को लागू किये जाने का प्रावधान था। लेखापरीक्षा ने पाया कि यूटीसी के एमडी और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (एआरएम) यूपीएसआरटीसी के थे, जो कि सड़क पर बसों की संख्या, बसों के संचालन, यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या, प्रयुक्त ईंधन आदि दर्शाने वाले एमआईएस को बनाते हैं। यद्यपि वे यूपीएसआरटीसी में अच्छी तरह से संरचित एमआईएस का अनुपालन करते हैं फिर भी वे उसे यूटीसी में अपनाने में असफल रहे। आवश्यक एमआईएस एवं सहायक अभिलेखों के अभाव में यूटीसी का प्रबंधन राजस्व अर्जन में कमी, बसों के कम चलने तथा बसों की दोषयुक्त मरम्मत की कमियों के अनुश्रवण एवं नियंत्रण में असफल रहा जैसा की आगे के प्रस्तारों में चर्चा की गयी है।

यूटीसी ने लेखापरीक्षा की प्रेक्षणों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2017 तथा मार्च 2018)।

संस्तुतियाँ:

1. यूटीसी को डीपीआर के अनुसार आवश्यक एमआईएस का बनाया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।
2. डीओयूडी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यूटीसी अपने खातों को वर्तमान वर्ष तक तैयार करने के लिए तत्काल कार्यवाही करें, जिससे इन पीएसयू के निदेशक कम्पनी अधिनियम के दोषी ना बनें रहें।

नगरीय यातायात का परिचालन निष्पादन

2.2.14 नगर वार डीपीआर में बसों के चलने एवं अर्जित होने वाले राजस्व हेतु संचालन मानक उल्लिखित हैं। प्रभावी नियंत्रण और अनुश्रवण के लिए, यूटीसी के स्तर पर वास्तविक परिचालन परिणामों की परिचालन मानकों से तुलना करने के लिए एक तंत्र बनाये जाने की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि किसी भी यूटीसी में कोई नियंत्रण या अनुश्रवण तंत्र नहीं बना था। यूटीसी के एमडी और एआरएम यूपीएसआरटीसी से थे जो कि प्रति बस अर्जित आय, प्रत्येक बस द्वारा चले गये किलोमीटर इत्यादि में तुलना करने हेतु अपनी स्वयं की एमआईएस रखते थे। फिर भी उन्हीं अधिकारियों ने यूटीसी के प्रबंधन के दौरान यूपीएसआरटीसी के अनुश्रवण तंत्र को नहीं अपनाया। यूटीसी की परिचालन दक्षता की जांच के लिए, लेखापरीक्षा द्वारा 2012-17 के वास्तविक परिणामों की संबंधित डीपीआर में निर्धारित परिचालन मानकों से तुलना की गई जिसका विवरण तालिका 2.2.4 में दिया गया है।

तालिका 2.2.4 डीपीआर में उल्लिखित यूटीसी वार परिचालन मानक

		(₹ करोड़ में)					
क्र० सं०	विवरण	यूटीसी के नाम					
		एलसीटी एसएल	केसीटी एसएल	ए-एमसी टीएसएल	एसीटी एसएल	एमसीटी एसएल	वीसीटी एसएल
राजस्व अर्जन							
1.	डीपीआर के अनुसार अर्जित किया जाने वाला राजस्व	212.80	205.80	151.80	96.35	88.85	93.10
2.	वास्तविक अर्जित राजस्व	143.03	52.97	83.95	77.69	82.64	72.14
3.	अर्जित राजस्व में कमी	69.77	152.83	67.85	18.66	6.21	20.96
4.	कमी प्रतिशत में	32.79	74.32	44.76	19.36	6.99	22.51

स्रोत: प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेख एवं सूचनायें

अभिलेखों की परीक्षण जांच में राजस्व अर्जन में पायी गयी कमी के कारण, डीपीआर में उल्लिखित मानकों की तुलना में बसों के संचालन किलोमीटर में कमी एवं अनियोजित मार्गों पर बसों का संचालन थे, जैसा कि आगे के प्रस्तारों में चर्चा की गयी है।

बसों के संचालन में कमी से राजस्व अर्जन में कमी

2.2.15 2012-17 के दौरान योजना की डीपीआर में उल्लिखित यूटीसी वार बसों के धावन के परिचालन मानकों और यूटीसी के वास्तविक परिचालन परिणामों को तालिका 2.2.5 में सारांकित किया गया है:

तालिका 2.2.5 डीपीआर में उल्लिखित यूटीसी वार संचालन मानक

		(संचालन: लाख किमी में)					
क्र० सं०	विवरण	यूटीसी के नाम					
		एलसीटी एसएल	केसीटीएसएल	ए-एमसीटी एसएल	एसीटीएसएल	एमसीटी एसएल	वीसीटी एसएल
बसों का संचालन							
1.	डीपीआर के अनुसार बसों का संचालन (किमी)	947.70	1056.60	785.70	480.60	457.20	471.60
2.	बसों का वास्तविक संचालन (किमी)	739.57	294.48	573.42	424.65	372.89	363.90
3.	बसों के संचालन में कमी (किमी)	208.13	762.12	212.28	55.95	84.31	107.70
4.	कमी प्रतिशत में	21.96	72.13	27.02	11.64	18.44	22.84

स्रोत: प्रबंधन द्वारा प्रदान की गयी सूचना

यूटीसी के प्रबंधन ने डीपीआर मानकों के साथ बसों के संचालन की तुलना करने के लिए कोई भी अभिलेख नहीं बनाया। यद्यपि, यूटीसी के एमडी और एआरएम यूपीएसआरटीसी से थे जो कि बसों के संचालन पर अपने स्वयं के मानकों द्वारा नियंत्रण रखते हैं, फिर भी यूटीसी द्वारा डीपीआर मानकों की तुलना में बसों द्वारा चली गयी दूरी में कमी के कारणों का विश्लेषण करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। तथापि, चयनित तीन यूटीसी के द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं सूचनाओं की परीक्षण जांच के विश्लेषण में पाया गया कि बसों के संचालन किलोमीटर में कमी के प्रमुख कारण मरम्मत और रखरखाव हेतु अत्यधिक संख्या में बसों का ऑफ रोड होना, मानवशक्ति की त्रुटिपूर्ण तैनाती तथा अनुरक्षण ठेकेदारों द्वारा बसों का अनाधिकृत रूप से कैनबलाइजेशन थे, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- यद्यपि, ऑफ रोड बसों के प्रतिशत के संबंध में यूटीसी के डीपीआर में कोई मानक नहीं दिया गया था तथापि वार्षिक अनुरक्षण ठेकेदार के साथ किये गये अनुबंध में प्रावधानित था कि बसों की उपलब्धता पहले दो वर्षों के लिए 95 प्रतिशत और उसके बाद 92 प्रतिशत होनी थी, जैसा कि प्रस्तर 2.2.18 में चर्चा की गयी है। यूपीएसआरटीसी ने ऑफ रोड बसों के लिए किसी दिये गये समय पर संचालन के अंतर्गत कुल बसों के तीन प्रतिशत का एक मानक प्रमाणीकृत (जून 2011 से) किया।

तीन चयनित यूटीसी में, लेखापरीक्षा ने पाया कि अभिलेखों में बिना किसी कारण के औसतन एलसीटीएसएल में 12 से 24 प्रतिशत बसें, केसीटीसीएल में 34 से 78 प्रतिशत बसें और ए-एमसीटीएसएल में दो से तीन प्रतिशत बसें मरम्मत एवं रखरखाव के लिए ऑफ रोड थी जो मानक से अधिक है। लेखापरीक्षा के विश्लेषण के अनुसार, ऑफ रोड बसों के उच्च प्रतिशत का प्रमुख कारण बसों का खराब अनुरक्षण जैसा कि प्रस्तर 2.2.18 में वर्णित है एवं मानवशक्ति की त्रुटिपूर्ण तैनाती, जैसा कि प्रस्तर 2.2.9 में वर्णित है, थे। लेखापरीक्षा ने इसके अतिरिक्त पाया कि यद्यपि, यूटीसी के एमडी और एआरएम यूपीएसआरटीसी से थे, फिर भी वे यूपीएसआरटीसी में प्रचलित नियंत्रण तंत्र के समान नियंत्रण तंत्र, यूटीसी में लागू करने में असफल रहे। ऑफ रोड बसों के उच्च प्रतिशत के कारण, राजस्व में कमी आई थी। इसके अतिरिक्त, नियमित और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने का उद्देश्य भी प्राप्त नहीं किया जा सका।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि एलसीटीएसएल में 42 बसें और केसीटीएसएल में 19 बसें वार्षिक अनुरक्षण ठेकेदार द्वारा कैनिब्लाइज्ड की गयी थीं। 61 बसों में से 48 बसों की यूटीसी द्वारा मरम्मत और पुनर्सुधार किया गया, शेष 13 अनाधिकृत रूप से कैनिब्लाइज्ड बसें एलसीटीएसएल में पड़ी रहीं, जैसा कि प्रस्तर 2.2.18 में विस्तार से वर्णित है। इस कारण, यूटीसी मार्च 2017 तक ₹ 11.33 करोड़ के राजस्व से वंचित रहीं।

यूटीसी ने बसों के अनियमित कैनिब्लाइजेशन को स्वीकार किया (मार्च 2018)।

- इसके अतिरिक्त, डीपीआर²⁷ के अनुसार, चयनित तीन यूटीसी में 1,520 परिचालकों और 1,520 चालकों की प्रति वर्ष आवश्यकता थी, इस आवश्यकता के सापेक्ष 2012-17 के दौरान, केवल 904 से 1,194 परिचालक और 719 से 1,044 चालक बसों के संचालन के लिए तैनात किये गये।

इस प्रकार, ऑफ रोड बसों का उच्चतर प्रतिशत और मानवशक्ति की त्रुटिपूर्ण तैनाती के साथ ही त्रुटिपूर्ण पर्यवेक्षणीय नियंत्रण के परिणामस्वरूप डीपीआर में दिये गये मानकों की तुलना में बसों के संचालन में 11.64 से 72.13 प्रतिशत की कमी रही जैसा कि प्रस्तर 2.2.5 और 2.2.9 में वर्णित है।

यूटीसी ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (मार्च 2018)।

डीपीआर के विपरीत मार्गों का संचालन

2.2.16 बसों के संचालन से अर्जित होने वाली आय का निर्धारण डीपीआर में निर्दिष्ट मार्गों को ध्यान में रखकर किया गया था। इसलिए, यूटीसी को या तो निर्दिष्ट मार्गों पर बसों का संचालन करना चाहिए था या वैकल्पिक रूप से, डीपीआर से किसी भी विचलन की दशा में सबसे लाभकारी मार्गों की पहचान करनी चाहिए थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि एलसीटीएसएल और केसीटीएसएल 83 मार्गों पर बसों का संचालन कर रहे थे, जिसमें से कोई भी मार्ग डीपीआर में निर्दिष्ट नहीं था। ए-एमसीटीएसएल 21 मार्गों पर बसों का संचालन कर रहा था, जिसमें से केवल तीन मार्ग²⁸ डीपीआर में निर्दिष्ट किये गये थे। इन यूटीसी ने बिना कोई लागत-लाभ विश्लेषण किये, विचलित मार्गों का

²⁷ दो पालियों में बसों के संचालन के लिए, प्रत्येक पाली में एक परिचालक एवं एक चालक।

²⁸ आगरा-मथुरा, ईदगाह से फतेहपुर सीकरी एवं गोवर्धन से बरसाना

संचालन किया। इसके अतिरिक्त, एलसीटीएसएल, केसीटीएसएल और ए-एमसीटीएसएल ने नगरीय जनसंख्या को नियमित परिवहन सुविधा प्रदान करने के मूल उद्देश्य के विपरीत, अभिलेखों में बिना कोई कारण दर्शाये, 21 ग्रामीण मार्गों पर बसों का संचालन किया। इसके अलावा, किस दिनांक से और किसके आदेश पर मार्गों में परिवर्तन किया गया, को दर्शाने वाले अभिलेखों को नहीं बनाया गया। यूटीसी द्वारा बसवार/मार्गवार अर्जित राजस्व के विवरणों को नहीं बनाया गया। परिणामस्वरूप, डीपीआर में निर्दिष्ट मार्गों से विचलन का प्रभाव, लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

उत्तर में, यूटीसी ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (अक्टूबर 2017, मार्च 2018) एवं कहा कि भविष्य में डीपीआर में दिये गये मार्गों को संचालित करने के प्रयास किए जाएंगे।

संस्तुति:

यूटीसी को नगर की बसों के संचालन के आवधिक अनुश्रवण के लिए संचालन के अपने मानकों को तैयार करना चाहिए या यूपीएसआरटीसी के मानकों को अपनाना चाहिए।

बसों में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थापना नहीं किया जाना

2.2.17 डीपीआर में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) और अन्य सुविधाओं²⁹ से युक्त इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आईटीएस) की स्थापना का प्रावधान था। आईटीएस यात्रियों को समय पर जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह बसों के संचालन को नियंत्रित करने में यूटीसी के संबंधित प्रबंधन को सशक्त रूप से मदद कर सकता था। लेखापरीक्षा ने पाया कि यूटीसी के प्रबंध निदेशकों द्वारा बसों पर ऐसी कोई आईटीएस प्रणाली स्थापित नहीं की गयी थी।

यूपीएसआरटीसी द्वारा वयम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ठेकेदार) को 1,140 बसों के लिए ₹ 14.32 करोड़ के अनुबंध मूल्य पर, छः यूटीसी में आईटीएस की स्थापना के काम को मार्च 2012 तक पूरा करने की शर्त के साथ प्रदान किया (मार्च 2010) गया था। ठेकेदार ने एलसीटीएसएल की 260 बसों के लिए आईटीएस सक्षम सामग्री की आपूर्ति (जून 2011) की। तथापि, बिना किसी अभिलेखित कारण के इसने अन्य पाँच यूटीसी की शेष 880 बसों के लिए किसी भी हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की आपूर्ति/स्थापना नहीं की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि महाप्रबंधक (तकनीकी) यूपीएसआरटीसी ने एलसीटीएसएल के लिए प्राप्त सामग्री के सफल प्रचालन को सुनिश्चित किये बिना, अनियमित रूप से ठेकेदार को ₹ 2.04 करोड़ का आंशिक भुगतान जारी कर दिया (जनवरी 2012)। इसके अतिरिक्त, फरवरी 2011 से मार्च 2013 तक लगातार अनुस्मारक दिये जाने के बावजूद ठेकेदार परियोजना को चालू करने में असफल रहा। अनुबंध समाप्त (मार्च 2013) कर दिया गया और सामग्री अप्रयुक्त पड़ी रही (मार्च 2018)। इसके पश्चात्, त्रुटिपूर्ण पर्यवेक्षणीय नियंत्रण के कारण, जैसा कि प्रस्तर 2.2.5 में चर्चा की गयी है, न तो यूटीसी और न ही यूपीएसआरटीसी ने बसों हेतु आईटीएस के प्रचालन को सुनिश्चित करने का कोई प्रयास किया। परिणामस्वरूप, ₹ 2.04 करोड़ के निष्फल व्यय के बावजूद बसों को बिना आईटीएस के संचालित किया जा रहा था।

यूटीसी ने समापन बैठक (नवंबर 2017) में तथ्यों को स्वीकार किया।

₹ 2.04 करोड़ के अलाभप्रद व्यय के बाद भी बसों में आईटीएस की स्थापना नहीं की गयी

²⁹ बसों पर जीपीएस एवं डेटा लॉगर सुविधा, बसों पर एलईडी डिस्प्ले, स्वचालित घोषणा सुविधा, बस चालक तथा नियंत्रण केन्द्र के मध्य संपर्क बनाये रखने हेतु मोडम/जीएसएम आधारित ट्रांसीवर, बसों पर ईंधन सेंसर, बस स्टॉप के बस शेल्टर पर एलईडी डिस्प्ले, सम्पर्क इन्टरलॉक प्रणाली, नियंत्रण स्टेशन पर संपर्क केन्द्र, नियंत्रण केन्द्र पर जीआईएस एप्लीकेशन साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर व साफ्टवेयर की अन्य आवश्यकतायें।

संस्तुति:

यूटीसी को प्रभावी अनुश्रवण के लिए सभी नगरीय बसों पर आईटीएस की स्थापना सुनिश्चित करनी चाहिए।

बसों का अनुरक्षण

2.2.18 यूपीएसआरटीसी ने एलसीटीएसएल, लखनऊ तथा केसीटीएसएल, कानपुर की क्रमशः 260 बसों और 270 बसों के अनुरक्षण हेतु पाँच साल का व्यापक वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (एएमसी) मेसर्स गोल्डरश सेल्स लिमिटेड (ठेकेदार) के साथ किया (अप्रैल 2010)। एएमसी के अनुसार, ठेकेदार को अनुबंध के प्रथम दो वर्षों में 95 प्रतिशत बसों की एवं अनुबंध के शेष तीन वर्षों में 92 प्रतिशत बसों की ऑन रोड उपलब्धता सुनिश्चित करनी थी। ठेकेदार को उपभोग योग्य सामग्रियों, कल-पुर्जों, टायर्स और अन्य सामानों की आपूर्ति की व्यवस्था करनी थी तथा उसे बसों द्वारा धावित किलोमीटरों के आधार पर यूटीसी (एलसीटीएसएल और केसीटीएसएल) द्वारा भुगतान किया जाना था, जिसके लिए पाक्षिक बिल निर्गत करने थे। यूटीसी के पर्यवेक्षकों (सेवा प्रबंधकों) को ठेकेदार द्वारा किये गये अनुरक्षण और मरम्मत कार्य का प्रतिदिन निरीक्षण करना था।

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि कुछ प्रकरणों³⁰ को छोड़कर, समय³¹ पर भुगतान करने के बावजूद भी सितम्बर 2011 से जुलाई 2012 की अवधि में ठेकेदार द्वारा केवल 90.39 प्रतिशत से 66.92 प्रतिशत बसें ही ऑन रोड उपलब्ध करायी गयी। यूटीसी ने ठेकेदार के खराब प्रदर्शन का संदर्भ देते हुए, एएमसी को समाप्त (जुलाई/अगस्त 2012) कर दिया। लेखापरीक्षा ने अभिलेखों से पाया कि ठेकेदार ने 61 बसें (एलसीटीएसएल की 42 बसें और केसीटीएसएल की 19 बसें) कैनिब्लाइज्ड³² कर दी थीं। उपरोक्त के अतिरिक्त, एलसीटीएसएल ने यह भी पाया (नवम्बर 2012) कि ठेकेदार ने ₹ 64.31 लाख की कीमत के 670 पुराने टायर और 489 पुराने ट्यूबों को अनाधिकृत रूप से बेच दिया था। एलसीटीएसएल और केसीटीएसएल ने 48 कैनिब्लाइज्ड बसों के पुनर्सुधार पर ₹ 5.69 करोड़ व्यय किये। एलसीटीएसएल की शेष 13 कैनिब्लाइज्ड बसें मार्च 2017 के अंत तक ऑफ रोड पड़ी हुयीं थीं।

एलसीटीएसएल की कैनिब्लाइज्ड बसों के चित्र



लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि एएमसी में दैनिक पर्यवेक्षण करने के प्रावधान होने और उसी परिसर में कार्यशाला के बगल में अपने स्वयं के पर्यवेक्षी कर्मचारियों के होने के

³⁰ सात प्रकरणों में 90 से 170 दिनों में भुगतान किया गया।

³¹ 34 प्रकरणों में भुगतान 21 दिनों से पहले, आठ प्रकरणों में 21 से 30 दिनों में, 20 प्रकरणों में 31 से 60 दिनों में और 11 प्रकरणों में 61 से 90 दिनों में।

³² बसें जो बिना उन पुर्जों के पड़ी हुयी हैं जो अन्य बसों में प्रयोग कर लिये गये हैं।

बावजूद, दोनों यूटीसी के एमडी और सेवा प्रबंधकों ने ठेकेदार द्वारा किये गये अनुरक्षण अथवा मरम्मत कार्य का निरीक्षण नहीं किया। परिणामस्वरूप, ठेकेदार की गतिविधियां अनिरीक्षित रहीं एवं एएमसी ठेकेदार के द्वारा मरम्मत की जा रहीं बसों के अनाधिकृत कैनब्लाइजेशन पर यूटीसी का ध्यान नहीं गया।

दोनों यूटीसी ने इस तरह के अनाधिकृत कैनब्लाइजेशन तथा पुराने टायर और ट्यूबों की बिक्री के लिए ठेकेदार के विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही नहीं की। इस प्रकार ठेकेदार के साथ यूटीसी के वरिष्ठ अधिकारियों की संदिग्ध मिलीभगत प्रतीत होती है। अन्ततोगत्वा, यूटीसी ने 48 कैनब्लाइज्ड बसों के पुनर्सुधार पर ₹ 5.69 करोड़ का परिहार्य व्यय किया जिसे बसों के अनाधिकृत कैनब्लाइजेशन को रोककर टाला जा सकता था। इसके अतिरिक्त, ₹ 11.97 करोड़³³ के राजस्व का नुकसान हुआ। यही नहीं, इन कैनब्लाइज्ड बसों के माध्यम से नगरीय जनता को परिवहन सुविधा प्रदान करने का सामाजिक उद्देश्य भी पराजित हो गया।

10 कैनब्लाइज्ड बसों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण³⁴ (अप्रैल 2017) ने पुष्ट किया कि ये बसें ₹ 1.92 करोड़ मूल्य के बस पुर्जों के बिना कैनब्लाइज्ड पड़ी हुयी थी।

यूटीसी ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को सुधारात्मक कार्यवाही के लिए स्वीकार किया (अक्टूबर 2017 एवं मार्च 2018)।

स्क्रेप की वसूली नहीं होना

2.2.19 ए-एमसीटीएसएल ने मेसर्स श्यामा श्याम सर्विसेज (ठेकेदार) के साथ इस शर्त पर एएमसी (अप्रैल 2010) की थी कि ठेकेदार स्क्रेप को यूटीसी को वापस कर देगा। तथापि, आंतरिक नियंत्रण तंत्र और आंतरिक लेखापरीक्षा के अभाव के कारण अप्रैल 2013 से फरवरी 2017 के दौरान ए-एमसीटीएसएल ₹ 14.24 करोड़ के पुर्जों की खरीद के सापेक्ष स्क्रेप की वापसी सुनिश्चित करने में असफल रहा।

ए-एमसीटीएसएल ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (मार्च 2018) और बताया कि स्क्रेप के मूल्य का आंकलन करने और ठेकेदार से स्क्रेप सामग्री के मूल्य की वसूली के लिए एक समिति गठित की गयी है।

संस्तुति:

1. यूटीसी को बसों के अनाधिकृत कैनब्लाइजेशन को रोकने हेतु बसवार/कार्यवार रखारखाव के काम का दैनिक अनुश्रवण तथा उसके कठोर अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु एमआईएस विकसित करना चाहिए।
2. ए-एमसीटीएसएल को वार्षिक अनुरक्षण ठेकेदार से स्क्रेप के मूल्य की वसूली करने की आवश्यकता है।

सीएनजी के क्रय पर छूट का लाभ न उठाना

2.2.20 सीएनजी के क्रय में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए यूटीसी में तुलनात्मक विश्लेषण या अन्य किसी भी प्रकार की कोई प्रणाली नहीं थी। यूटीसी द्वारा सीएनजी के क्रय में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए, यूपीएसआरटीसी द्वारा मेसर्स ग्रीन गैस लिमिटेड (जीजीएल) के साथ अपनी बसों अर्थात् लेखापरीक्षा के क्षेत्र में न सम्मिलित की गयी बसों हेतु सीएनजी आपूर्ति के लिए किये गये अनुबंध से तुलना की। लेखापरीक्षा

³³ राजस्व हानि ₹ 11.33 करोड़ और ₹ 0.64 करोड़ मूल्य के टायर और ट्यूब का अनाधिकृत विक्रय।

³⁴ उपमहालेखाकार/ई0एस0-1 के पर्यवेक्षण में लेखापरीक्षा दल के द्वारा एलसीटीएसएल के एआरएम के साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया।

ने पाया कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार, आपूर्तिकर्ता ने यूपीएसआरटीसी को आपूर्ति की जाने वाली सीएनजी के लिए ₹ 0.70 प्रति किलो³⁵ की छूट प्रदान की थी।

ए-एमसीटीएसएल अलग से अनुबंध किये बिना, यूपीएसआरटीसी के साथ किये अनुबंध के ही आधार पर जीजीएल से अप्रैल 2012 से सीएनजी का क्रय कर रहा है। तथापि, एमडी, ए-एमसीटीएसएल, जीजीएल द्वारा यूपीएसआरटीसी को प्रदान की गई छूट का लाभ उठाने में असफल रहे। इससे अप्रैल 2012 से दिसंबर 2016 की अवधि में ₹ 49.38 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

ए-एमसीटीएसएल ने कहा (मार्च 2018) कि भविष्य में छूट प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

एलसीटीएसएल ने सीएनजी की आपूर्ति के लिए जीजीएल के साथ अनुबंध (अप्रैल 2012) उन्हीं शर्तों³⁶ पर किया, जैसा कि, यूपीएसआरटीसी के साथ अनुबंध में उल्लिखित है। लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुबंध में शर्त होने के बाद भी, एलसीटीएसएल, मार्च 2015 से नवंबर 2016 की अवधि के लिए ₹ 39.70 लाख की छूट का लाभ उठाने में विफल रहा जबकि अप्रैल 2012 से प्रभावी पूर्वावधि में एलसीटीएसएल द्वारा छूट का लाभ उठाया गया।

एलसीटीएसएल ने बताया (मार्च 2018) कि जीजीएल अधिकारियों से संपर्क किया गया था लेकिन छूट प्राप्त नहीं की जा सकी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंध की शर्त को लागू करने के लिए छूट की राशि को रोक कर भुगतान करने थे, जैसा पूर्वावधि में किया गया था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

कुल मिलाकर, ए-एमसीटीएसएल और एलसीटीएसएल ने ₹ 89.08 लाख का परिहार्य व्यय किया।

विविध प्रकरण

विज्ञापन के अनुज्ञा शुल्क की वसूली न होने के कारण राजस्व की हानि

2.2.21 यूटीसी की बसों पर विज्ञापनों के प्रदर्शन के अनुबंध एवं संबंधित अभिलेखों की जांच से उन कमियों का पता चलता है, जिनके कारण ₹ 2.29 करोड़ की राजस्व हानि हुई, जिसका वर्णन नीचे किया गया है:-

- एलसीटीएसएल ने 260 बसों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए मेसर्स मोमेंटम कंट्रोल सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड (ठेकेदार) के साथ अनुबंध (दिसम्बर 2011) किया। अनुबंध के अनुसार, बसों के पूरे समूह के लिए ठेकेदार द्वारा प्रतिमाह अनुज्ञा शुल्क के रूप में ₹ 16.37 लाख का भुगतान किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुबंध करने के उपरान्त, एलसीटीएसएल ठेकेदार से बकाया राशि की आवधिक वसूली पर निगरानी रखने के लिए किसी भी प्रणालीगत तंत्र की स्थापना करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, ठेकेदार ने मार्च 2012 से भुगतान में चूक की। एलसीटीएसएल ने ठेकेदार द्वारा मासिक अनुज्ञा शुल्क का भुगतान करने में चूक के कारण ₹ 49.10 लाख की बैंक गारंटी का नकदीकरण कर लिया और अनुबंध समाप्त कर दिया। तथापि, एलसीटीएसएल, ₹ 81.97 लाख की बकाया राशि और ₹ 13.94 लाख की ब्याज की वसूली के उपायों को प्रारम्भ करने में विफल रहा।

एसीटीएसएल ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार कर लिया (मार्च 2018)।

³⁵ शर्त 10.01, आपूर्तित सीएनजी पर ₹ 0.70 प्रति किलोग्राम तथा आपूर्ति 10,000 किलो प्रतिदिन से अधिक होने पर ₹ 0.80 प्रति किलोग्राम छूट का प्रावधान करती है।

³⁶ शर्त 10.01, आपूर्तित सीएनजी पर ₹ 0.70 प्रति किलोग्राम तथा आपूर्ति 10,000 किलो प्रतिदिन से अधिक होने पर ₹ 0.80 प्रति किलोग्राम छूट का प्रावधान करती है।

- अनुबंध के अनुसार एक माह में सात दिनों से अधिक ऑफ रोड रही बसों पर एलसीटीएसएल एवं केसीटीएसएल को बसों पर विज्ञापन प्रदर्शन से मिलने वाले अनुज्ञा शुल्क क्रमशः ₹ 41 लाख³⁷ और ₹ 66 लाख³⁸ की हानि उठानी पड़ी।

यूटीसी ने तथ्यों की पुष्टि की (मार्च 2018) और अत्यधिक ऑफ रोड बसों के कारण राजस्व की हानि को स्वीकार किया। प्रबंधन ने भविष्य में इसे नियंत्रित करने का आश्वासन दिया।

- ए-एमसीटीएसएल के लिए यूपीएसआरटीसी द्वारा प्रोएक्टिव लिमिटेड के साथ किया गया अनुबंध (नवंबर 2012) 30 नवंबर 2015 को समाप्त हो गया। यूटीसी के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए पुराने अनुबंध की अवधि समाप्त होने से पूर्व, उसी पक्ष से प्रस्ताव मिलने के बावजूद, रणनीतिक योजना के अभाव के कारण, ए-एमसीटीएसएल के एमडी द्वारा पुनर्निविदा या अन्य विकल्प का सहारा नहीं लिया गया। इससे दिसम्बर 2015 से मार्च 2017 की अवधि में ₹ 26.41 लाख की राजस्व हानि हुयी।

ए-एमसीटीएसएल ने विज्ञापन अनुबंध के अन्तिमीकरण में देरी को स्वीकार किया (मार्च 2018)।

यूपीएसआरटीसी की बकाया राशि के निपटारे हेतु पैरास्टैटल्स के अंशदान का उपयोग

2.2.22 इस योजना के अंतर्गत, यूपीएसआरटीसी द्वारा प्राप्त धन का उपयोग बसों के क्रय हेतु किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि, योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि ₹ 217.17 करोड़ में से क्षेत्रीय प्रबंधक आगरा, यूपीएसआरटीसी ने नगर निगम, आगरा को, अनाधिकृत रूप से उपयोग कर यूपीएसआरटीसी के बकाया गृह कर के सापेक्ष ₹ 1.09 करोड़ का भुगतान कर दिया।

यूपीएसआरटीसी ने तथ्य स्वीकार किया (सितम्बर 2017) एवं ए-एमसीटीएसएल ने बताया (नवंबर 2017) कि यूटीसी को उक्त राशि वापस करने हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक यूपीएसआरटीसी को एक पत्र निर्गत किया गया था।

सेवा कर का अनियमित भुगतान

2.2.23 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत मरम्मत एवं अनुरक्षण के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाएं वित्त अधिनियम, 2012 के अंतर्गत सेवा कर से मुक्त थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि केसीटीएसएल ने मेसर्स श्यामा श्याम को अक्टूबर 2015 से मार्च 2017 की अवधि में अपनी 270 बसों के अनुरक्षण के लिए सेवा कर के रूप में अनियमित रूप से ₹ 1.05 करोड़ का भुगतान किया था। यह उल्लेख करना उचित है कि अन्य दो यूटीसी इस प्रकार के कर का भुगतान नहीं कर रहे थे।

समापन बैठक (नवम्बर 2017) में, प्रबंधन ने, उक्त धनराशि की ठेकेदार से वसूली के मुद्दे की जांच करने का आश्वासन दिया।

स्रोत पर मूल्य वर्धित कर की कटौती न करना

2.2.24 जीओयूपी ने विक्रेता को भुगतान करने के लिये उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति द्वारा वस्तु के मूल्य के चार प्रतिशत के बराबर मूल्य वर्धित कर की कटौती की अधिसूचना जारी (अक्टूबर 2013) की। एलसीटीएसएल और ए-एमसीटीएसएल अक्टूबर 2013 से नवंबर 2016 के दौरान क्रय की गयी सामग्रियों और कल-पुर्जों के लिए आपूर्तिकर्ताओं को किए गये भुगतान पर ₹ 82.71 लाख की वैट कटौती करने में असफल रहे।

³⁷ फरवरी 2012 से नवम्बर 2012 की अवधि में।

³⁸ दिसम्बर 2012 से मार्च 2014 की अवधि में।

एलसीटीएसएल प्रबंधन ने कहा (मार्च 2018) कि सरकारी अधिसूचना की प्राप्ति न होने के कारण, वह आवश्यक कार्यवाही नहीं कर सके तथा सुधारात्मक कार्यवाही प्रक्रिया में है।

ए-एमसीटीएसएल प्रबंधन ने बताया (मार्च 2018) कि उन्होंने समग्र दर पर अनुरक्षण ठेकेदार का भुगतान किया था तथा अलग से कोई सामग्री नहीं खरीदी थी; इसलिए, उन्होंने आवश्यक वैट की कटौती नहीं की थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने उन प्रकरणों को इंगित किया जहां वैट की कटौती किए बिना सामग्री के लिए भुगतान किया गया था।

2.3 उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड की निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुसरण लेखापरीक्षा

प्रस्तावना

2.3.1 उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) के सिंचाई विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी), उत्तर प्रदेश सरकार के उथले व गहरे ट्यूबवेलों के निर्माण व पुर्ननिर्माण, हाइड्रोलॉजिकल संरचनाओं के निर्माण के निक्षेप कार्यों³⁹ को लेता है एवं सिंचाई, जल निकासी तथा भवनों से सम्बन्धित कार्य करता है। कार्यों का निष्पादन 31 क्षेत्रीय इकाइयों, जिनमें से 29 राज्य में स्थित एवं रुड़की (उत्तराखण्ड) तथा भुवनेश्वर (उड़ीसा) प्रत्येक में एक इकाई, के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक इकाई का नेतृत्व एक परियोजना प्रबंधक द्वारा किया जाता है। इकाइयों को आठ जोन में बाँटा गया है, प्रत्येक जोन का पर्यवेक्षण एक महाप्रबंधक (जी0एम0) द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2007-13 की अवधि हेतु कम्पनी की एक निष्पादन लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम), उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) के 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अध्याय-11 के प्रस्तर 2.1 के रूप में प्रकाशित हुई थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को 20 जून 2014 को राज्य विधानमण्डल में रखा गया था तथा इस पर सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा विचार-विमर्श अभी (सितम्बर 2018) किया जाना है।

लेखापरीक्षा द्वारा की गई निम्नलिखित चार संस्तुतियाँ कम्पनी द्वारा स्वीकार की गई थी:

- कम्पनी को कार्यों के निष्पादन, वास्तुविदों की नियुक्ति तथा वास्तुविद शुल्क के भुगतान में निर्धारित प्रक्रियाओं का दृढ़ता से अनुपालन करना चाहिए;
- उप-ठेकेदारों को अग्रिमों का भुगतान निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जाना चाहिए;
- यह सुनिश्चित करने के लिये कि कार्यों पर किया गया व्यय स्वीकृत लागत/प्राप्त धन से अधिक नहीं है, तथा यह भी सुनिश्चित करने के लिये कि अधिकतम फल प्राप्ति के लिये अधिशेष निधि को विवेकपूर्ण ढंग से निवेश किया है, वित्तीय प्रबन्धन को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है; एवं
- कम्पनी को वित्तीय प्रबन्धन, कार्यों के निष्पादन, सामग्री के क्रय तथा आवश्यक नियंत्रण अभिलेखों के बनाये जाने से संबंधित आन्तरिक नियन्त्रण तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति

2.3.2 इस अनुसरण लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य पिछले निष्पादन लेखापरीक्षा की स्वीकृत संस्तुतियों के कार्यान्वयन की दिशा में कम्पनी द्वारा की गई प्रगति का आंकलन करना था। अनुसरण लेखापरीक्षा दिसम्बर 2016 से अप्रैल 2017 की अवधि में की गयी।

लेखापरीक्षा पद्धति में, मुख्यालय एवं 11 चयनित इकाइयों⁴⁰ जिन्हें पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल किया गया था, के अभिलेखों का परीक्षण, लेखापरीक्षा

³⁹ निक्षेप या लागत प्रदत्त सेन्टेज कार्य, वे कार्य हैं जहाँ सरकारी विभाग, सरकारी संगठन एवं अन्य ग्राहक, सम्बन्धित कार्य की वास्तविक लागत में सम्मिलित, सामग्री की वास्तविक लागत, श्रम इत्यादि के आधार पर तथा इन कार्यों के निष्पादन के लिये उपरिव्ययों एवं लाभ हेतु एक निश्चित प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान पर अपना कार्य निष्पादित कराने हेतु सहमत होते हैं।

⁴⁰ इकाई-1 सीतापुर, इकाई-2 इलाहाबाद, इकाई-3 वाराणसी, इकाई-4 आगरा, इकाई-5 गाजियाबाद, इकाई-8 लखनऊ, इकाई-11 फैजाबाद, इकाई-14 लखनऊ, इकाई-29 गोरखपुर, इकाई-36 नोएडा, इकाई-37 रुड़की।

प्रेक्षणों/प्रश्नों को निर्गत करना तथा प्रबन्धन के विचारों के समावेश हेतु प्रवेश एवं समापन बैठक करना, शामिल था।

निष्पादित कार्यों की स्थिति

2.3.3 वर्ष 2013-17 की अवधि में निष्पादित कार्यों की स्थिति को तालिका 2.3.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3.1: वर्ष 2013-14 से 2016-17 के मध्य निष्पादित कार्यों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण					
(₹ करोड़ में)					
क्र०सं०	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	वर्ष के प्रारम्भ में प्रगति पर कार्यों का मूल्य	1,304.96	1,060.63	1,013.13	961.76
2	वर्ष के दौरान निष्पादन हेतु प्राप्त कार्यों का मूल्य	273.00	479.52	728.06	860.52
3	उपलब्ध कार्यों का कुल मूल्य (1+2)	1,577.96	1,540.15	1,741.19	1,822.28
4	वर्ष के दौरान निष्पादित कार्यों का मूल्य	517.33	527.02	779.43	966.34
5	वर्ष के अन्त में प्रगति पर कार्यों का मूल्य (3-4)	1,060.63	1,013.13	961.76	855.94
6	उपलब्ध कार्यों के कुल मूल्य पर निष्पादित कार्यों के मूल्य का प्रतिशत (4 से 3)	32.78	34.22	44.76	53.03

स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सूचना।

स्वीकृत संस्तुतियों का कम्पनी द्वारा अनुपालन

2.3.4 कम्पनी को राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखे जाने (20 जून 2014) के पश्चात, लेखापरीक्षा संस्तुतियों को निदेशक मंडल (बीओडी) के संज्ञान में लाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, कंपनी को पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रकाश में लायी गई अनियमितताओं/कमियों के पुनः घटित होने से रोकने हेतु उपर्युक्त संस्तुतियों के कार्यान्वयन के लिए रणनीतिक योजना तैयार करनी चाहिये थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रबंधन ने लेखापरीक्षा संस्तुतियों के बारे में बीओडी को अवगत नहीं कराया। यह इसके कार्यान्वयन के लिए रणनीतिक योजना तैयार करने में भी असफल रहा। सिंचाई विभाग ने भी लेखापरीक्षा संस्तुतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी को कोई निर्देश निर्गत नहीं किये।

कम्पनी द्वारा संस्तुतिवार गैर-अनुपालन की चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गयी है:

कार्यों के निष्पादन, वास्तुविदों के चयन एवं वास्तुविद शुल्क के भुगतान में निर्धारित प्रक्रियाओं का दृढ़ता से अनुपालन

2.3.5 पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में यह टिप्पणी की गई थी कि कम्पनी कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित प्रक्रियाओं का दृढ़ता से अनुपालन नहीं कर रही थी। राजकीय निर्माण निगम के वर्किंग मैनुअल के प्रावधानों का उल्लंघन, अनियमित तकनीकी स्वीकृति, उच्च दरों पर कार्य प्रदाय एवं सामग्री क्रय, वास्तुविदों के चयन/नियुक्ति एवं वास्तुविद शुल्क के भुगतान में अनियमितता के प्रकरण पाये गये थे।

उपरोक्त लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर, यह संस्तुति की गई कि कम्पनी को कार्यों के निष्पादन, वास्तुविदों के चयन एवं वास्तुविद शुल्क के भुगतान में निर्धारित प्रक्रिया का दृढ़ता से पालन करना चाहिए।

अनुसरण लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि कम्पनी के प्रबंधन ने, अधिकांशतः, संस्तुतियों का अनुपालन नहीं किया एवं पूर्ववर्ती निष्पादन लेखापरीक्षा में उल्लिखित 20 कमियों में से, इसने केवल 07 कमियों पर कार्य किया है तथा शेष कमियाँ अभी भी बनी हुई हैं, जिन पर नीचे चर्चा की गई है:

कम्पनी द्वारा वर्ष 2013-17 के मध्य निष्पादित कुल 1079 कार्यों में से 989 (91.66 प्रतिशत) कार्यों को उप-ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया गया था

2.3.6 मैनुअल के अनुसार, कार्य का निष्पादन, आवश्यक सामग्रियों का क्रय करके एवं आवश्यक यंत्र एवं उपकरणों की व्यवस्था करके सीधे कम्पनी के तकनीकी एवं अन्य कर्मचारियों के माध्यम से किया जाना चाहिए, जबकि श्रमिक को पीस रेट कर्मियों (पीआरडब्ल्यू) के माध्यम से लगाया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, यदि विशिष्ट कारणों से किसी प्रकरण में कार्य के एक भाग को सब-लेट करना अपरिहार्य हो, तो ऐसा केवल प्रबंध निदेशक (एमडी) के विशेष लिखित आदेशों के अन्तर्गत किया जा सकता है। वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि कम्पनी के परियोजना प्रबंधकों द्वारा सीधे कार्यों को करने के स्थान पर, बिना प्रबंध निदेशक के पूर्व स्वीकृति के, कार्यों का निष्पादन उप-ठेकेदारों के माध्यम से कराने की प्रथा जारी रखी गई। परिणामतः कम्पनी द्वारा 2013-17 के मध्य निष्पादित ₹ 1034.67 करोड़⁴¹ मूल्य के कुल 1079 कार्यों में से, ₹ 883.77 करोड़ मूल्य के 989 कार्य (91.66 प्रतिशत) उप-ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित किये गए थे।

समापन बैठक (नवम्बर 2017), में प्रबंधन एवं विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और सुधारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

वास्तुविदों की नियुक्ति एवं भुगतान

2.3.7 लेखापरीक्षा संस्तुतियों के बाद भी कम्पनी वास्तुविदों की नियुक्ति एवं भुगतान में सुधारात्मक कार्यवाही करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप, अनियमितताओं का घटित होना जारी रहा। 101 कार्यों की नमूना जाँच (चयनित 11 इकाइयों के 363 कार्यों में से जहाँ प्रबंधन ने 2013-17 के मध्य 71 वास्तुविदों की नियुक्ति की) में निम्नांकित अनियमिततायें प्रकट हुईं:

प्रतिस्पर्धी बिडिंग के बिना वास्तुविदों की नियुक्ति

2.3.8 परियोजना प्रबंधकों ने पारदर्शी तरीके से प्रतिस्पर्धी बिडिंग के माध्यम से वास्तुविदों के चयन में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों (नवंबर 2002) का अनुपालन नहीं किया, एवं वर्ष 2013-14 से 2016-17 की अवधि में पूर्व अर्हता प्राप्त वास्तुविदों के पैनल में सूचीबद्ध वास्तुविदों में से कुछ से तकनीकी बिड के आधार पर कोटेशन आमन्त्रित करके वास्तुविदों की नियुक्ति की पूर्व प्रथा जारी रखी।

समापन बैठक (नवम्बर 2017), में प्रबंधन एवं विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा सुधारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

वास्तुविदों को अनुचित लाभ

2.3.9 लेखापरीक्षा ने देखा कि निम्नांकित प्रकरणों में ठेकेदारों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया:

2.3.10 उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यूपीआरएनएन) द्वारा अपनायी गई पद्धति के अनुसार, अर्थात् वास्तुकला कार्य हेतु कार्य की लागत का 1.5 प्रतिशत तथा यदि ड्राइंग का पुनर्उपयोग किया गया है तो कार्य⁴² की लागत का 0.25 प्रतिशत, वास्तुविदों के शुल्क का निर्धारण करने के प्रबन्ध निदेशक के विद्यमान आदेश (जनवरी

⁴¹ लेखापरीक्षा में जांच की गई 11 इकाइयों द्वारा 2013-17 की अवधि में पूर्ण किये गये कार्यों का मूल्य।

⁴² विस्तृत वास्तुकला ड्राइंग, संरचनात्मक ड्राइंग, सेनेटरी/इलेक्ट्रिकल ड्राइंग एवं विस्तृत प्राक्कलन।

2008) के बावजूद, परियोजना प्रबंधकों (छ: इकाईयों)⁴³ ने आठ कार्यों⁴⁴ में छ: वास्तुविदों को, जहाँ वास्तुविदों ने समान ड्राइंग एवं डिजाइन तैयार किए थे तथा जिनपर, जैसा कि ड्राइंग एवं डिजाइन की पुनरावृत्ति पर लागू होता है, 0.25 प्रतिशत की दर से भुगतान आवश्यक था, 1.2 प्रतिशत से 1.25 प्रतिशत (सेवाकर सहित) की भिन्न-भिन्न दरों से शुल्क का भुगतान किया।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2018) कि उसने वास्तुविदों से कुल ₹ 13.30 लाख में से ₹ 6.09 लाख वसूल कर लिए हैं तथा शेष ₹ 7.21 लाख पूरी दर पर भुगतान किए गए थे क्योंकि ये पुर्नउपयोग वाली डिजाइन नहीं हैं। उत्तर सही नहीं है क्योंकि शेष ₹ 7.21 लाख के संबंध में उपयोगकर्ता विभागों⁴⁵ ने डिजाइनों का पुनरीक्षण करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि कार्य समान प्रकृति के थे, अतः बाद की ड्राइंग पुर्नउपयोग वाली ड्राइंग थीं।

वास्तुविदों को सेवाकर का भुगतान

2.3.11 पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, कम्पनी ने कहा था कि वास्तुविदों को पहले से किए गए अधिक भुगतान को वसूल किए जाने के प्रयास किए जा रहे थे। तथापि, अनुसरण लेखापरीक्षा में, यह देखा गया कि कम्पनी ने वास्तुविदों को पूर्व में अधिक भुगतान किए गए ₹ 29.30 लाख वसूल नहीं किए। चयनित 11 इकाईयों में से दो परियोजना प्रबंधकों ने 2013-17 की अवधि के दौरान पाँच प्रकरणों में ₹ 1.31 लाख का अधिक भुगतान किया था। यह इंगित करता है कि प्रबंधन चार वर्षों से अधिक समय के अंतराल के बाद भी प्रणालीगत दोषों को सुधारने में असफल रहा है जिसके कारण वास्तुविदों को अधिक भुगतान की घटनायें जारी हैं।

प्रबंधन ने कहा (फरवरी 2018) कि दो इकाईयों द्वारा अधिक भुगतान की गयी ₹ 1.31 लाख की राशि एवं पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में टिप्पणी किये गये अधिक भुगतान ₹ 29.30 लाख में से ₹ 17.70 लाख वसूल कर लिए गए हैं एवं शेष राशि को वसूल करने के प्रयास किये जा रहे थे। तथ्य यह है कि ₹ 11.60 लाख अभी भी (सितम्बर 2018) वसूली के लिए लंबित थे।

कार्य निष्पादन में कमियाँ

अनियमित तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना

2.3.12 उ0प्र0 सरकार ने मुख्य अभियंता या उससे ऊपर के स्तर के कम्पनी के अधिकारियों को तकनीकी स्वीकृति (टीएस) प्रदान करने की शक्ति प्रदान (फरवरी 2013) की। तदनुसार, कम्पनी के प्रबंध निदेशक ने मुख्य अभियंता स्तर के पद, मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) को टीएस प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नामित (सितम्बर 2014) किया।

चयनित 11 इकाईयों में से आठ⁴⁶ इकाईयों में वर्ष 2013-14 से 2016-17 की अवधि में ₹ 710.30 करोड़ मूल्य के 507 कार्यों हेतु प्रदान की गई टीएस की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि केवल 73 कार्यों (14 प्रतिशत) में टीएस सीजीएम द्वारा दी गयी थी। शेष ₹ 359.85 करोड़ मूल्य के 434 कार्यों में टीएस, परियोजना प्रबंधकों/महाप्रबंधकों द्वारा प्रदान की गयी जो अपेक्षाकृत निम्न रैंक के थे।

⁴³ इकाई-1 सीतापुर, इकाई-2 इलाहाबाद, इकाई-3 वाराणसी, इकाई-11 फैजाबाद, इकाई-14 लखनऊ एवं इकाई-29 गोरखपुर

⁴⁴ आईटीआई भवन, सिधौली, सीतापुर; 30 शय्या वाले तीन मैटरनिटी विंग, फूलपुर, जिला इलाहाबाद, कड़ा, जिला कौशाम्बी एवं भियांव, जिला अम्बेडकर नगर में; दो उप-स्वास्थ्य केन्द्र, पुवारीकलों, जिला वाराणसी तथा जलालपुर, जिला जौनपुर में; एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जेटू मवई, जिला अमेठी तथा एक तहसील कसया, जिला कुशीनगर में।

⁴⁵ स्वास्थ्य विभाग एवं योजना विभाग, जीओयूपी

⁴⁶ इकाई 2 इलाहाबाद (28 कार्य), इकाई 3 वाराणसी (16 कार्य), इकाई 4 आगरा (15 कार्य), इकाई 5 गाजियाबाद (137 कार्य), इकाई 8 लखनऊ (31 कार्य), इकाई 11 फैजाबाद (158 कार्य), इकाई 29 गोरखपुर (20 कार्य) एवं इकाई 36 नोएडा (29 कार्य)

पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में आश्वासन दिये जाने के पश्चात भी प्रबंधन वास्तुविदों से ₹ 11.60 लाख वसूल करने में विफल रहा

समापन बैठक (नवम्बर 2017) में, प्रबंधन एवं विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और सुधारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

अधिक दरों पर कार्य प्रदान करना

2.3.13 उ0प्र0 सरकार के विद्यमान आदेश (फरवरी 1997) के अनुसार, निष्पादन एजेन्सी द्वारा निष्पादित निक्षेप कार्यों पर सेन्टेज⁴⁷, यूपीपीडबल्यूडी एसओआर के आधार पर, कार्य हेतु बनाए गए प्राक्कलन में से पाँच प्रतिशत घटाने के पश्चात् आयी हुई कार्य लागत के 12.5 प्रतिशत तक सीमित है। दूसरे शब्दों में, कम्पनी को अपनी आय को अधिकतम करने के लिये उसे सौंपे गये निक्षेप कार्यों को कार्य की प्राक्कलित लागत के 95 प्रतिशत पर पूरा करना चाहिये था। यह सुनिश्चित करने के लिए, कम्पनी को प्राक्कलित लागत के 95 प्रतिशत या उससे नीचे, निविदाएँ (कार्यों के उप-अनुबंध के प्रकरणों में) आमंत्रित करने की आवश्यकता थी।

प्राक्कलित लागत के 95 प्रतिशत से अधिक लागत पर निविदाओं का आमंत्रण करने के परिणामस्वरूप ₹ 3.71 करोड़ के सेन्टेज की हानि

पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रकाश में लाया गया था कि कम्पनी ने उप-ठेकेदारों को उच्च दरों पर कार्य प्रदान किया था जिसके कारण उपयोगकर्ता विभाग/कम्पनी को हानि हुई थी। अनुसरण लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि नवंबर 2012 से मई 2016 के मध्य कम्पनी के इलाहाबाद एवं गाजियाबाद जोन के महाप्रबंधकों ने दो निक्षेप कार्यों⁴⁸ के लिए प्राक्कलित लागत के 100 प्रतिशत पर पंजीकृत ठेकेदारों से निविदाएँ आमंत्रित की जिसके परिणामस्वरूप, निजी ठेकेदारों को प्राक्कलित लागत के 95 प्रतिशत से अधिक की दर पर कार्य प्रदान किए गए। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 3.71 करोड़ की सेन्टेज की भी हानि हुई।

इकाईयों के मध्य कार्यों का अव्यवस्थित वितरण

2.3.14 जैसा कि पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में टिप्पणी की गई थी, कम्पनी के प्रबंध निदेशकों को लागत को ध्यान में रखते हुए मैनुअल के पैरा 17 ब के अनुसार कम्पनी के सर्वोत्तम लाभ के लिए विभिन्न इकाईयों के मध्य कार्यों के वितरण के लिए मापदण्डों की व्यवस्था करना एवं उन्हें अपनाना चाहिये था। उपर्युक्त टिप्पणी के अनुपालन में, कम्पनी ने विभिन्न इकाईयों के कार्यक्षेत्रों को भी परिभाषित⁴⁹ किया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभिन्न इकाईयों के कार्यक्षेत्रों को परिभाषित करने के बावजूद, एमडी ने कार्य क्षेत्रों से 46 से 143 किलोमीटर दूर स्थित अन्य इकाईयों को कार्यों का आवंटन किया जो कि तालिका 2.3.2 में प्रदर्शित है।

तालिका 2.3.2: कार्यों के आवंटन का विवरण			
कार्य का नाम	चिन्हित कार्य क्षेत्रों के अनुसार उपलब्ध इकाईयें	इकाई जिसे कार्य आवंटित किया गया	कार्य निष्पादन करने वाली इकाई एवं कार्य स्थल के मध्य दूरी किमी० में
कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में पोल्ट्री शेड का निर्माण	मेरठ	गाजियाबाद	46
जिला कृषि संरक्षण अधिकारी (डीएपीओ), मेरठ के कार्यालय में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	मेरठ	गाजियाबाद	46
जिला कृषि संरक्षण अधिकारी (डीएपीओ), मेरठ के कार्यालय में अतिरिक्त कक्ष एवं बफर गोदाम का निर्माण	मेरठ	गाजियाबाद	46
पशु चिकित्सालय, मेरठ	मेरठ	गाजियाबाद	46
कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में मरम्मत एवं नवीकरण कार्य	मेरठ	गाजियाबाद	46
ट्रॉमा सेन्टर, बरस्ती का निर्माण	बरस्ती	फैजाबाद	71

⁴⁷ अपने उपरिचयों को पूरा करने के लिये, निष्पादन करने वाली एजेन्सी को उपलब्ध लाभ का अंतर

⁴⁸ वरुणा नदी पर वाराणसी में, यमुना नदी पर, वृंदावन, मथुरा में निर्माण/नवीनीकरण/भूपरिदृश्य/तटीकरण के कार्य

⁴⁹ कम्पनी द्वारा दिनांक 28 जून 2013 के कार्यालयादेश द्वारा इकाईयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को परिभाषित किया गया था

तालिका 2.3.2: कार्यों के आवंटन का विवरण			
कार्य का नाम	चिन्हित कार्य क्षेत्रों के अनुसार उपलब्ध इकाईयाँ	इकाई जिसे कार्य आवंटित किया गया	कार्य निष्पादन करने वाली इकाई एवं कार्य स्थल के मध्य दूरी किमी० में
एनआरएचएम कार्य, गोरखपुर (12 कार्य)	गोरखपुर	फैजाबाद	143
जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), बस्ती के घरों का निर्माण	बस्ती	फैजाबाद	71

स्रोत: इकाईयाँ का प्रगति विवरण

समापन बैठक (नवम्बर 2017) में प्रबंधन एवं विभाग ने लेखा प्रेक्षण स्वीकार किया एवं सूचित किया कि उचित शासकीय आदेश निर्गत (अक्टूबर 2017) कर दिये गये हैं।

उप-ठेकेदारों को अग्रिमों का भुगतान निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जाना चाहिए

2.3.15 प्रबंधन ने पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित उप-ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार किया था एवं उचित कार्यवाही करने की सहमति दी थी। इस प्रकार, कम्पनी को मैनुअल में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीवीसी/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करने एवं गलती करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए थी। वर्तमान अनुसरण लेखापरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि कम्पनी अपने आश्वासनों को पूरा करने में विफल रही, जैसा कि अनुगामी प्रस्तरों में चर्चा की गयी है:

उप-ठेकेदारों को जारी अग्रिमों का समायोजन न किया जाना

2.3.16 पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था कि कम्पनी द्वारा ठेकेदारों को अग्रिम अवमुक्त करने से सम्बन्धित मैनुअल⁵⁰ के प्राविधानों का अनुपालन करना चाहिए। लेखापरीक्षा द्वारा यह भी इंगित किया गया था कि अग्रिम केवल अति-आवश्यक मामलों में प्रभारी अभियन्ता द्वारा विधिवत प्रमाणित किए गए कुल कार्य की मात्रा के आंकलन एवं मूल्यांकन के बाद अवमुक्त किया जाना चाहिए। पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में एक इकाई (इकाई-37 रुड़की) द्वारा उप-ठेकेदारों को अवमुक्त किये गये ₹ 22.60 करोड़ के अनियमित अग्रिमों का लेखापरीक्षा प्रेक्षण भी उठाया गया था।

वर्तमान अनुसरण लेखापरीक्षण में देखा गया कि यद्यपि कम्पनी द्वारा अपने कुछ कर्मचारियों पर विद्यमान प्राविधानों का अनुपालन न करने के कारण लघु अर्थदण्ड लगाया गया, परन्तु यह कार्यों के मापन एवं बिलों के तैयार न होने के कारण अग्रिमों का पूर्ण रूप से समायोजन करने में विफल रही। प्रबंधन ने पुष्टि की कि फरवरी 2018 तक ₹ 2.71 करोड़ के अग्रिमों का समायोजन लंबित था।

लेखापरीक्षा प्रभाव

लेखापरीक्षा प्रेक्षण के अनुपालन में कम्पनी द्वारा उप-ठेकेदारों को अवमुक्त कुल अग्रिम ₹ 22.60 करोड़ के सापेक्ष ₹ 19.89 करोड़ का समायोजन किया गया।

लेखापरीक्षा में, अग्रिम अवमुक्त करने के सम्बन्ध में पायी गयी अन्य अनियमितताओं पर आगे संक्षेप में चर्चा की गई है:

⁵⁰ मैनुअल प्रावधानित करता है कि परियोजना प्रबंधक, सामग्री पर ग्रहणाधिकार सुरक्षित करने के लिये औपचारिक अनुबन्ध करने के पश्चात, उप-ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर लायी गई सामग्री के वर्तमान मूल्य के 75 प्रतिशत तक अग्रिम दे सकता है। यह पुनः प्रावधानित करता है कि अति आवश्यक प्रकरणों में, जहाँ उप-ठेकेदार को धन की आवश्यकता है परन्तु मापित बिल तैयार न किये जा सकें, परियोजना प्रबंधक, किये गये कुल कार्य की मात्रा के आंकलन एवं मूल्यांकन के पश्चात तथा ऐसे आंकलन हेतु एक प्रमाण पत्र पर अपने हस्ताक्षर करके उप-ठेकेदार को अग्रिम अवमुक्त कर सकता है। ऐसे अमापित अग्रिम भुगतानों की आवृत्ति एक मापित भुगतान के सापेक्ष दो से अधिक नहीं होनी चाहिए।

चार वर्ष बीतने के उपरान्त भी ₹ 2.71 करोड़ के अग्रिम असमायोजित पड़े थे

उप-ठेकेदारों को अनियमित रूप से अग्रिम अवमुक्त करना

2.3.17 इकाई-3, वाराणसी द्वारा निष्पादित नौ कार्यों की परीक्षण जांच में पाया गया कि परियोजना प्रबंधक द्वारा दिसम्बर 2014 से जनवरी 2017 की अवधि में 10 उप-ठेकेदारों को उनके द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्रों के आधार पर, निष्पादित कार्य की वास्तविक मात्रा अथवा उप-ठेकेदारों द्वारा कार्यस्थल पर लायी गयी सामग्री के मूल्य का आंकलन किये बिना, मैनुअल के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए, ₹ 3.77 करोड़ के ब्याज रहित सुरक्षित अग्रिम अवमुक्त किये गये। इसके अतिरिक्त, कम्पनी के हित की सुरक्षा हेतु समकक्ष धनराशि की कोई बैंक गारण्टी प्राप्त नहीं की गयी थी।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2017) कि निष्पादित कार्यों के मूल्यांकन के पश्चात ही अग्रिम अवमुक्त किये गये थे एवं सभी अग्रिमों का समायोजन कर लिया गया था। उत्तर गलत है क्योंकि अग्रिम, निष्पादित कार्यों का मापन किये बिना एवं मैनुअल के प्राविधानों के विपरीत दिये गये थे। कम्पनी, लेखापरीक्षा को दिये गये आश्वासन को पूरा करने में भी विफल रही, परिणामस्वरूप उप-ठेकेदारों को सुरक्षित अग्रिम अवमुक्त करने की अनियमित प्रथा की निरन्तरता बनी रही।

2.3.18 सीवीसी दिशानिर्देशों (अक्टूबर 1997 और अप्रैल 2007) के अनुसार, मोबिलाइजेशन अग्रिम (एमए) केवल विशिष्ट मामलों में, निविदा प्रपत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए, दिया जाना चाहिए एवं अग्रिम, ब्याज सहित होना चाहिए ताकि ठेकेदार अवांछित लाभ न उठा सके।

ब्याज रहित अग्रिम अवमुक्त करने से ₹ 24.79 लाख के ब्याज की हानि हुई

वरुणा नदी के तटीकरण एवं विकास कार्यों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि सीवीसी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, परियोजना प्रबंधक (इकाई-3 वाराणसी) द्वारा मेसर्स एपको इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड (उप-ठेकेदार) को निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी) एवं उप-ठेकेदार से किए गए अनुबंध में बिना किसी प्राविधान के बावजूद ₹ 23.50 करोड़ का ब्याज रहित मोबिलाइजेशन अग्रिम जारी (27 जुलाई 2016) किया गया। यही नहीं, उप-ठेकेदार से इस अग्रिम के सापेक्ष कोई बैंक गारण्टी भी नहीं ली गयी थी। इस प्रकार, ब्याज रहित मोबिलाइजेशन अग्रिम जारी करने से शासकीय कोष को ब्याज हानि एवं उप-ठेकेदार को ₹ 24.79 लाख⁵¹ का अवांछित लाभ पहुँचा।

इसके अतिरिक्त, उप-ठेकेदार को उसके द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर, कार्यस्थल पर सामग्री की प्राप्ति एवं उसके मापन से सम्बन्धित प्रपत्रों के बिना ₹ 38.00 करोड़⁵² के सुरक्षित अग्रिम भी अवमुक्त किये गये थे।

प्रबंधन ने कहा (फरवरी 2018) कि कार्य हेतु अग्रिम, सत्यापन के पश्चात कार्यस्थल पर संग्रहित सामग्री के मूल्य के सापेक्ष 75 प्रतिशत मूल्य तक एवं उप-ठेकेदार से क्षतिपूर्ति बॉण्ड प्राप्त करने के पश्चात अवमुक्त किये गये। उत्तर गलत है क्योंकि मोबिलाइजेशन अग्रिम उप-ठेकेदार द्वारा संसाधन जुटाने की प्रार्थना करने पर अवमुक्त किया गया था एवं दोनों ही प्रकरणों में अग्रिम, कार्यस्थल पर लायी गयी सामग्री एवं उसके मापन से सम्बन्धित कोई प्रपत्र प्राप्त किये बिना अवमुक्त किये गये थे।

इस प्रकार कम्पनी पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान दिये गये अपने आश्वासन पर कार्य करने में विफल रही एवं उप-ठेकेदारों को अनियमित अग्रिम अवमुक्त करने की प्रथा को जारी रखा।

⁵¹ पाँच प्रतिशत (सावधि जमा पर लागू ब्याज दर) की दर से 77 दिन के लिए 27 जुलाई 2016 से 13 अक्टूबर 2016 तक की अवधि, जो कि कार्य मापन के सापेक्ष समायोजन की तिथि थी

⁵² ₹ 18.00 करोड़ 14 अक्टूबर 2016 को एवं ₹ 20.00 करोड़ 19 दिसम्बर 2016 को

यह सुनिश्चित करने के लिये कि कार्यों पर किया गया व्यय प्राप्त धन/स्वीकृत लागत से अधिक नहीं है, वित्तीय प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। अधिकतम फल प्राप्ति हेतु अधिशेष निधि को विवेकपूर्ण ढंग से निवेश करने की भी आवश्यकता है।

2.3.19 उपरोक्त संस्तुति के अनुसार, प्रबंधन को अपने व्ययों को स्वीकृत लागत/वास्तविक प्राप्त धनराशि तक सीमित रखने की आवश्यकता थी। इसे अधिशेष धनराशि का विवेकपूर्ण प्रबंधन भी करना था। इसके लिए मैनुअल में उल्लिखित सामान्यतः स्वीकृत वित्तीय नियमों का दृढ़ अनुपालन आवश्यक था। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रेक्षण पाए गए:

शासकीय निधि पर ब्याज

2.3.20 यह देखा गया कि कम्पनी के वार्षिक लेखाओं में वर्ष 2005-06 से 2010-11 की अवधि में अप्रयुक्त शासकीय निधि पर अर्जित ब्याज ₹ 119.09 करोड़ को दायित्व के रूप में दिखाया गया था। यह धनराशि कम्पनी के 31 मार्च 2016 (कम्पनी के अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार) को समाप्त होने वाले वर्ष के वार्षिक लेखों में बढ़ कर ₹ 293.08 करोड़ हो गयी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 16 दिसम्बर 2014 के आदेश द्वारा समस्त कार्यदायी सरकारी एजेन्सियों को निर्देशित किया कि वह शासकीय निधि पर अर्जित ब्याज को कोषागार में विशिष्ट शीर्ष के अन्तर्गत जमा करें। कम्पनी द्वारा सरकारी निर्देशों के अनुपालन में नवम्बर 2011 से अप्रैल 2018 की अवधि में ₹ 155.67 करोड़ की ब्याज आय को शासकीय कोषागार में जमा किया था। तथापि, कम्पनी ब्याज की शेष धनराशि ₹ 137.41 करोड़ कोषागार में जमा करना सुनिश्चित करने में विफल रही है।

लेखापरीक्षा प्रभाव

लेखापरीक्षा प्रेक्षण के अनुपालन में कम्पनी ने 31 मार्च 2016 तक कुल अर्जित ब्याज ₹ 293.08 करोड़ में से ₹ 155.67 करोड़ शासकीय कोषागार में प्रेषित किया।

प्राप्त निधि से अधिक व्यय

2.3.21 मैनुअल के अनुसार, निक्षेप कार्यों पर व्यय ग्राहकों से प्राप्त धनराशि तक सीमित होना चाहिये।

यह देखा गया (फरवरी/मार्च 2017) कि कम्पनी की इकाईयों ने उचित नियंत्रण अभिलेख जैसे कि कार्य रजिस्टर इत्यादि, नहीं रखे जिसकी अनुपस्थिति में इसके पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं थी जिससे कि कार्यों पर व्यय को ग्राहक संस्थाओं से प्राप्त धन की सीमा तक सीमित रखा जा सके। परिणामस्वरूप, परियोजना प्रबंधकों द्वारा 55 कार्यों पर प्राप्त निधि ₹ 37.95 करोड़ के सापेक्ष ₹ 40.42 करोड़ का व्यय किया जो कि ₹ 2.47 करोड़ अधिक था।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2017) कि कुछ कार्य जैसे कि बाढ़ सुरक्षा कार्य एवं मिट्टी संबंधी कार्य सुरक्षित स्तर तक निष्पादित कराये गये। सरकारी निर्देशों के अनुसार जनहित से जुड़े कार्य भी कराये गये। प्रबंधन ने यह भी कहा (फरवरी 2018) कि ₹ 2.47 करोड़ के सापेक्ष, पाँच कार्यों से संबंधित ₹ 1.22 करोड़ का अधिक व्यय ही प्राप्त होना शेष है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सुरक्षित स्तर/बाढ़ सुरक्षा स्तर एवं मिट्टी संबंधी कार्य प्रारम्भिक अवस्था के कार्य थे जो कि उपलब्ध निधि से पहले ही कराये जा चुके थे। पुनः, प्रबंधन द्वारा अपने प्रत्युत्तर कि कार्य सरकारी आदेश पर निष्पादित गये थे, के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

कम्पनी द्वारा ग्राहक से प्राप्त निधि के सापेक्ष ₹ 2.47 करोड़ का अधिक व्यय किया गया

कम्पनी को अपने वित्तीय प्रबन्धन, कार्यों के निष्पादन, सामग्रियों के क्रय तथा आवश्यक नियंत्रण अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालियों को सुदृढ़ करना चाहिए।

2.3.22 पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कम्पनी में आन्तरिक नियंत्रण की अनुपस्थिति पर टिप्पणी की गयी थी। इस संबंध में प्रबंधन द्वारा अपने आश्वासनों को पूरा करने में असफलता के परिणामों के उदाहरणों की, जैसा कि वर्तमान अनुसरण लेखापरीक्षण के दौरान पाया गया, प्रस्तर 2.3.17, 2.3.18 एवं 2.3.21 में पहले ही चर्चा की गयी है। आगे के, परिणामों की चर्चा निम्नानुसार है:

मूल अभिलेखों का अनुचित रखरखाव

2.3.23 लेखापरीक्षा संस्तुति के आधार पर, परियोजना प्रबंधकों को निर्गत एवं वापस की गयी माप पुस्तिकाओं (एमबी) का वर्णन प्रदर्शित करने वाला अनुक्रमणिका रजिस्टर बनाना चाहिये था। दोहरे भुगतान एवं हेरफेर को रोकने के लिये एक कार्य से संबंधित समस्त मापों को एक ही एमबी में शामिल करना था एवं उनमें अभिलिखित विवरणों का मिलान कार्य रजिस्ट्रों से किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी के परियोजना प्रबंधकों (इकाई-29 गोरखपुर को छोड़कर) ने एमबी की अनुक्रमणिका रजिस्टर बनाये बिना एक काम के मापों को कई एमबी में दर्ज किया। एक ही कार्य के लिए एमबी की बहुलता होने एवं कितनी एमबी अस्तित्व में है इसका अभिलेख न होने के कारण, लेखापरीक्षा द्वारा कार्यों से संबंधित प्रविष्टियों की सत्यता एवं पूर्णता को सत्यापित करना सम्भव नहीं था। न ही कम्पनी अपने अभिलेखों से कोई आश्वासन प्राप्त करने में समर्थ होगी। कुछ लेखापरीक्षा जांचे जो निष्पादित नहीं की जा सकीं, निम्नानुसार हैं:

- वास्तविक निष्पादित कार्य की कुल मात्रा की तुलना, प्राक्कलन में दी गयी बिल की मात्रा से नहीं की जा सकी।
- कम्पनी द्वारा कार्य के समापन व वर्ष के अन्त में सामग्री उपभोग प्रपत्र, जो मैनुअल के अनुसार आवश्यक है, नहीं बनाया जा सका। इसलिए, एक कार्य में हुये कुल सामग्री उपभोग की तुलना प्राक्कलन में प्रतिपादित उपभोग से नहीं की जा सकी।
- दोहरे भुगतान के प्रकरणों का आसानी से पता नहीं लगाया जा सका।
- एमबी के रखरखाव में कमियों के कारण एमबी में हेरफेर की सम्भावना हो सकती है।

समापन बैठक (नवम्बर 2017) में प्रबंधन एवं विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं सुधारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

निष्कर्ष

अनुसरण लेखापरीक्षा में यह परिलक्षित हुआ कि कम्पनी द्वारा संस्तुतियों को आंशिक रूप से लागू किया गया था। अनियन्त्रित रही सत्त कमियां निम्नलिखित हैं:

1. मैनुअल के प्रावधानों के उल्लंघन में, आवश्यक सामग्री क्रय करके तथा आवश्यक यंत्र एवं उपकरणों की व्यवस्था करके एवं श्रमिकों की पीस रेट कर्मियों के माध्यम से व्यवस्था करके, सीधे कम्पनी के तकनीकी एवं अन्य कर्मचारियों के माध्यम से निष्पादित करने के बजाय, 91.66 प्रतिशत कार्य उप-ठेकेदारों के माध्यम से कराए गए;
2. कम्पनी द्वारा कार्यों के निष्पादन, वास्तुविदों की नियुक्ति तथा वास्तुविद शुल्क के भुगतान में निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया गया एवं बिना प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के वास्तुविदों की नियुक्ति जारी रखी गयी;

3. उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों के उल्लंघन में, ₹ 359.85 करोड़ मूल्य के 434 कार्यों के लिये तकनीकी स्वीकृति, अनियमित रूप से सीजीएम पद से नीचे के अधिकारियों यथा पी0एम0/जी0एम0 द्वारा दी गयी थी;
4. कम्पनी ने उप-ठेकेदारों को ₹ 65.27 करोड़ के अग्रिम अनियमित रूप से अवमुक्त किये; तथा
5. कम्पनी, वित्तीय प्रबन्धन, कार्यों के निष्पादन, एवं आवश्यक नियंत्रण अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित आन्तरिक नियन्त्रण तंत्र को सुदृढ़ करने में विफल रही।

अध्याय—3

संव्यवहार लेखापरीक्षा प्रेक्षण

3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किये गये संव्यवहारों की नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों को इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

3.1 भूखंडों के विक्रय पर अवसंरचना अधिभार का अधिरोपित न किया जाना

परिषद ने शासनादेश के उल्लंघन में 20 भूखंडों के विक्रय पर ₹ 33.89 करोड़ का अवसंरचना अधिभार नहीं वसूला एवं भूखंडों के क्रेताओं को अनुचित लाभ विस्तारित किया।

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (परिषद) को भूखण्डों की बिक्री करते समय उनके मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से आवासीय अवसंरचना अधिभार¹ (अधिभार) अधिरोपित करने का निर्देश (अगस्त 1998) दिया। इस अधिभार को प्रत्येक नगर के लिए अलग-अलग बैंक खातों में आवासीय अवसंरचना निधि के रूप में निक्षेपित किया जाना था। निधि में निक्षेपित की गयी धनराशि का व्यय जलनिकास एवं सीवर के निर्माण, मार्ग प्रकाश तथा जल आपूर्ति की व्यवस्था करने, सम्बन्धित नगर के सुन्दरीकरण, इत्यादि पर किया जाना था।

परिषद के संयुक्त आवास आयुक्त, लखनऊ क्षेत्र की लेखापरीक्षा ने दर्शाया कि परिषद के चार² सम्पत्ति प्रबंधन कार्यालयों (ईएमओ) ने 20 भूखंडों (1,24,810.37 वर्गमीटर) को सितम्बर 2014 से दिसम्बर 2016 के मध्य ₹ 338.89 करोड़ में बेचा/नीलाम किया। तथापि, उक्त ईएमओ के प्रभारी अधिकारी ने ₹ 33.89 करोड़ का अधिभार अधिरोपित नहीं किया जिससे क्रेताओं को अनुचित लाभ विस्तारित हुआ।

परिषद ने कहा (अगस्त 2017) कि अधिभार अधिभारित नहीं किया गया क्योंकि छूट का प्रकरण शासन के साथ अनुसरण में था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि शासन से अधिभार को अधिभारित करने से आवश्यक छूट प्राप्त करने के लिए सितम्बर 1999 के पश्चात (अर्थात् विगत 18 वर्षों से) पत्र-व्यवहार नहीं किया गया था। अतः, जब शासन द्वारा छूट नहीं दी गयी थी, अधिभार अधिभारित एवं वसूल किया जाना चाहिये था।

प्रकरण शासन को जुलाई 2017 तथा मार्च 2018 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित (सितम्बर 2018) है।

¹ नगर के अवसंरचना विकास को सुनिश्चित करने के लिए, परिषद को आवासीय अवसंरचना अधिभार आरोपित करने का निर्देश दिया गया था जो कि प्रत्येक नगर के लिए अलग-अलग बैंक खातों में आवासीय अवसंरचना निधि के रूप में निक्षेपित किया जाना था। इस निधि का व्यय अवसंरचना सम्बन्धित सुविधाओं के सुदृढीकरण जैसे जल निकास एवं सीवर के निर्माण, मार्ग प्रकाश तथा जल आपूर्ति की व्यवस्था करने, सम्बन्धित नगर का सुन्दरीकरण, इत्यादि पर किया जाना था।

² वृन्दावन, अवध विहार, आम्रपाली एवं इंदिरानगर

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

3.2 बकाये की वसूली में ठेकेदार को अनुचित लाभ

निगम ने बकाये की वसूली में ठेकेदार को अनुचित लाभ विस्तारित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 16.25 करोड़ के राजस्व की हानि हुई

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (निगम) ने राज्य में निगम की बसों एवं सभी 242 बस स्टेशनों के प्राधिकृत फूड प्लाजाओं में 'परिवहन नीर' ब्राण्ड नाम से बोतलबंद पेयजल की आपूर्ति एवं बिक्री के लिये मेसर्स एक्सिस इण्टरनेशनल (ठेकेदार) से एक अनुबंध (सितम्बर 2015) तीन वर्षों (01 सितम्बर 2015 से 31 अगस्त 2018) की अवधि के लिये वार्षिक अनुज्ञा शुल्क³ के आधार पर किया। ठेकेदार का चयन खुली निविदा के माध्यम से प्राप्त उच्चतम बोली के आधार पर किया गया था। इसके अतिरिक्त, अनुबंध की शर्तों के अनुसार, अनुज्ञा शुल्क, कर, लेवी या अन्य बकाये या क्षतिपूर्ति के भुगतान में कोई चूक होने पर इसे ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति जमा से काटा जायेगा, इस प्रकार काटी गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति ठेकेदार के द्वारा 15 दिनों अन्दर की जायेगी, जिसमें विफल रहने के परिणामस्वरूप, यह अनुबंध स्वतः समाप्त हो जायेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा (अप्रैल 2016) कि ठेकेदार ने अनुबंध के अनुसार, प्रतिभूति के रूप में ₹ 5.25 करोड़ (प्रथम वर्ष के लिए देय वार्षिक अनुज्ञा शुल्क अर्थात् ₹ 21.00 करोड़ का 25 प्रतिशत) तथा 1 सितम्बर एवं 1 अक्टूबर 2015 को देय अनुज्ञा शुल्क की प्रथम एवं द्वितीय किस्तों का भुगतान किया। तथापि, इसके पश्चात वह नवम्बर 2015 से देय मासिक किस्तों का भुगतान, देय तिथि पर करने में विफल रहा। देय अनुज्ञा शुल्क के भुगतान में ठेकेदार की निरंतर विफलता के कारण, निगम ने ₹ 5.25 करोड़ की बैंक प्रत्याभूति (बीजी) का नकदीकरण (जनवरी 2016) कर लिया। ठेकेदार ने बीजी के नकदीकरण के बाद भी मासिक किस्तों के भुगतान में चूक (फरवरी 2016 में किये ₹ 40.89 लाख के आंशिक भुगतान को छोड़कर) जारी रखी एवं बीजी की प्रतिपूर्ति, इसके नकदीकरण के 15 दिन के अंदर करने में असफल रहा। लेखापरीक्षा ने, आगे देखा कि प्रबंध निदेशक अनुबंध के स्वतः समाप्त होने के उपवाक्य को लागू करने में असफल रहे, तथा ठेकेदार को 28 जुलाई 2016 तक व्यवसाय जारी रखने की अनुमति दी इसके पश्चात् उसका बकाया ₹ 16.25⁴ करोड़ निर्धारित करते हुए, अनुबंध समाप्त कर दिया गया।

ठेकेदार ने, अनुबंध की समाप्ति के बाद, माननीय उच्च न्यायालय में समाप्ति आदेश के विरुद्ध एक याचिका दायर की जिसे ठुकरा दिया गया (अगस्त 2016)। न्यायालय ने इसके अतिरिक्त ठेकेदार को निगम के प्रबंध निदेशक से वार्ता करने अथवा माध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत मध्यस्थता की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। वर्तमान (सितम्बर 2018) में प्रकरण मध्यस्थ के समक्ष लम्बित है।

प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2018) कि स्वीकृत बोली की राशि (₹ 21.00 करोड़) काफी अधिक थी। द्वितीय उच्चतम बोलीदाता द्वारा केवल ₹ 2.02 करोड़ की बोली लगायी गयी थी, और इसलिए, निगम को न तो कोई हानि हुई न ही ठेकेदार का पक्ष लिया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंध की शर्तों के अनुसार, प्रतिभूति जमा से

³ ₹ 21.00 करोड़ प्रथम वर्ष के लिए, ₹ 22.05 करोड़ दूसरे वर्ष के लिए एवं ₹ 23.15 करोड़ तृतीय वर्ष के लिए आठ बराबर किस्तों में + लागू सेवा कर एवं विलम्ब हेतु दण्ड, यदि कोई हो, 0.10 प्रतिशत की दर से देय था

⁴ ₹ 12.67 करोड़ सेवा कर सहित अनुज्ञा शुल्क के रूप में तथा ₹ 3.58 करोड़ विलम्ब से भुगतान हेतु दण्ड के रूप में

बकायों के समायोजन की तिथि (जनवरी 2016) के 15 दिन के पश्चात, प्रबंध निदेशक को अनुबंध निरस्त कर देना चाहिए था।

प्रकरण शासन को जुलाई 2017 तथा मार्च 2018 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित (सितम्बर 2018) है।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

3.3 परिहार्य हानि

प्रतिस्थापन योग्य मीटर बॉक्स अलग से क्रय करने की प्रणाली न होने के कारण डिस्कॉम्स को ₹3.69 करोड़ की हानि हुई

उत्तर प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 (प्रदाय संहिता), अन्य विषयों के साथ, यह प्रदान करता है कि विद्युत के विपथन, चोरी या अप्राधिकृत प्रयोग या मीटर से छेड़छाड़, संकट या क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए अनुज्ञप्तिधारी⁵ द्वारा चोरी-मुक्त मीटर बॉक्स की व्यवस्था करना अनिवार्य है। छेड़छाड़ (चोरी) मुक्त मीटर बॉक्स एक पारदर्शी प्लास्टिक खोल में एकीकृत रहता है, यदि मीटर बॉक्स खोला जाय तो यह टूट जाता है, ऐसी सम्भाव्यता में, कार्यशील मीटर होने के बावजूद भी सम्पूर्ण मीटर बॉक्स को बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। मीटर और बॉक्स दो अलग-अलग इकाईयां हैं एवं खुली निविदा के माध्यम से अपनी सम्बन्धित तकनीकी विशिष्टियों के विरुद्ध पृथक-पृथक क्रय किये जाते हैं।

स्वतः बंद होने की व्यवस्था वाले चोरी-मुक्त मीटर बॉक्स



⁵ विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 2 (17) के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी से आशय एक व्यक्ति से है जिसे अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अनुज्ञा पत्र में निर्दिष्ट क्षेत्र में वितरण अनुज्ञप्तिधारी की भांति विद्युत वितरण करने की अनुमति प्रदान की गयी है। वर्तमान प्रकरण में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अनुज्ञप्तिधारी हैं

स्वतः बंद होने की व्यवस्था वाले चोरी-मुक्त मीटर बॉक्स



लेखापरीक्षा ने देखा कि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (म.वि.वि.नि.लि.) के विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड⁶ (इयूटीडी)-X, लखनऊ विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन (लेसा), विद्युत परीक्षण खण्ड (ईटीडी), बरेली और ईयूटीडी, बरेली एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (प.वि.वि.नि.लि.) के ईयूटीडी, मुरादाबाद ने ₹ 3.69 करोड़⁷ लागत के 50,367 कार्यरत मीटरों को नये मीटरों से 2014-15 से 2016-17⁸ के दौरान बदला⁹। एक बार प्लास्टिक मीटर बॉक्सों के टूटने के बाद, ₹ 71.01 लाख¹⁰ का व्यय करके अलग से मीटर बॉक्स क्रय करके उन्हें विद्यमान कार्यशील मीटरों में फिट करने के बजाय डिस्कॉमों ने विद्यमान कार्यशील मीटरों को रद्दी घोषित कर दिया।

विद्यमान मीटरों के कार्यशील होने के बावजूद, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के प्रबंध निदेशक ने अलग से मीटर बॉक्स क्रय करने की प्रणाली विकसित नहीं की एवं कार्यशील मीटरों को नये मीटरों से बदलना जारी रखा, जिसकी लागत डिस्कॉमों द्वारा वहन की गयी क्योंकि उपभोक्ता कार्यशील मीटरों को नये मीटरों से बदलने पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे।

लेखापरीक्षा ने, इसके अतिरिक्त, देखा कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, एक सहयोगी संस्था, ने कार्यशील मीटरों को पुनः प्रयोग करने के लिए अलग से मीटर बॉक्सों के क्रय की प्रणाली को अपनाया था जो कि लागत प्रभावी था।

⁶ ईयूटीडी-X(लेसा): 11,238 एकल फेज तथा 329 तीन फेज मीटर, ईटीडी, बरेली: 1,295 एकल फेज तथा 98 तीन फेज मीटर, ईयूटीडी, बरेली: 6,705 एकल फेज तथा 267 तीन फेज मीटर, ईयूटीडी, मुरादाबाद: 30,435 एकल फेज मीटर

⁷ 19,238 एकल फेज मीटर x ₹ 864 प्रति मीटर + 30,435 एकल फेज मीटर x ₹ 610 प्रति मीटर + 694 तीन फेज मीटर x ₹ 2,414 प्रति मीटर

⁸ ईयूटीडी-X(लेसा): 2015-16, ईटीडी तथा ईयूटीडी बरेली: 2014-15 से अगस्त 2016 एवं ईयूटीडी मुरादाबाद: 2015-16

⁹ मीटर या तो तार में दोष अथवा विशेष अभियान के अंतर्गत अंदर स्थापित मीटरों को उतार कर उनको उपभोक्ता के परिसर के बाहर पुनः स्थापित करने के कारण बदले गये

¹⁰ 19,238 एकल फेज मीटर x ₹ 175 प्रति मीटर बॉक्स + 30,435 एकल फेज मीटर x ₹ 101 प्रति मीटर बॉक्स + 694 तीन फेज मीटर x ₹ 952 प्रति मीटर बॉक्स

इसके परिणामस्वरूप, कार्यशील अवस्था के 50,367 (49,673 एकल फेज एवं 694 तीन फेज) मीटरों को पुनः उपयोग नहीं किया जा सका तथा इन्हें म.वि.वि.नि.लि.¹¹ एवं प.वि.वि.नि.लि.¹² द्वारा रद्दी कर दिया गया। उपलब्ध विकल्पों की लागत-लाभ विश्लेषण नहीं करने एवं अलग से मीटर बॉक्सों के क्रय के निर्णय के साथ आगे नहीं बढ़ने के कारण, इन डिस्कॉमों ने कार्यशील मीटरों के पुनः प्रयोग का अवसर खोया एवं परिणामतः ₹ 3.69 करोड़ की हानि उठाई जिसे टाला जा सकता था।

प.वि.वि.नि.लि. द्वारा प्रेषित (नवम्बर 2017) उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये विषय को संबोधित नहीं करता है।

प्रकरण शासन एवं प्रबंधन को जुलाई 2017 तथा मार्च 2018 में प्रतिवेदित किया गया। शासन एवं म.वि.वि.नि.लि. के प्रबंधन का उत्तर प्रतीक्षित (सितम्बर 2018) है।

लेखापरीक्षा प्रभाव

पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

3.4 लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर ₹ 3.63 करोड़ की वसूली

सीएनसीई विनियमावली 2009¹³ के अनुसार कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों को ऊर्जा की बैंकिंग¹⁴ की अनुमति इस शर्त के साथ दी जायेगी कि बैंक की गयी ऊर्जा की वापसी को पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से पीक आवर्स (17:00 आवर्स से 22:00 आवर्स) को छोड़कर, शेष अवधि के दौरान क्रय की गयी ऊर्जा के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा द्वारा मई 2017 में यह इंगित करने के बाद कि उपभोक्ता¹⁵ द्वारा पीक आवर्स में ली गयी ऊर्जा का समायोजन गलत तरीके से बैंक की गयी ऊर्जा के विरुद्ध किया जा रहा था, अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, पिपरी ने पीक आवर्स के दौरान विद्युत की आपूर्ति के लिए ₹ 3.63 करोड़ (अप्रैल 2009 से अगस्त 2013) का पूरक बिल निर्गत (जुलाई 2016) किया एवं उक्त की वसूली उपभोक्ता से अक्टूबर 2017 में कर ली।

¹¹ 19,238 एकल फेज मीटर एवं 694 तीन फेज मीटर

¹² 30,435 एकल फेज मीटर

¹³ उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग कैप्टिव एवं गैर-परम्परागत ऊर्जा उत्पादन संयंत्र विनियमों को अधिसूचित करता है

¹⁴ ऊर्जा की बैंकिंग एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक उत्पादन संयंत्र, ग्रिड को ऊर्जा की आपूर्ति किसी तृतीय पक्ष या अनुज्ञप्तिधारी को विक्रय के अभिप्राय से नहीं बल्कि ग्रिड से इस ऊर्जा की पुनः वापसी की पात्रता के प्रयोग के अभिप्राय से करता है

¹⁵ कनोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड {आदित्य बिरला केमिकल्स (इंडिया) लिमिटेड}

उत्तर प्रदेश वन निगम

3.5 अधिशेष निधि के अविवेकपूर्ण निवेश के कारण ब्याज की हानि

निगम अपने व्यावसायिक कार्यकलापों¹⁶ से सृजित अधिशेष निधि के अविवेकपूर्ण निवेश के कारण ₹ 1.52 करोड़ की अतिरिक्त ब्याज आय से वंचित रहा

उत्तर प्रदेश वन निगम (निगम) की लेखा नियमावली के अनुसार, निगम की निधियों का निक्षेपण भारतीय स्टेट बैंक, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंकों एवं अन्य अनुसूचित बैंकों में किया जायेगा। निगम के प्रबंध निदेशक (एमडी) द्वारा इन निधियों के प्रबंधन/निवेश के लिए एक समिति (तीन सदस्यों¹⁷ को सम्मिलित करते हुए) बनायी गयी थी। अधिशेष निधियों को सावधिक जमा (एफडी) में निवेश करने के लिए समिति अनुसूचित बैंकों से कोटेशन आमंत्रित करती है। समिति की संस्तुतियों पर निधियों का निवेश एमडी द्वारा उच्चतम कोटेड दर पर किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा (जनवरी 2017) कि समिति की संस्तुति पर, प्रबंध निदेशक ने तीन अलग-अलग तिथियों पर 26 एफडी के रूप में ₹ 248.82 करोड़ को एक वर्ष के लिए निवेश करने के समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया। आगे यह देखा गया कि ₹ एक करोड़ (एक वर्ष की अवधि के लिए) से कम की एफडी पर ब्याज की दर, अधिक धनराशि या लम्बी अवधि या दोनों के लिए एफडी पर बैंकों द्वारा प्रस्तावित दरों की तुलना में, अधिक थी।

निगम द्वारा की गयी एफडी की संवीक्षा ने दर्शाया कि 17 दिसम्बर 2016 को ₹ एक करोड़ से कम की पांच एफडी¹⁸ सात से 7.25 प्रतिशत की दर से बनवायी गयीं एवं ₹ एक करोड़ से अधिक की एक एफडी 6.5 प्रतिशत के दर से बनवायी गयीं। 21 दिसम्बर 2016 को, ₹ एक करोड़ से कम की चार एफडी सात प्रतिशत की दर से बनवायी गयी एवं एक करोड़ से अधिक की अन्य पांच एफडी सात प्रतिशत¹⁹ से कम की दरों पर बनवायीं गयीं। इसी प्रकार, 23 दिसम्बर 2016 को, ₹ एक करोड़ से कम की चार एफडीयां सात प्रतिशत की दर से एवं एक करोड़ से अधिक की अन्य सात एफडी सात प्रतिशत²⁰ से कम की दरों पर बनवायीं गयीं।

यह सुस्पष्ट है कि 13 एफडी सात से 7.25 प्रतिशत की उच्च दरों पर निवेशित की गयीं। तथापि, अन्य 13 एफडी का निवेश 6.26 से 6.61 प्रतिशत की सीमा के मध्य ब्याज की नीची दरों पर किया गया। यह इंगित करता है कि समिति ने अधिशेष निधि के निवेश के लिए विभिन्न बैंकों से प्राप्त कोटेशनों का उस तरीके से उचित विश्लेषण नहीं किया जो अधिकतम प्रतिफल प्रदान करता। अन्यथा, यदि उपरोक्त तीन तिथियों के सभी एफडी का निवेश साधारणतया उपलब्ध सात प्रतिशत की दर पर किया गया

¹⁶ निगम के व्यवसायिक क्रियाकलाप अधिकार-शुल्क के भुगतान के बदले वन विभाग द्वारा इनको हस्तांतरित किये गये वन उत्पादों का संग्रहण/विक्रय है

¹⁷ महाप्रबंधक (उद्योग) समिति के अध्यक्ष थे एवं महा प्रबंधक (विपणन) तथा मुख्य लेखा अधिकारी समिति के दो अन्य सदस्य थे

¹⁸ ₹ 99,90,000.00 की चार सावधिक जमाएं सात प्रतिशत की दर से तथा ₹ 99,90,000.00 की एक सावधि जमा 7.25 प्रतिशत की दर से

¹⁹ दो 6.5 प्रतिशत पर, एक 6.61 प्रतिशत पर एवं शेष दो 6.26 प्रतिशत पर

²⁰ दो 6.5 प्रतिशत पर, एक 6.61 प्रतिशत पर एवं चार 6.26 प्रतिशत पर

होता तो निगम ₹ 1.52 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज उपार्जित कर सकता था। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, निगम द्वारा प्रकरण की आंतरिक समीक्षा कभी नहीं की गयी।

प्रबंधन (अगस्त 2017) एवं उत्तर प्रदेश शासन (फरवरी 2018) ने कहा कि बैंक ब्याज दर के विभिन्न स्लैब्स में, एक विशेष तिथि पर केवल एक ही एफडीआर निर्गत करने के लिए प्रतिबद्ध थे। यदि एक विशेष तिथि को सभी धनराशियाँ एक एफडीआर में निवेश कर दी जाती तो निगम को ब्याज की हानि होती। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि केवल चार बैंक शाखाओं ने एक विशेष तिथि पर ₹ एक करोड़ से कम की एक एफडीआर निर्गत करने का प्रस्ताव दिया था। इसके अतिरिक्त, निगम ने एक बैंक शाखा²¹ में उसी तिथि पर (दिसम्बर 2016) ₹ एक करोड़ से कम की 10 एफडी में निवेश किया था। अधिकतम ब्याज उपार्जन के लिए एफडी की धनराशि को विभाजित कर विभिन्न बैंकों में भिन्न-भिन्न तिथियों पर ₹ एक करोड़ से कम की एफडी में निवेश किया जा सकता था।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

3.6 राजस्व का कम प्रभारण

प्रदाय संहिता, 2005 के प्रावधानों का पालन न करने के कारण कम्पनी ने एक उपभोक्ता को ₹ 1.28 करोड़ से कम प्रभारित किया

उत्तर प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 (प्रदाय संहिता) उपवाक्य 5.7 (मीटर जो अभिलेखन नहीं करता) के अंतर्गत बताता है कि उपभोक्ता को अंतिम रीडिंग की तिथि एवं त्रुटिपूर्ण मीटर बदले जाने की तिथि के मध्य की अवधि के लिए अंतिम रीडिंग के पूर्व तीन बिल चक्र के औसत उपभोग एवं औसत अधिकतम मांग के आधार पर बिल किया जायेगा। औपबंधिक बिल, यदि कोई जारी किया गया, तदनुसार समायोजित किया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा (दिसम्बर 2016) कि प्रदाय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) के अधिशासी अभियंता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-11, नोएडा (खण्ड) ने एक उपभोक्ता²² को माह अक्टूबर 2015 (16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2015 तक अर्थात्, 16 दिन) के विद्युत उपभोग हेतु बिल, दोषपूर्ण डबल पोल मीटर²³ में दर्ज रीडिंग के आधार पर एवं माह नवम्बर 2015 हेतु, 23 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2015 के मध्य मुख्य मीटर²⁴ में दर्ज रीडिंग के अनुपातिक आधार पर निर्गत किया। इसके स्थान पर, उपर्युक्त अवधि का बिल अंतिम रीडिंग के पूर्व तीन बिलिंग चक्रों अर्थात् अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर 2015 के औसत उपभोग एवं औसत

²¹ पंजाब नेशनल बैंक, बंधरा शाखा

²² सैमसंग, नोएडा अनुबन्धित भार: 15,000 कॅवीए

²³ खण्ड के अधिकारियों के प्रतिवेदन के अनुसार, मीटर में पूर्व-स्थापित सॉफ्टवेयर में त्रुटि के कारण उपभोक्ता के भवन में स्थापित मुख्य मीटर 16 अक्टूबर 2015 से विद्युत उपभोग का अभिलेखन सभी आठ टीओडी क्षेत्रों में, क्षेत्र प्रथम को छोड़ कर, नहीं कर रहा था। इसके अतिरिक्त, डबल पोल मीटर का आरटीसी (रियल टाइम क्लॉक) त्रुटिपूर्ण था

²⁴ मुख्य मीटर का सॉफ्टवेयर 23 नवम्बर 2015 को भारित/अपलोड किया गया। माह नवम्बर 2015 का बिल 23 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2015 तक मुख्य मीटर में अभिलिखित रीडिंग का औसत लेकर बनाया गया

अधिकतम मांग के आधार पर निर्गत किया जाना था। प्रदाय संहिता के प्रावधानों का पालन नहीं करने से कम्पनी ने उपभोक्ता को ₹ 1.28 करोड़ से कम प्रभारित किया।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2017) कि जब डबल पोल मीटर सही रीडिंग दर्ज कर रहा था, तो उपभोक्ता के उपभोग का निर्धारण प्रदाय संहिता 2005 के अनुसार अंतिम तीन महीनों के औसत के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था। खण्ड ने प्रदाय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, उपभोक्ता को बिल भेजा। इसके अतिरिक्त, खण्ड के अधिकारी/कर्मचारियों²⁵ ने प्रतिवेदित किया था कि डबल पोल मीटर की आरटीसी त्रुटिपूर्ण थी एवं डबल पोल मीटर में दर्ज उपभोग के आधार पर सही बिल निर्गत करना सम्भव नहीं था।

प्रकरण शासन एवं प्रबंधन को जून 2017 तथा मार्च 2018 में प्रतिवेदित किया गया। शासन का उत्तर प्रतीक्षित (सितम्बर 2018) है।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

3.7 लागू न्यूनतम शुल्क नहीं प्रभारित करने से राजस्व की हानि

एचवी-3 श्रेणी के उपभोक्ता (रेलवे ट्रैक्शन) के बिल में लागू न्यूनतम शुल्क नहीं प्रभारित करने के कारण दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को ₹ 1.20 करोड़ के राजस्व की हानि सहन करनी पड़ी

टैरिफ आदेश²⁶ 2012-13 और 2013-14, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित एवं हाई वोल्टेज (एचवी)-3 श्रेणी उपभोक्ताओं (रेलवे ट्रैक्शन) पर प्रयोज्य, 'दर'²⁷ प्रदान करता है जो मांग एवं विद्युत शुल्क बताता है जिन पर विद्युत उपभोग हेतु उपभोक्ता को बिल भेजा जायेगा। इसके अतिरिक्त, यह बताता है कि एक उपभोक्ता 'न्यूनतम प्रभार' के आधार पर बिल किया जायेगा जोकि केवल तब प्रभाव में आएगा जब 'प्रभार की दर' न्यूनतम प्रभार से कम हो।

लेखापरीक्षा ने देखा (मई 2016) कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) के अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड-11, झाँसी (खण्ड) ने वरिष्ठ संभागीय विद्युत अभियंता, भारतीय रेल, झाँसी (उपभोक्ता) को एचवी-3 (रेलवे ट्रैक्शन) श्रेणी के अंतर्गत 5,000 केवीए के अनुबन्धिक भार का एक संयोजन निर्गत (जनवरी 2013) किया। इस तथ्य के बावजूद कि वास्तविक उपभोग न्यूनतम प्रभार से कम था; खण्ड ने उपभोक्ता को जनवरी 2013 से अगस्त 2013 (अप्रैल 2013 को छोड़ कर) की अवधि के लिए न्यूनतम प्रभार (₹ 550/केवीए/माह, 1 अक्टूबर 2012 से 9 जून 2013 के दौरान तथा ₹ 650/केवीए/माह 10 जून 2013 से 11 अक्टूबर 2014 के दौरान) के स्थान पर, वास्तविक उपभोग के आधार पर बिल किया।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.20 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, धनराशि

²⁵ अधिशासी अभियंता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-11, नोएडा

²⁶ टैरिफ आदेश 2012-13 (1 अक्टूबर 2012 से 9 जून 2013) एवं टैरिफ आदेश 2013-14 (10 जून 2013 से 11 अक्टूबर 2014)

²⁷ स्थायी/मांग प्रभार एवं ऊर्जा प्रभार का योग

वसूली योग्य नहीं रही क्योंकि उस तिथि से जब से उक्त राशि प्रथम बार देय हुयी थी, दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया था।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं कहा (सितम्बर 2017) कि माह जून 2016 के बिल में ₹ 95 लाख का निर्धारण जोड़ दिया गया था। उपभोक्ता ने तब से प्रदाय संहिता के अंतर्गत, उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, झाँसी (फोरम) में एक याचिका दायर (जनवरी 2017) की है जो कि अभी तक (सितम्बर 2018) लम्बित है। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा कम-वसूली इंगित किये जाने के बाद, प्रबंधन ने सुधारात्मक कार्यवाही की परन्तु मामला अब समय-बाधित हो गया एवं बकाया वसूली योग्य नहीं रहा। यदि कम्पनी ने उचित अनुश्रवण तंत्र विकसित एवं अनुरक्षित किया होता तो सुधारात्मक कार्यवाही में इस परिहार्य विलम्ब को रोका जा सकता था।

प्रकरण शासन एवं प्रबंधन को जून 2017 तथा मार्च 2018 में प्रतिवेदित किया गया। शासन का उत्तर प्रतीक्षित (सितम्बर 2018) है।

लखनऊ

दिनांक 10 नवम्बर 2018
NOV 2018



(सौरभ नारायण)

महालेखाकार

(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा),
उत्तर प्रदेश

प्रति हस्ताक्षरित

नई दिल्ली


दिनांक 12th NOV, 2018



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्टियाँ



परिशिष्ट 1.1
(प्रस्तर 1.1 एवं 1.5 में सन्दर्भित)
31 मार्च 2017 को पीएसयू के बकाया प्रदत्त पूंजी, ऋण एवं प्रत्याभूतियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	क्षेत्र/कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूंजी (अंश आवेदन धनराशि सम्मिलित करते हुए)				वर्ष की समाप्ति पर बकाया ऋण (दीर्घावधि)				बकाया प्रत्याभूति अन्य
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	
(1)	(2)	3 (अ)	3 (ब)	3 (स)	3 (द)	4 (अ)	4 (ब)	4 (स)	4 (द)	5
अ. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ										
कृषि एवं सम्बद्ध										
1	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	0.15	0.00	0.10	0.25	0.00	0.00	2.48	2.48	0.00
2	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	6.25	0.00	0.67	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1.07	0.00	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	यू. पी. प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड	5.40	1.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	58.32	0.00	0.00	58.32	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
क्षेत्रवार योग		72.69	1.00	0.77	74.46	5.00	0.00	2.48	7.48	0.00
वित्त										
7	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	135.58	0.00	25.00	160.58	485.24	0.00	0.00	485.24	0.00
8	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	30.00	0.00	0.00	30.00	7.53	0.00	0.00	7.53	0.00
9	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	12.23	0.00	0.00	12.23	0.00	0.00	40.37	40.37	52.65
10	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	123.24	107.18	0.00	230.42	0.00	0.00	46.32	46.32	0.00
11	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड	24.08	0.00	0.00	24.08	1.98	0.00	0.00	1.98	0.00
क्षेत्रवार योग		325.13	107.18	25.00	457.31	494.75	0.00	86.69	581.44	52.65

क्रम सं०	क्षेत्र/कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूंजी (अंश आवेदन धनराशि सम्मिलित करते हुए)				वर्ष की समाप्ति पर बकाया ऋण (दीर्घावधि)				बकाया प्रत्याभूति अन्य
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	
(1)	(2)	3 (अ)	3 (ब)	3 (स)	3 (द)	4 (अ)	4 (ब)	4 (स)	4 (द)	5
अवसंरचना										
12	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	यू. पी. स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड)	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	930.05	351.60	25.00	1,306.65	535.00	88.32	841.00	1,464.32	0.00
17	नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00	300.05	300.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
क्षेत्रवार योग		949.20	351.60	325.05	1,625.85	535.00	88.32	841.00	1,464.32	0.00
विनिर्माण										
18	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड (अधिनियम की धारा 139(5) तथा 139(7) के अधीन कम्पनी)	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	7.22	7.22	0.00	0.00	2.63	2.63	0.00
20	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी लिमिटेड	1.10	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	91.54	0.00	0.00	91.54	113.16	0.00	0.00	113.16	0.00
23	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड	880.13	0.00	0.00	880.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्रम सं०	क्षेत्र/कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूंजी (अंश आवेदन धनराशि सम्मिलित करते हुए)				वर्ष की समाप्ति पर बकाया ऋण (दीर्घावधि)				बकाया प्रत्याभूति अन्य
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	
(1)	(2)	3 (अ)	3 (ब)	3 (स)	3 (द)	4 (अ)	4 (ब)	4 (स)	4 (द)	5
24	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	5.96	0.00	0.00	5.96	6.32	0.00	3.92	10.24	0.00
25	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	93.24	0.00	0.00	93.24	131.22	0.00	0.00	131.22	0.00
26	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1,648.31	0.00	0.00	1,648.31	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00
क्षेत्रवार योग		2,720.28	0.00	13.29	2,733.57	262.70	0.00	6.55	269.25	0.00
ऊर्जा										
27	दक्षिणोच्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	13,568.23	13,568.23	0.00	0.00	11,643.07	11,643.07	0.00
28	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	0.00	0.00	540.96	540.96	0.00	0.00	1,522.22	1,522.22	0.00
29	मध्योच्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	12,508.49	12,508.49	0.00	0.00	2,958.62	2,958.62	0.00
30	पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	4,613.22	4,613.22	0.00	0.00	6,463.80	6,463.80	0.00
31	पूर्वाच्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	14,955	14,955.00	0.00	0.00	2,416.70	2,416.70	0.00
32	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
33	यूपीएसआईडीसी पावर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	434.53	0.00	0.00	434.53	64.65	0.00	85.21	149.86	0.00
35	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड	76,152.36	0.00	0.00	76,152.36	9,783.44	0.00	26,283.53	36,066.97	32,543.96

क्रम सं०	क्षेत्र/कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूंजी (अंश आवेदन धनराशि सम्मिलित करते हुए)				वर्ष की समाप्ति पर बकाया ऋण (दीर्घावधि)				बकाया प्रत्याभूति अन्य
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	
(1)	(2)	3 (अ)	3 (ब)	3 (स)	3 (द)	4 (अ)	4 (ब)	4 (स)	4 (द)	5
36	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	9,572.93	0.00	2,213.28	11,786.21	0.00	0.00	10,224.62	10,224.62	995.69
37	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	10,110.40	0.00	0.00	10,110.40	0.00	0.00	11,183.95	11,183.95	19,251.52
38	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	0.00	0.00	126.05	126.05	0.00	0.00	353.58	353.58	0.00
क्षेत्रवार योग		96,270.22	0.00	48,525.44	1,44,795.66	9,848.09	0.00	73,135.80	82,983.89	52,791.17
सेवा										
39	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड)	6.34	0.90	0.00	7.24	7.44	0.00	0.00	7.44	0.00
41	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	5.50	0.00	0.00	5.50	0.73	0.00	0.00	0.73	0.00
42	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	32.60	0.00	0.00	32.60	0.81	0.00	0.00	0.81	0.00
43	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	0.43	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	0.05	0.00	4.86	4.91	0.00	0.00	6.57	6.57	0.00
47	आगरा-मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्रम सं०	क्षेत्र/कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूंजी (अंश आवेदन धनराशि सम्मिलित करते हुए)				वर्ष की समाप्ति पर बकाया ऋण (दीर्घावधि)				बकाया प्रत्याभूति अन्य
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	
(1)	(2)	3 (अ)	3 (ब)	3 (स)	3 (द)	4 (अ)	4 (ब)	4 (स)	4 (द)	5
49	वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	4.77	4.77	0.00
क्षेत्रवार योग		46.17	0.90	4.86	51.93	8.98	0.00	11.34	20.32	0.00
समाज कल्याण										
50	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	4.71	0.48	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
क्षेत्रवार योग		14.71	0.48	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग अ (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियों)		1,00,398.40	461.16	48,894.41	1,49,753.97	11,154.52	88.32	74,083.86	85,326.70	52,843.82
ब सांविधिक निगम										
कृषि एवं सम्बद्ध										
1	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	7.79	0.00	5.40	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	उत्तर प्रदेश वन निगम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
क्षेत्रवार योग		7.79	0.00	5.40	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्त										
3	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	114.51	0.00	64.78	179.29	292.98	0.00	376.59	669.57	0.00
क्षेत्रवार योग		114.51	0.00	64.78	179.29	292.98	0.00	376.59	669.57	0.00
अवसंरचना										
4	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	उत्तर प्रदेश जल निगम	0.00	0.00	0.00	0.00	270.03	0.00	0.00	270.03	0.00
क्षेत्रवार योग		0.00	0.00	0.00	0.00	270.03	0.00	0.00	270.03	0.00
सेवा										
6	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	767.84	60.01	0.00	827.85	50.00	0.00	99.88	149.88	0.00

क्रम सं०	क्षेत्र/कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूंजी (अंश आवेदन धनराशि सम्मिलित करते हुए)				वर्ष की समाप्ति पर बकाया ऋण (दीर्घावधि)				बकाया प्रत्याभूति अन्य
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	
(1)	(2)	3 (अ)	3 (ब)	3 (स)	3 (द)	4 (अ)	4 (ब)	4 (स)	4 (द)	5
	क्षेत्रवार योग	767.84	60.01	0.00	827.85	50.00	0.00	99.88	149.88	0.00
	योग ब (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सांविधिक निगम)	890.14	60.01	70.18	1020.33	613.01	0.00	476.47	1089.48	0.00
	महायोग (अ+ब)	1,01,288.54	521.17	48,964.59	1,50,774.30	11,767.53	88.32	74,560.33	86,416.18	52,843.82
स अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ										
कृषि एवं सम्बद्ध										
1	कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड (अधिनियम की धारा 139(5) तथा 139(7) के अधीन कम्पनी)	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	0.23	0.00	0.08	0.31	1.69	0.00	0.00	1.69	0.00
3	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	0.38	0.00	0.33	0.71	6.55	0.00	0.00	6.55	0.00
4	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	2.10	0.63	0.00	2.73	0.71	0.00	0.00	0.71	0.00
5	उत्तर प्रदेश पौल्ट्री एण्ड लाइव स्टॉक स्पेशैलिटीज लिमिटेड	2.88	1.28	0.00	4.16	1.10	0.00	0.00	1.10	0.00
6	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड	8.72	0.00	0.64	9.36	1.22	0.00	0.00	1.22	0.00
7	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	0.51	0.00	0.13	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	क्षेत्रवार योग	14.82	1.91	1.42	18.15	11.27	0.00	0.00	11.27	0.00
वित्त										
8	अपलीज फाइनेसियल सर्विसेज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	1.06	1.06	0.00	0.00	4.15	4.15	0.00
9	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	0.78	0.00	0.66	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्रम सं०	क्षेत्र/कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूंजी (अंश आवेदन धनराशि सम्मिलित करते हुए)				वर्ष की समाप्ति पर बकाया ऋण (दीर्घावधि)				बकाया प्रत्याभूति अन्य
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	
(1)	(2)	3 (अ)	3 (ब)	3 (स)	3 (द)	4 (अ)	4 (ब)	4 (स)	4 (द)	5
क्षेत्रवार योग		0.78	0.00	1.72	2.50	0.00	0.00	4.15	4.15	0.00
अवसंरचना										
10	उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	68.28	0.00	0.00	68.28	124.77	0.00	0.00	124.77	0.00
11	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	59.43	0.00	0.00	59.43	18.24	0.00	1.50	19.74	0.00
12	विन्ध्याचल अब्रेसिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00
क्षेत्रवार योग		127.71	0.00	0.00	127.71	143.01	0.00	2.34	145.35	0.00
विनिर्माण										
13	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	5.63	0.00	1.87	7.50	0.38	0.00	0.00	0.38	0.00
14	भदोही वूलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	3.76	3.76	0.00	0.00		0.00	0.00
15	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	81.38	81.38	0.00	0.00	25.90	25.90	0.00
16	कान्टीनेंटल फ्लोट ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	46.24	46.24	0.00	0.00	138.85	138.85	0.00
17	इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड (अधिनियम की धारा 139(5) तथा 139(7) के अधीन कम्पनी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	156.67	156.67	0.00	0.00	2.16	2.16	0.00
19	कानपुर कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्रम सं०	क्षेत्र/कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूंजी (अंश आवेदन धनराशि सम्मिलित करते हुए)				वर्ष की समाप्ति पर बकाया ऋण (दीर्घावधि)				बकाया प्रत्याभूति अन्य
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	
(1)	(2)	3 (अ)	3 (ब)	3 (स)	3 (द)	4 (अ)	4 (ब)	4 (स)	4 (द)	5
20	नन्दगंज-सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	256.80	256.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोज़िन कम्पनी लिमिटेड	0.19	-	0.03	0.22	5.33	0.00	1.88	7.21	0.00
22	उत्तर प्रदेश एस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	6.59	6.59	11.02	0.00	0.00	11.02	0.00
24	उत्तर प्रदेश इन्ड्रुमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.09	0.00	1.93	2.02	5.55	0.00	11.49	17.04	0.00
25	उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्शन एप्लान्सेस (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड	5.28	0.10	0.00	5.38	1.94	0.00	0.00	1.94	0.00
27	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड	160.79	0.00	0.00	160.79	189.61	0.00	0.00	189.61	0.00
28	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	57.93	57.93	0.00	0.00	9.70	9.70	0.00
29	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड	36.44	10.63	0.00	47.07	110.58	0.00	12.70	123.28	0.00
30	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	5.74	0.00	0.00	5.74	1.91	0.00	-	1.91	0.00

क्रम सं०	क्षेत्र/कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूंजी (अंश आवेदन धनराशि सम्मिलित करते हुए)				वर्ष की समाप्ति पर बकाया ऋण (दीर्घावधि)				बकाया प्रत्याभूति अन्य
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	
(1)	(2)	3 (अ)	3 (ब)	3 (स)	3 (द)	4 (अ)	4 (ब)	4 (स)	4 (द)	5
31	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	53.67	0.00	0.00	53.67	73.83	0.00	0.00	73.83	0.00
क्षेत्रवार योग		267.83	10.73	613.27	891.83	400.15	0.00	202.68	602.83	0.00
ऊर्जा										
32	सोनमद्र पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	यमुना पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	सदर्न यू.पी. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
क्षेत्रवार योग		0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सेवा										
35	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1.00	0.00	0.00	1.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
36	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	0.67	0.00	0.00	0.67	0.66	0.00	0.00	0.66	0.00
37	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1.25	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	0.94	0.00	0.32	1.26	0.65	0.00	0.27	0.92	0.00
39	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	0.70	0.00	0.00	0.70	0.86	0.00	0.00	0.86	0.00
40	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	0.25	0.00	0.00	0.25	0.65	0.00	0.00	0.65	0.00
42	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	0.45	0.00	0.00	0.45	1.25	0.00	0.00	1.25	0.00
43	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	1.23	0.00	0.00	1.23	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
44	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	8.18	0.00	0.00	8.18	2.47	0.00	0.00	2.47	0.00

क्रम सं०	क्षेत्र/कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूंजी (अंश आवेदन धनराशि सम्मिलित करते हुए)				वर्ष की समाप्ति पर बकाया ऋण (दीर्घावधि)				बकाया प्रत्याभूति अन्य
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	
(1)	(2)	3 (अ)	3 (ब)	3 (स)	3 (द)	4 (अ)	4 (ब)	4 (स)	4 (द)	5
45	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	1.30	0.00	0.00	1.30	0.35	0.00	0.00	0.35	0.00
46	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
क्षेत्रवार योग		17.67	0.00	0.32	17.99	6.99	0.00	0.57	7.56	0.00
योग-स (सभी क्षेत्रवार अकार्यरत सरकारी कम्पनियों)		428.81	12.64	616.85	1058.30	561.42	0.00	209.74	771.16	0.00
महायोग (अ+ब+स)		1,01,717.35	533.81	49,581.44	1,51,832.60	12,328.95	88.32	74,770.07	87,187.34	52,843.82

परिशिष्ट-1.2

(प्रस्तर 1.1 में सन्दर्भित)

31 दिसम्बर 2017 को सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों (जिनके लेखे तीन वर्षों से अधिक लम्बित नहीं हैं) के क्रियाकलापों के परिणामों का संक्षिप्त विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	अन्तिमीकृत लेखे का वर्ष	शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर
1	2	3	4	5
लाभ अर्जित करने वाली पीएसयू				
1	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2016-17	0.02	0.22
2	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	2014-15	0.08	0.25
3	यू. पी. प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड	2014-15	6.22	524.85
4	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2015-16	10.68	26.98
5	यू. पी. स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2015-16	11.63	662.91
6	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	2014-15	27.92	1,375.68
7	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	2016-17	0.48	24.56
8	श्रीद्वान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2016-17	0.76	36.91
9	अपट्रान पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2016-17	1.46	28.22
10	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	2015-16	1.28	30.53
11	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड	2015-16	0.01	0.00*
12	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2014-15	27.88	98.58
13	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2016-17	677.94	11,831.48
14	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	2014-15	1.79	7.78
15	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2014-15	28.97	244.49
16	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2014-15	0.07	0.00*
17	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2015-16	5.40	0.00*
18	नन्दगंज-सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2014-15	3.47	4.18
19	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	2014-15	87.07	353.97
20	उत्तर प्रदेश वन निगम	2015-16	4.26	381.29
21	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2015-16	50.68	334.26
22	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2015-16	15.90	3,333.04
योग			963.97	19,300.18
हानि अर्जित करने वाली पीएसयू				
23	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	2014-15	-11.93	0.18

क्रम सं०	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	अन्तिमीकृत लेखे का वर्ष	शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर
1	2	3	4	5
24	लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	-19.45	0.00*
25	नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	-8.33	1.39
26	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	2015-16	-11.36	6.33
27	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2016-17	-5.38	0.00*
28	दक्षिणोचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2014-15	-2,036.31	6,611.55
29	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	2014-15	-317.28	1,692.61
30	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2014-15	-965.09	5,949.66
31	पश्चिमोचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2014-15	-1,836.84	10,231.21
32	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2014-15	-1,317.99	6,052.56
33	सोनभद्र पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2014-15	-0.01	0.00*
34	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड	2014-15	-12,669.08	36,838.75
35	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2014-15	-71.87	1,304.91
36	यमुना पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड	2014-15	-0.01	0.00*
37	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड	2015-16	-16.29	0.00*
38	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2014-15	-5.13	31.08
39	इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2014-15	-7.21	16.11
योग			-19,299.56	68,736.34
शून्य लाभ/हानि अर्जित करने वाली पीएसयू				
40	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2015-16	0.00	0.00*
योग			0.00	0.00
महायोग			-18,335.59	88,036.52

* यह पीएसयू या तो निर्माण अवस्था में हैं अथवा संचालन से कोई आय नहीं है।

परिशिष्ट-1.3
(प्रस्तर 1.9 में संदर्भित)
31 दिसम्बर 2017 को कार्यरत एवं अकार्यरत पीएसयू के लम्बित लेखे

क्रम सं०	पीएसयू का नाम	वर्ष जिसके लेखे लम्बित हैं	लम्बित लेखाओं की संख्या
1	2	3	4
अ. कार्यरत कम्पनियां			
1 से 2 वर्ष			
1	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2016-17	1
2	यू. पी. स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	1
3	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	2016-17	1
4	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	1
5	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड	2016-17	1
6	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2016-17	1
7	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	2015-16 एवं 2016-17	2
8	यू. पी. प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड	2015-16 एवं 2016-17	2
9	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	2015-16 एवं 2016-17	2
10	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	2015-16 एवं 2016-17	2
11	दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2015-16 एवं 2016-17	2
12	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	2015-16 एवं 2016-17	2
13	मध्योत्तर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2015-16 एवं 2016-17	2
14	पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2015-16 एवं 2016-17	2
15	पूर्वोत्तर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2015-16 एवं 2016-17	2
16	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2015-16 एवं 2016-17	2
17	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड	2015-16 एवं 2016-17	2
18	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	2015-16 एवं 2016-17	2
19	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	2015-16 एवं 2016-17	2
20	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015-16 एवं 2016-17	2
21	इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2015-16 एवं 2016-17	2
22	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2015-16 एवं 2016-17	2
3 से 5 वर्ष			
1	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2014-15 से 2016-17	3
2	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड	2014-15 से 2016-17	3
3	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	2014-15 से 2016-17	3
4	यूपीएसआईडीसी पावर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2014-15 से 2016-17	3
5	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	2014-15 से 2016-17	3
6	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	2013-14 से 2016-17	4
7	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2013-14 से 2016-17	4

क्रम सं०	पीएसयू का नाम	वर्ष जिसके लेखे लम्बित हैं	लम्बित लेखाओं की संख्या
1	2	3	4
8	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	2013-14 से 2016-17	4
9	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2012-13 से 2016-17	5
6 से 10 वर्ष			
1	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	2011-12 से 2016-17	6
2	मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2011-12 से 2016-17	6
3	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	2010-11 से 2016-17	7
4	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी लिमिटेड	2010-11 से 2016-17	7
5	आगरा-मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2010-11 से 2016-17	7
6	कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (28-04-10 से निगमित)	2010-11 से 2016-17	7
7	वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (15-06-10 से निगमित)	2010-11 से 2016-17	7
8	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	2009-10 से 2016-17	8
9	लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2009-10 से 2016-17	8
10	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	2008-09 से 2016-17	9
11	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड)	2008-09 से 2016-17	9
11 से 20 वर्ष			
1	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	2004-05 से 2016-17	13
2	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	2003-04 से 2016-17	14
योग (अ)			178
ब. सांविधिक निगम (कार्यरत)			
1 से 2 वर्ष			
1	उत्तर प्रदेश वन निगम	2016-17	1
2	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2016-17	1
3	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	2015-16 एवं 2016-17	2
4	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2016-17	1
3 से 5 वर्ष			
1	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	2013-14 से 2016-17	4
2	उत्तर प्रदेश जल निगम	2012-13 से 2016-17	5
योग (ब)			14
महायोग (अ+ब)			192
स) अकार्यरत कम्पनियां (समापन के अधीन के अनयत्र)			
1 से 2 वर्ष			
1	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2016-17	1
2	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	2016-17	1
3	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2015-16 एवं 2016-17	2
4	नन्दगंज-सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2015-16 एवं 2016-17	2
5	सोनभद्र पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2015-16 एवं 2016-17	2
6	यमुना पावर जेनरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड	2015-16 एवं 2016-17	2

क्रम सं०	पीएसयू का नाम	वर्ष जिसके लेखे लम्बित हैं	लम्बित लेखाओं की संख्या
1	2	3	4
3 से 5 वर्ष			
7	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2014-15 से 2016-17	3
8	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2014-15 से 2016-17	3
9	सदर्न उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	2014-15 से 2016-17	3
10	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	2013-14 से 2016-17	4
6 से 10 वर्ष			
11	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	2011-12 से 2016-17	6
12	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	2011-12 से 2016-17	6
13	उत्तर प्रदेश पौल्ट्री एण्ड लाइव स्टाक स्पेशैअलिटीज लिमिटेड	2010-11 से 2016-17	7
14	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	2010-11 से 2016-17	7
15	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2009-10 से 2016-17	8
11 से 20 वर्ष			
16	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रुमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2002-03 से 2016-17	15
17	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेन्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	2001-02 से 2016-17	16
18	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड	1999-2000 से 2016-17	18
19	अपलीज फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1998-98 से 2016-17	19
20	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड	1998-99 से 2016-17	19
20 वर्ष से अधिक			
21	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1996-97 से 2016-17	21
22	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1996-97 से 2016-17	21
23	कमाण्ड एरिया पौल्ट्री डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (अधिनियम की धारा 139(5) तथा 139(7) के अधीन कम्पनी)	1995-96 से 2016-17	22
24	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1992-93 से 2016-17	25
25	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1989-90 से 2016-17	28
26	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1989-90 से 2016-17	28
27	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1989-90 से 2016-17	28
28	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	1988-89 से 2016-17	29
29	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1988-89 से 2016-17	29
30	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड	1985-86 से 2016-17	32
31	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1984-85 से 2016-17	33
32	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	1983-84 से 2016-17	34
33	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	1982-83 से 2016-17	35
योग (स)			509
द. समापन के अधीन कम्पनियाँ			
1	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2002-03	0
2	उत्तर प्रदेश (रुहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	उपलब्ध नहीं ¹	0

¹ कम्पनी ने वर्ष 2006-07 के लेखे प्रस्तुत किए तथा 01 जुलाई 2003 से समापन में चली गई। इसलिए, लेखाओं का कोई बकाया नहीं था।

क्रम सं०	पीएसयू का नाम	वर्ष जिसके लेखे लम्बित हैं	लम्बित लेखाओं की संख्या
1	2	3	4
3	उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	1996-97 से 1999-2000	0
4	विन्ध्याचल अग्रेसिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1988-89 से 2002-03	0
5	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	1988-89 से 2002-03	0
6	भदोही वूलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1995-96	0
7	कान्टीनेंटल प्लोट ग्लास लिमिटेड	1998-99 से 2001-02	0
8	इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड (अधिनियम की धारा 139(5) तथा 139(7) के अधीन कम्पनी)	उपलब्ध नहीं ²	0
9	कानपुर कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उपलब्ध नहीं ²	0
10	उत्तर प्रदेश एब्सकाट प्राइवेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1976-77 से 1996-97	0
11	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1993-94	0
12	उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्शन एप्लान्सेस (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1975-76	0
योग (द)			0
महायोग (अ+ब+स+द)			701

² कम्पनी बिना कोई लेखा प्रस्तुत किए अपने समामेलन के वर्ष में ही समापन में चली गई।

परिशिष्ट-1.4 (अ)
(प्रस्तर 1.9 में संदर्भित)
कार्यरत पीएसयू के बोर्ड में निदेशकों के नाम

क्रम सं०	पीएसयू के नाम	निदेशक मण्डल के निदेशकों के नाम
अ. कार्यरत पीएसयू जिनके लेखे तीन वर्षों तक लम्बित हैं		
1	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	श्री चन्द्र प्रकाश श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह श्री अरविन्द कुमार ढाका श्री राज प्रताप सिंह श्री चिन्ता मणि पाण्डेय श्री अमित मोहन प्रसाद श्री राजीवा मोहन श्री सुरेश चन्द्र श्री सरोज सिंह श्री ज्ञान सिंह श्री अजय यादव
2	यू. पी. प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड	श्री आदेश कुमार गोयल श्रीमती निखत शमीम श्री चन्द्र कुमार वर्मा श्री रवि सिन्हा श्री चन्द्र देव राम श्रीमती मन्जू शंकर श्री शैलेन्द्र श्री प्रदीप कुमार सिंह श्री भूपेन्द्र शर्मा श्री संदीप अग्रवाल श्री वीकेएल श्रीवास्तव
3	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	श्री अजय स्वरूप श्रीवास्तव श्रीमती मन्जू शंकर श्री रमेश प्रताप सिंह श्री सूर्य नारायण शुक्ला श्री प्रेम चन्द्र मीणा श्री प्रमोद कुमार तिवारी
4	यू. पी. स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	श्री विनय कुमार चौधरी श्री आनन्देश्वरी अवस्थी श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह श्री वीकेएल श्रीवास्तव श्री भोला सिंह श्री मृदुल लाल श्री प्रांजल यादव

क्रम सं०	पीएसयू के नाम	निदेशक मण्डल के निदेशकों के नाम
		श्री आलोक चौहान
		श्री राजन सेंगर
		श्री मुनीन्द्र कुमार सिंह
		श्री मनोज सिंह
		श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव
		श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव
		श्री अरविन्द मोहन चित्रांशी
5	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	श्री एन सी सक्सेना
		श्री वी के एल श्रीवास्तव
		श्री सलेक चन्द्र
		श्री मर्सरत नूर खान
		श्रीमती आराधना शुक्ला
		श्री मुकुल जोशी
6	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव
		श्री एन सी त्रिपाठी
		श्री वी के सिंह
		श्री भारत भास्कर
		श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी
		श्री भूपेन्द्र एस चौधरी
		श्री अजय दीप सिंह
		श्री सुरेन्द्र विक्रम
		श्री संजीव सरन
7	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड	श्री ए पी मिश्रा
		श्री जे के श्रीनिवासन
		श्री संजय अग्रवाल
		श्री सुबोध कुमार सिंह
		श्री बिपिन श्रीमली
		श्री शिव रतन शर्मा
		श्रीमती रीना बाबा साहेब कांगले
		श्री सुरेश कुमार शर्मा
8	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	श्री ए के अग्रवाल
		श्री यादराम
		श्री सी के वर्मा
		श्रीमती मन्जू शंकर
		श्री आर पी गुप्ता
		श्री एस के गोयल
		श्री पी एस शर्मा
		श्री सी डी राम
		श्री ए के सिंह

क्रम सं०	पीएसयू के नाम	निदेशक मण्डल के निदेशकों के नाम
		श्री नील रतन कुमार
9	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव
		श्री नवीन चन्द्र त्रिपाठी
		श्री हीरा लाल
		श्री भूपेन्द्र एस चौधरी
		श्री अजय दीप सिंह
10	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	ब्रिगेडियर आर डी सिंह
		ब्रिगेडियर अमूल्य मोहन
		श्री राकेश कृष्ण
		श्री महेन्द्र कुमार
		मेजर जनरल ए के सिंह
		श्री संदीप कुमार सिंह
		श्री राम बहादुर सिंह
		श्री अमरेन्द्र बहादुर सिंह
		मेजर जनरल संजय सरन
		श्री आनन्देश्वरी अवस्थी
11	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	श्री आलोक रंजन
		श्री महेश कुमार गुप्ता
		श्रीमती कन्चन वर्मा
		श्री सी एस बनौधा
		श्री दीपक सिंघल
		श्री राहुल प्रसाद भटनागर
		श्री मुकेश मिततल
		श्री एम एल कश्यप
		श्री संजय अग्रवाल
		श्रीमती अलकनन्दा दयाल
		श्री राजीव श्रीवास्तव
		डॉ. अनिल कुमार
12	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	श्री एस के सिंह (बीपीई)
		श्री एस के सिंह उप निदेशक (डीआई)
		श्रीमती मृदुला सिंह
		श्री एस पी सिंह
		श्री मो. इफितखारुद्दीन
13	दक्षिणोचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	श्री एस वी एस राठौर
		श्री एन सी अग्रवाल
		श्री एस सी भारती
		श्री एस के मिश्रा
14	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	श्रीमती सेल्वा कुमार जे
		श्री कौशल राज शर्मा

क्रम सं०	पीएसयू के नाम	निदेशक मण्डल के निदेशकों के नाम
		श्री राधे श्याम यादव श्री विजय सिंह श्रीवास्तव श्री राकेश कुमार श्री रणवीर प्रसाद श्री आशुतोष निरंजन श्री सुरेन्द्र सिंह श्रीमती सौम्या अग्रवाल श्री आलोक कुमार
15	मध्याँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	श्री अनिल कुमार अग्रवाल श्री शमीम अहमद श्री वेद प्रकाश वर्मा श्री विशाल चौहान श्री सत्य प्रकाश पाण्डेय श्री एस सी गुप्ता श्री राकेश कुमार श्रीमती सेल्वा कुमारी जे श्री सुधीर कुमार वर्मा श्री संजय अग्रवाल श्री सुधांशु द्विवेदी
16	पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	श्री अनिल कुमार श्री अभिषेक प्रकाश श्री अरविन्द कुमार गुप्ता श्री अरविन्द राजवेदी श्री नरेन्द्र अग्रवाल श्री पवन कुमार अग्रवाल
17	पूर्वाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	श्री विशाल चौहान श्रीमती सेल्वा कुमारी जे श्री सुधांशु द्विवेदी श्री अनिल कुमार अवस्थी श्री मोहित आर्या श्री राकेश कुमार वर्मा श्री अजीत सिंह
18	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड	श्री संजय अग्रवाल श्री ए पी मिश्रा श्री सुधांशु द्विवेदी श्री सत्य प्रकाश पाण्डेय श्री कृष्ण मुरारी मित्तल श्री रामानन्द यादव श्री संजय कुमार सिंह

क्रम सं०	पीएसयू के नाम	निदेशक मण्डल के निदेशकों के नाम
		श्री नील रतन कुमार
		श्री विशाल चौहान
		श्रीमती नीरजा कृष्णा
		श्रीमती मंजू शंकर
19	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	श्री नील रतन कुमार
		श्री ए पी मिश्रा
		श्री संजय अग्रवाल
		श्री प्रमोद गोपाल राव खण्डेलकर
		श्री ए पी सिंह
		श्री राम स्वार्थ
		श्री विशाल चौहान
		श्रीमती रितु माहेश्वरी
		श्रीमती मंजू शंकर
		श्री बी के खरे
		श्री चन्द्र मोहन
		श्री एस के मिश्रा
20	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	श्री सुदीप रंजन सेन
		श्री अपर्णा यू
		श्री संजीव सरन
		श्री विवेक
		श्री एस के सिंह
		श्री राम रेखा पाण्डेय
		श्री महेन्द्र कुमार
		श्री सर्वज्ञ राम मिश्रा
		श्री ओ पी द्विवेदी
		श्री नवनीत सहगल
		श्री राम विशाल मिश्रा
21	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	श्री ए के अग्रवाल
		श्री राकेश त्रिवेदी
		श्री अयोध्या प्रसाद मिश्रा
		श्री विशाल चौहान
		श्री बी एस तिवारी
		श्री सुधांशु द्विवेदी
		श्री अतुल निगम
22	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	श्रीमती कुसुम शर्मा
		श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह
		श्री आनन्देश्वरी अवरथी
		श्री नन्दलाल प्रसाद
		श्री राम दुलारे कल्याण

क्रम सं०	पीएसयू के नाम	निदेशक मण्डल के निदेशकों के नाम
		श्री राम केवल
23	इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	श्री हरीश चन्द्र
		श्री राजन शुक्ला
		श्री संजय कुमार
		श्री अजय कुमार सिंह
		श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय
		श्री के एल इमेनुअल
		श्री शेषमणि पाण्डेय
		श्री भीमसेन
		श्री सगीर अहमद अन्सारी
ब. कार्यरत पीएसयू जिनके लेखे तीन वर्षों से अधिक से बकाया हैं		
1	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह
		श्री राज प्रताप सिंह
		श्री अमित मोहन प्रसाद
		श्री सुरेन्द्र लाल गोस्वामी
		श्री सरोज सिंह
		श्री ज्ञान सिंह
		श्री योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी
		श्री गया प्रसाद
		श्री सन्तोष कुमार खरे
		श्री ओमकार प्रसाद श्रीवास्तव
		श्री धीरज कुमार
2	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	श्री सुधीर महादेव बोबडे
		श्री अनिल कुमार सागर
		श्री हर शरण दास
		श्रीमती मृदुला सिंह
		श्री राम राज
		श्रीमती मंजू शंकर
		श्रीमती अनीता मिश्रा
		श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव
		श्री अरविन्द कुमार ढाका
		श्री कैलाश प्रकाश
3	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	श्री हरमिन्दर राज सिंह
		श्री जगदीश प्रसाद
		श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाहा
		श्री जावेद इकबाल
		श्री पदम सेन चौधरी
		श्री नाथूलाल गंगवार
4	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	श्री अख्तर अली नकवी

क्रम सं०	पीएसयू के नाम	निदेशक मण्डल के निदेशकों के नाम
		श्री विनय कुमार चौधरी
		श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा
		श्री नाथूलाल गंगवार
		श्रीमती सुषमा तिवारी
		श्री विमल किशोर गुप्ता
5	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	श्री केदारनाथ
		श्री विजय बहादुर सिंह
		श्री मनोज सिंह
		श्री सुरेन्द्र विक्रम
		श्री धीरज कुशवाहा
		श्री ए एम चितान्सी
		श्री के नारायण
6	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड	श्री आलोक रंजन
		श्री मनोज सिंह
		श्री एन वेंकटेश्वर लू
		श्रीमती सेल्वा कुमार जे
		श्री महेश कुमार गुप्ता
		श्री ऋषिकेश भास्कर
		श्री मुकुल जोशी
		श्री नीना शर्मा
		श्री संजय अग्रवाल
		श्री अमित कुमार घोष
		श्रीमती अलकनन्दा दयाल
		श्री रणवीर प्रसाद
7	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी लिमिटेड	श्री देवेन्द्र सिंह
		श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता
		श्री अरविन्द सोनकर
		श्री लोकेश कुमार
8	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड	श्री अविनाश चन्द्र द्विवेदी
		श्री विपिन कुमार द्विवेदी
		श्री ए के बिसारिया
		श्री एस के मेहरा
		श्रीमती उमा द्विवेदी
		श्री तुलसी राम
9	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	श्री हुलाष राय सिंघल
		श्री संदीप बंसल
		श्री मनोज सिंह
		श्री अमित कुमार घोष
		श्रीमती जयश्री भोज

क्रम सं०	पीएसयू के नाम	निदेशक मण्डल के निदेशकों के नाम
		श्री विवेक श्री अरविन्द कुमार सिंह श्री अखिलेश कुमार श्रीमती मृदुला सिंह
10	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	श्री अविनाश चन्द्र द्विवेदी श्री विपिन कुमार द्विवेदी श्रीमती उमा द्विवेदी श्री तुलसी राम श्री नवीन चन्द्र त्रिपाठी श्री मुकुल जोशी
11	यूपीएसआईडीसी पावर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	श्री मनोज सिंह श्री अमित कुमार घोष श्री सुशील कुमार यादव श्री अरुण मिश्रा श्री पंकज पाण्डेय श्री ए के त्रिवेदी
12	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड)	श्री मार्कण्डेय सिंह श्री ज्ञानेन्द्र नाथ पाण्डेय श्री प्रवीन कुमार सिंह श्री विजय कान्त दुबे श्री दिनेश सक्सेना श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव
13	लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	श्री टी वेंकटेश श्री अनूप पाण्डेय श्री भुवनेश कुमार श्री एस पी सिंह श्री ए रहमान श्री राजशेखर श्री सत्येन्द्र सिंह श्री गौरीशंकर प्रियदर्शी श्री यशस्वी यादव श्री मंजिल सैनी श्री अनूप कुमार यादव श्री उदयरराज सिंह श्री सगीर अहमद अन्सारी श्री अजय कुमार त्रिपाठी
14	मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	श्री आलोक सिन्हा श्री नवदीप रिन्वा श्री पंकज यादव

क्रम सं०	पीएसयू के नाम	निदेशक मण्डल के निदेशकों के नाम
		श्री जगत राव
		श्री संदीप लाहा
		श्रीमती बी चन्द्रकला
		श्री दिलीप दीक्षित
		श्रीमती ममता शर्मा
		श्री दिनेश चन्द्र दुबे
		श्री जे रवीन्द्र गौण
		श्री उमेश प्रताप सिंह
		श्री देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा
		श्री राजेश कुमार
		श्री योगेन्द्र यादव
15	आगरा-मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	श्री प्रदीप भटनागर
		श्री चन्द्रकान्त
		श्रीमती मनीषा त्रिघटिया
		श्री पंकज कुमार
		श्री गौरव दयाल
		श्री प्रितेन्द्र सिंह
		श्रीमती माला श्रीवास्तव
		श्री अजय यादव
		श्री इन्द्र विक्रम सिंह
		श्री जगदीश सिंह कुशवाहा
		श्री विजय कुमार
		श्री निखिल चन्द्र शुक्ला
		श्री एस बी सिंह
		श्री विजय कुमार
		श्री राकेश सिंह
		श्री बब्लू कुमार
		श्री मोहित गुप्ता
		श्री नितिन बंसल
		डॉ. ब्रिजेश कुमार
16	कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (28-04-10 से निगमित)	श्री मो. इफितखारूद्दीन
		श्री कौशलराज शर्मा
		श्री शलभ माथुर
		श्री नीरज सक्सेना
		श्री एच एन सिंह
		श्री आकाश कुल्हरी
		श्रीमती जयश्री भोज
		श्री विवेक कुमार
		श्री देवेन्द्र सिंह कुशवाहा

क्रम सं०	पीएसयू के नाम	निदेशक मण्डल के निदेशकों के नाम
		श्री उमेश प्रताप सिंह
		श्री वी के सिंह
17	वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	श्री नितिन रमेश गोकरन
		श्री राजमणि यादव
		श्री विजय किरण आनन्द
		श्री योगेश्वर राम मिश्रा
		श्री आकाश कुल्हरी
		श्री नितिन तिवारी
		श्री हरिप्रताप शाही
		श्री पुष्पसेन सत्यार्थी
		श्री राधेश्याम
		श्री पी के तिवारी
		श्री प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव
18	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	श्री सलेक चन्द्र
		श्रीमती आराधना शुक्ला
		श्री अनुराग यादव
		श्री मुकुल जोशी
		श्री सुधीर गर्ग
		श्री रंग नाथ पाण्डेय
		श्री वी के सिंह
		श्री मर्सरत नूर खान
		श्री सदाकान्त
		श्री राजीव श्रीवास्तव
		श्रीमती मालिनी शर्मा
		श्री महेन्द्र कुमार

परिशिष्ट-1.4 (ब)
(प्रस्तर 1.9 में संदर्भित)

अधिकारियों के नाम जो कि एक से अधिक पीएसयू जिसके लेखे बकाया हैं, में निदेशक हैं

क्रम सं०	निदेशक का नाम	कम्पनी का नाम
1	श्रीमती मंजू शंकर	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड
		उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
		उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
		सदर्न यू. पी. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
		उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड
2	श्री भूपेन्द्र शर्मा	यू. पी. प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड
		उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड
3	श्री वी के एल श्रीवास्तव	यू. पी. स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
		उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड
4	श्री मनोज सिंह	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
		उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
		यूपीएसआईडीसी पावर कम्पनी लिमिटेड
		यू. पी. स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
5	श्री आलोक रंजन	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
		दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड
		नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड
6	श्री महेश कुमार गुप्ता	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
		दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड
		नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड
7	श्री मुकुल जोशी	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
		उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड
		उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड
		उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड
		उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड
8	श्री संजय अग्रवाल	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
		दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड
		यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड
		उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
9	श्री वी के सिंह	इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड
		कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड
10	श्री महेन्द्र कुमार	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड
		उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड

क्रम सं०	निदेशक का नाम	कम्पनी का नाम
		उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
		उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड
11	श्री राजन मित्तल	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड
		उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड
12	श्री अरविन्द कुमार गुप्ता	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड
		पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)
13	श्री रामा रमन	यमुना पावर जेनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड
		नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड
14	श्री आर के तिवारी	श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)
		अपट्रान पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)
15	श्री संजीव शरण	श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)
		अपट्रान पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)
		उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
		उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड
16	श्री जी एस नवीन कुमार	श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)
		अपट्रान पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)
17	श्री राजीव श्रीवास्तव	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड
		दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड
18	श्री अविनाश चन्द्र द्विवेदी	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड
		उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड
19	श्रीमती उमा द्विवेदी	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड
		उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड
20	श्री तुलसी राम	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड
		उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड
21	श्री पंकज कुमार	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड
		आगरा-मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड
22	श्री गौरव दयाल	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड
		आगरा-मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड
23	श्री एस पी सिंह	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड
		लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड
24	श्रीमती प्रभावती सिंह	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड
		उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)

क्रम सं०	निदेशक का नाम	कम्पनी का नाम
25	श्री एस के सिंह	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)
		उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
26	श्री विशाल चौहान	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)
		पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)
		उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)
		उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
27	श्री राकेश कुमार	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)
		कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड
		उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड
28	श्री सुधांशु द्विवेदी	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)
		सोनभद्र पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड
		पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)
		जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
29	श्रीमती सेल्वा कुमारी जे	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)
		कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड
		पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)
30	श्री ए पी मिश्रा	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)
		यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड
		सोनभद्र पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड
		जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
31	श्री रामानन्द यादव	सोनभद्र पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड
		उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
32	श्री ए के अग्रवाल	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड
		जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
33	श्री एस के मिश्रा	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
		सदर्न यू. पी. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
34	श्री नील रतन कुमार	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड
		उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
		सदर्न यू. पी. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
		उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
35	श्री उमेश प्रताप सिंह	मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड
		कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड

क्रम सं०	निदेशक का नाम	कम्पनी का नाम
36	श्री आकाश कुलहरी	कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड
		वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड
37	श्री अखिलेश कुमार	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
		उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड
38	श्री मो. इफितखारुद्दीन	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)
		उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड
		कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड
39	श्रीमती अलकनन्दा दयाल	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड
		उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड
40	श्रीमती जयश्री भोज	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
		कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड
41	श्रीमती मृदुला सिंह	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड
		उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड
		उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
		उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड
		उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड
42	श्रीमती रितु माहेश्वरी	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
		सदर्न यू. पी. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
43	श्रीमती अजय दीप सिंह	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड
		उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड

परिशिष्ट-1.5

(प्रस्तर 1.11 में संदर्भित)

पीएसयू जिनके लेखे लम्बित हैं, में 31 दिसम्बर 2017 को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त इक्विटी, ऋण, अनुदान तथा प्रत्याभूति की स्थिति

क्रम सं०	पीएसयू का नाम	वर्ष जब से लेखे बकाया हैं	राज्य सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों, जिस अवधि के लेखे बकाया हैं, में प्रदत्त इक्विटी, ऋण, अनुदान तथा अन्य				
			इक्विटी	ऋण	पूजीगत अनुदान	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
अ. कार्यरत सरकारी कम्पनियां							
1 से 2 वर्ष							
1	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	2016-17	0.00	8.62	0.00	0.00	8.62
2	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	25.41	0.00	39.12	0.00	64.53
3	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	2015-16	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00
4	लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	2015-16	510.00	185.00	473.00	0.00	1,168.00
5	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2015-16	1,184.81	0.00	0.00	0.00	1,184.81
6	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड	2015-16	35,411.55	3,700.32	0.00	0.00	39,111.87
7	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2015-16	0.00	0.00	0.00	3,453.66	3,453.66
8	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	2015-16	4,968.89	0.00	0.00	0.00	4,968.89
9	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	2015-16	0.00	20.00	4.00	0.00	24.00
10	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2015-16	2,073.26	0.00	0.00	2,076.22	4,149.48
3 से 5 वर्ष							
1	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2014-15	0.00	0.00	0.00	151.16	151.16
2	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2014-15	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
3	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	2014-15	0.00	0.00	0.00	159.12	159.12
4	इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2014-15	0.00	0.00	5.49	0.00	5.49
6 से 13 वर्ष							
1	मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2011-12	0.00	0.00	3.95	0.00	3.95
2	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	2010-11	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00
3	वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2010-11	0.00	0.00	2.54	0.00	2.54
4	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	2009-10	5.50	81.88	0.00	0.00	87.38

क्रम सं०	पीएसयू का नाम	वर्ष जब से लेखे बकाया हैं	राज्य सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों, जिस अवधि के लेखे बकाया हैं, में प्रदत्त इक्विटी, ऋण, अनुदान तथा अन्य				
			इक्विटी	ऋण	पूँजीगत अनुदान	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
5	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड	2007-08	0.00	0.00	5.30	0.00	5.30
6	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	2004-05	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
योग (अ)			44,208.92	4,053.20	863.40	5,840.16	54,965.68
ब. कार्यरत सांविधिक निगम							
1 से 2 वर्ष							
1	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2015-16	100.00	50.00	0.00	0.00	150.00
3 से 6 वर्ष							
1	उत्तर प्रदेश जल निगम	2011-12	0.00	0.00	1,157.37	0.00	1,157.37
योग (ब)			100.00	50.00	1,157.37	0.00	1,307.37
योग (अ+ब)			44,308.92	4,103.20	2,020.77	5,840.16	56,273.05
स. अकार्यरत सरकारी कम्पनियां							
1 से 2 वर्ष							
1	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	0.00	1.39	0.00	0.00	1.39
2	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	2016-17	0.00	4.96	0.00	0.00	4.96
3	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड	2015-16	0.00	0.68	0.00	0.00	0.68
योग (स)			0.00	7.03	0.00	0.00	7.03
महायोग (अ+ब+स)			44,308.92	4,110.23	2,020.77	5,840.16	56,280.08

परिशिष्ट 1.6

(प्रस्तर 1.12 में सन्दर्भित)

सांविधिक निगमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा में इंगित प्रमुख/गम्भीर अनियमितताओं का विवरण

क्रम सं०	संबंधित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार इंगित अनियमितता
अ.	उत्तर प्रदेश जल निगम (2011-12)
1	वर्ष 1990-91 से 1995-96 की अवधि में राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त ₹ 42.29 करोड़ के विश्व बैंक ऋण को असुरक्षित ऋण के स्थान पर चालू दायित्व में प्रदर्शित करने एवं उस पर उपार्जित ब्याज ₹ 99.56 करोड़ का लेखा न करने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त असुरक्षित ऋण ₹ 141.85 करोड़ से कम दर्शाया गया।
2	विविध सुरक्षा निक्षेप को ₹ 3.62 करोड़ की डेबिट शेष राशि से समायोजित (नेट) करके दर्शाया गया है। इससे चालू सम्पत्तियाँ तथा चालू दायित्व एवं प्रावधान दोनों ₹ 3.62 करोड़ से कम दर्शाए गए।
3	परियोजनाओं के लिए प्राप्त जमा को ₹ 56.78 करोड़ की डेबिट शेष राशि से समायोजित करके (नेट) दिखाया गया है जिसका परिणाम चालू सम्पत्ति साथ ही साथ चालू दायित्व एवं प्रावधान प्रत्येक को ₹ 56.78 करोड़ से कम दर्शाया गया।
4	कार्य सावधि जमा/बचत खातों पर अर्जित ब्याज को संबंधित ग्राहक के खाते में क्रेडिट करने के स्थान पर, स्वयं की आय मानने के कारण, संचित हानि तथा चालू दायित्व एवं प्रावधान ₹ 39.05 करोड़ से कम दर्शाए गए।
5	पेंशन तथा ग्रेच्युटी का संशोधित दरों पर प्रावधान न करने के कारण ₹ 31.37 करोड़ से दायित्वों के साथ-साथ व्यय को कम एवं वर्ष के आधिक्य को अधिक दर्शाया गया।
6	परियोजना सामग्री के शेष को ₹ 23.06 करोड़ की क्रेडिट शेष राशि से समायोजित करके (नेट) दिखाने के कारण परियोजना (सामग्री) तथा चालू दायित्वों को ₹ 23.06 करोड़ से कम दर्शाया गया।
7	वर्ष 2009-10 की अवधि में कार्य की लागत पर 12.5 प्रतिशत की अनुमोदित दर से कम दर पर सेन्टेज का लेखांकन करने से चालू कार्य (वर्क इन प्रोग्रेस) ₹ 10.12 करोड़ से कम दर्शाया गया।
8	बबीना (झांसी) में 1996-97 में पूर्ण परियोजना का पूंजीकरण न होने से चालू कार्य (वर्क इन प्रोग्रेस) तथा उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा अनुरक्षित 'पूर्ण ग्रामीण जल परियोजना' को ₹ 48.29 करोड़ से कम दर्शाया गया।
9	यूपी डेवलपमेंट सिस्टम कार्पोरेशन, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेन्टर सर्विसेज तथा निदेशक, सी एण्ड डीएस को मार्च 2003 से फरवरी 2007 की अवधि में कार्य के लिए दिये गए असमायोजित अग्रिम के कारण ₹ 5.64 करोड़ की राशि से चालू कार्य (वर्क इन प्रोग्रेस) अधिक एवं ऋण तथा अग्रिम कम दर्शाए गए।
10	गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, वाराणसी द्वारा पूर्ण की जा चुकी 44 योजनाओं का पूंजीकरण न करने के कारण चालू कार्य ₹ 31.21 करोड़ से अधिक दर्शाए गए।
11	विभिन्न बैंकों में फ्लेक्सी सावधि जमा तथा उन सावधि जमा पर उपार्जित ₹ 14.68 लाख के ब्याज का लेखांकन न करने के कारण बैंक अधिशेष को ₹ 49.55 करोड़ से अधिक तथा सावधि जमा के साथ ही साथ ब्याज से आय को क्रमशः ₹ 49.55 करोड़ एवं ₹ 0.15 करोड़ कम दर्शाया गया।

क्रम सं०	संबंधित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार इंगित अनियमितता
12	वर्ष 1995 से मार्च 2012 की अवधि में पूर्ण एवं ग्राहक को हस्तांतरित कार्यों का समायोजन न होने के कारण अनुसूची 11 के अनुसार सी एण्ड डीएस की चालू सम्पत्तियों के अन्तर्गत चालू कार्य तथा चालू दायित्व ₹ 404.23 करोड़ से अधिक दर्शाए गए।
13	वित्तीय क्रियाकलापों से आय में ₹ 31.55 करोड़, वर्ष 2008-09 से 2010-11 की अवधि से संबंधित निक्षेप कार्यों हेतु प्राप्त धनराशि के विनियोग पर अर्जित ब्याज सम्मिलित है जिसका, वित्तीय क्रियाकलापों से प्राप्त आय के रूप में लेखांकन करने के स्थान पर ग्राहक के खाते में क्रेडिट किया जाना चाहिये था।
ब	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (2015-16)
1	वर्ष 2014-15 की अवधि में प्राप्त ब्याज तथा दण्ड ब्याज को वर्ष की आय में सम्मिलित करने के स्थान पर जमा में सम्मिलित करने के कारण ₹ 22.63 करोड़ से स्ववित्तपोषित योजना निक्षेप को अधिक तथा आय के व्यय पर आधिक्य एवं परिषद कोष को कम दर्शाया गया।
2	रिवॉल्विंग फण्ड के खाते में धनराशि हस्तान्तरित न करने के कारण, यद्यपि ₹ 7.09 करोड़ इस फण्ड में क्रेडिट किया जाना था, रिवॉल्विंग फण्ड को ₹ 7.09 करोड़ (अस्थापना निधि से निर्गत ₹ 0.44 करोड़ सम्मिलित करते हुए) से कम दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.44 करोड़ से अवस्थापना निधि को अधिक तथा मार्गस्थ धन (मनी इन ट्रान्जिट) को कम दर्शाया गया।
3	मई 2014 से मार्च 2016 की अवधि में ₹ 105.78 करोड़ की लागत से पूर्ण किये गये तथा ग्राहक को हस्तान्तरित 34 कार्यों के संबंध में आवश्यक लेखा प्रविष्टियाँ न करने के कारण चालू कार्य तथा निक्षेप कार्य दायित्वों को ₹ 105.78 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।
4	संदिग्ध प्राप्तियों के लिए प्रावधान न करने के कारण ₹ 6.38 करोड़ से विविध प्राप्तियों के अन्तर्गत सार्वजनिक ऋण को अधिक तथा अप्राप्त किश्तों के लिए प्रावधान को कम दर्शाया गया है।
5	शुद्ध प्रारम्भिक शेष को ₹ 2,095.61 करोड़ के बजाय ₹ 2,913.63 करोड़ लेने के कारण, प्रारूप ईएम-45 (₹ 271.92 करोड़) तथा प्रारूप ईएम-43 (₹ 299.30 करोड़) से प्रारूप ईएम-51 (₹ 552.51 करोड़) में आकड़ों के अशुद्ध कैरीओवर के कारण सम्पत्तियों तथा अदेय किश्तों के लिए शुद्ध प्रावधान को ₹ 7,993.10 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।
6	बचत बैंक/फ्लैक्सी खातों पर ब्याज में बैंकों द्वारा 31 मार्च 2017 तक क्रेडिट की गयी ₹ 5.10 करोड़ की ब्याज आय सम्मिलित नहीं है।
7	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुसार बनाई जाने वाली अवस्थापना निधि, संबंधित निवेश के सापेक्ष पर्याप्त रूप से दर्शायी नहीं गयी थी तथा ₹ 264.83 करोड़ से कम दर्शायी गयी थी क्योंकि अवस्थापना निधि के ₹ 603.56 करोड़ के दायित्वों के सापेक्ष परिषद के पास ₹ 338.73 करोड़ की धनराशि उपलब्ध थी।
8	परिषद ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सितम्बर 2014 में दिये निर्णय के अनुपालन में 13 मई 2015 को दिए निर्णयानुसार पेंशन के बकाया ₹ 278.00 करोड़ के वित्तीय भार को पूरा करने के लिए अपनी लेखा पुस्तकों में न तो कोई प्रावधान किया न ही नोट्स ऑन अकाउन्ट्स में इस सन्दर्भ में कोई प्रकटीकरण किया।
9	आर्थिक चिट्ठे के अनुसार पंजीकरण राशि पर देय ब्याज के प्रारम्भिक शेष (₹ 22.42 करोड़) का मिलान स्रोत अभिलेख यथा फॉर्म ईएम-41 (₹ 22.11 करोड़) से नहीं किया गया।
10	आर्थिक चिट्ठे के अनुसार वर्षान्त में आवश्यक शुद्ध प्रावधान/ब्याज की विपरीत प्रविष्टि का मिलान, स्रोत अभिलेख यथा फॉर्म ईएम-45 (₹ 569.00 करोड़) से नहीं किया गया।

क्रम सं०	संबंधित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार इंगित अनियमितता
स	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (2014-15)
1	₹ 1.08 करोड़ मूल्य की सात एकड़ भूमि को यात्री सुविधा कोष में डेबिट करने के स्थान पर पूंजीकरण करने से स्थायी सम्पत्ति तथा यात्री सुविधा कोष, दोनों को ₹ 1.08 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।
2	इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड से वर्ष 2011-12 से 2014-15 के लिए भूमि किराया के लेखांकन के कारण विविध देनदारों एवं वर्ष का लाभ क्रमशः ₹ 2.09 करोड़ एवं ₹ 0.52 करोड़ से अधिक एवं संचित हानि को ₹ 1.57 करोड़ से कम दर्शाया गया जबकि सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड पर भूमि किराया अधिरोपित नहीं किया जाना था।
3	वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में, यूपीएसआरटीसी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी निधि से ₹ 15.97 करोड़ कम्प्यूटर के क्रय, रखरखाव एवं संबंधित लेखन सामग्री पर व्यय किये गये। ₹ 15.97 करोड़ के व्यय के सापेक्ष निर्मित सम्पत्तियों का लेखों में प्रकटीकरण नहीं किया गया।
द	उत्तर प्रदेश वन निगम (2014-15)
1	चालू दायित्वों में ₹ 53.77 करोड़ के स्टोर्स का समायोजन करने के पश्चात मुक्त संचय एवं आधिक्य तथा स्टोर्स के बंटवारे के दायित्व के कारण उत्तरांचल वन विकास निगम को देय ₹ 185.55 करोड़ की राशि (₹ 88.74 करोड़ के आकस्मिक दायित्वों को सम्मिलित करके) सम्मिलित नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 97.81 करोड़ से चालू दायित्वों को कम तथा संचय एवं आधिक्य को अधिक दर्शाया गया।

परिशिष्ट 1.7

(प्रस्तर 1.13 में सन्दर्भित)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों (जिनके लेखे तीन वर्षों से अधिक से बकाया नहीं हैं) की उनके अद्यतन अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार संक्षिप्त वित्तीय स्थिति एवं क्रियाकलाप के परिणाम

(कॉलम 4 से 9 तक के आंकड़े ₹ करोड़ में तथा कॉलम 10 से 12 तक के आंकड़े प्रतिशत में हैं)

क्रम सं०	पीएसयू के नाम	अन्तिमीकृत लेखे का वर्ष	लाभांश, ब्याज एवं कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	कर एवं लाभांश उपरांत शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	निवेश [€]	अंशधारक निधि [¥]	नियोजित पूंजी [#]	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (आरओसीई) [¶]	निवेश पर प्रतिलाभ (आरओआई) ^β	इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) ^α
									(4/9)	(4/7)	(5/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
वित्तीय वर्ष 2014-15											
लाभ अर्जित करने वाली पीएसयू											
1	यू. पी. प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड	2014-15	11.15	6.22	524.85	62.02	62.02	62.02	17.98	17.98	10.03
2	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	2014-15	0.08	0.08	0.25	2.24	2.24	2.24	3.57	3.57	3.57
3	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि.	2014-15	47.03	27.92	1,375.68	187.66	187.66	187.66	25.06	25.06	14.88
4	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	2014-15	2.66	1.79	7.78	6.18	6.18	6.18	43.04	43.04	28.96
5	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2014-15	28.97	28.97	244.49	149.78	149.78	149.78	19.34	19.34	19.34
6	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2014-15	1.07	0.07	0.00	-105.39	-105.39	-105.39	0.00 ^α	0.00 ^α	0.00 ^α
7	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	2014-15	87.07	87.07	353.97	433.79	433.79	433.79	20.07	20.07	20.07
8	उत्तर प्रदेश वन निगम	2014-15	1.01	1.01	451.66	1,408.32	1,408.32	1,408.32	0.07	0.07	0.07
9	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2014-15	32.71	32.71	498.59	4,696.58	4,696.58	4,696.58	0.70	0.70	0.70
10	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2014-15	50.41	27.88	98.58	172.15	107.50	172.15	29.28	29.28	25.93
11	नन्दगंज-सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2014-15	3.47	3.47	4.18	-241.41	-241.41	-241.41	0.00 ^α	0.00 ^α	0.00 ^α

क्रम सं०	पीएसयू के नाम	अन्तिमीकृत लेखे का वर्ष	लाभांश, ब्याज एवं कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	कर एवं लाभांश उपरांत शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	निवेश [€]	अंशधारक निधि [¥]	नियोजित पूंजी [₹]	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (आरओसीई) [₹]	निवेश पर प्रतिलाभ (आरओआई) [₹]	इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) [₹]
									(4/9)	(4/7)	(5/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2014-15	0.31	0.31	0.00	-155.56	-155.56	-155.56	0.00 [▲]	0.00 [▲]	0.00 [▲]
13	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	2014-15	324.87	-71.87	1,304.91	6,039.41	6,039.41	6,039.41	5.38	5.38	-1.19
14	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2014-15	871.06	76.16	8,251.26	8,951.28	8,951.28	8,951.28	9.73	9.73	0.85
15	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	2014-15	0.44	0.2	28.85	0.98	0.98	0.98	44.90	44.90	20.41
16	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	2014-15	2.46	1.48	33.58	209.03	95.87	209.03	1.18	1.18	1.54
17	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2014-15	7.09	4.65	127.66	17.71	17.71	17.71	40.03	40.03	26.26
18	श्रीद्वान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2014-15	0.27	0.18	12.60	1.91	1.91	1.91	14.14	14.14	9.42
19	अपट्रान पॉवरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2014-15	1.45	1.08	30.20	-3.94	-3.94	-3.94	0.00 [▲]	0.00 [▲]	0.00 [▲]
20	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2014-15	3.96	3.96	3,241.40	-495.26	-545.26	-495.26	0.00 [▲]	0.00 [▲]	0.00 [▲]
योग (अ)			1,467.28	224.45	16,590.49	22,339.04	22,161.23	22,339.04	6.57	6.57	1.01
हानि अर्जित करने वाली पीएसयू											
21	नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	2014-15	-1.09	-1.81	0	-1.76	43.24	-1.76	0.00 [▲]	0.00 [▲]	0.00 [▲]
22	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	2014-15	-8.99	-11.93	0.18	-240.62	-244.62	-240.62	0.00 [▲]	0.00 [▲]	0.00 [▲]
23	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड	2014-15	-1.62	-8.48	0	-342.51	-342.51	-342.51	0.00 [▲]	0.00 [▲]	0.00 [▲]

क्रम सं०	पीएसयू के नाम	अन्तिमीकृत लेखे का वर्ष	लाभांश, ब्याज एवं कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	कर एवं लाभांश उपरांत शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	निवेश [€]	अंशधारक निधि [¥]	नियोजित पूंजी [₹]	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (आरओसीई) [₹]	निवेश पर प्रतिलाभ (आरओआई) [₹]	इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) [₹]
									(4/9)	(4/7)	(5/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	दक्षिणोच्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2014-15	-235.99	-2,036.31	6,611.55	-20,222.80	-20,222.80	-20,222.8	0.00*	0.00*	0.00*
25	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	2014-15	-43.26	-317.28	1,692.61	-3,523.88	-3,523.88	-3,523.88	0.00*	0.00*	0.00*
26	मध्योच्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2014-15	-73.83	-965.09	5,949.66	-12,431.69	-12,431.69	-12,431.69	0.00*	0.00*	0.00*
27	पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2014-15	-828.51	-1,836.84	10,231.21	-12,363.56	-12,363.56	-12,363.56	0.00*	0.00*	0.00*
28	पूर्वाच्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2014-15	-163.92	-1,317.99	6,052.56	-16,428.37	-16,428.27	-16,428.37	0.00*	0.00*	0.00*
29	सोनमढ़ पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2014-15	-0.01	-0.01	0.00	-5.01	-5.01	-5.01	0.00*	0.00*	0.00*
30	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड	2014-15	-12,524.85	-12,669.08	36,838.75	38,897.27	29,113.83	38,897.27	-32.20	-32.20	-43.52
31	यमुना पावर जेनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड	2014-15	-0.01	-0.01	0.00	-2.50	-2.50	-2.5	0.00*	0.00*	0.00*
32	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड	2014-15	-0.05	-0.05	0.00	-0.08	-0.08	-0.08	0.00*	0.00*	0.00*
33	यू. पी. स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2014-15	-2.72	-2.79	425.04	60.11	60.11	60.11	-4.53	-4.53	-4.64

क्रम सं०	पीएसयू के नाम	अन्तिमीकृत लेखे का वर्ष	लामांश, ब्याज एवं कर पूर्व शुद्ध लाम/हानि	कर एवं लामांश उपरांत शुद्ध लाम/हानि	टर्नओवर	निवेश ^e	अंशधारक निधि ^f	नियोजित पूंजी ^g	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (आरओसीई) ^a	निवेश पर प्रतिलाभ (आरओआई) ^b	इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) ^c
									(4/9)	(4/7)	(5/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	2014-15	-2.28	-2.61	0.00	112.09	77.09	112.09	-2.03	-2.03	-3.39
35	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	2014-15	-12.86	-12.86	21.39	-59.12	-144.48	-59.12	0.00*	0.00*	0.00*
36	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2014-15	-1.39	-4.71	0	-71.15	-138.02	-71.15	0.00*	0.00*	0.00*
37	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2014-15	-4.90	-5.13	31.08	13.90	13.09	13.9	-35.25	-35.25	-39.19
38	इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2014-15	-7.21	-7.21	16.11	-8.29	-8.29	-8.29	0.00*	0.00*	0.00*
39	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2014-15	-0.19	-0.19	0.13	-0.70	-0.70	-0.7	0.00*	0.00*	0.00*
योग (ब)			-12,534.75	-12,679.61	67,870.27	39,083.37	29,264.12	39,083.37	-32.07	-32.07	-43.33
शून्य लाम/हानि अर्जित करने वाली पीएसयू											
40	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2014-15	0.00	0.00	0.00	0.71	0.71	0.71	0.00*	0.00*	0.00*
योग-(स)			0.00	0.00	0.00	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00
महायोग (अ+ब+स)			-11,067.47	-12,455.16	84,460.76	61,423.12	51,426.06	61,423.12	-18.02	-18.02	-24.22
वित्तीय वर्ष 2015-16											
लाम अर्जित करने वाली पीएसयू											

क्रम सं०	पीएसयू के नाम	अन्तिमीकृत लेखे का वर्ष	लाभांश, ब्याज एवं कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	कर एवं लाभांश उपरांत शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	निवेश ^e	अंशधारक निधि ^f	नियोजित पूंजी ^g	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (आरओसीई) ^a	निवेश पर प्रतिलाभ (आरओआई) ^b	इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) ^c
									(4/9)	(4/7)	(5/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2015-16	0.03	0.03	0.17	-0.67	-0.67	-0.67	0.00 [*]	0.00 [*]	0.00 [*]
2	यू. पी. प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड	2014-15	11.15	6.22	524.85	62.02	62.02	62.02	17.98	17.98	10.03
3	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	2014-15	0.08	0.08	0.25	2.24	2.24	2.24	3.57	3.57	3.57
4	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	2014-15	47.03	27.92	1,375.68	187.66	187.66	187.66	25.06	25.06	14.88
5	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	2015-16	1.93	1.28	30.53	210.10	96.94	210.10	0.92	0.92	1.32
6	श्रीद्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2015-16	1.40	0.93	39.70	2.84	2.84	2.84	49.30	49.30	32.75
7	अपद्रान पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2015-16	1.87	1.24	46.91	-2.70	-2.70	-2.70	0.00 [*]	0.00 [*]	0.00 [*]
8	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2014-15	50.41	27.88	98.58	172.15	107.50	172.15	29.28	29.28	25.93
9	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की सहायक)	2014-15	324.87	-71.87	1,304.91	6,039.41	6,039.41	6,039.41	5.38	5.38	-1.19
10	नन्दगंज-सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2014-15	3.47	3.47	4.18	-241.41	-241.41	-241.41	0.00 [*]	0.00 [*]	0.00 [*]

क्रम सं०	पीएसयू के नाम	अन्तिमीकृत लेखे का वर्ष	लाभांश, ब्याज एवं कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	कर एवं लाभांश उपरांत शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	निवेश ^e	अंशधारक निधि ^f	नियोजित पूंजी ^g	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (आरओसीई) ^h	निवेश पर प्रतिलाभ (आरओआई) ⁱ	इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) ^o
									(4/9)	(4/7)	(5/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2015-16	5.40	5.40	0.00	-150.16	-150.16	-150.16	0.00 [*]	0.00 [*]	0.00 [*]
12	उत्तर प्रदेश वन निगम	2015-16	4.26	4.26	381.29	1,424.63	1,424.63	1,424.63	0.30	0.30	0.30
13	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2015-16	55.77	50.68	334.26	4,747.26	4,747.26	4,747.26	1.17	1.17	1.07
14	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2015-16	16.01	15.90	3,351.51	-635.45	-635.45	-635.45	0.00 [*]	0.00 [*]	0.00 [*]
15	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड	2015-16	0.01	0.01	0.00	-0.08	-0.08	-0.08	0.00 [*]	0.00 [*]	0.00 [*]
16	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2015-16	1,126.22	284.96	9,178.66	21,228.30	10,511.14	21,228.30	5.31	5.31	2.71
17	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	2014-15	2.66	1.79	7.78	6.18	6.18	6.18	43.04	43.04	28.96
18	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2014-15	28.97	28.97	244.49	149.78	149.78	149.78	19.34	19.34	19.34
19	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	2014-15	87.07	87.07	353.97	433.79	433.79	433.79	20.07	20.07	20.07
20	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2014-15	1.07	0.07	0.00	-105.39	-105.39	-105.39	0.00 [*]	0.00 [*]	0.00 [*]
21	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2015-16	16.53	10.68	26.98	28.24	28.24	28.24	58.53	58.53	37.82
22	यू पी. स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2015-16	15.82	11.63	662.91	71.71	71.71	71.71	22.06	22.06	16.22

क्रम सं०	पीएसयू के नाम	अन्तिमीकृत लेखे का वर्ष	लाभांश, ब्याज एवं कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	कर एवं लाभांश उपरांत शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	निवेश ^e	अंशधारक निधि ^f	नियोजित पूंजी ^g	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (आरओसीई) ^a	निवेश पर प्रतिलाभ (आरओआई) ^b	इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) ^c
									(4/9)	(4/7)	(5/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	2015-16	3.04	1.91	0.00	525.61	525.61	525.61	0.58	0.58	0.36
24	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	2015-16	1.97	1.56	28.71	2.54	2.54	2.54	77.56	77.56	61.42
योग (अ)			1,779.18	475.95	17,996.32	35,294.46	24,399.49	35,294.46	5.04	5.04	1.95
हानि अर्जित करने वाली पीएसयू											
25	लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	2015-16	-20.00	-22.18	0.00	855.83	1105.60	855.83	-2.34	-2.34	-2.01
26	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू. पी. लिमिटेड	2014-15	-8.99	-11.93	0.18	-240.62	-244.62	-240.62	0.00*	0.00*	0.00*
27	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2015-16	-1.59	-5.38	0.00	-74.27	-148.10	-74.27	0.00*	0.00*	0.00*
28	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड	2015-16	-9.33	-16.29	0.00	-169.09	-358.70	-169.09	0.00*	0.00*	0.00*
29	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	2015-16	-8.46	-11.36	6.33	-24.62	-155.84	-24.62	0.00*	0.00*	0.00*
30	दक्षिणोचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2014-15	-235.99	-2,036.31	6,611.55	-20,222.80	-20,222.80	-20,222.80	0.00*	0.00*	0.00*
31	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	2014-15	-43.26	-317.28	1,692.61	-3,523.88	-3,523.88	-3,523.88	0.00*	0.00*	0.00*
32	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2014-15	-73.83	-965.09	5,949.66	-12,431.69	-12,431.69	-12,431.69	0.00*	0.00*	0.00*

क्रम सं०	पीएसयू के नाम	अन्तिमीकृत लेखे का वर्ष	लाभांश, ब्याज एवं कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	कर एवं लाभांश उपरांत शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	निवेश ^६	अंशधारक निधि ^७	नियोजित पूंजी ^८	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (आरओसीई) ^९	निवेश पर प्रतिलाभ (आरओआई) ^{१०}	इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) ^{११}
									(4/9)	(4/7)	(5/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2014-15	-828.51	-1,836.84	10,231.21	-12,363.56	-12,363.56	-12,363.56	0.00*	0.00*	0.00*
34	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2014-15	-163.92	-1,317.99	6,052.56	-16,428.37	-16,428.27	-16,428.37	0.00*	0.00*	0.00*
35	सोनभद्र पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2014-15	-0.01	-0.01	0.00	-5.01	-5.01	-5.01	0.00*	0.00*	0.00*
36	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड	2014-15	-12,524.85	-12,669.08	36,838.75	38,897.27	29,113.83	38,897.27	-32.20	-32.20	-43.52
37	यमुना पावर जेनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड	2014-15	-0.01	-0.01	0.00	-2.50	-2.50	-2.50	0.00*	0.00*	0.00*
38	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2014-15	-4.90	-5.13	31.08	13.90	13.09	13.90	-35.25	-35.25	-39.19
39	इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2014-15	-7.21	-7.21	16.11	-8.29	-8.29	-8.29	0.00*	0.00*	0.00*
योग (ब)			-12,549.75	-12,696.39	67,430.04	39,767.00	30,232.52	39,767.00	-31.56	-31.56	-42.00
शून्य लाभ/हानि अर्जित करने वाली पीएसयू											
40	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2015-16	0	0	0	-0.76	-0.71	-0.76	0.00*	0.00*	0.00*
योग-(स)			0	0	0	-0.76	-0.71	-0.76	0.00	0.00	0.00
महायोग (अ+ब+स)			-10,770.57	-12,220.44	85,426.36	75,061.46	54,632.01	75,061.46	-14.35	-14.35	-22.37

क्रम सं०	पीएसयू के नाम	अन्तिमीकृत लेखे का वर्ष	लाभांश, ब्याज एवं कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	कर एवं लाभांश उपरांत शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	निवेश [€]	अंशधारक निधि [†]	नियोजित पूंजी [‡]	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (आरओसीई) [§]	निवेश पर प्रतिलाभ (आरओआई)	इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) [∞]
									(4/9)	(4/7)	(5/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
वित्तीय वर्ष 2016-17											
लाभ अर्जित करने वाली पीएसयू											
1	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2016-17	0.02	0.02	0.22	-0.65	-0.65	-0.65	0.00*	0.00*	0.00*
2	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	2014-15	0.08	0.08	0.25	2.24	2.24	2.24	3.57	3.57	3.57
3	यू. पी. प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड	2014-15	11.15	6.22	524.85	62.02	62.02	62.02	17.98	17.98	10.03
4	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2015-16	16.53	10.68	26.98	28.24	28.24	28.24	58.53	58.53	37.82
5	यू. पी. स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2015-16	15.82	11.63	662.91	71.71	71.71	71.71	22.06	22.06	16.22
6	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	2014-15	47.03	27.92	1,375.68	187.66	187.66	187.66	25.06	25.06	14.88
7	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	2016-17	1.46	0.65	24.56	3.06	3.06	3.06	47.71	47.71	21.24
8	श्रीद्वान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2016-17	1.11	0.76	36.91	3.60	3.60	3.60	30.83	30.83	21.11
9	अपट्रान पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2.02	1.46	28.22	-1.24	-1.24	-1.24	0.00*	0.00*	0.00*
10	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	2015-16	1.93	1.28	30.53	210.10	96.94	210.10	0.92	0.92	1.32

क्रम सं०	पीएसयू के नाम	अन्तिमीकृत लेखे का वर्ष	लाभांश, ब्याज एवं कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	कर एवं लाभांश उपरांत शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	निवेश ^e	अंशधारक निधि ^y	नियोजित पूंजी ^f	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (आरओसीई) ^a	निवेश पर प्रतिलाभ (आरओआई) ^b	इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) ^c
									(4/9)	(4/7)	(5/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2014-15	50.41	27.88	98.58	172.15	107.50	172.15	29.28	29.28	25.93
12	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2016-17	2,447.77	677.94	11,831.48	11,031.37	11,031.37	11,031.37	22.19	22.19	6.15
13	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड	2015-16	0.01	0.01	0.00	-0.08	-0.08	-0.08	0.00*	0.00*	0.00*
14	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की सहायक)	2014-15	324.87	-71.87	1,304.91	6,039.41	6,039.41	6,039.41	5.38	5.38	-1.19
15	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	2014-15	2.66	1.79	7.78	6.18	6.18	6.18	43.04	43.04	28.96
16	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2014-15	28.97	28.97	244.49	149.78	149.78	149.78	19.34	19.34	19.34
17	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	2014-15	87.07	87.07	353.97	433.79	433.79	433.79	20.07	20.07	20.07
18	उत्तर प्रदेश वन निगम	2015-16	4.26	4.26	381.29	1,424.63	1,424.63	1,424.63	0.30	0.30	0.30
19	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2015-16	55.77	50.68	334.26	4,747.26	4,747.26	4,747.26	1.17	1.17	1.07
20	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2015-16	16.01	15.90	3,351.51	-635.45	-635.45	-635.45	0.00*	0.00*	0.00*
21	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2014-15	1.07	0.07	0.00	-105.39	-105.39	-105.39	0.00*	0.00*	0.00*
22	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2015-16	5.40	5.40	0.00	-150.16	-150.16	-150.16	0.00*	0.00*	0.00*

क्रम सं०	पीएसयू के नाम	अन्तिमीकृत लेखे का वर्ष	लाभांश, ब्याज एवं कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	कर एवं लाभांश उपरांत शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	निवेश ^६	अंशधारक निधि ^५	नियोजित पूंजी ^४	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (आरओसीई) ^३	निवेश पर प्रतिलाभ (आरओआई) ^२	इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) ^१
									(4/9)	(4/7)	(5/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	नन्दगंज-सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2014-15	3.47	3.47	4.18	-241.41	-241.41	-241.41	0.00*	0.00*	0.00*
योग (अ)			3,096.89	865.94	20,623.56	24,573.20	24,395.39	24,573.20	12.60	12.60	3.55
हानि अर्जित करने वाली पीएसयू											
24	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	2014-15	-8.99	-11.93	0.18	-240.62	-244.62	-240.62	0.00*	0.00*	0.00*
25	लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	-17.06	-19.45	0.00	1,420.73	885.73	1420.73	-1.20	-1.20	-2.20
26	नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	-7.86	-8.33	1.39	-8.23	-8.23	-8.23	0.00*	0.00*	0.00*
27	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	2015-16	-8.46	-11.36	6.33	-24.62	-155.84	-24.62	0.00*	0.00*	0.00*
28	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2015-16	-1.59	-5.38	0.00	-74.27	-148.10	-74.27	0.00*	0.00*	0.00*
29	दक्षिणोच्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. की सहायक)	2014-15	-235.99	-2,036.31	6,611.55	-20,222.80	-20,222.80	-20,222.80	0.00*	0.00*	0.00*
30	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	2014-15	-43.26	-317.28	1,692.61	-3,523.88	-3,523.88	-3,523.88	0.00*	0.00*	0.00*
31	मध्याच्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. की सहायक)	2014-15	-73.83	-965.09	5,949.66	-12,431.69	-12,431.69	-12,431.69	0.00*	0.00*	0.00*

क्रम सं०	पीएसयू के नाम	अन्तिमीकृत लेखे का वर्ष	लाभांश, ब्याज एवं कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	कर एवं लाभांश उपरांत शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	निवेश ^e	अंशधारक निधि ^f	नियोजित पूंजी ^g	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (आरओसीई) ^a	निवेश पर प्रतिलाभ (आरओआई) ^b	इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) ^c
									(4/9)	(4/7)	(5/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2014-15	-828.51	-1,836.84	10,231.21	-12,363.56	-12,363.56	-12,363.56	0.00 [*]	0.00 [*]	0.00 [*]
33	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2014-15	-163.92	-1,317.99	6,052.56	-16,428.37	-16,428.27	-16,428.37	0.00 [*]	0.00 [*]	0.00 [*]
34	सोनभद्र पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2014-15	-0.01	-0.01	0.00	-5.01	-5.01	-5.01	0.00 [*]	0.00 [*]	0.00 [*]
35	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड	2014-15	-12,524.85	-12,669.08	36,838.75	38,897.27	29,113.83	38,897.27	-32.20	-32.20	-43.52
36	यमुना पावर जेनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड	2014-15	-0.01	-0.01	0.00	-2.50	-2.50	-2.50	0.00 [*]	0.00 [*]	0.00 [*]
37	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड	2015-16	-9.33	-16.29	0.00	-169.09	-358.70	-169.09	0.00 [*]	0.00 [*]	0.00 [*]
38	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2014-15	-4.90	-5.13	31.08	13.90	13.09	13.90	-35.25	-35.25	-39.19
39	इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2014-15	-7.21	-7.21	16.11	-8.29	-8.29	-8.29	0.00 [*]	0.00 [*]	0.00 [*]
योग (ब)			-12,546.81	-12,693.66	67,431.43	40,331.90	30,012.65	40,331.90	-31.11	-31.11	-42.29

क्रम सं०	पीएसयू के नाम	अन्तिमीकृत लेखे का वर्ष	लाभांश, ब्याज एवं कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	कर एवं लाभांश उपरांत शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	निवेश [€]	अंशधारक निधि [¥]	नियोजित पूंजी [#]	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (आरओसीई) ^α	निवेश पर प्रतिलाभ (आरओआई) ^β	इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) [∞]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(4/9)	(4/7)	(5/8)
शून्य लाभ/हानि अर्जित करने वाली पीएसयू											
40	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2015-16	0	0	0	-0.76	-0.71	-0.76	0.00 [▲]	0.00 [▲]	0.00 [▲]
योग-स			0	0	0	-0.76	-0.71	-0.76	0.00	0.00	0.00
महायोग (अ+ब+स)			-9,449.92	-11,827.72	88,054.99	64,905.10	54,408.04	64,905.10	-14.56	-14.56	-21.74

€ निवेश = (प्रदत्त पूंजी+मुक्त संचय+दीर्घावधि ऋण)

¥ अंशधारक निधि = (प्रदत्त पूंजी+मुक्त संचय एवं आधिक्य-संचित हानि-आस्थगित आयगत व्यय)

नियोजित पूंजी = अंशधारक निधि + दीर्घावधि ऋण

α नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ = (लाभांश, ब्याज एवं कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि)/नियोजित पूंजी

β निवेश पर प्रतिलाभ = (लाभांश, ब्याज एवं कर पूर्व शुद्ध लाभ)/निवेश

∞ इक्विटी पर प्रतिलाभ = (करोपरान्त लाभ-पूर्वाधिकार लाभांश)/अंशधारक निधि

▲ 21 पीएसयू जहां निवेश/अंशधारक निधि/नियोजित पूंजी नकारात्मक थी, वहां आरओसीई, आरओआई तथा आरओई की गणना नहीं की गयी है तथा इन्हें शून्य दर्शाया गया है। संचित हानियों के कारण, इन पीएसयू में ₹ 74,837.87 करोड़ का निवेश (इक्विटी तथा ऋण), ₹ 66,638.07 करोड़ (संचित हानियां घटाने के पश्चात) के नकारात्मक निवेश में परिवर्तित हो गया।

परिशिष्ट 1.8

(प्रस्तर 1.25 में सन्दर्भित)

उदय योजना के अन्तर्गत लक्ष्य के सापेक्ष डिस्कॉम की उपलब्धियां

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	एमओयू के अनुसार लक्ष्यावधि	लक्ष्य						उपलब्धि						
		म.वि.वि.नि. लि.	द.वि.वि. नि.लि.	पू.वि.वि.नि. लि.	प.वि.वि.नि. लि.	केस्को	योग	म.वि.वि.नि.लि. लि.	द.वि.वि.नि. लि.	पू.वि.वि.नि. लि.	प.वि.वि.नि. लि.	केस्को	योग	
वित्तीय परिवर्तन														
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिस्कॉम के ऋण	2015-16 (वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही)	5,527.00	9,814.73	6,836.36	5,686.67	1,737.86	29,602		5,527.00	9,814.73	6,836.36	5,686.67	1,737.86	2015-16 में ₹29,602 करोड़ लिया गया
₹ 59,205 करोड़ के 75 प्रतिशत का अधिग्रहण	2016-17 (30 जून 2016 तक)	3,056.74	5,152.44	3,087.94	2,843.87	6,60.36	4,801		3,056.74	5,152.44	3,087.94	2,843.87	660.36	2016-17 में ₹14,801 करोड़ लिया गया
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिस्कॉम की भावी हानियों का वित्तपोषण एवं अधिग्रहण	2017-18	83.89	116.36	136.37	51.31	22.00	2016-17 की 5 प्रतिशत हानि (₹409.93 करोड़)		83.89	116.36	136.37	51.31	22.00	राज्य सरकार ने 2017-18 में ₹409.93 करोड़ का वित्तपोषण किया
एटी एवं सी हानि में कमी (प्रतिशत में)	2015-16	33.13	35.94	38.87	24.63	35.25	32.36		44.15	40.62	47.54	26.72	27.97	38.41
	2016-17	27.80	30.30	34.19	22.99	29.44	28.27		31.20	35.08	35.31	24.60	15.61	30.22
	2017-18	23.20	24.83	26.92	20.63	24.11	23.63		28.99	34.07	31.35	20.77	18.07	27.67
एसीएस-एआर आर अंतर में कमी (चूकि पीपीए	2016-17	डिस्कॉम वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।						₹1.04/ केडब्ल्यू एच	डिस्कॉम वार उपलब्धि अनुपलब्ध है।					
यूपीपीसीएल द्वारा बनाया गया था, डिस्कॉम वार एसीएस-एआर	2017-18	डिस्कॉम वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।						₹0.60/ केडब्ल्यू एच	डिस्कॉम वार उपलब्धि अनुपलब्ध है।					

मापदण्ड	एमओयू के अनुसार लक्ष्यावधि	लक्ष्य						उपलब्धि					
		म.वि.वि.नि. लि.	द.वि.वि. नि.लि.	पू.वि.वि.नि. लि.	प.वि.वि.नि. लि.	केस्को	योग	म.वि.वि.नि.लि.	द.वि.वि.नि. लि.	पू.वि.वि.नि. लि.	प.वि.वि.नि. लि.	केस्को	योग
आर अन्तर की गणना नहीं की गयी है)													
बिलिंग क्षमता (प्रतिशत में)	2015-16	76.86	72.80	77.33	78.51	74.42	76.43	77.80	75.55	76.98	81.35	81.66	78.33
	2016-17	78.48	76.18	78.43	79.80	77.49	78.29	77.79	75.39	78.97	81.43	84.40	78.91 (प्राप्त)
	2017-18	80.84	79.93	80.27	81.82	81.09	80.82	79.00	74.05	77.95	83.11	86.61	79.15 (अप्राप्त)
संग्रहण क्षमता (प्रतिशत में)	2015-16	87.00	88.00	79.05	96.00	87.00	88.50	71.79	78.59	68.14	90.08	88.21	78.63 (अप्राप्त)
	2016-17	92.00	91.50	83.90	96.50	91.05	91.64	88.44	86.12	81.92	92.59	99.99	88.43 (अप्राप्त)
	2017-18	95.00	94.05	91.05	97.00	93.59	94.50	89.89	89.04	88.07	95.34	94.60	91.39 (अप्राप्त)
ससमय टैरिफ संशोधन	2015-16	30.11.14	30.11.14	30.11.14	30.11.14	30.11.14		08.12.14	08.12.14	08.12.14	08.12.14	30.11.14	
	2016-17	30.11.15	30.11.15	30.11.15	30.11.15	30.11.15		07.12.15	07.12.15	07.12.15	07.12.15	30.12.15	
	2017-18	01.11.16	01.11.16	01.11.16	01.11.16	01.11.16		21.06.17	21.06.17	21.06.17	21.06.17	21.06.17	
परिचालन संबंधी													
वितरण परिवर्तक मीटरिंग (संख्या में)	30 सितम्बर 2017 तक 100 प्रतिशत	1,20,203	17,287	NA	2,40,216	4,754	3,82,460	1,65,279	13,761	16,624	563	1,008	1,97,235 (प्राप्त)
फीडर मीटरिंग (संख्या में)	30 सितम्बर 2016 तक 100 प्रतिशत	3,303	3,431	3,458	5,379	501	16,072	3,303	3,431	3,458	5,379	501	16,072 (प्राप्त)
फीडर	2016-17	0	0	0	0	0	1660 (30 प्रतिशत)	0	0	0	0	लागू नहीं	0 (अप्राप्त)